

**बजट 2020-2021 के
बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय**

1. वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों की सूची, निम्नानुसार है:

- (क) वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)
- (ख) अनुदान-मांगें (डीजी)
- (ग) वित्त विधेयक
- (घ) एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण :
 - (i) वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण
 - (ii) मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण
- (ङ) व्यय बजट
- (च) प्राप्ति बजट
- (छ) व्यय की रूपरेखा
- (ज) बजट एक नजर में
- (झ) वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
- (ञ) उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा
- (ट) बजट 2020-2021 की मुख्य विशेषताएं

क्रम सं. क, ख, ग के समक्ष उल्लिखित दस्तावेज क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, 113 और 110(क) द्वारा अधिदेशित हैं, जबकि क्रम सं. घ (i) और (ii) के समक्ष दर्शित दस्तावेज राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। क्र. सं. ङ, च, छ, ज, झ, ज और ट पर अन्य दस्तावेज व्याख्यात्मक विवरणों के स्वरूप के हैं जो त्वरित अथवा प्रासंगिक संदर्भों हेतु प्रयोक्ता-अनुकूल फार्मेट में वर्णनात्मक होते हुए अधिदेशित दस्तावेजों के सहायक हैं। "उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा" विभिन्न केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए उनके सामने मापनीय संसूचकों और वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्पादन और परिणामों के साथ होगा। इन सभी दस्तावेजों का हिन्दी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सभी दस्तावेजों तक अधिक दक्ष और प्रयोक्ता-अनुकूल पहुँच बनाने की दृष्टि से हाईपरलिंक सहित वैब पाठ <http://indiabudget.gov.in> पर उपलब्ध है।

2.1 उपर्युक्त सूचीबद्ध बजट दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) अनुच्छेद 112 के तहत यथा प्रदत्त एक दस्तावेज है जिसमें वर्ष

2019-2020 के अनुमानों तथा साथ ही वर्ष 2018-19 के वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में वर्ष 2020-2021 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। प्राप्तियों तथा संवितरणों को तीन भागों में दिखाया जाता है जिसमें सरकार के लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) भारत की संचित निधि, (ii) भारत की आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा। वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य लेखाओं के व्यय से पृथक रखा जाता है जैसाकि भारत के संविधान में अधिदेशित है। राजस्व और पूंजी भाग मिलाकर संघ सरकार का बजट बनता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान, वापसियों और वसूलियों को घटाकर निवल व्यय के लिए है।

संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे का महत्त्व तथा राजस्व और पूंजी भाग की महत्वपूर्ण विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- (i) भारत की संचित निधि (सीएफआई) की विद्यमानता संविधान के अनुच्छेद 266 से उद्भूत है। सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियां मिल कर "संचित निधि" का रूप लेती हैं। सरकार का पूरा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना, इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती।
- (ii) संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का अधिकार प्रदान करता है। यह निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है और इससे सरकार को किसी भी तत्काल अप्रत्याशित व्यय को, संसद की स्वीकृति मिलने तक, पूरा करने में सहूलियत होती है। ऐसे अप्रत्याशित व्यय के लिए संसद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और ऐसे कार्योत्तर अनुमोदन के बाद, जितनी राशि आकस्मिकता निधि से निकाली जाती है, उतनी राशि संचित निधि से आहरित करके आकस्मिकता निधि की भरपाई कर दी जाती है। संसद द्वारा यथा-अधिकृत आकस्मिकता निधि की कुल राशि, इस समय, ₹ 500 करोड़ है।
- (iii) सरकार द्वारा ट्रस्ट में धारित धनराशियों को लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत अस्तित्व में है। भविष्य निधियों; लघु बचत संग्रहणों, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर किए गए व्यय को छोड़कर, सरकार की आय; अन्य प्रारक्षित/विशेष निधियां आदि लोक लेखा में रखी धनराशि के उदाहरण हैं। जो लोक लेखा निधियां सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं और जिनका अन्तिम रूप से जमा करने वाले व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को वापस भुगतान करना पड़ता है, संसद की स्वीकृति ऐसे आहरणों के लिए अपेक्षित नहीं होती है। संसद से अनुमोदन तब लिया जाता है जब राशियां संचित निधि से आहरित की जाती हैं और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए इन्हें लोक लेखा में रखा जाता है। विशेष उद्देश्य पर वास्तविक व्यय को विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लोक लेखा से आहरण के लिए संसद की स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट का राजस्व संबंधी भाग, जिसे संदर्भ सुलभता हेतु नीचे (iv) में राजस्व बजट कहा गया है और पूंजी संबंधी भाग, जिसे संदर्भ की सुलभता के लिए नीचे (v) में पूंजीगत बजट कहा गया है; परिसीमित किया जा सकता है।

(iv) राजस्व बजट में सरकार की राजस्व (कर-राजस्व और अन्य गैर-कर राजस्व) प्राप्तियां तथा इन राजस्वों से पूरा किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। कर-राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी विभिन्न प्रस्तावों के प्रभाव पर विचार किया जाता है। सरकार की अन्य गैर-कर प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय, सरकारी विभागों के सामान्य संचालन और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान करने, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान आदि पर होता है। मोटे तौर पर, ऐसा व्यय जिससे भारत सरकार हेतु किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पक्षों को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं, यद्यपि, उनमें से कुछ अनुदानों का प्रयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है।

(v) पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण (जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है), राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले ऋण, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त ऋण, विनिवेश प्राप्तियाँ और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल हैं। पूंजीगत भुगतान में जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कम्पनियों, निगमों और अन्य पार्टियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(vi) लेखाओं का वर्गीकरण

- संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित लेखाकरण वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और खर्चों तथा अनुदान-मांगों में व्यय के अनुमान दिखाए जाते हैं।
- वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत की संचित निधि पर भारित कतिपय संवितरणों को अलग से दिखाया जाता है। संविधान में व्यय की विभिन्न मदों जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और उनकी अदायगियों और अदालती आदेशों को पूरा करने हेतु की गई अदायगियां और व्यय मदें भारत की संचित निधि पर भारित होंगी और इनके लिए लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

ख. अनुदान-मांगें

(i) संविधान के अनुच्छेद 113 में अधिदेशित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित भारत की संचित

निधि से किए जाने वाले तथा लोक सभा की स्वीकृति के लिए अपेक्षित व्यय के अनुमानों को अनुदान-मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान-मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। साधारणतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, किसी मंत्रालय या विभाग की एक से अधिक मांगें व्यय के स्वरूप के आधार पर प्रस्तुत की जा सकती हैं। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। बजट 2020-2021 में 101 अनुदान-मांगें हैं। प्रत्येक मांग में (i) 'स्वीकृत' और 'भारित' व्यय (ii) 'राजस्व' और 'पूंजी' व्यय और (iii) व्यय की कुल राशि जिसके लिए मांग प्रस्तुत की जाती है, के सकल आधार पर जोड़ दिखाए जाते हैं। इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। वसूलियों की राशियां भी दर्शाई जाती हैं। सकल राशि से वसूलियां घटाने के बाद व्यय की निवल राशि भी दर्शाई जाती है। इस दस्तावेज के आरम्भ में अनुदान-मांगों का सारांश दिया जाता है, जबकि इसके अंत में, 'नई सेवा' अथवा 'नई सेवा लिखतों' जैसे कि नई कम्पनी, उपक्रम अथवा नई योजना आदि का निरूपण, यदि कोई हो, दिया जाता है।

- (ii) प्रायः प्रत्येक मांग में किसी सेवा के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान शामिल होता है अर्थात् इसमें राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों के लिए भी किया गया प्रावधान शामिल होता है। जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां (अनुदान की मांग सं. 37) तो उस व्यय के लिए मांग से बिल्कुल भिन्न एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उस पर लोक सभा की स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें 'स्वीकृत' एवं 'भारित' दोनों मदें शामिल हों, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन उस मांग में 'स्वीकृत' और 'भारित' व्यवस्थाएं अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

ग. वित्त विधेयक

संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने, उनके रद्दोबदल अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें बजट संबंधी अन्य उपबंध भी होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक है।

घ. एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण

i. वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण

वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केन्द्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं।

ii. मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बाजार मूल्यों पर छह विशेष राजकोषीय संकेतकों अर्थात् (i) राजकोषीय घाटा (ii) राजस्व घाटा (iii) प्राथमिक घाटा (iv) कर राजस्व (v) कर-भिन्न राजस्व और (vi) केन्द्र सरकार का ऋण। इस विवरण में अंतर्निहित पूर्वानुमानों, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्यांकन और अर्जक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधार लेने और निवेश करने, प्रशासित मूल्य निर्धारण, उधारों और गारंटियों से संबंधित सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी दी जाती है। इस विवरण में यह बताया जाता है कि मौजूदा राजकोषीय नीतियां किस प्रकार मजबूत राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं तथा महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में आए किसी बड़े विचलन का औचित्य भी दिया जाता है।

2.2 व्याख्यात्मक दस्तावेज:

बजट की प्रमुख विशेषताओं को अधिक व्यापक रूप से समझना आसान बनाने के लिए, कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

ड. व्यय बजट

किसी स्कीम या कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएं किसी अनुदान मांग के राजस्व और पूंजी भागों में कई मुख्य शीर्षों में हो सकती हैं। व्यय बजट खंड में, किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को इकट्ठा किया जाता है और राजस्व एवं पूंजी द्वारा निवल आधार पर एक स्थान पर दर्शाया जाता है। अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यथा (i) केन्द्र के व्यय और (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अंतरण। केन्द्र के व्यय श्रेणी के अंतर्गत 3 उप-वर्गीकरण किया जाता है (क) केन्द्र का स्थापना व्यय (ख) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें तथा (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तथा स्वायत्त निकायों पर व्यय सहित अन्य केन्द्रीय व्यय।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण की श्रेणी में निम्नलिखित 3 उप-वर्गीकरण सम्मिलित हैं :

(क) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम

(ख) वित्त आयोग अंतरण

(ग) राज्यों को अन्य अंतरण

व्यय बजट में विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय के अन्तर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए, इस खंड में समुचित व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल की गई हैं।

च. प्राप्ति बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित प्राप्तियों के अनुमानों का "प्राप्ति बजट" प्रलेख में पुनः विश्लेषण किया जाता है। इस प्रलेख में कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा होता है और यह अनुमानों को स्पष्ट करता है। इस प्रलेख में, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2004 के तहत यथा अधिदेशित कर राजस्वों और कर-भिन्न राजस्वों की बकाया राशियों का उल्लेख भी किया जाता है। प्राप्ति

बजट में घाटे के संकेतकों सहित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से संबंधित विवरणी, देयता विवरणी, सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों से सम्बन्धित विवरण, परिसम्पत्ति विवरणी और विदेशी सहायता के ब्यौरे भी शामिल होते हैं। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के प्रभाव का विवरण भी शामिल है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को सूचीबद्ध करने के प्रयास किया जाता है। यह दस्तावेज विगत में तेल और उर्वरकों की सब्सिडी के बदले जारी की गई प्रतिभूतियों (बंध पत्रों) के कारण सरकार की देयताओं को भी दर्शाता है। इसे पहले "परित्यक्त राजस्वों का विवरण" कहा जाता था और 2015-16 में पृथक विवरण के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसे 2016-17 से बजट प्राप्तियों में आमेहित किया गया है।

छ. व्यय की रूपरेखा

- (i) पूर्व में इस दस्तावेज का शीर्षक व्यय बजट खंड-1 था। आयोजना-आयोजना-भिन्न के विलय की तर्ज पर इसे नया शीर्षक दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय और मांगों में कतिपय अन्य मदों पर व्यय का कुल योग दिया जाता है।
- (ii) वर्तमान लेखाकरण तथा बजट प्रक्रियाओं के अन्तर्गत, कतिपय वर्ग की प्राप्तियों, जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को की गई अदायगी और पूंजी परियोजनाओं या योजनाओं से होने वाली आय को, उस विभाग के खर्च में से, जिसे यह रकम मिलेगी, घटा दिया जाता है। जबकि अनुदान-मांगों में व्यय के अनुमान सकल व्यय के अनुमान होते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए जाने वाले व्यय के अनुमान, वसूलियों को ध्यान में रखते हुए निवल व्यय के अनुमान होते हैं। व्यय बजट दस्तावेज में कतिपय अन्य शोधन भी किए गए हैं जैसे संबंधित प्राप्तियों का व्यय घटाना ताकि प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों को बढ़ने से रोका जा सके। इस दस्तावेज में संक्षिप्त कारणों के साथ बजट अनुमान 2019-20 और संशोधित अनुमान 2019-20 के बीच बड़े अन्तरों के साथ-साथ सं.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 के बीच अन्तर को दर्शाने वाला निवल शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को किए गए अंशदानों और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना सम्बन्धी अनुमानित संख्या तथा उनके लिए किए गए प्रावधानों को पृथक विवरणों में दर्शाया जाता है। इस प्रलेख में (i) महिलोन्मुख बजटिंग (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन तथा (iii) बाल कल्याण योजनाओं को दर्शाने वाले अलग-अलग विवरण भी शामिल किए जाते हैं। इसमें इनसे संबंधित विवरण भी हैं। वे हैं (i) स्वायत्तशासी निकायों के संबंध में व्यय का ब्यौरा और बजट अनुमान (ii) लोक लेखा में कतिपय विशेष निधियों का ब्यौरा।

(iii) योजना व्यय

केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय का अनुपात काफी अधिक होता है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान-मांगों में, योजना व्यय को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम दो अलग-अलग श्रेणियों में दर्शाया गया है। व्यय की रूपरेखा में प्रत्येक मंत्रालय के कुल आयोजना खर्च को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम, स्थापना, अन्य केन्द्रीय व्यय, राज्यों को अन्तरण आदि और अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में की गई खर्च की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया गया है। इस दस्तावेज में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण भी शामिल है।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उद्यम

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर एक ब्यौरेवार रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित "सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा" नामक पुस्तक में दी जाती है। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के अधीन उद्यमों के कार्यचालन की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में भी दी जाती है, जो संसद सदस्यों को अलग से परिचालित की जाती है। प्रत्येक सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे अलग से संसद के सभा पटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखी जाती है।

(v) वाणिज्यिक विभाग

रेलवे, सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाया जाने वाला प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल मंत्रालय का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदान-मांगों वित्त वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती हैं। व्यय रूपरेखा में रेलवे से संबंधित अन्य हितों का ब्यौरा तथा रेलवे की अनुदान मांगों की सभी मुख्य पहलुओं के साथ रेलवे का पृथक भाग होता है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। विवरण में विभागीय रूप से चलाए जाने वाले वाणिज्यिक उपक्रमों का ब्यौरा दर्शाया गया है। वास्तविक कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने और प्राप्तियों अथवा व्यय दोनों को न बढ़ाने के लिए, व्यय रूपरेखा और व्यय बजट में दिखाया गया व्यय, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों को घटाकर दिखाया जाता है।

(vi) वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा सेवाओं के अनुमानों के प्रलेख में अधिक विस्तृत रूप से बताया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

(vii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अलावा, निकायों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे गैर-सरकारी निकायों को अदा किए गए सहायता अनुदानों के विवरणों में दिए जाते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न होते हैं।

ज. बजट एक नजर में

(i) इस दस्तावेज में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और खर्चों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है। इस पुस्तक में केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा और सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा होता है। एक ओर, राजस्व, पूंजी और अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और पूंजी, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर सकल राजकोषीय घाटा होता है। मूल सकल घाटा, सकल ब्याज अदायगियों को घटाकर, सकल राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है। बजट पत्रों में "सकल राजकोषीय घाटे" और "सकल मूल घाटे" को क्रमशः "राजकोषीय घाटे" और "मूल घाटे" के संक्षिप्त रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

- (ii) इस दस्तावेज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरित कुल संसाधनों की मात्रा एवं स्वरूप (केन्द्रीय करों, अनुदानों/ऋण में हिस्सा) को सूचित करने वाला विवरण भी शामिल होता है। करों, सहायता अनुदानों और ऋणों के रूप में अंतरित की जाने वाली राशियों का ब्यौरा व्यय रूपरेखा (विवरण सं. 18) में दिया जाता है। राज्यों को अधिकांश अनुदान तथा ऋण, वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरित किए जाते हैं और इन्हें "राज्यों को अंतरण" मांग में तथा 'दिल्ली को अंतरण' मांग एवं 'पुदुचेरी को अंतरण' नामक मांग में शामिल किया जाता है। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान और ऋण उनकी संबंधित मांगों में दर्शाए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार का बजट मात्र प्राप्ति और व्यय का विवरण नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, यह सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण प्रलेख भी बन गया है। बजट देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है और उसे स्वरूप प्रदान करता है और बदले में ही देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप उसका निर्धारण किया जाता है। सरकारी प्राप्ति में बढ़ोतरी और व्यय का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव के बेहतर मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि उन्हें कतिपय आर्थिक महत्व के सन्दर्भ में समूहबद्ध किया जाए, उदाहरणार्थ पूंजी-निर्माण के लिए अलग से कितनी धनराशि रखी गयी है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च किया गया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों को अनुदानों, ऋणों आदि के रूप में कितना धन अंतरित किया गया है। यह विश्लेषण, केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण प्रलेख में किया गया है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है।

झ. वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त विधेयक में निहित कराधान संबंधी प्रस्ताव आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए वित्त विधेयक के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन नामक दस्तावेज में उपबंधों और उनके निहितार्थों की व्याख्या दी जाती है।


ञ. उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित (सीएसएस) ₹500 करोड़ और उससे अधिक के वित्तीय परिव्यय वाली दोनों स्कीमों के लिए उत्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) सहित परिणाम बजट सदन में 2020-2021 के बजट के साथ पेश किया जाएगा। ₹500 करोड़ से कम परिव्यय वाली सीएस और सीएसएस, दोनों स्कीमों के संबंध में, स्कीमों पर हुए व्यय का अलग-अलग उल्लेख करके उत्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार की जाएगी और यह अनुदानों की विस्तृत मांगों (डीडीजी) के साथ संसद में प्रस्तुत की जाएगी।

ट. बजट 2020-2021 की मुख्य विशेषताएं

यह दस्तावेज सरकार के आर्थिक विजन तथा वृद्धि और कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था के महत्व वाले क्षेत्रों में प्रमुख नीतिगत पहलों का आशुचित्र (स्नैपशॉट) सारांश है। राजको-नीय समेकन तथा सरकारी वित्त के प्रबंधन के साथ-साथ इस दस्तावेज में राजको-नीय वर्ग 2020-2021 के लिए प्रमुख बजट प्रस्तावों का विहंगम दृश्य भी शामिल किया जाता है।

बजट के मुख्य बिंदु



गवर्नेंस

संरचनात्मक सुधार

आईबीसी

कंपनियों के लिए आईबीसी के माध्यम से सम्मानजनक निकासी

जीएसटी

- ट्रकों के लिए टर्न अराउंड समय में 20 प्रतिशत की कटौती
- माध्यम से सम्मानजनक निकासी
- वर्धित उच्चतम सीमा और संमिश्र सीमा के माध्यम से एमएसएमई को लाभ
- औसत परिवार के लिए मासिक व्यय में लगभग 4 प्रतिशत की बचत
- पिछले दो वर्षों में 60 लाख नए करदाता शामिल किए गए और 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए

डिजिटल क्रांति

डीबीटी अपनाना

- वर्ष 2018-19 के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए

अगला कदम

- डिजिटल गर्वनेंस
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार
- आपदा समुत्थान
- पेंशन और बीमा अभिगम्यता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

समावेशी विकास

- निम्नलिखित पर फोकस करते हुए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" से प्रेरित गर्वनेंस:
 - निवारात्मक स्वास्थ्य देखभाल: स्वच्छता और जल
 - स्वास्थ्य देखभाल: आयुमान भारत
 - स्वच्छ ऊर्जा: उज्ज्वला और सौर ऊर्जा
 - वित्तीय समावेश, क्रेडिट सहायता और पेंशन
 - किफायती आवासन
 - डिजिटल अभिगम्यता

वित्तीय क्षेत्र




- जमा बीमा कवरेज को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रु. करना
- सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली हेतु एनबीएफसी के लिए पात्रता सीमा को घटाकर 100 करोड़ रुपए का आस्ति आकार या 50 लाख रु. का ऋण आकार करने का प्रस्ताव
- आईडीबीआई बैंक में सरकार की शेो धारिता को बेचने का प्रस्ताव
- सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीआई से अलग करना

- सरकारी प्रतिभूतियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को गैर-निवासी निवेशकों के लिए खोला जाएगा
- कार्पोरेट बांड की एफपीआई सीमा को बढ़ाकर 15% करना
- नए ऋण ईटीएफ मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रस्तावित




वृहत आर्थिक संकेतक


जीडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)




सीपीआई और डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत)




निवल एफडीआई




सीएडी / फोरेक्स (प्रतिशत)



घाटों के रुझान





ऋण




आंकड़ों के जरिए प्रगति ज्ञात करना

विदेशी विनिमय प्रारक्षित निधि (₹ करोड़)


सकल बैंक ऋण (₹ करोड़)




रोज़गार में स्थितियों के अनुसार कामगारों का वर्गीकरण (प्रतिशत)



राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना




मौजूदा ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भों में विश्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है




सभी आंकड़े ट्रिलियन अमरीकी डॉलर

बजट का सार


राजस्व व्यय (₹ करोड़)




पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)



राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़)




पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)




बजट का सार


रुपया आता है



रुपया जाता है



कर प्रस्ताव



- विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती कारपोरेट कर दर
- विदेशी सरकारों तथा अन्य विदेशी निवेश की सॉवरेन धन निधि के लिए कर रियायत
- स्टार्ट-अप को उनके लाभों की 100 प्रतिशत कटौती करके दिए जाने वाले कर लाभों को कुल कारोबार की सीमा और पात्रता की अवधि में वृद्धि करके बढ़ाया
- सहकारी संस्थाओं के लिए रियायती कर दर का प्रस्ताव
- किफायती आवास के लिए कर लाभों से संबंधित समय-सीमा को बढ़ाना
- आसान कर अनुपालन के लिए सभी धर्मार्थ संस्थाओं को विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करना।
- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य उपकरण लगाना क्योंकि भारत में ये उपकरण काफी मात्रा में बनाए जाते हैं।



लाभांश संवितरण कर हटाया गया और लाभांश कराधान की क्लासिकल प्रणाली को अपनाया गया



पुरानी प्रणाली के विकल्प के रूप में सरलीकृत और नई कर प्रणाली

आय लाख में	5 से कम	5-7.5	7.5-10	10-12.5	12.5-15	15 से अधिक
कर दर (प्रतिशत)	छूट	10	15	20	25	30



अप्रैल से सरलीकृत जीएसटी विवरण को क्रियान्वित किया जाएगा। धन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचालित होगी।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पम्प हेतु 20 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा और ग्रिड से जुड़े पम्पों के लिए 15 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा


- पीपीपी मोड पर कार्यक्षम वेयरहाउस के सृजन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
- एसएचजी द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम भंडार स्कीम का शुभारंभ
- ई-एनडब्ल्यूआर का ई-नाम के साथ एकीकरण



खराब होने वाली वस्तुओं के लिए अबाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्रमशः "किसान रेल" और "कृषि उड़ान" की शुरुआत

- 2025 तक मवेशियों में एफएमडी तथा ब्रसेलोसिस तथा भेंड़ और बकरियों में पीपीआर को समाप्त करना
- कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दुगुना करना
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य

- 2022-23 तक 20 लाख टन का मत्स्य उत्पादन
- 45000 एकड़ जल कृषि को सहायता
- 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य एफपीओ के माध्यम से मत्स्यपालन का विस्तार
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करना।



आरोग्यता, जल और स्वच्छता



- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनेल में शामिल किया गया।
- गैर-संचारी रोगों के विरुद्ध फिट इंडिया अभियान की शुरुआत

निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत कवरेज (लाख)

35




- तपेदिक को 2025 तक समाप्त करने के लिए "टीबी हारेगा देश जीतेगा" अभियान की शुरुआत


- पीपीपी मोड में अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यहार्यता अंतर निधियन का प्रस्ताव
- 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केन्द्र का विस्तार



- ओडीएफ व्यवहार की वहनीयता हेतु ओडीएफ प्लस
- अपशिष्ट प्रबंधन के साथ तरल और धूसर जल प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करना






एसबीएम (करोड)




शिक्षा और कौशल



- लगभग 150 उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षता संबद्ध पाठ्यक्रमों की शुरुआत करेंगे
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर
- विदेश में रोजगार चाहने वालों की दक्षता में सुधार लाने हेतु विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम



- समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इन्ड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन



नई अर्थव्यवस्था

- प्रौद्योगिकी के उभरते सेक्टरों के लिए ज्ञान अनुवाद क्लस्टर।
- टेक्नोलॉजी क्लस्टर हार्बरिंग टेस्ट बेड्स और छोटे स्तर की विनिर्माणकारी सुविधाओं को बढ़ाना।
- 8000 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय प्रमात्रा प्रौद्योगिकियां और अनुप्रयोग मिशन का प्रस्ताव

उद्योग, वाणिज्य और निवेश





- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण के प्रोत्साहन हेतु योजना
- 4 वर्ष तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन

- अधिक निर्यात ऋण वितरण के लिए निर्विक योजना प्रारंभ की गई
- अंतिम छोर तक सुविधा प्रदान करने के लिए निवेश क्लियरेंस प्रकोष्ठ की स्थापना



- ट्रेड्स के माध्यम से एमएसएमई को बीजक वित्तपोषण का विस्तार
- एमएसएमई के उद्यमियों को अधीनस्थ ऋण प्रदान करने की योजना।
- निर्यात बाजारों में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा योजना का शुभारम्भ

कार्पोरेट कर दर कटौती



अवसंरचना





- राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति शीघ्र ही शुरू की जाएगी।
- सड़कें: राजमार्गों का तेजी से विकास।
- लर्निंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण का ऑनलाइन निर्गमन।
- रेल: चार स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं
- पीपीपी विधि के जरिए 150 यात्री रेल गाड़ियां
- पर्यटन स्थलों के लिए तेजस जैसी और अधिक रेलगाड़ियां
- पत्तन: कम से कम एक बड़े पत्तन का निगमीकरण
- हवाई अड्डे : 100 और हवाई अड्डों को उड़ान योजना के अंतर्गत पुनः विकसित किया जाएगा।

विद्युत: परम्परागत ऊर्जा मीटरों के स्थान पवर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना।



गैस ग्रिड: राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 27,000 किमी⁰ तक विस्तार

- अवसंरचना वित्तपोषण: 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई
- गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी



ध्यान रखने वाला समाज

महिला और बाल; समाज कल्याण

- 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए गए।
- मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण स्तर सुधारने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक कार्य बल गठित किया जाएगा।

संस्कृति संस्कृति और पर्यटन

- भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव।
- 5 पुरातात्विक स्थल दर्शनीय (आईकानिक) स्थलों के रूप में विकसित किए जाएंगे।
- मुद्रा विषयक एवं व्यापार संबंधी एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- रांची में जनजातीय संग्रहालय।
- लोथल में समुद्री संग्रहालय की स्थापना


पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- आपदा समुत्थान अवसंरचना सम्मेलन का सितम्बर, 2019 में शभारंभ
- 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों में अधिक स्वच्छ हवा के लिए योजनाएं लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन



पोषाहार संबंधी कार्यक्रम (₹ करोड़)


2020-21 (BE)



पर्यटन प्रोत्साहन (₹ करोड़)


2500

2020-21 (BE)




प्रमुख स्कीमों को बजट आबंटन

पीएम किसान योजना




प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना




In ₹ crore


डीबीटी एलपीजी




आईसीडीएस



प्रधानमंत्री आवास योजना



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



प्रमुख मंत्रालयों का बजट प्रावधान 2020-21

₹ करोड़

₹ 50040



आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

₹ 67112



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

₹ 72216



रेल मंत्रालय

₹ 91823



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

₹ 99312



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

₹ 122398



ग्रामीण विकास मंत्रालय

₹ 124535



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

₹ 142762



कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

₹ 167250



गृह मंत्रालय

₹ 471378



रक्षा मंत्रालय

बजट का सार

BUDGET AT A GLANCE

2020-2021

बजट के सार में बजट अनुमानों को स्थूल समूहों में बांट कर परिलक्षित किया जाता है ताकि बजट को आसानी से समझा जा सके। यह दस्तावेज भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ-साथ राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटे को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इस दस्तावेज में उपयुक्त चार्टों और ग्राफों के माध्यम से प्राप्तियों के स्रोतों, उनके अनुप्रयोगों, ऋण के ब्यौरों तथा घाटे के संसूचकों, घाटा वित्तपोषण के स्रोतों तथा बजट को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संघटकों का चित्रात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है।

2. **राजकोषीय घाटा** राजस्व प्राप्तियों जमा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय के बीच का अंतर है। यह सरकार की कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। **राजस्व घाटे** का अर्थ राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होना है। **प्रभावी राजस्व घाटा** राजस्व घाटे तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अन्तर है। **प्राथमिक घाटे** को ब्याज अदायगियां घटाकर राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है।

3. बजट 2020-21 कृषि, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 3.8% पर रखते हुए सं.अ (2019-20) की तुलना में व्यय में ₹3,43,678 करोड़ बढ़ोतरी करके सिद्ध किया जाता है।

4. सं.अ. 2019-20 में कुल व्यय ₹26,98,552 करोड़ रखा गया है, जो अनंतिम वास्तविक (2018-19) से ₹3,83,439 करोड़ अधिक है।

Budget at a Glance presents broad aggregates of the Budget in a reader-friendly document. This document shows receipts and expenditure as well as the Fiscal Deficit (FD), Revenue Deficit (RD), Effective Revenue Deficit (ERD), and the Primary Deficit (PD) of the Government of India. Besides, it presents a pictorial account of sources of receipts, their application, the details of debt and deficit indicators, sources of deficit financing and trends and composition of important budgetary variables through charts and graphs.

2. **Fiscal Deficit** is the difference between the Revenue Receipts plus Non-debt Capital Receipts (NDCR) and the total expenditure. FD is reflective of the total borrowing requirements of Government. **Revenue Deficit** refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. **Effective Revenue Deficit** is the difference between Revenue Deficit and Grants for Creation of Capital Assets. **Primary Deficit** is measured as Fiscal Deficit less interest payments.

3. Budget 2020-21 reflects the Government's firm commitment to substantially boost investment in Agriculture, Social Sector, Education and Health. This is substantiated by increase in expenditure of ₹ 3,43,678 crores over RE (2019-20) while keeping the fiscal deficit at 3.8% of GDP.

4. In RE 2019-20, the total expenditure has been kept at ₹ 26,98,552 crore and is more than Provisional Actual (2018-19) by ₹3,83,439 crore.

5. राज्यों को जाने वाले कुल संसाधन, जिनमें करों में राज्य के हिस्से का अंतरण, अनुदान/ऋण और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी निधियां शामिल हैं, ब.अ. (2020-21) में ₹13,90,666 करोड़ है, जो सं.अ. (2019-20) की तुलना में ₹2,02,705 करोड़ अधिक है।

6. वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक अनंतिम हैं।

5. The total resources going to States including the devolution of State's share in taxes, Grants/Loans, and releases under Centrally Sponsored Schemes in BE (2020-21) is ₹13,90,666 crore, with an increase of ₹2,02,705 crore over RE (2019-20).

6. Actuals for 2018-19 are provisional.

बजट का सार *Budget at a Glance*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019	2019-2020	2019-2020	2020-2021
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	अनुमान	अनुमान	अनुमान
			Budget	Revised	Budget
			Estimates	Estimates	Estimates
1. राजस्व प्राप्तियां	1. Revenue Receipts	1552916	1962761	1850101	2020926
2. कर राजस्व (केंद्र को निवल)	2. Tax Revenue (Net to Centre)	1317211	1649582	1504587	1635909
3. कर-भिन्न राजस्व	3. Non Tax Revenue	235705	313179	345514	385017
4. पूंजी प्राप्तियां¹	4. Capital Receipts	762197	823588	848451	1021304
5. ऋणों की वसूली	5. Recovery of Loans	18052	14828	16605	14967
6. अन्य प्राप्तियां	6. Other Receipts	94727	105000	65000	210000
7. उधार और अन्य देयताएं ²	7. Borrowings and Other Liabilities¹	649418	703760	766846	796337
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	8. Total Receipts (1+4)	2315113	2786349	2698552	3042230
9. कुल व्यय (10+13)	9. Total Expenditure (10+13)	2315113	2786349	2698552	3042230
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	10. On Revenue Account	2007399	2447780	2349645	2630145
11. ब्याज भुगतान	11. Interest Payments	582648	660471	625105	708203
12. पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	12. Grants in Aid for creation of capital assets	191781	207333	191737	206500
13. पूंजी खाते पर	13. On Capital Account	307714	338569	348907	412085
14. राजस्व घाटा (10-1)	14. Revenue Deficit (10-1)	454483	485019	499544	609219
		(2.4)	(2.3)	(2.4)	(2.7)
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	15. Effective Revenue Deficit (14-12)	262702	277686	307807	402719
		(1.4)	(1.3)	(1.5)	(1.8)
16. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	16. Fiscal Deficit [9-(1+5+6)]	649418	703760	766846	796337
		(3.4)	(3.3)	(3.8)	(3.5)
17. प्राथमिक घाटा (16-11)	17. Primary Deficit (16-11)	66770	43289	141741	88134
		(0.4)	(0.2)	(0.7)	(0.4)

¹ इसमें नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है।

टिप्पणी :



- (i) 2019-2020 के संशोधित अनुमान में ₹20442233 करोड़ के अनुमानित सघट की तुलना में 10.0% की वृद्धि दर मानते हुए 2020-2021 के बजट अनुमान में सघट बढ़कर ₹22489420 करोड़ होने का पूर्वानुमान है
- (ii) इस दस्तावेज की पृथक-पृथक मदें पूर्णांकन के कारण संभवतः जोड़ से मेल न खाएं
- (iii) कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सघट के प्रतिशत के रूप में हैं

¹ Includes drawdown of cash Balance

Notes:

- (i) GDP for BE 2020-2021 has been projected at ₹22489420 crore assuming 10.0 % growth over the estimated GDP of ₹20442233 crore for 2019-2020 (RE).
- (ii) Individual items in this document may not sum up to the totals due to rounding off
- (iii) Figures in parenthesis are as a percentage of GDP



रुपया कहां से आता है Rupee Comes From (बजट Budget 2020-21)



टिप्पणियां:-1. कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में घटा दिया गया है
2. आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

Notes:-1. Total receipts are inclusive of States' share of taxes and duties which have been netted in the table on page1.
2. Figures have been rounded.

रुपया कहाँ जाता है Rupee Goes To (बजट Budget 2020-21)



टिप्पणी :-कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में प्राप्तियों में से घटा दिया गया है।

Note:- Total expenditure is inclusive of the States' share of taxes and duties which have been netted against receipts in the table on page 1.

घाटे का सार *Deficit Statistics*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019 वास्तविक Actuals	2019-2020 बजट अनुमान Budget Estimates	2019-2020 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2020-2021 बजट अनुमान Budget Estimates
1. राजकोषीय घाटा	1. Fiscal Deficit	649418 (3.4)	703760 (3.3)	766846 (3.8)	796337 (3.5)
2. राजस्व घाटा	2. Revenue Deficit	454483 (2.4)	485019 (2.3)	499544 (2.4)	609219 (2.7)
3. प्रभावी राजस्व घाटा	3. Effective Revenue Deficit	262702 (1.4)	277686 (1.3)	307807 (1.5)	402719 (1.8)
4. प्राथमिक घाटा	4. Primary Deficit	66770 (0.4)	43289 (0.2)	141741 (0.7)	88134 (0.4)


राजकोषीय घाटा वित्तपोषण के स्रोत *Sources of Financing Fiscal Deficit*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019 वास्तविक Actuals	2019-2020 बजट अनुमान Budget Estimates	2019-2020 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2020-2021 बजट अनुमान Budget Estimates
1. ऋण प्राप्तियां (निवल)	1. Debt Receipts (Net)				
2. बाजार उधार (सरकारी प्रतिभूति+ राजकोषीय हंडी+ पीओएलआईएफ)	2. Market Borrowings (G-sec +T Bills+POLIF)	430164	448122	498972	535870
3. अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियां	3. Securities against Small Savings	125000	130000	240000	240000
4. राज्य भविष्य निधियां	4. State Provident Funds	16059	18000	18000	18000
5. अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा)	5. Other Receipts (Internal Debts and Public Account)	73997	59532	4941	50848
6. विदेशी ऋण	6. External Debt	5519	(-2952)	4933	4622
7. नकदी शेष का कम आहरण	7. Draw Down of Cash Balance	(-) 1321	51059	...	(-) 53003
8. कुल जोड़	8. Grand Total	649418	703760	766846	796337


घाटे की प्रवृत्तियां DEFICIT TRENDS

(% of GDP)



घाटा वित्तपोषण के स्रोत SOURCES OF DEFICIT FINANCING

(₹ in crore)



प्राप्तियां Receipts

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-19 वास्तविक Actuals	2019-2020 बजट अनुमान Budget Estimates	2019-2020 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2020-21 बजट अनुमान Budget Estimates
राजस्व प्राप्तियां	REVENUE RECEIPTS				
1. कर राजस्व	1. Tax Revenue				
सकल कर-राजस्व	Gross Tax Revenue	2080465	2461195	2163423	2423020
क. निगम कर	a. Corporation Tax	663572	766000	610500	681000
ख. आय पर कर	b. Taxes on Income	473003	569000	559500	638000
ग. धन कर	c. Wealth Tax	41
घ. सीमा शुल्क	d. Customs	117813	155904	125000	138000
ड. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	e. Union Excise Duties	231982	300000	248012	267000
च. सेवा कर	f. Service Tax	6904	..	1200	1020
छ. जीएसटी	g. GST	581560	663343	612327	690500
- केंद्रीय जीएसटी	- CGST	457534	526000	514000	580000
- आइजीएसटी	- IGST	28945	28000
- जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	- GST Compensation Cess	95081	109343	98327	110500
ज. संघ राज्य क्षेत्रों पर कर	h. Taxes of Union Territories	5592	6948	6884	7500
घटाइए -राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	Less - NCCD transferred to the NCCF/NDRF	1800	2480	2790	2930
घटाइए-राज्यों का हिस्सा	Less - State's share	761454	809133	656046	784181
1क केंद्र का निवल कर राजस्व	1a Centre's Net Tax Revenue	1317211	1649582	1504587	1635909
2. कर-भिन्न राजस्व	2. Non-Tax Revenue	235704	313179	345513	385017
ब्याज प्राप्तियां	Interest receipts	12145	13711	11027	11042
लाभांश और लाभ	Dividends and Profits	113420	163528	199893	155395
विदेशी अनुदान	External Grants	1063	1006	974	812
अन्य कर-भिन्न राजस्व	Other Non Tax Revenue	107187	132784	131525	215465
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	Receipts of Union Territories	1889	2149	2094	2303
कुल राजस्व प्राप्तियां (1क+2)	Total- Revenue Receipts (1a + 2)	1552916	1962761	1850101	2020926
3. पूंजी प्राप्तियां	3. CAPITAL RECEIPTS				
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां	A. Non-debt Receipts	112779	119828	81605	224967
(i) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	(i) Recoveries of loans and advances@	18052	14828	16605	14967
(ii) विनिवेश प्राप्तियां	(ii) Disinvestment Receipts	94727	105000	65000	210000
ख. ऋण प्राप्तियां *	B. Debt Receipts*	650739	652702	766846	849340
जोड़ पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	Total Capital Receipts (A+B)	763518	772529	848450	1074306
4. नकदी शेष का कम आहरण	4. Draw-Down of Cash Balance	-1321	51059	-53003
जोड़ प्राप्तियां (1क+2+3)	Total Receipts (1a+2+3)	2316434	2735290	2698552	3095233
एमएसएस के तहत प्राप्तियां (निवल)	Receipts under MSS (Net)

* प्राप्तियां भुगतान घटाकर हैं।


@ इसमें अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम की वसूली शामिल नहीं है।

* The receipts are net of payment.

@ Excludes recoveries of short term loans and advances.

कर प्राप्तियों में रुझान TREND IN TAX RECEIPTS

(% of GDP)




Note : GDP is as per the latest estimates published by CSO.

जीडीपी, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुमानों के अनुसार है।

केंद्र की निवल प्राप्तियां NET RECEIPT OF THE CENTRE

(₹ in lakh crore)



भारत सरकार का व्यय *Expenditure of Government of India*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019 वास्तविक Actuals	2019-2020 बजट अनुमान Budget Estimates	2019-2020 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2020-2021 बजट अनुमान Budget Estimates
क. केंद्र का व्यय	A. Centre's Expenditure				
I स्थापना व्यय	I Establishment Expenditure	521247	546296	567133	609585
II केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/ परियोजनाएं	II Central Sector Schemes/ Projects	638495	870794	773196	831825
III केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय जिसमें से ब्याज भुगतान	III Other Central Sector Expenditure of which Interest Payments	677403 582648	772129 660471	741553 625105	887574 708203
ख. अंतरण	B. Transfers				
IV केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	IV Centrally Sponsored Schemes	296029	331610	316816	339894
V वित्त आयोग के अनुदान	V Finance Commission Grants	93704	120466	123710	149925
VI अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	VI Other Grants/Loans/Transfers	88235	145054	176144	223427
कुल जोड़	Grand Total	2315113	2786349	2698552	3042230


सरकार का पूंजीगत व्यय *Capital Expenditure of the Government*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019 वास्तविक Actuals	2019-2020 बजट अनुमान Budget Estimates	2019-2020 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2020-2021 बजट अनुमान Budget Estimates
सकल बजटीय सहायता	Gross Budgetary Support	307714	338570	348907	412085
रेल मंत्रालय (आईईबीआर)	Ministry of Railways (IEBR)	80539	94071	88247	90792
आईईबीआर* (रेल मंत्रालय को छोड़कर)	IEBR (excluding Ministry of Railways)	527417	443568	622318	581871
जोड़	Total	915670	876209	1059472	1084748


व्यय की संरचना COMPOSITION OF EXPENDITURE

(₹ in lakh crore)



पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति TREND OF CAPITAL EXPENDITURE

(₹ in crore)




प्रमुख मदों का व्यय *Expenditure of Major Items*


(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019 वास्तविक	2019-2020 बजट अनुमान	2019-2020 संशोधित अनुमान	2020-2021 बजट अनुमान
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	Budget Estimates
पेंशन	Pension	160211	174300	184147	210682
रक्षा	Defence	290802	305296	316296	323053
सब्सिडी -	Subsidy -				
- उर्वरक	Fertiliser	70605	79996	79998	71309
- खाद्य	Food	101327	184220	108688	115570
- पेट्रोलियम	Petroleum	24837	37478	38569	40915
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	Agriculture and Allied Activities	63259	151518	120835	154775
वाणिज्य और उद्योग	Commerce and Industry	27851	27043	28608	27227
पूर्वोत्तर का विकास	Development of North East	1961	3000	2670	3049
शिक्षा	Education	80345	94854	94854	99312
ऊर्जा	Energy	45461	44638	42458	42725
विदेश	External Affairs	15514	17885	17372	17347
वित्त	Finance	14920	20121	24880	41829
स्वास्थ्य	Health	54477	64999	63830	67484
गृह	Home Affairs	98116	103927	124083	114387
ब्याज	Interest	582648	660471	625105	708203
आईटी और दूरसंचार	IT and Telecom	14868	21783	16000	59349
अन्य	Others	74497	76665	76782	84256
योजना और सांख्यिकी	Planning and Statistics	5322	5814	5811	6094
ग्रामीण विकास	Rural Development	132803	140762	143409	144817
वैज्ञानिक विभाग	Scientific Departments	24755	27431	27694	30023
सामाजिक कल्याण	Social Welfare	43664	50850	48210	53876
कर प्रशासन	Tax Administration	69416	117285	137307	152962
जिसमें से जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि को अंतरण	of which Transfer to GST Compensation Fund	54275	101200	121200	135368
राज्यों का अंतरण	Transfer to States	119144	155447	155447	200447
परिवहन	Transport	143626	157437	158207	169637
संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories	14073	15098	15026	52864
शहरी विकास	Urban Development	40612	48032	42267	50040
कुल जोड़	Grand Total	2315113	2786349	2698552	3042230

व्यय की संरचना COMPOSITION OF EXPENDITURE



व्यय की प्रमुख मदों की प्रवृत्ति TREND OF MAJOR ITEMS OF EXPENDITURE




राज्यों और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण
TRANSFER OF RESOURCES TO STATES AND UNION
TERRITORIES WITH LEGISLATURE

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

	2018-2019 वास्तविक Actuals	2019-2020 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2020-2021 बजट अनुमान Budget Estimates
I. करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण			
I. Devolution of States share in taxes	761454	656046	784181
II. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें	46236	57344	73275
1. एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	10000	20000	25000
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए केंद्रीय पूल संसाधन	450	380	407
3. बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं- अनुदान	2824	3000	4000
4. बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं- ऋण	23774	25000	25000
5. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	445	324	287
6. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजनाएं	1815	2321	1199
7. मांग के तहत विशेष सहायता - राज्यों को अंतरण	4686	4000	15000
8. मांग के तहत अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	897	1074	1172
9. मांग के तहत जनजाति क्षेत्र को विशेष केंद्रीय सहायता - जनजातीय कार्य मंत्रालय	1345	1245	1210
III. वित्त आयोग के अनुदान	93704	123710	149925
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान- ग्रामीण निकाय	35064	58616	69925
2. स्थानीय शहरी निकायों के लिए अनुदान	14400	25843	30000
3. एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	9658	10938	20000
4. अंतरण के पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	34582	28314	30000
IV. राज्यों को कुल अंतरण [(I)+(II)+(III) के इतर]	286046	322443	335878
1. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	271478	283057	295269
2. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	13629	38227	39451
3. व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व)	884	1055	1066
4. पूंजी अंतरण	55	104	93
V. दिल्ली और पुडुचेरी को कुल अंतरण	7955	28419	47408
1. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	793	1999	5603
2. केन्द्र क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	1	222	299
3. व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व)	7031	25972	41355
4. पूंजी अंतरण	130	225	150
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण	1195394	1187961	1390666


राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण TOTAL TRANSFERS TO STATES AND UTs

(₹ in lakh crore)




राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण की संरचना COMPOSITION OF TRANSFERS TO STATES & UTs

(₹ in crore)



(₹ लाख करोड़ में)
(In ₹ lakh crore)

बजट की रूपरेखा BUDGET PROFILE



प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय *Outlay on Major Schemes*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019	2019-2020	2019-2020	2020-2021
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	Budget Estimates
(क) अति महत्वपूर्ण स्कीमें	(A) Core of the Core Schemes				
1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	1 National Social Assistance Program	8418	9200	9200	9197
2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	2 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program	61815	60000	71002	61500
3 अनुसूचित जाति के विकास के लिए अंब्रेला योजना	3 Umbrella Scheme for Development of Schedule Castes	7574	5445	5568	6242
4 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम	4 Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes	3781	3810	4194	4191
5 अल्पसंख्यक विकास अंब्रेला कार्यक्रम	5 Umbrella Programme for Development of Minorities	886	1590	1709	1820
6 अन्य कमजोर वर्गों के विकास हेतु अंब्रेला कार्यक्रम	6 Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups	1564	1818	1846	2210
(ख) महत्वपूर्ण स्कीमें	(B) Core Schemes				
7 हरित क्रांति	7 Green Revolution	11758	12561	9965	13320
8 श्वेत क्रांति	8 White Revolution	2422	2240	1799	1805
9 नीली क्रांति	9 Blue Revolution	485	560	455	570
10 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	10 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna	8143	9682	7896	11127
11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	11 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna	15414	19000	14070	19500
12 प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	12 Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)	25443	25853	25328	27500
13 जल जीवन मिशन (जेजेएम)	13 Jal Jeevan Mission (JJM)	5484	10001	10001	11500
14 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	14 Swachh Bharat Mission (Urban)	2462	2650	1300	2300
15 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	15 Swachh Bharat Mission (Gramin)	12913	9994	8338	9994
16 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	16 National Health Mission	31502	33651	34290	34115
17 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	17 National Education Mission	30830	38547	37672	39161
18 राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	18 National Programme of Mid Day Meal in Schools	9514	11000	9912	11000
19 अंब्रेला आई. सी. डी. एस.	19 Umbrella ICDS	21642	27584	24955	28557
20 महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन	20 Mission for Protection and Empowerment for Women	1138	1330	961	1163
21 राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका	21 National Livelihood Mission - Ajeevika	6282	9774	9774	10005
22 कार्य एवं कौशल विकास	22 Jobs and Skill Development	6126	7260	5749	5372
23 पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	23 Environment, Forestry and Wildlife	978	886	787	926
24 शहरी पुनरुज्जीवन अभियान : अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन	24 Urban Rejuvenation Mission: AMRUT and Smart Cities Mission	12085	13750	9842	13750
25 पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25 Modernisation of Police Forces	3260	3462	4155	3162
26 न्यायपालिका अवसंरचना सुविधाएं	26 Infrastructure Facilities for Judiciary	657	720	990	762
27 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	27 Border Area Development Programme	771	825	825	784
28 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन	28 Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission	433	800	300	600
29 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)	29 Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)	649	822	465	858
30 पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत	30 PMJAY-Ayushman Bharat	2602	6556	3314	6429
(ग) प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें	(C) Major Central Sector Schemes				
31 बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	31 Market Intervention Scheme and Price Support Scheme (MIS-PSS)	1400	3000	2010	2000
32 फसल बीमा योजना	32 Crop Insurance Scheme	11937	14000	13641	15695
33 किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	33 Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers	11496	18000	17863	21175
34 फसल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण का संवर्धन	34 Promotion of Agricultural Mechanization for in-situ Management of Crop Residue	584	600	594	600
35 कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण	35 Distribution of Pulses to State / Union Territories for Welfare Scheme	...	800	370	800
36 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)	36 Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan)	1241	75000	54370	75000
37 फसल विज्ञान	37 Crop Science	652	702	635	716
38 अनुसंधान एवं विकास मूलभूत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	38 R and D Basic Science and Engineering	1021	1320	1170	1250
39 एयर इंडिया परिसंपत्ति धारक लिमिटेड (एसपीवी)	39 Air India Asset Holding Limited (SPV)	1300	2600	2600	2205

प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय *Outlay on Major Schemes*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019	2019-2020	2019-2020	2020-2021		
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट		
		Actuals	अनुमान Budget Estimates	अनुमान Revised Estimates	अनुमान Budget Estimates		
40	कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण	40	Exploration of Coal and Lignite	448	937	755	700
41	ई सी जी सी(निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) में निवेश	41	Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)	500	500	800	650
42	ब्याज समकरण स्कीम	42	Interest Equalisation Scheme	2600	2910	2868	2300
43	राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	43	National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)	1097	850	950	1200
44	निधियों का कोष	44	Fund of Funds	...	100	431	1055
45	पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	45	Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States	1500	1700	2100	1716
46	रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	46	Optical Fibre Cable based network for Defence Services	1927	4725	4725	5000
47	दूरसंचार अवसंरचना के सुजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	47	Compensation to Service Providers for creation and augmentation of telecom infrastructure (Bharat Net)	4788	8350	3000	8000
48	मूल्य स्थिरीकरण कोष	48	Price Stabilisation Fund	1500	2000	1820	2000
49	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	49	Schemes of North East Council	378	580	385	606
50	पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	50	Central Pool of Resources for North East and Sikkim	526	531	576	552
51	पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	51	North East Road Sector Development Scheme	371	666	662	800
52	पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)	52	North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS)	94	695	558	674
53	समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)	53	Ocean services, Modelling, Application, Resources and Technology (O-SMART)	...	483	445	567
54	इलेक्ट्रॉनिक्स / आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	54	Promotion of Electronics and IT HW Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)	727	986	690	980
55	आईटी / इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास	55	R and D in IT/Electronics/CCBT	179	416	435	763
56	एक्सिम बैंक	56	Exim Bank	629	779	1153	779
57	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)	57	National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)	1196	1000	2003	503
58	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की शेयर पूंजी में अभिदान	58	Subscription to Share Capital of National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)	2000	1500	1500	1000
59	बीमा कम्पनियों का पुनः पूंजीकरण	59	Re-capitalization of Insurance Companies	...	0	2500	6950
60	भारत का एक्सिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	60	Subscription to the Share Capital of Export-Import Bank of India	500	950	950	1300
61	खुरपका और मुंहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रुसल्लोसिस के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	61	National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease (FMD) and Brucellosis	...	500	811	1300
62	प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना	62	Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana	592	1101	889	1081
63	राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	63	National AIDS and STD Control Programme	1803	2500	2956	2900
64	परिवार कल्याण योजनाएं	64	Family Welfare Schemes	490	700	514	600
65	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	65	Pardhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana	3797	4000	4733	6020
66	भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया)	66	Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India).	145	500	500	693
67	महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना	67	Schemes for Safety of Women	50	50	50	855
68	मेट्रो परियोजनाएं	68	Metro Projects	14265	17714	17612	17482
69	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	69	National Capital Region Transport Corporation	100	974	824	2487
70	उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए)	70	Higher Education Financing Agency (HEFA)	2263	2100	2100	2200

प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय *Outlay on Major Schemes*

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2018-2019	2019-2020	2019-2020	2020-2021		
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट		
		Actuals	अनुमान Budget Estimates	अनुमान Revised Estimates	अनुमान Budget Estimates		
71	गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान	71	Interest Subsidy and contribution for Guarantee Funds	1575	1900	1900	1900
72	राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य	72	National Ganga Plan and Ghat Works	688	750	353	800
73	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	73	National River Conservation Plan	1620	1220	1200	840
74	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	74	Employees Pension Scheme, 1995	4900	4500	6076	7457
75	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	75	Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	2119	2327	2464	2500
76	अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	76	Infrastructure Development and Capacity Building	309	420	471	802
77	शिक्षा सशक्तिकरण	77	Education Empowerment	1986	2363	2249	2530
78	कौशल विकास और जीवन शैली	78	Skill Development and Livelihoods	482	557	582	602
79	पवन विद्युत	79	Wind Power	950	920	1026	1299
80	सौर विद्युत	80	Solar Power	1904	2480	1789	2150
81	किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूएसयूएम)	81	Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan(KUSUM)	700
82	फुलपुर धामरा हार्डिया पाइपलाइन परियोजना	82	Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project	1207	1552	1552	728
83	कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्टेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (सौभाग्य)	83	Payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPRL) for Crude Oil Reserve	608	1	1	690
84	डीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	84	LPG Connection to Poor Households (Saubhagya)	3200	2724	3724	1118
85	एकीकृत विद्युत विकास योजना	85	Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna	3800	4066	4066	4500
86	पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण	86	Integrated Power Development Scheme	3897	5280	5663	5300
87	पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड	87	Strengthening of Power Systems	2802	1478	1860	1843
88	पुल संबंधी कार्य	88	Power System Development Fund	544	1035	574	574
89	महानगर परिवहन परियोजनाएं	89	Bridge Works	532	745	753	777
90	सड़क निर्माण कार्य	90	Metropolitan Transportation Projects	1164	1600	1580	1400
91	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	91	Road Works	37811	45880	45887	48759
92	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण	92	National Highways Authority of India	39287	36691	36691	42500
93	अनुसंधान और विकास	93	Science and Technology Institutional and Human Capacity Building	989	1085	1076	1163
94	नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	94	Research and Development and Deployment	472	611	589	718
95	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	95	Innovation, Technology Development and Deployment	773	872	812	1051
96	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	96	Biotechnology Research and Development	1329	1475	1315	1580
97	अंतरिक्ष अनुप्रयोग	97	Space Technology	6383	8408	8991	9762
98	इन्सैट उपग्रह प्रणालियां	98	Space Applications	1811	1885	1863	1810
99	क्षमता का विकास (सीडी)	99	INSAT Satellite Systems	1593	884	1009	751
100	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	100	Capacity Development (CD)	216	529	529	706
101	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	101	Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLAD)	3950	3960	3960	3960
102	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	102	Amended Technology Upgradation Fund Scheme(ATUFS)	616	700	494	762
103	विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	103	Central Silk Board	601	730	765	800
104	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	104	Integrated Development of Tourist Circuits around specific themes (Swadesh Darshan)	1101	1106	566	1200
105	खेलो इण्डिया	105	Eklavya Model Residential School (EMRS)	...	0	16	1313
106	स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन एवं अन्य लाभ)	106	Khelo India	342	500	578	890
107	सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन	107	Freedom Fighters (pension and other benefits)	875	953	953	775
108	पुलिस अवसंरचना	108	Border Infrastructure and Management	2030	2129	2128	1997
109	क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	109	Police Infrastructure	5085	4757	4479	4135
110	रेल मंत्रालय की योजनाओं को बजटीय सहायता	110	Credit Linked Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme	1007	706	806	654
111	सागरमाला	111	Budgetary Support to Schemes of Ministry of Railways	54913	68019	69967	72216
112	शताब्दियां एवं वर्षगांठ समारोह एवं योजनाएं	112	Sagarmala	360	550	381	297
113	अवसंरचना पाइपलाइन को सहायता	113	Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes	156	110	104	160
114	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	114	Support to Infrastructure Pipeline	12500
115	निर्यात क्रेडिट के लिए प्रेरक पैकज निर्विक योजना	115	Pradhan Mantri Mudra Yojana	500	500	500	500
116		116	Stimulus Package for Export Credit-NIRVIK Yojna	95

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - RECEIPTS

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
क. कर राजस्व	A. TAX REVENUE				
(क) आय तथा व्यय पर कर	(a) Taxes on Income and Expenditure	1125046.98	1322200.00	1157500.00	1306000.00
निगम कर	Corporation Tax	0020	663571.62	766000.00	610500.00
निगम कर को छोड़कर अन्य आय पर कर	Taxes on Income Other Than Corporation Tax	0021	461487.51	556200.00	610500.00
होटल प्राप्तियों पर कर	Hotel Receipts Tax	0023	0.44
ब्याज कर	Interest Tax	0024	3.19
अनुबंधी लाभ कर	Fringe Benefit Tax	0026	-31.59
आय और व्यय पर अन्य कर	Other Taxes on Income and Expenditure	0028	15.81
(ख) संपत्ति और पूंजी लेन-देनों पर कर	(b) Taxes on Property and Capital Transactions	11568.36	12800.00	12500.00	13000.00
संपदा शुल्क	Estate Duty	0031	1.12
संपत्ति कर	Taxes on Wealth	0032	39.74
प्रतिभूति संव्यवहार कर	Securities Transaction Tax	0034	11527.50	12800.00	12500.00
बैंकिंग नकद संव्यवहार कर	Banking Cash Transaction Tax	0036
(ग) जिंसों तथा सेवाओं पर कर	(c) Taxes on Commodities and Services	941035.87	1122015.00	989243.00	1099520.00
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)	Central Goods and Services Tax (CGST)	0005	457534.01	526000.00	514000.00
संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	0007	2778.20	2768.00	2704.00
एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)	Integrated Goods and Services Tax (IGST)	0008	28944.58	28000.00	...
वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर	Goods and Services Tax Compensation Cess	0009	95080.71	109343.00	98327.00
सीमा शुल्क	Customs	0037	117812.85	155904.00	125000.00
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	0038	230992.59	300000.00	248000.00
बिक्री कर	Sales Tax	0040
सेवा कर	Service Tax	0044	6903.62	...	1200.00
पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties on Commodities and Services	0045	989.31	...	12.00
(घ) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के कर	(d) Taxes of Union Territories without Legislature	2814.22	4179.93	4180.00	4500.00
सकल कर राजस्व	GROSS TAX REVENUE	2080465.43	2461194.93	2163423.00	2423020.00
समेकित निधि में शामिल न किये गए राज्यों का भाग	State's share excluded from the Consolidated Fund	761454.15	809133.02	656046.07	784180.87
केंद्र सरकार का कर राजस्व	Tax Revenue of the Central Government	1319011.28	1652061.91	1507376.93	1638839.13
ख. कर-भिन्न राजस्व	B. NON-TAX REVENUE				
(क) राजकोषीय सेवाएं	(a) Fiscal Services	743.71	425.50	703.65	750.80
मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	0046	514.49	300.00	530.00
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	0047	229.22	125.50	173.65
(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	(b) Interest Receipts, Dividends and Profits	140564.19	191539.67	250413.25	192737.51
ब्याज प्राप्तियां	Interest Receipts	0049	27143.68	28011.23	50520.33
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज	Interest from State and Union Territory Governments		7402.57	5860.34	4670.65
अन्य ब्याज प्राप्तियां	Other Interest Receipts		19741.11	22150.89	45849.68
लाभांश और लाभ	Dividends and Profits	0050	113420.51	163528.44	199892.92
(ग) अन्य कर-भिन्न राजस्व	(c) Other NonTax Revenue	345080.54	403004.94	393958.94	498305.22
(i) सामान्य सेवाएं	(i) General Services	47322.80	50260.29	51728.78	51878.30
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	0051	84.06	103.50	87.00
पुलिस	Police	0055	8280.72	10366.10	8610.70
जेल	Jails	0056	0.02
आपूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	0057	0.28	0.05	...
लेखन सामग्री और छपाई	Stationery and Printing	0058	47.04	29.54	15.47
लोक निर्माण कार्य	Public Works	0059	302.47	373.03	583.03
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	0070	6935.86	7786.43	6708.78
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	Contributions and Recoveries Towards Pension and Other Retirement Benefits	0071	1613.28	2712.93	2633.29
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	0075	21748.08	21527.76	23795.26
रक्षा सेवाएं	Defence Services	8310.99	7360.95	9295.25	9049.48
रक्षा सेवाएं - थल सेना	Defence Services - Army	0076	3544.51	2879.76	3882.75
रक्षा सेवाएं - नौ सेना	Defence Services - Navy	0077	882.64	500.00	700.00
रक्षा सेवाएं - वायु सेना	Defence Services - Air Force	0078	1079.29	1000.00	1300.00
रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	Defence Services - Ordnance Factories	0079	2191.49	2581.19	3012.50
रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास	Defence Services - Research and Development	0080	613.06	400.00	400.00

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - RECEIPTS

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
(ii) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	(ii) Social and Community Services	3079.90	4180.41	3655.18	4268.59
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	0202 342.19	347.19	386.11	406.64
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	Medical and Public Health	0210 677.65	678.08	896.53	896.25
परिवार कल्याण	Family Welfare	0211 12.89	15.08	17.12	17.12
आवास	Housing	0216 235.58	279.59	322.87	333.31
शहरी विकास	Urban Development	0217 ...	0.01
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	0220 57.53	59.35	55.33	47.55
प्रसारण	Broadcasting	0221 1319.80	2766.67	1371.25	1962.25
श्रम और रोजगार	Labour and Employment	0230 33.67	34.08	605.39	604.83
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	0235 1.87	0.36	0.58	0.64
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	0250 398.72
(iii) आर्थिक सेवाएं	(iii) Economic Services	292788.31	346415.24	336480.82	439855.77
कृषि कार्य	Crop Husbandry	0401 430.03	614.55	602.90	623.90
पशु पालन	Animal Husbandry	0403 33.43	20.97	24.35	25.91
डेयरी विकास	Dairy Development	0404 359.24	410.80	390.54	415.40
मत्स्य पालन	Fisheries	0405 3.08	4.00	3.91	4.21
वानिकी और वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	0406 33.24	38.00	51.98	52.38
खाद्य भण्डारण और भाण्डागार	Food, Storage and Warehousing	0408 540.53	6.91	600.22	660.25
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education	0415 ...	0.02
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	0435 22.27	23.55	19.50	19.50
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas	0552 3.45
वृहत और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	0701 27.48	42.00	41.00	42.00
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	0702 2.97	1.80	2.20	2.50
विद्युत	Power	0801 3651.31	4270.48	3447.64	3681.20
पेट्रोलियम	Petroleum	0802 14197.38	16930.27	12060.89	14075.14
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	0803 104.38	3197.85	3202.30	3203.85
ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	0810 0.04	0.12	0.06	0.06
ग्राम एवं लघु उद्योग	Village and Small Industries	0851 89.91	23.18	25.83	25.83
उद्योग	Industries	0852 2068.71	2557.87	2728.04	3411.39
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	0853 287.55	377.29	570.92	510.92
अन्य उद्योग	Other Industries	0875 155.69	150.00	150.00	150.00
भारतीय रेलवे-विविध प्राप्तियां	Indian Railways - Miscellaneous Receipts	1001 600.79	260.00	436.00	300.00
भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन-राजस्व प्राप्तियां	Indian Railways - Commercial Lines - Revenue Receipts	1002 187738.49	214590.13	203734.90	223397.37
भारतीय रेलवे - सामरिक लाइन-राजस्व प्राप्तियां	Indian Railways - Strategic Lines - Revenue Receipts	1003 2168.08	2084.87	2098.10	2215.63
बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses	1051 307.14	320.00	320.00	320.00
पोत परिवहन	Shipping	1052 98.41	121.29	138.26	142.15
नागर विमानन	Civil Aviation	1053 133.54	115.51	420.05	473.05
सड़क और पुल	Roads and Bridges	1054 19866.00	20339.64	21588.61	25160.66
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	1056 24.72
डाक प्राप्तियां	Postal Receipts	1201 13195.68	19203.29	19203.29	18710.05
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	1275 40815.73	50519.81	58989.64	133027.20
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	1401 115.16	99.06	103.38	99.14
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	1425 1605.16	2208.99	1414.36	1547.28
पर्यटन	Tourism	1452 18.73	10.00	5.00	5.00
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	Foreign Trade and Export Promotion	1453 313.38	252.90	344.87	344.87
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies	1456 0.10	0.15	0.12	0.12
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	1475 3776.51	7619.94	3761.96	7208.81
(iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कर भिन्न राजस्व	(iv) Non-Tax Revenue of Union Territories	1889.53	2149.00	2094.16	2302.56
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	C. GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS	1063.19	1006.00	974.00	812.00
विदेशी अनुदान सहायता	External Grant Assistance	1605 833.20	650.00	361.00	400.00
सहायता सामग्री और उपस्कर	Aid Material and Equipment	1606 229.99	356.00	613.00	412.00
जोड़-कर भिन्न राजस्व	TOTAL - NON-TAX REVENUE	487451.63	595976.11	646049.84	692605.53
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	TOTAL - REVENUE RECEIPTS	1806462.91	2248038.02	2153426.77	2331444.66
अग्नेनीत (पृष्ठ 6 देखें)	Carried Over (see page 6)				
प्राप्तियों की तुलना में अतिरिक्त संवितरम (राजस्व घटा)	Excess of Disbursements over Receipts (Revenue Deficit)	455107.90	485503.09	500337.95	609294.42
जोड़	TOTAL	2261570.81	2733541.11	2653764.72	2940739.08

विवरण I - भारत का समेकित निधि - राजस्व खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
क. सामान्य सेवाएं	A. GENERAL SERVICES	1100282.99	1207731.18	1221450.44	1325887.76
(क) राज्यों के अंग	(a) Organs of State	8538.68	9397.31	9482.12	9186.26
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Parliament/State/Union Territory Legislatures	2011	1085.86	1210.17	1188.63
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	2012	67.51	86.43	84.27
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers	2013	862.79	829.01	925.07
न्याय प्रशासन	Administration of Justice	2014	908.81	913.69	874.63
चुनाव	Elections	2015	1130.18	1691.23	1635.52
लेखा परीक्षा	Audit	2016	4483.53	4666.78	4774.00
(ख) कर संग्रहण	(b) Tax Collection	16536.59	17006.04	17097.12	18186.30
आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure	2020	6991.43	6969.71	6974.36
संपत्ति करों, प्रतिभूति संबंधी संव्यवहार करों तथा अन्य करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Wealth, Securities Transaction Tax and Other Taxes	2031	176.85	175.91	176.04
सीमा शुल्क	Customs	2037	4418.62	4487.77	4629.57
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	2038
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Collection Charges under Central Goods and Services Tax and Integrated Goods and Services Tax	2042	4949.69	5372.65	5317.15
(ग) अन्य राजकोषीय सेवाएं	(c) Other Fiscal Services	285.79	330.28	342.09	594.07
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	2047	285.79	330.28	342.09
(घ) ब्याज भुगतान तथा ऋण का शोधन	(d) Interest Payment and Servicing of Debt	595552.17	673470.60	663297.18	733203.16
ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	2048	21.93	2000.00	4677.53
ब्याज भुगतान	Interest Payments	2049	595530.24	671470.60	658619.65
(ङ) प्रशासनिक सेवाएं	(e) Administrative Services	98577.47	104060.94	110735.14	113968.61
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	2051	423.16	538.67	592.08
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services	2052	6721.37	6484.92	7289.22
पुलिस	Police	2055	80406.35	85114.70	90624.89
जेल	Jails	2056	0.55	2.00	1.00
आपूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	2057	25.00	50.00	50.00
लेखन सामग्री और छपाई	Stationery and Printing	2058	81.55	110.78	83.26
लोक निर्माण कार्य	Public Works	2059	1910.50	2038.67	1990.66
विदेशी मामले	External Affairs	2061	8202.14	8717.49	9154.63
सतर्कता	Vigilance	2062	33.98	131.84	54.66
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	2070	772.87	871.87	894.74
(च) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	(f) Pensions and Miscellaneous General Services	176909.73	194203.30	205299.78	232380.88
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits	2071	160211.49	175299.65	185147.29
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	2075	16698.24	18903.65	20152.49
(छ) रक्षा सेवाएं	(g) Defence Services	203882.56	209262.71	215197.01	218368.48
रक्षा सेवाएं-थल सेना	Defence Services - Army	2076	141829.61	144380.95	147843.28
रक्षा सेवाएं-नौ सेना	Defence Services - Navy	2077	21738.88	22711.71	23486.71
रक्षा सेवाएं-वायु सेना	Defence Services - Air Force	2078	29370.54	30601.69	31251.69
रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	Defence Services - Ordnance Factories	2079	2512.09	2631.77	3208.33
रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	Defence Services - Research and Development	2080	8431.44	8936.59	9407.00
ख. सामाजिक सेवाएं	B. SOCIAL SERVICES	103676.90	128694.50	136809.18	154845.81
सामान्य शिक्षा	General Education	2202	21635.84	30871.21	32513.78
तकनीकी शिक्षा	Technical Education	2203	15744.87	14141.67	13799.67
खेल और युवा मामले	Sports and Youth Services	2204	1694.51	1968.26	2501.46
कला और संस्कृति	Art and Culture	2205	2467.46	2742.65	2318.84
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	Medical and Public Health	2210	20824.41	26931.32	25587.04
परिवार कल्याण	Family Welfare	2211	586.97	1172.26	981.94
जलापूर्ति और स्वच्छता	Water Supply and Sanitation	2215	141.48	1147.93	1053.88
आवास	Housing	2216	3561.52	8269.32	8230.22
शहरी विकास	Urban Development	2217	786.32	1684.25	1061.54
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	2220	815.80	872.09	800.30
प्रसारण	Broadcasting	2221	3100.14	3247.36	3067.26
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	2225	2745.87	3786.59	3610.93
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development	2230	11535.13	11752.90	11674.55
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	2235	6246.30	7926.13	7443.73

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(₹ करोड़) (In ₹crores)

	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021	
पोषाहार	Nutrition	2236	13.15	14.18	15.70	15.32
प्राकृतिक आपदा राहत	Relief on account of Natural Calamities	2245	10943.05	11096.89	21091.39	26126.62
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	2250	81.99	0.49	21.07	0.64
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services	2251	752.09	1069.00	1035.88	1090.38
ग. आर्थिक सेवाएं	C. ECONOMIC SERVICES	664814.39	910852.33	801563.63	876720.32	876720.32
(क) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	(a) Agriculture and Allied Activities	176677.96	333969.71	235015.42	265418.35	265418.35
कृषि कार्य	Crop Husbandry	2401	46178.39	113763.30	92169.62	110865.07
मृदा और जल संरक्षण	Soil and Water Conservation	2402	25.40	28.70	27.71	30.34
पशु पालन	Animal Husbandry	2403	1003.01	1072.88	1293.05	1816.28
डेयरी विकास	Dairy Development	2404	1247.32	1073.74	966.90	769.50
मत्स्य पालन	Fisheries	2405	202.38	249.69	212.46	218.40
वानिकी और वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	2406	668.17	688.80	676.26	608.97
पौधरोपण	Plantations	2407	599.84	526.40	697.04	681.74
खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	Food Storage and Warehousing	2408	107319.35	191835.99	114823.69	122027.90
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education	2415	7537.61	7584.37	7376.74	7820.10
कृषि वित्तीय संस्थान	Agricultural Financial Institutions	2416	11268.13	16421.91	16285.94	19213.20
सहकारिता	Co-operation	2425	137.79	126.50	126.30	365.50
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	2435	490.57	597.43	359.71	1001.35
(ख) ग्रामीण विकास	(b) Rural Development	63928.50	63353.89	74114.86	64223.40	64223.40
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development	2501	1322.58	2560.40	2556.81	1901.29
ग्रामीण रोजगार	Rural Employment	2505	61815.09	60000.00	71001.81	61500.00
भू सुधार	Land Reforms	2506	68.10	135.00	45.00	214.79
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes	2515	722.73	658.49	511.24	607.32
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	(c) Special Areas Programmes	4163.98	54129.39	48760.15	54895.43	54895.43
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas	2552	214.48	50169.39	44800.15	50935.43
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	MPs Local Area Development Scheme	2553	3949.50	3960.00	3960.00	3960.00
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	(d) Irrigation and Flood Control	2678.54	3323.15	3281.53	4248.21	4248.21
वृहत और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	2701	2165.49	2852.15	2821.82	3873.06
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	2702	304.30	314.81	325.58	335.37
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	Flood Control and Drainage	2711	208.75	156.19	134.13	39.78
(ङ) ऊर्जा	(e) Energy	47886.41	61037.26	60718.46	64539.39	64539.39
विद्युत	Power	2801	17152.06	16400.57	16488.36	17227.39
पेट्रोलियम	Petroleum	2802	25901.08	38982.05	40027.00	41470.43
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	2803	663.64	1001.19	797.70	752.07
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy	2810	4169.63	4653.45	3405.40	5089.50
(च) उद्योग तथा खनिज	(f) Industry and Minerals	76055.96	78695.72	78741.86	72865.56	72865.56
ग्राम एवं लघु उद्योग	Village and Small Industries	2851	7679.40	7720.26	7777.52	8187.36
उद्योग	Industries	2852	62673.41	66732.15	66236.94	59971.32
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	2853	1203.15	1450.36	1330.53	1471.00
अन्य उद्योग	Other Industries	2875	185.09	278.87	254.75	286.41
उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals	2885	4314.91	2514.08	3142.12	2949.47
(छ) परिवहन	(g) Transport	214548.73	229442.33	217654.75	237556.68	237556.68
भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन	Indian Railways - Policy Formulation, Direction, Research and Other Miscellaneous Organisations	3001	1953.20	2400.00	2500.00	2700.00
भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्यशील व्यय	Indian Railways - Commercial Lines - Working Expenses	3002	182840.30	203415.00	197859.90	214497.37
भारतीय रेलवे-सामरिक लाइन-कार्यशील व्यय	Indian Railways - Strategic Lines - Working Expenses	3003	1940.00	2085.00	2098.10	2215.63
रेलवे अधिशेष से विनियोग	Appropriation from Railway Surplus	3006	3773.86	9035.00	3811.00	6500.00
बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses	3051	773.26	817.98	728.02	941.00
नौवहन	Shipping	3052	124.22	103.30	94.69	134.70
नागर विमानन	Civil Aviation	3053	5661.57	4440.15	3639.52	3758.39
सड़क और पुल	Roads and Bridges	3054	14313.36	3969.02	4009.02	3583.11
सड़क परिवहन	Road Transport	3055	158.37	265.00	265.00	359.00
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	3056	870.64	670.36	483.78	628.30
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	3075	2139.95	2241.52	2165.72	2239.18
(ज) संचार	(h) Communications	34206.86	38265.87	35145.63	58325.40	58325.40
डाक सेवाएं	Postal Services	3201	27173.07	29525.76	30844.01	33063.92
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	3275	7033.79	8740.11	4301.62	25261.48
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	(i) Science Technology and Environment	26914.88	28806.25	28148.00	30515.86	30515.86
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	3401	5715.54	6264.14	6502.80	6973.78

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(₹ करोड़) (In ₹crores)

	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
अंतरिक्ष अनुसंधान	Space Research	3402	5602.77	5839.72	5668.03
समुद्र विज्ञान अनुसंधान	Oceanographic Research	3403	690.39	703.00	812.80
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	3425	11795.43	12795.19	14180.36
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Ecology and Environment	3435	3110.75	3204.20	2880.89
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं	(j) General Economic Services		17752.57	19828.76	24132.04
सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services	3451	4233.87	4080.99	4457.23
पर्यटन	Tourism	3452	2082.38	1972.12	2251.82
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	Foreign Trade and Export Promotion	3453	4872.57	4857.92	4555.58
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census Surveys and Statistics	3454	1544.71	2934.64	6658.72
मौसम विज्ञान	Meteorology	3455	814.44	914.26	943.00
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies	3456	1628.94	1908.00	1922.25
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	General Financial and Trading Institutions	3465	514.98	518.02	618.01
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	International Financial Institutions	3466	525.47	484.42	76.34
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	3475	1535.21	2158.39	2649.09
घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	D. GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS		382711.81	475566.59	569534.17
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co- operation with Other Countries	3605	6714.52	8227.34	7488.50
सहायता सामग्री और उपस्कर	Aid Materials and Equipment	3606
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments	3601	368172.37	457611.04	514788.02
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments	3602	7824.92	9728.21	47257.65
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का संवितरण	Disbursements of Union Territories without Legislature		10084.72	10696.51	13751.02
जोड़ - राजस्व संवितरण	TOTAL- REVENUE DISBURSEMENTS		2261570.81	2733541.11	2940739.08

विवरण I - भारत का समेकित निधि - पूंजी खाता - प्राप्तियां

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - RECEIPTS

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021	
क. लोक ऋण	A. PUBLIC DEBT					
केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Government	6001				
लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां	Securities against Small Savings	138533.00	152268.32	262413.32	281294.13	
बाजार ऋण	Market Loans	571000.00	710000.00	710000.00	780000.00	
प्रतिभूतियों का अंतरण	Switching of Securities	28591.26	50000.00	165000.00	270000.00	
14 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	14 Days Treasury Bills	3570681.38	3960409.22	3500912.48	3851003.73	
91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	91 Days Treasury Bills	660165.24	545344.72	677958.25	662435.37	
182 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	182 Days Treasury Bills	258020.06	312168.86	295036.50	322175.12	
364 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	364 Days Treasury Bills	208896.00	192344.66	193309.50	206494.10	
नकद प्रबंधन बिल	Cash Management Bills	190000.00	100000.00	240000.00	250000.00	
अर्धोपाय अग्रिम	Ways & Means Advances	955243.00	500000.00	1000000.00	1000000.00	
एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूति जारी करना	Issuance of Special Securities to EXIM Bank	4500.00	550.00	550.00	...	
	Issuance of Special Securities to IDBI Bank Ltd.	4557.00	...	
	Issuance of Special Securities to IIFCL	5300.00	10000.00	
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना	Issuance of Special Securities to Public Sector Banks	106000.00	70000.00	65443.00	0.01	
अन्य	Others	16243.02	32857.73	14354.17	16575.69	
जोड़-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	Total-Internal Debt of Central Government	6707872.96	6625943.51	7134834.22	7649978.15	
विदेशी ऋण	External Debt	6002	50609.44	44673.00	57016.00	57557.00
जोड़ - लोक ऋण	TOTAL - PUBLIC DEBT	6758482.40	6670616.51	7191850.22	7707535.15	
ख. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	B. RECOVERIES OF LOANS AND ADVANCES					
राज्य सरकारें	State Governments	14366.77	11614.81	14075.04	12399.34	
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	Union Territories (With Legislature)	72.00	442.69	100.05	100.00	
विदेशी सरकारें	Foreign Governments	369.77	145.17	56.00	46.00	
अन्य ऋण तथा अर्धोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)	Other Loans & Advances (Public Sector Enterprises, Statutory Bodies etc.)	15448.40	54000.06	40048.40	53796.34	
जोड़ - ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	TOTAL - RECOVERIES OF LOANS AND ADVANCES	30256.94	66202.73	54279.49	66341.68	
ग. विविध पूंजी प्राप्तियां	C. MISCELLANEOUS CAPITAL RECEIPTS	94979.05	105000.00	65044.96	210000.00	
जोड़-पूंजी लेखा प्राप्तियां	TOTAL CAPITAL ACCOUNT RECEIPTS	6883718.39	6841819.24	7311174.67	7983876.83	
राजस्व प्राप्तियां	REVENUE RECEIPTS	1806462.91	2248038.02	2153426.77	2331444.66	
पृष्ठ 2 से अग्रानयन	(brought forward from page 2)	
जोड़-भारत का समेकित/ निधि-संवितरण	TOTAL-CONSOLIDATED FUND OF INDIA RECEIPTS	8690181.30	9089857.26	9464601.44	10315321.49	

विवरण I - भारत का समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
क. सामान्य सेवाओं का पूंजी लेखा	A. CAPITAL ACCOUNT OF GENERAL SERVICES	112921.39	117954.10	123751.74	127902.59
मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	4046	186.27
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	4047	2336.54	2605.01	2605.01
पुलिस	Police	4055	9561.07	10100.16	9268.12
लेखन सामग्री और छपाई	Stationery and Printing	4058	...	46.16	100.00
लोक निर्माण कार्य	Public Works	4059	1218.10	1573.97	1348.78
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	4070	4398.50	233.52	284.65
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	4075	-9.68	0.97	0.62
रक्षा सेवाएं	Defence Services	4076	95230.59	103394.31	110394.31
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजी लेखा	B. CAPITAL ACCOUNT OF SOCIAL SERVICES	9148.85	9686.91	9598.65	8824.43
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	4202	2358.00	2219.15	2200.14
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	Medical and Public Health	4210	2345.33	1676.11	1764.06
परिवार कल्याण	Family Welfare	4211	11.61	10.25	12.65
आवास	Housing	4216	1094.72	1006.68	953.97
शहरी विकास	Urban Development	4217	2441.00	3815.00	3713.06
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	4220	9.28	13.54	5.52
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	4225	507.44	625.12	685.13
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	4235	50.99	37.74	5.93
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	4250	330.48	283.32	258.19
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजी लेखा	C. CAPITAL ACCOUNT OF ECONOMIC SERVICES	275851.86	252102.66	263606.15	249058.53
(क) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों का पूंजी लेखा	(a) Capital Account of Agriculture and allied activities	2709.90	2867.16	3292.92	2377.77
फसल कार्य	Crop Husbandry	4401	9.81	29.71	28.86
पशुपालन	Animal Husbandry	4403	5.35	17.88	8.42
डेरी विकास	Dairy Development	4404	...	23.76	5.00
मत्स्य पालन	Fisheries	4405	2.39	14.17	14.17
वानिकी और वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	4406	15.10	34.52	19.55
खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	Food Storage and Warehousing	4408	568.28	1011.12	1010.92
कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	Investments in Agricultural Financial Institutions	4416	2108.00	1735.00	2205.00
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	4435	0.97	1.00	1.00
(ख) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूंजी लेखा	(b) Capital Account of Special Areas Programmes	91.51	9110.51	8484.04	9086.68
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas	4552	91.51	9110.51	8484.04
(ग) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजी लेखा	(c) Capital account of Irrigation and Flood Control	267.23	314.27	267.18	331.27
वृहत और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	4701	35.28	85.72	65.72
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	4702	214.42	200.15	181.66
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	Flood Control Projects	4711	17.53	28.40	19.80
(घ) ऊर्जा का पूंजी लेखा	(d) Capital Account of Energy	3817.32	2535.16	1443.90	1666.11
विद्युत परियोजनाएं	Power Projects	4801	1641.61	864.90	795.90
पेट्रोलियम	Petroleum	4802	2158.32	1625.26	577.00
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy	4810	17.39	45.00	71.00
(ङ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजी लेखा	(e) Capital Account of Industry and Minerals	8526.00	6458.64	12117.00	16772.10
ग्राम एवं लघु उद्योग	Village and Small Industries	4851	23.34	56.99	56.39
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	4853	73.34	103.68	82.98
अभियांत्रिक उद्योग	Engineering Industries	4858	...	0.05	...
दूरसंचार और वैद्युत उद्योग	Telecommunication and Electronic Industries	4859	176.32	274.65	194.65
उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	4860	49.54	253.32	181.05
परमाणु ऊर्जा उद्योग	Atomic Energy Industries	4861	2400.75	2964.14	3010.51
अन्य उद्योग	Other Industries	4875	702.71	605.81	1091.42
उद्योगों और खनिज	Other Industries and Minerals	4885	5100.00	2200.00	7500.00
(च) परिवहन पूंजी लेखा	(f) Capital Account of Transport	126787.65	134283.06	136378.33	147430.13
भारतीय रेलवे वाणिज्य और सामरिक लाइनें (5002 और 5003)	Indian Railways - Commercial Lines	5002	52102.61	65763.64	67766.74
भारतीय रेलवे सीमावर्ती लाइन	Indian Railways - Strategic Lines	5003	735.06	73.36	70.26
बंदरगाह और प्रकाश गृह	Ports and Light Houses	5051	177.77	254.87	242.60
पोत परिवहन	Shipping	5052	-22.52	13.70	10.82
नागर विमानन	Civil Aviation	5053	3975.87	25.01	25.01
सड़क और पुल	Roads and Bridges	5054	69760.86	68062.48	68204.80
सड़क परिवहन	Road Transport	5055	8.00	15.00	8.00
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	5075	50.00	75.00	50.10

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
(छ) संचार पूंजी लेखा	(g) Capital Account of Communications	2570.50	4964.25	4706.72	25899.39
डाक सेवाएं	Postal Services	5201	511.27	368.83	829.33
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	5275	2059.23	4337.89	25070.06
(ज) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजी लेखा	(h) Capital Account of Science Technology and Environment	7294.96	8690.04	9318.29	10199.05
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	5401	1643.23	1939.00	2178.88
अंतरिक्ष अनुसंधान	Space Research	5402	5532.64	6598.54	7775.27
समुद्र विज्ञान अनुसंधान	Oceanographic Research	5403	13.16	18.00	17.00
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान	Other Scientific and Environmental Research	5425	105.93	134.50	227.90
(झ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजी लेखा	(i) Capital Account of General Economic Services	123786.79	82879.57	87597.77	35296.03
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	5453	-5.03
मौसम विज्ञान	Meteorology	5455	71.24	123.00	105.00
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions	5465	109466.29	72832.04	8320.06
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	Investments in International Financial Institutions	5466	13971.16	5599.19	4373.25
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	5475	283.13	4325.34	3287.77
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का संवितरण	Disbursements of Union Territories without Legislature	1600.64	1688.33	1475.16	5536.47
जोड़ - राजस्व खाते के बाहर का पूंजी व्यय	TOTAL - CAPITAL EXPENDITURE OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT	399522.74	381432.00	398431.70	391322.02
क. लोक ऋण	PUBLIC DEBT				
केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Government	6001			
बाजार ऋण	Market Loans		148265.40	236877.99	239130.38
क्षतिपूर्तियां और अन्य बांड्स	Compensation and Other Bonds		578.44	1837.55	426.47
एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों का मोचन	Redemption of Securities issued to NSSF		13533.05	22268.32	41294.13
स्वर्ण मौद्रिकरण योजना	Gold Monetization Scheme		60.00
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना	Sovereign Gold Bond Scheme		5.00
बाईबैक/स्वीचिंग	Buyback / Switching		28058.99	100000.00	300000.00
14 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	14 days Treasury Bills		3599384.28	3960409.22	3851003.73
91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	91 days Treasury Bills		706707.70	524343.22	659275.84
182 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	182 days Treasury Bills		225089.11	310119.02	308519.25
364 दिवसीय राजकोषीय हंडियां	364 days Treasury Bills		159685.00	190396.00	198309.50
नगद प्रबंधन हंडियां	Cash Management Bills		190000.00	100000.00	250000.00
अर्धोपाय अग्रिम	Ways and Means Advances		955243.00	500000.00	1000000.00
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	Redemption of securities issued to International Financial Institutions		7661.64	1572.77	5509.26
जोड़-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	Total-Internal Debt of Central Government	6034206.61	5947824.09	6312279.00	6853533.56
विदेशी ऋण	External Debt	6002	30738.77	35363.00	37388.00
जोड़ - क. लोक ऋण	TOTAL - PUBLIC DEBT	6064945.38	5983187.09	6346389.00	6890921.56
ऋण तथा अग्रिम	LOANS AND ADVANCES				
क. सामाजिक सेवाओं हेतु ऋण	A. LOANS FOR SOCIAL SERVICES		11923.60	14498.93	16355.00
शहरी विकास के लिए ऋण	Loans for Urban Development	6217	11923.60	14498.93	16355.00
ख. आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	B. LOANS FOR ECONOMIC SERVICES		18130.77	55638.51	55994.02
(क) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण	(a) Loans for Agriculture and allied activities		12000.00	50052.03	50048.70
खाद्य भंडारण और भान्सागारण के लिए ऋण	Loans for Food, Storage and Warehousing	6408	12000.00	50000.00	50000.00
कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	Loans to Agricultural Financial Institutions	6416	...	52.03	48.70
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	(b) Loans for Special Area Programme		...	90.00	90.00
पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	Loans for North Eastern Areas	6552	...	90.00	90.00
(ड) ऊर्जा के लिए ऋण	(c) Loans for Energy		5099.21	4006.69	4201.27
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	Loans for Power Projects	6801	5099.21	3964.64	4201.27
पेट्रोलियम के लिए ऋण	Loans for Petroleum	6802	...	42.05	...
(च) उद्योग तथा खनिजों हेतु ऋण	(d) Loans for Industry and Minerals		974.99	445.05	609.31
ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	Loans for Village and Small Industries	6851	2.57	6.52	4.70
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	Loans for Cement and Non-Metallic Mineral Industries	6854	6.33	0.01	0.01
उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	Loans for Fertilizer Industries	6855	...	0.05	0.05

विवरण I - भारत का समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
	मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021	
रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	6857	10.95	5.06	333.18	7.18
अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	Loans for Engineering Industries	6858	577.00	132.83	132.76	353.99
उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	Loans for Consumer Industries	6860	284.95	270.57	233.79	213.37
उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	Other Loans to Industries and Minerals	6885	93.19	30.01	60.00	30.01
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के लिए ऋण	(f) Loans for Science Technology and Environment		0.33	4.00	1.00	4.00
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	Loans for Other Scientific Research	7425	0.33	4.00	1.00	4.00
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	(g) Loans for General Economic Services		56.24	1040.74	1040.74	1040.74
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	Loans to General Financial and Trading Institutions	7465	20.68	40.74	40.74	40.74
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	Loans to International Financial Institutions	7466	35.56
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	Loans for Other General Economic Services	7475	...	1000.00	1000.00	1000.00
ग. अन्य ऋण	C. OTHER LOANS		24612.78	21186.18	26367.77	26336.16
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments	7601	23828.76	19842.24	25113.87	25102.66
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to Union Territory Governments	7602	129.61	300.01	225.01	150.01
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments	7605	494.62	842.00	802.68	832.28
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	Loans to Government Servants, etc.	7610	158.64	200.00	225.00	250.00
विविध ऋण	Miscellaneous Loans	7615	1.15	1.93	1.21	1.21
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का ऋण	Loans and Advances for Union Territories without Legislature		0.31	0.55	0.55	0.10
ऋण तथा अग्रिम जोड़ - पूंजी व्यय जोड़ - भारत का समेकित निधि-संवितरण	TOTAL - LOANS AND ADVANCES		54667.46	91424.17	82679.14	98685.28
	TOTAL - CAPITAL EXPENDITURE		6519135.58	6456043.26	6827499.84	7380928.86
	TOTAL - CONSOLIDATED FUND OF INDIA DISBURSEMENTS		8780706.39	9189584.37	9481264.56	10321667.94

विवरण। क - भारत की समेकित निधि पर संवितरण 'भारित'

STATEMENT IA - DISBURSEMENTS 'CHARGED' ON THE CONSOLIDATED FUND OF INDIA

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
				(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Parliament/State/Union Territory Legislatures	2011	2.82	2.53	2.67
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	2012	76.35	74.42	80.98
न्याय प्रशासन	Administration of Justice	2014	307.38	334.47	346.18
लेखा परीक्षा	Audit	2016	177.69	177.69	186.46
सीमा शुल्क	Customs	2037	0.30	0.32	0.30
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Collection Charges under Central Goods and Services Tax and Integrated Goods and Services Tax	2042	0.20	0.20	0.20
ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	2048	2000.00	4677.53	5000.00
ब्याज भुगतान	Interest Payments	2049	671470.60	658619.65	728203.16
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	2051	298.45	298.16	305.38
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services	2052	0.35	0.39	0.34
पुलिस	Police	2055	8.64	8.32	7.84
लोक निर्माण कार्य	Public Works	2059	13.30	13.00	12.30
विदेशी मामले	External Affairs	2061	0.02	0.02	0.02
सतर्कता	Vigilance	2062	131.84	54.66	111.70
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits	2071	382.36	390.70	480.20
रक्षा सेवाएं-थल सेना	Defence Services - Army	2076	76.56	75.76	76.26
रक्षा सेवाएं-नौ सेना	Defence Services - Navy	2077	13.24	12.50	13.10
रक्षा सेवाएं-वायु सेना	Defence Services - Air Force	2078	7.31	9.65	5.85
रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	Defence Services - Ordnance Factories	2079	5.18	5.18	5.18
रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	Defence Services - Research and Development	2080	0.63	2.16	0.63
आवास	Housing	2216	78.51	87.20	91.51
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	2235	0.22	0.22	0.17
प्राकृतिक आपदा राहत	Relief on account of Natural Calamities	2245	0.01
भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन	Indian Railways - Policy Formulation, Direction, Research and Other Miscellaneous Organisations	3001	3.28	4.45	4.00
भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्यशील व्यय	Indian Railways - Commercial Lines - Working Expenses	3002	468.00	394.00	491.00
भारतीय रेलवे-सामरिक लाइन-कार्यशील व्यय	Indian Railways - Strategic Lines - Working Expenses	3003	3.00	3.00	2.00
सड़क परिवहन	Road Transport	3055	4.00	4.00	3.10
डाक सेवाएं	Postal Services	3201	0.80	0.80	0.80
अंतरिक्ष अनुसंधान	Space Research	3402	0.60	0.60	0.60
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	3425	0.02	0.02	0.02
सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services	3451	1.01	1.50	1.50
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies	3456	...	0.01	...
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments	3601	126125.46	129691.99	154641.80
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments	3602	0.03	0.03	51.01
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047	...	5.00	...
पुलिस पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Police	4055	1.33	3.12	3.42
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Public Works	4059	7.50	0.60	4.50
रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Defence Services	4076	83.35	94.90	107.50
आवास पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Housing	4216	57.12	45.32	42.32
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development	4217	25.00	85.00	55.00
परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Atomic Energy Industries	4861	10.00	10.00	10.00
भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	5002	36.31	853.80	102.63
सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges	5054	45.00	45.00	50.00
अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Space Research	5402	0.40	0.40	0.40
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	5425	...	0.29	...
केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Government	6001	5947824.09	6312279.00	6853533.56
विदेशी ऋण	External Debt	6002	35363.00	34110.00	37388.00
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments	7601	19842.24	25113.87	25102.66
कुल जोड़	GRAND TOTAL		6804953.49	7167591.43	7806526.26

विवरण II - भारत की आकस्मिकता निधि - निवल
STATEMENT II - CONTINGENCY FUND OF INDIA - NET

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
आकस्मिकता निधि	Contingency Fund	8000

विवरण III - भारत का लोक खाता - प्राप्तियां

STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA - RECEIPTS

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
		वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
क. राष्ट्रीय लघु बचत निधि	A. NATIONAL SMALL SAVINGS FUND	880570.28	894910.58	1067090.78	1171125.45
ख. राज्य भविष्य निधि और अन्य लेखे	B. STATE PROVIDENT FUND AND OTHER ACCOUNTS	123751.41	137365.72	124072.59	128445.50
(i) राज्य भविष्य निधि	(i) State Provident Fund	68350.00	77000.00	77000.00	77000.00
(ii) डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	(ii) Postal Insurance and Life Annuity Fund	51414.44	56461.78	43005.21	47305.73
(iii) अन्य मदें	(iii) Other Items	3986.97	3903.94	4067.38	4139.77
ग. आरक्षित निधियां	C. RESERVE FUNDS	321859.06	433614.09	466415.63	493947.87
(क) सव्वाज प्रारक्षित निधियां	(a) Reserve Funds bearing Interest	53039.55	55845.64	51209.10	56404.29
(i) रेलवे निधियां	(i) Railway Funds	46430.86	55540.64	50943.10	56350.29
(ii) अन्य प्रारक्षित निधियां	(ii) Other Reserve Funds	6608.69	305.00	266.00	54.00
(ख) निरव्वाज प्रारक्षित निधियां	(b) Reserve Funds not bearing interest	268819.51	377768.45	415206.53	437543.58
(i) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि	(i) Central Road and Infrastructure Fund	62879.64	119098.83	122369.83	126076.17
(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि	(ii) National Highway Permanent Bridges Fee Fund	19265.59	10610.46	10600.00	12500.00
(iii) खान कल्याण निधि	(iii) Mines Welfare Fund
(iv) गारंटी मोचन निधि	(iv) Guarantee Redemption Fund	600.00	600.00	600.00	600.00
(v) प्रारंभिक शिक्षा कोष	(v) Prarambhic Shiksha Kosh	25227.90	28920.11	28920.11	31812.12
(vi) शर्करा विकास निधि	(vi) Sugar Development Fund
(vii) विशेष रेलवे सुरक्षा निधि और रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	(vii) Spl. Rly. Safety Fd and Rly. Safety Works Fund	31023.86	35000.00	34750.00	38500.00
(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि	(viii) National Rural Employment Guarantee Fund	61829.56	60000.00	71001.81	61500.00
(ix) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	(ix) National Disaster Response Fund	2500.00	2480.00	2790.00	2930.00
(x) अन्य प्रारक्षित निधियां	(x) Other Reserve Funds	65492.96	121059.05	144174.78	163625.29
घ. जमा और अग्रिम	D. DEPOSITS AND AVANCES	365461.21	177163.69	187183.31	253169.93
(क) सव्वाज जमाराशियां	(a) Deposits bearing interest	67606.00	14876.31	14159.88	14980.71
(i) राष्ट्रीय रक्षा निधि	(i) National Defence Fund	103.85	110.00	110.00	110.00
(ii) परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा निधियां आदि।	(ii) Family Pension-cum-Life Assurance funds etc.	12784.52	9030.00	8600.00	9030.00
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	54717.63	5736.31	5449.88	5840.71
(ख) निरव्वाज जमाराशियां	(b) Deposits not bearing interest	244566.12	162287.38	173023.43	238189.22
(i) सिविल जमाराशियां	(i) Civil Deposits	21301.93	17000.00	19000.00	20000.00
(ii) स्थानीय निधियों की जमाराशियां	(ii) Deposits of Local Funds	-0.01
(iii) राष्ट्रीय निवेश निधि	(iii) National Investment Fund	78496.20	90000.00	59700.00	120000.00
(iv) अन्य जमाराशियां	(iv) Other Deposits	144768.00	55287.38	94323.43	98189.22
(ग) अग्रिम	(c) Advances	53289.09
ङ उचंत और विविध	E. SUSPENSE AND MISCELLANEOUS	46441.10
उचंत लेखा (निवल)	Suspense Account (Net)
चैक और हंडियां (निवल)	Cheque and Bills (Net)	6585.64
विभागीय शेष (निवल)	Departmental Balances (Net)
नकद शेष निवेश	Cash Balance Investment	39855.46
अन्य	Others
च. प्रेषण	F. REMITTANCES	998.61
(i) मनी ऑर्डर	(i) Money Orders	52.14
(ii) अन्य विप्रेषण	(ii) Other Remittances	946.47
जोड़ - लोक खाता प्राप्तियां	TOTAL-PUBLIC ACCOUNT RECEIPTS	1739081.67	1643054.08	1844762.31	2046688.75
कुल जोड़ - (I + II + III)	GRAND TOTAL - (I+II+III)	10429262.97	10732911.34	11309363.75	12362010.24
रोकड़ शेष	CASH BALANCE	1407.88	-39793.06	2729.00	2732.30
जोड़	TOTAL	10430670.85	10693118.28	11312092.75	12364742.54

विवरण III - भारत का लोक खाता - संवितरण

STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA - DISBURSEMENTS

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
		वास्तविक Actuals 2018-2019	बजट अनुमान Budget Estimates 2019-2020	संशोधित अनुमान Revised Estimates 2019-2020	बजट अनुमान Budget Estimates 2020-2021
क. राष्ट्रीय लघु बचत निधि	A. NATIONAL SMALL SAVINGS FUND	873177.39	894910.59	1103285.50	1171125.45
ख. राज्य भविष्य निधि और अन्य लेखे	B. STATE PROVIDENT FUND AND OTHER ACCOUNTS	105705.72	101532.50	103921.86	108061.56
(i) राज्य भविष्य निधि	(i) State Provident Fund	52290.95	59000.00	59000.00	59000.00
(ii) डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	(ii) Postal Insurance and Life Annuity Fund	51757.89	40592.67	42682.04	46950.24
(iii) अन्य मदें	(iii) Other Items	1656.88	1939.83	2239.82	2111.32
ग. आरक्षित निधियां	C. RESERVE FUNDS	340157.26	434484.99	466657.11	490969.52
(क) सब्याज प्रारक्षित निधियां	(a) Reserve Funds bearing Interest	48582.34	56808.95	51786.95	55527.45
(i) रेलवे निधियां	(i) Railway Funds	48495.59	56500.00	51500.00	55500.00
(ii) अन्य प्रारक्षित निधियां	(ii) Other Reserve Funds	86.75	308.95	286.95	27.45
(ख) निर्याज प्रारक्षित निधियां	(b) Reserve Funds not bearing interest	291574.92	377676.04	414870.16	435442.07
(i) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि	(i) Central Road and Infrastructure Fund	72018.73	119098.83	122369.83	126076.17
(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि	(ii) National Highway Permanent Bridges Fee Fund	19255.72	10650.00	10600.00	12500.00
(iii) खान कल्याण निधि	(iii) Mines Welfare Fund
(iv) गारंटी मोचन निधि	(iv) Guarantee Redemption Fund
(v) प्रारंभिक शिक्षा कोष	(v) Prarambhic Shiksha Kosh	24842.49	28920.11	28920.11	31812.12
(vi) शर्करा विकास निधि	(vi) Sugar Development Fund
(vii) विशेष रेलवे सुरक्षा निधि और रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	(vii) Spl. Rly. Safety Fd and Rly. Safety Works Fund	31021.15	35000.00	34750.00	38500.00
(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि	(viii) National Rural Employment Guarantee Fund	61829.56	60000.00	71001.81	61500.00
(ix) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	(ix) National Disaster Response Fund	2500.00	2480.00	2790.00	2930.00
(x) अन्य प्रारक्षित निधियां	(x) Other Reserve Funds	80107.27	121527.10	144438.41	162123.78
घ. जमा और अग्रिम	D. DEPOSITS AND AVANCES	299172.22	163458.02	154234.72	217182.96
(क) सब्याज जमाराशियां	(a) Deposits bearing interest	4756.64	8131.41	7568.45	8186.22
(i) राष्ट्रीय रक्षा निधि	(i) National Defence Fund	17.49	70.00	70.00	70.00
(ii) परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा निधियां आदि।	(ii) Family Pension-cum-Life Assurance funds etc.
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	4739.15	8061.41	7498.45	8116.22
(ख) निर्याज जमाराशियां	(b) Deposits not bearing interest	239702.18	155326.61	146666.27	208996.74
(i) सिविल जमाराशियां	(i) Civil Deposits	20008.64	15000.00	17000.00	17000.00
(ii) स्थानीय निधियों की जमाराशियां	(ii) Deposits of Local Funds
(iii) राष्ट्रीय निवेश निधि	(iii) National Investment Fund	78313.57	90000.00	59700.00	120000.00
(iv) अन्य जमाराशियां	(iv) Other Deposits	141379.97	50326.61	69966.27	71996.74
(ग) अग्रिम	(c) Advances	54713.40
ङ उचंत और विविध	E. SUSPENSE AND MISCELLANEOUS	23117.56
उचंत लेखा (निवल)	Suspense Account (Net)	11452.03
चैक और हंडियां (निवल)	Cheque and Bills (Net)
विभागीय शेष (निवल)	Departmental Balances (Net)	4050.37
नकद शेष निवेश	Cash Balance Investment
अन्य	Others	7615.16
च. प्रेषण	F. REMITTANCES	5905.30
(i) मनी ऑर्डर	(i) Money Orders	324.88
(ii) अन्य विप्रेषण	(ii) Other Remittances	5580.42
जोड़ - लोक खाता संवितरण	TOTAL-PUBLIC ACCOUNT DISBURSEMENTS	1647235.45	1594386.10	1828099.19	1987339.49
कुल जोड़ - (I + II + III)	GRAND TOTAL - (I + II + III)	10427941.84	10783970.47	11309363.75	12309007.43
रोकड़ शेष	CASH BALANCE	2729.00	-90852.19	2729.00	55735.11
जोड़	TOTAL	10430670.84	10693118.28	11312092.75	12364742.54

विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां और व्यय

RECEIPTS AND EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE

प्राप्तियां RECEIPTS				व्यय EXPENDITURE		
		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान
Budget Estimates	Revised Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Revised Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
2019-2020	2019-2020	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2020-2021
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS						
कर राजस्व				राजस्व व्यय		
Tax Revenue	408.00	1050.23	1268.00	Revenue		
कर-भिन्न राजस्व				Expenditure	4215.90	4442.60
Non-Tax Revenue	390.00	404.00	444.40	पूंजी व्यय		
				Capital Expenditure	621.80	536.98
				ऋण और अग्रिम		
				Loans and advances	0.00	0.00
जोड़ Total	798.00	1454.23	1712.40	जोड़ Total	4837.70	4979.58
						5188.58
चंडीगढ़ CHANDIGARH						
कर राजस्व				राजस्व व्यय		
Tax Revenue	3782.00	3927.08	4149.30	Revenue		
कर-भिन्न राजस्व				Expenditure	4050.07	4061.36
Non-Tax Revenue	1410.00	1410.00	1553.74	पूंजी व्यय		
				Capital Expenditure	247.28	132.33
				ऋण और अग्रिम		
				Loans and advances		
जोड़ Total	5192.00	5337.08	5703.04	जोड़ Total	4297.35	4193.69
						4641.89
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU						
कर राजस्व				राजस्व व्यय		
Tax Revenue	2208.11	1890.67	2053.58	Revenue		
कर-भिन्न राजस्व				Expenditure	1339.93	1278.07
Non-Tax Revenue	219.00	150.16	161.42	पूंजी व्यय		
				Capital Expenditure	666.85	671.60
				ऋण और अग्रिम		
				Loans and advances	0.40	0.40
जोड़ Total	2427.11	2040.83	2215.00	जोड़ Total	2007.18	1950.07
						2189.41
लद्दाख LADAKH						
कर राजस्व				राजस्व व्यय		
Tax Revenue	0.00	0.00	0.00	Revenue		
कर-भिन्न राजस्व				Expenditure	0.00	0.00
Non-Tax Revenue	0.00	0.00	0.00	पूंजी व्यय		
				Capital Expenditure	0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम		
				Loans and advances		
जोड़ Total	0.00	0.00	0.00	जोड़ Total	0.00	0.00
						6112.65
लक्षद्वीप LAKSHADWEEP						
कर राजस्व				राजस्व व्यय		
Tax Revenue	12.00	16.02	29.12	Revenue		
कर-भिन्न राजस्व				Expenditure	1090.61	1129.88
Non-Tax Revenue	130.00	130.00	143.00	पूंजी व्यय		
				Capital Expenditure	185.98	167.83
				ऋण और अग्रिम		
				Loans and advances	0.15	0.15
जोड़ Total	142.00	146.02	172.12	जोड़ Total	1276.74	1297.86
						1349.71
सारांश SUMMARY						
कर राजस्व				राजस्व व्यय		
Tax Revenue	6410.11	6884.00	7500.00	Revenue		
कर-भिन्न राजस्व				Expenditure	10696.51	10911.91
Non-Tax Revenue	2149.00	2094.16	2302.56	पूंजी व्यय		
				Capital Expenditure	1721.91	1508.74
				ऋण और अग्रिम		
				Loans and advances	0.55	0.55
जोड़ Total	8559.11	8978.16	9802.56	जोड़ Total	12418.97	12421.20
						19482.24

टिप्पणी: उरोक्त व्यय अनुमानों में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित स्कीमों के लिए अनुदानों को शामिल किया गया है, जैसा की मांग सं.84: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में दिया गया है।

Note: The expenditure estimates are net of recoveries and include grants for schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund as provided in Demand No. 84: Ministry of Road Transport and Highways.

वित्त विधेयक, 2020

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन।
4. धारा 6 का संशोधन।
5. धारा 9 का संशोधन।
6. धारा 9क का संशोधन।
7. धारा 10 का संशोधन।
8. धारा 10क का संशोधन।
9. धारा 11 का संशोधन।
10. धारा 12क का संशोधन।
11. धारा 12कक का संशोधन।
12. नई धारा 12कख का अंतःस्थापन।
13. धारा 17 का संशोधन।
14. धारा 32कख का संशोधन।
15. धारा 33कख का संशोधन।
16. धारा 33कखक का संशोधन।
17. धारा 35 का संशोधन।
18. धारा 35कघ का संशोधन।
19. धारा 35घ का संशोधन।
20. धारा 35ड का संशोधन।
21. धारा 43 का संशोधन।

खंड

22. धारा 43क का संशोधन।
23. धारा 44कख का संशोधन।
24. धारा 44घक का संशोधन।
25. धारा 49 का संशोधन।
26. धारा 50ख का संशोधन।
27. धारा 50ग का संशोधन।
28. धारा 55 का संशोधन।
29. धारा 56 का संशोधन।
30. धारा 57 का संशोधन।
31. धारा 72कक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
32. धारा 80डडक का संशोधन।
33. धारा 80छ का संशोधन।
34. धारा 80छक का संशोधन।
35. धारा 80झक का संशोधन।
36. धारा 80झकग का संशोधन।
37. धारा 80झख का संशोधन।
38. धारा 80झखक का संशोधन।
39. धारा 80ञकक का संशोधन।
40. नई धारा 80ड का अंतःस्थापन।
41. धारा 90 का संशोधन।
42. धारा 90क का संशोधन।
43. धारा 92गख का संशोधन।
44. धारा 92गग का संशोधन।
45. धारा 92घ का संशोधन।
46. धारा 94ख का संशोधन।
47. धारा 115क का संशोधन।
48. धारा 115कग का संशोधन।
49. धारा 115कक का संशोधन।
50. धारा 115कघ का संशोधन।
51. धारा 115खकक का संशोधन।
52. धारा 115खकख का संशोधन।
53. नई धारा 115खकग और धारा 115खकघ का अंतःस्थापन।
54. धारा 115खखक का संशोधन।
55. धारा 115ग का संशोधन।
56. धारा 115अख का संशोधन।
57. धारा 115अग का संशोधन।
58. धारा 115अघ का संशोधन।
59. धारा 115ण का संशोधन।

खंड

60. धारा 115द का संशोधन।
61. धारा 115नघ का संशोधन।
62. धारा 115पक का संशोधन।
63. धारा 115फब का संशोधन।
64. नई धारा 119क का अंतःस्थापन।
65. धारा 133क का संशोधन।
66. धारा 139 का संशोधन।
67. धारा 140 का संशोधन।
68. धारा 140क का संशोधन।
69. धारा 143 का संशोधन।
70. धारा 144ग का संशोधन।
71. धारा 156 का संशोधन।
72. धारा 191 का संशोधन।
73. धारा 192 का संशोधन।
74. धारा 194 का संशोधन।
75. धारा 194क का संशोधन।
76. धारा 194ग का संशोधन।
77. धारा 194ज का संशोधन।
78. धारा 194झ का संशोधन।
79. धारा 194ञ का संशोधन।
80. नई धारा 194ट का अंतःस्थापन।
81. धारा 194ठखक का संशोधन।
82. धारा 194ठग का संशोधन।
83. धारा 194ठघ का संशोधन।
84. नई धारा 194ण का अंतःस्थापन।
85. धारा 195 का संशोधन।
86. धारा 196क का संशोधन।
87. धारा 196ग का संशोधन।
88. धारा 196घ का संशोधन।
89. धारा 197 का संशोधन।
90. धारा 203कक का लोप।
91. धारा 204 का संशोधन।
92. धारा 206कक का संशोधन।
93. धारा 206ग का संशोधन।
94. नई धारा 234छ का अंतःस्थापन।
95. धारा 250 का संशोधन।
96. धारा 253 का संशोधन।

खंड

97. धारा 254 का संशोधन।
98. नई धारा 271ककघ का अंतःस्थापन।
99. नई धारा 271ट का अंतःस्थापन।
100. धारा 274 का संशोधन।
101. नई धारा 285खख का अंतःस्थापन।
102. धारा 288 का संशोधन।
103. धारा 295 का संशोधन।
104. पहली अनुसूची का संशोधन।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

105. धारा 11 का संशोधन।
106. धारा 28 का संशोधन।
107. धारा 28ककक का संशोधन।
108. नए अध्याय 5कक का अंतःस्थापन।
109. अध्याय 7क के शीर्ष का संशोधन।
110. नई धारा 51ख का अंतःस्थापन।
111. धारा 111 का संशोधन।
112. धारा 156 का संशोधन।
113. धारा 157 का संशोधन।

सीमाशुल्क टैरिफ

114. धारा 8ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
115. पहली अनुसूची का संशोधन।

केंद्रीय माल और सेवा कर

116. धारा 2 का संशोधन।
117. धारा 10 का संशोधन।
118. धारा 16 का संशोधन।
119. धारा 29 का संशोधन।
120. धारा 30 का संशोधन।
121. धारा 31 का संशोधन।
122. धारा 51 का संशोधन।
123. धारा 109 का संशोधन।
124. धारा 122 का संशोधन।
125. धारा 132 का संशोधन।
126. धारा 140 का संशोधन।
127. धारा 168 का संशोधन।

(v)

खंड

128. धारा 172 का संशोधन।
129. अनुसूची 2 का संशोधन।
130. कतिपय मामलों में केंद्रीय कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।
131. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव।

एकीकृत माल और सेवा कर

132. धारा 25 का संशोधन।
133. कतिपय मामलों में एकीकृत कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

134. धारा 1 का संशोधन।
135. धारा 2 का संशोधन।
136. धारा 26 का संशोधन।
137. कतिपय मामलों में संघ राज्यक्षेत्र कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

138. धारा 14 का संशोधन।

अध्याय 5

स्वास्थ्य उपकर

139. आयातित चिकित्सा युक्तियों पर स्वास्थ्य उपकर।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

140. इस भाग का प्रारंभ।
141. धारा 9क का संशोधन।
142. नई धारा 73ख का अंतःस्थापन।

भाग 2

बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 का संशोधन

143. 1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन।

भाग 3

निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का संशोधन

144. 1991 के अधिनियम सं. 11 का संशोधन।

खंड

भाग 4

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

145. 2001 के अधिनियम संख्यांक 14 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

भाग 5

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

146. धारा 116 का संशोधन।
147. धारा 117 का संशोधन।
148. धारा 118 का संशोधन।
149. धारा 119, धारा 120 और धारा 132क का संशोधन।

पहली अनुसूची।

दूसरी अनुसूची।

तीसरी अनुसूची।

चौथी अनुसूची।

पांचवीं अनुसूची।

[दि फाइनेंस बिल, 2020 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकतहरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2020 है ।
- 5 (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय,—
(क) धारा 2 से धारा 104 तक 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होंगी ;
(ख) धारा 116 से धारा 129 और धारा 132, उस तारीख को प्रवृत्त होंगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

10

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण आय-कर । वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।
- (2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारित की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—
- (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और
- 20 (ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;
- (ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;
- 25 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :
- परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :
- 30

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) 5 1961 का 43 के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रतिनिर्देश से किया जाएगा :

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की 10 रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन कर से प्रभार्य है :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है की दशा में, जहां,— 20

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के 25 पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) ऐसे व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,— 30

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की 35 आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की 35 आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की 40 आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और खंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

- (ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में सिवाय ऐसी देशी कंपनी के जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है,—
- (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;
- 5 (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
- (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,
- 10 परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :
- परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—
- (i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;
- 15 (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;
- (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;
- 20 (iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पांच करोड़ रुपए से अधिक है :
- 25 परंतु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :
- परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :
- 30 परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :
- परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :
- 40 परंतु यह और भी कि प्रत्येक ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।
- (4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गड की उपधारा (2क) या धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथाविनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।
- 45

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ड, धारा 194ड ड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ज, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग, और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग, और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां,—

(i) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) संगृहीत या संगृहीत किए जाने के संभाव्य और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संगृहीत या संगृहीत किए जाने के संभाव्य और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

5 (ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

10 परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय 15 “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर”, पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख 20 के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रतिनिर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, या किसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 25 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115जख और धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय 30 के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के से अधिक कोई आय नहीं है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” 35 के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ऐसे “अग्रिम कर” के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

40 (iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) ऐसे व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ; 45

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित अग्रिम कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

- 5 परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खख की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

- परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे “अग्रिम कर” के 10 दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को पहली अनुसूची के भाग III के पैरा क में यथा उपबंधित संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

- परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 15 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

- (10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और 20 कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,—

- (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि- 25 आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) ऐसा आय-कर या यथास्थिति, “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या 30 “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

- 35 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, आय-कर या यथास्थिति, “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, आय-कर या यथास्थिति, “अग्रिम कर” होगी :

- परंतु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, 40 इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

- 45 परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

5

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

10

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

15

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

25

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन। 3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

30

(i) खंड (13क) में 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) उपखंड (ii) के अन्त में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) दीर्घ पंक्ति का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के उपखंड (जछ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

35

“(जज) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 49 की उपधारा (2कछ) में निर्दिष्ट पृथक्कृत पोर्टफोलियो की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य पोर्टफोलियो में मूल यूनिट या यूनिटों को निर्धारित द्वारा धारित किया गया था ;”।

धारा 6 का संशोधन। 4. आय-कर अधिनियम की धारा 6 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) खंड (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में, “एक सौ बयासी दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक सौ बीस दिन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा, यदि वह अधिवास या निवास या समान प्रकृति के किसी अन्य मानदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है ।”;

45

(ग) खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(6) किसी व्यक्ति के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में “मामूली तौर पर निवासी नहीं है” तब कही जाती है, जब वह व्यक्ति,—

(क) ऐसा व्यक्ति है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से सात वर्षों में भारत में अनिवासी रहा हो ; या

5 (ख) ऐसा हिंदू अविभक्त कुटुंब है, जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से सात वर्षों में भारत में अनिवासी रहा हो ;”।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में,—

धारा 9 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, —

10 (i) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, “ऐसे कारबार की दशा में” शब्दों के पूर्व, “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के कारण भारत में कारबारी संपर्क रखने वाले कारबार से भिन्न” शब्द 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2क का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा और निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2022 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

15 **“स्पष्टीकरण 2क** — शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत में अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, भारत में “कारबारी संपर्क” गठित करेगी और इस प्रयोजन के लिए “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा—

20 (क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि, पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(ख) भारत में कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और निरंतर निवेदन करना या उपयोक्ताओं की ऐसी संख्या के साथ इंटरएक्शन करवाना, जो विहित की जाए :

परंतु, संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति गठित करेंगे, चाहे—

- 25 (i) ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है, अथवा नहीं, या
 (ii) अनिवासी के पास भारत में कोई निवास-स्थान या कारबार का स्थान है अथवा नहीं ; या
 (iii) अनिवासी भारत में सेवाएं प्रदान करता है अथवा नहीं :

परंतु यह और कि केवल ऐसी आय का उतना भाग जितना खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुआ माना जा सकता है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।”;

30 (iii) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 3क—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट भारत में की गई संक्रियाओं से हुई मानी जा सकने वाली आय में, निम्नलिखित आय सम्मिलित होगी—

35 (i) ऐसे विज्ञापन से आय, जिसका लक्ष्य ऐसा ग्राहक है, जो भारत में निवास करता है या ऐसा ग्राहक है जिसकी भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते के माध्यम से विज्ञापन तक पहुंच है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा के विक्रय से आय ; और

40 (iii) ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का उपयोग करते हुए माल या सेवाओं के विक्रय से आय।”;

(iv) इस प्रकार अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 3क के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

45 “परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट उपबंध स्पष्टीकरण 2क में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुई मानी जा सकने वाली आय को भी लागू होंगे।”;

(v) स्पष्टीकरण 5 में,—

(I) दूसरे परंतुक में, “विनियम, 2014 के” शब्दों और अंकों के पश्चात् “निरसन से पूर्व इसके” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग 1 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में धारित की गई है।”;

1992 का 15

(ख) खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) में “किन्तु जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है” शब्दों का लोप 1 अप्रैल, 2021 से किया जाएगा।

धारा 9क का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में,—

(क) खंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु निधि में उक्त संकलित सहभागिता या विनिधान की संगणना के प्रयोजन के लिए, निधि के प्रचालन के पहले तीन वर्ष के दौरान पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किए गए पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक के किसी अभिदाय को, निधि में उक्त हिसाब में नहीं लिया जाएगा”; और

(ख) खंड (ज) के पहले परंतुक में, “इसके स्थापित या नियमित किए जाने के मास के अंत से छह मास की अवधि के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में” शब्दों के स्थान पर, “इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से बारह मास के अंत में” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(I) खंड (23ग) में,—

(अ) 1 जून, 2020 से,—

(क) पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को, संबद्ध उपखंड के अधीन छूट तब तक प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में अनुमोदन मंजूर करने के लिए,—

(i) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक [जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान था] के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रवृत्त होता है, तीन मास के भीतर आवेदन नहीं करती है;

(ii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और उक्त अनुमोदन की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व आवेदन नहीं करती है ;

(iii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां अनंतिम अनुमोदन के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो आवेदन नहीं करती है ;

(iv) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व आवेदन नहीं करती है,

और उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक के अधीन अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परंतुक के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर,—

(i) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, वहां पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

45

(ii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, वहां,—

(क) स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए उससे ऐसे दस्तावेजों या जानकारी की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है,—

5 (अ) ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में ; और

(आ) उसके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में, जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं ; और

10 (ख) उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन उसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

15 (आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही अपने अनुमोदन को रद्द करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन किया गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा,

20 और ऐसे आदेश की प्रति ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को भेजेगा :”;

(ख) आठवें और नौवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन मंजूर किया गया कोई अनुमोदन, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की निम्नलिखित अवधि की आय के संबंध में लागू होगा,—

25 (i) जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें उसे पूर्व में अनुमोदन मंजूर किया गया था ;

(ii) जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए उसे अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर किया गया था ;

30 (iii) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा, जिसकी संगणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था :”;

35 (आ) दसवें परंतुक में, “चिकित्सा संस्था उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखा परीक्षक से कराएगी और सुसंगत निर्धारण वर्ष की विवरणी के साथ ऐसी” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “चिकित्सा संस्था धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखा परीक्षक से कराएगी और उस तारीख तक ऐसी” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

40 (इ) 1 जून, 2020 से,—

(क) सोलहवें परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) अठारहवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

45 “परंतु यह भी कि पहले परंतुक, जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान था, के अधीन किए गए ऐसे सभी आवेदन, जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित हैं और जिनके संबंध में पहले परंतुक के प्रभावी होने की तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, को उस तारीख को पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदनों के रूप में समझा जाएगा :”।

(II) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) खंड (23घ) के आरंभिक भाग में “अध्याय 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (23घ) के उपखण्ड (ख) में, “धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट”, शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, “किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (23घ) में, “के उपखंड (क)” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

5

(घ) खंड (23घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(23घ) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान से उद्भूत होने वाले लाभांश, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की कोई आय, चाहे वह ऋण के रूप में हो या साम्या के रूप में हो, यदि विनिधान —

(i) 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले किया गया है ;

10

(ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारित किया गया है ; और

(iii) ऐसी कंपनी या उद्यम में किया गया है, जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने या उसे प्रचालित करने तथा उसे बनाए रखने का कारबार, या उसे विकसित करने, या उसे प्रचालित करने या बनाए रखने का कारबार या ऐसा अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चला रहा है ।

15

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) अबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी, जो—

(i) संयुक्त अरब अमीरात का निवासी है ; और

(ii) जो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के स्वामित्वाधीन निधि से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान करता है ;

20

(ख) ऐसी संप्रभु धन निधि, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) यह विदेशी सरकार के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पूर्णतः स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है ;

(ii) इसे ऐसी विदेशी विधि के अधीन स्थापित किया गया है और विनियमित किया गया है ;

(iii) निधि के अर्जन या तो विदेशी सरकार के लेखे में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य लेखे में जमा किए जाते हैं की अर्जनों का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति के फायदे को लागू नहीं होता है ;

25

(iv) उक्त निधि की आस्ति, विघटन पर विदेशी सरकार में निहित हो जाती है ;

(v) यह कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप, चाहे वह भारत के भीतर हो या भारत से बाहर, नहीं किया करता है ; और

(vi) इसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ;’;

(ड) खंड 34 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

30

“परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होगी ;”;

(च) खंड (35) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् यूनिटों के संबंध में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होगी ;”;

35

(छ) खंड (45) का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा।

(III) खंड (48ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(48ग) इस निमित्त केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में इसकी भंडारण प्रसुविधा में भंडारित कच्चे तेल की पुनः पूर्ति हेतु ठहराव के परिणामस्वरूप भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम निक्षेप लिमिटेड को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ठहराव को लागू नहीं होगी, यदि भंडारण प्रसुविधा में कच्चे तेल की पुनः पूर्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर, जिसमें कच्चा तेल पहली बार भंडारण प्रसुविधा से हटाया गया था, नहीं की जाती है ;”।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (5) में,—

धारा 10क का संशोधन।

(i) “आय-कर विवरणी के साथ” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) “निर्धारित द्वारा धारा 288” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “निर्धारित द्वारा धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

5 9. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में, 1 जून, 2020 से, उपधारा (7) में,—

धारा 11 का संशोधन।

(क) “धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) “खंड (1) और खंड (23ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर “खंड (1), खंड (23ग) और खंड (46)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

10 (ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, न्यास या संस्था, धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदित किया जाता है या उक्त धारा के खंड (46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है या वह तारीख जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुआ है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवर्तित नहीं रहेगा :

15 परंतु यह और कि ऐसे न्यास या ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रीकरण पहले परंतुक के अधीन प्रवर्तित नहीं हुआ है, धारा 12कख के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तित कराने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए आवेदन कर सकेगा कि ऐसा करने पर, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था को धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन या उक्त धारा के खंड (46) के अधीन अधिसूचना उस तारीख से प्रभावहीन हो जाएगी जिसको उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तित हो जाता है और तत्पश्चात् वह संबंधित खंड के अधीन छूट का हकदार नहीं होगा”।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 12क में,—

धारा 12क का संशोधन।

20 (I) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“कग) खंड (क) से खंड (कख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में कोई निम्नलिखित अवधि के भीतर आवेदन किया है,—

1996 का 3

25 (i) जहां न्यास या संस्था को धारा 12क [जैसी कि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान थी] या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रवृत्त होता है, तीन मास के भीतर ;

(ii) जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से छह मास पूर्व ;

30 (iii) जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ;

35 (iv) जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण धारा 11 की उपधारा (7) के पहले परंतुक के कारण प्रवर्तन में नहीं रह गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तन में लाने की ईप्सा की गई, के प्रारंभ से कम से कम छह मास पूर्व ;

(v) जहां न्यास या संस्था ने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार अंगीकार किया है या उनमें उपांतरण किए हैं, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, वहां उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ;

40 (vi) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व,

और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है ;”;

45 (आ) खंड (ख) में, “उस वर्ष के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए गए हैं और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत की है” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “उस वर्ष के लेखे धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की

उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए गए हैं और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, उस तारीख से पूर्व प्रस्तुत की है” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(II) उपधारा (2) में, 1 जून, 2020 से,—

5

(अ) पहले परंतुक में, “परंतु” शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु किसी न्यास या संस्था को धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, जहां आवेदन,—

(क) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) के अधीन किया गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष से लागू होंगे, जिसमें ऐसे न्यास या संस्था को पूर्व में रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था ;

(ख) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन, ऐसे निर्धारण वर्षों के प्रथम वर्ष से लागू 10 होंगे, जिनके लिए वह अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था :

परंतु यह और”;

(आ) दूसरे परंतुक में, “परंतु और कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) पहले और तीसरे परंतुक में, “धारा 12कक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

15

धारा 12कक का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) इस धारा की कोई बात 1 जून, 2020 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।

नई धारा 12कख का अंतःस्थापन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी ; अर्थात् —

20

नए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया।

“12कख. (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर,—

(क) जहां आवेदन, उक्त खंड के उपखंड (i) के अधीन किया गया है, पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करते हुए एक आदेश पारित करेगा ;

(ख) जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन किया गया है, —

(i) वहां ऐसे न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मंगाएगा, या स्वयं के समाधान हेतु ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे,—

(अ) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में, और

(आ) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन के बारे में, 30 जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हों, और

(ii) उपखंड (i) के मद (अ) के अधीन न्यास या संस्था के उद्देश्यों तथा उनके क्रियाकलापों की वास्तविकता, और मद (ख) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं के समाधान के पश्चात् —

(अ) पूर्व पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करते हुए लिखित में एक आदेश पारित करेगा ;

35

(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही ऐसे रजिस्ट्रीकरण को रद्द भी करते हुए आदेश लिखित में पारित करेगा ;

(ग) जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिससे रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की एक प्रति न्यास या संस्था को भेजेगा ।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन जिन पर धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व पारित नहीं किया गया है, जिसको यह धारा प्रभावी हुई है, उस तारीख को ऐसे आवेदन धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के अधीन किया गया आवेदन समझे जाएंगे ।

45

(3) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) के उपखंड (ii) और खंड (ग) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से संगणित, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा।

5 (4) जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे न्यास या संस्था के क्रियाकलाप, यथास्थिति, वास्तविक नहीं है या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, तो वह सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए, लिखित में आदेश पारित करेगा।

10 (5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात्, यह देखने में आया है कि,—

(क) न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 13 की उपधारा (1) के प्रचालन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करते हुए धारा 11 या धारा 12 के उपबंध लागू नहीं होते ; या

15 (ख) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट, किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और किसी भी नाम से ज्ञात, आदेश, निदेश या डिक्री में यह अभिनिर्धारित है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, या तो विवादग्रस्त नहीं है या अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है,

तो, प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

20 **13.** आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में उपखंड (vii) के स्थान पर 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन।

“(vii) किसी निर्धारिती के संबंध में नियोजक द्वारा निर्धारिती के निम्नलिखित खातों में किए गए अभिदाय की रकम या रकमों का कुल योग,—

(क) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में ;

(ख) धारा 80गघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम में ; और

25 (ग) किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में,

उस सीमा तक, जहां वह किसी पूर्ववर्ष में सात लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

30 (viiक) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के अतिशेष में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या समान प्रकृति की किसी अन्य रकम को जमा करके हुई वार्षिक अनुवृद्धि, उस सीमा तक, जहां तक वह ऐसे अभिदाय से संबद्ध है, जिसे उपधारा (vii) के अधीन किसी पूर्ववर्ष में, विहित की जाने वाली रीति में संगणित कुल आय में सम्मिलित किया गया है ; और”।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 32कख की उपधारा (5) में, “संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 44कघ में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती उस तारीख से पहले” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 32कख का संशोधन।

35 **15.** आय-कर अधिनियम की धारा 33कख की उपधारा (2) में “निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “लेखाओं की, धारा 44कख में निर्दिष्ट किसी लेखापाल द्वारा और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, उस तारीख तक ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे। धारा 33कख का संशोधन।

40 **16.** आय-कर अधिनियम की धारा 33कखक की उपधारा (2) में, “निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ उस तारीख तक, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे। धारा 33कखक का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 जून, 2020 से,— धारा 35 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) स्पष्टीकरण में, उपखंड (iii) के पश्चात् स्पष्टीकरण में,—

45 (अ) “ऐसी संस्था को, जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है,” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “खंड (ii) या खंड (iii) या कोई कंपनी, जिसे खंड (iiक) लागू होता है,” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(आ) “खंड (ii) या खंड (iii)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कोई कंपनी,” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iv) के पश्चात् आने वाले, चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के संबंध में खंड (ii) या खंड (iii) अथवा खंड (iiक) के अधीन या कंपनी के संबंध में खंड (iiक) के अधीन उस तारीख, जिसको यह उपधारा प्रवृत्त हुई है, को या उसके पूर्व जारी प्रत्येक अधिसूचना तब तक वापस ली गई नहीं समझी जाएगी, जब तक खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी उस तारीख से, जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुआ है, तीन मास के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए सूचित नहीं कर देता है तथा ऐसी सूचना के अधीन रहते हुए, अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी :

परंतु यह भी कि खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अधिसूचना उस तारीख जिसको वित्त विधेयक, 2020 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, के पश्चात्, किसी भी एक समय, पांच निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जो अधिसूचना में विहित किया जाए”;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी, उक्त उपधारा के संबंधित खंड के अधीन कटौती का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा कंपनी,—

(i) ऐसा विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार नहीं करती है, जो विहित की जाए, और उक्त विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उनका परिदान नहीं करता है या करवाता है :

परंतु ऐसा अनुसंधान, संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी, विहित प्राधिकारी को, इस उपधारा के अधीन ऐसे प्ररूप में परिदत्त और ऐसी रीति में सत्यापित, जो विहित की जाए, विवरण में दी गई जानकारी में किसी गलती का सुधार करने या उसमें जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने संबंधी एक संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगा ; और

(ii) ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए तथा राशि की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, दाता को दान की रकम विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र नहीं भेजता है ।’

धारा 35कघ का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,—

(i) उपधारा (1) में “किसी निर्धारिती को” शब्दों के स्थान पर, “किसी निर्धारिती को, यदि वह विकल्प लेता है,” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में, “निर्धारिती को किसी पूर्ववर्ष में,” शब्दों के पश्चात्, “यदि निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा किया गया है या उसका विकल्प लिया गया है और इस धारा के अधीन उसे अनुज्ञात किया गया है तो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 35घ का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 35घ की उपधारा (4) में, “उपगत किया गया है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं प्रस्तुत नहीं करता है” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “उपगत किया गया है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं, उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं करता है” शब्द रखे जाएंगे ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 35ड की उपधारा (6) में, “उपगत हुआ है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं 5 उपवर्णित हैं, प्रस्तुत नहीं करता है” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “उपगत हुआ है, लेखे धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं करता है” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे 10 जाएंगे ।
21. आय-कर अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (5) में,—
- (क) “मान्यताप्राप्त संगम” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) स्पष्टीकरण 2 में, खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (iii) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में यथा निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है और जो इस प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित और अधिसूचित की जाएं ।” 15
22. आय-कर अधिनियम की धारा 43क की उपधारा (1) के परंतुक में, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द, 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।
- 20 23. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में,—
- (क) खंड (क) में,—
- (i) अंत में आने वाले “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “परंतु किसी व्यक्ति की दशा में, जिसका,—
- 25 (क) प्राप्त सभी रकमों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्षों के दौरान विक्रय के लिए प्राप्त रकम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, उक्त रकम के पांच प्रतिशत से अनधिक है ; और
- (ख) किए गए सभी संदायों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान नकद में उपगत व्यय की रकम, उक्त संदाय के पांच प्रतिशत से अनधिक है,
- यह खंड ऐसे प्रभावी होगा, मानो, “एक करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच करोड़ रुपए” शब्द रख दिए गए 30 थे ; या”;
- (ख) स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, “नियत तारीख” शब्दों के पश्चात् “से एक मास पहले की तारीख” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
24. आय-कर अधिनियम की धारा 44घक की उपधारा (2) में, “और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा” शब्दों के स्थान पर, “धारा 44कख 35 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले और उस तारीख तक ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
25. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (2कच) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- ‘(2कछ) किसी पृथक्कृत पोर्टफोलियो में किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जो 40 निर्धारिती द्वारा उसके सकल पोर्टफोलियो में धारित किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत के समान अनुपात में है, जैसा कि पोर्टफोलियो के पृथक्करण से ठीक पूर्व पृथक्कृत पोर्टफोलियो को अंतरित आस्ति के शुद्ध आस्ति मूल्य का वही अनुपात है जो सकल पोर्टफोलियो के शुद्ध आस्ति मूल्य का है ।
- (2कज) मुख्य पोर्टफोलियो में यूनिट धारक द्वारा धारित मूल यूनिटों के अर्जन की लागत के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें से उपधारा (2कछ) के अधीन इस प्रकार प्राप्त रकम को घटा दिया गया है ।’;
- 45 **स्पष्टीकरण**—उपधारा (2कछ) और उपधारा (2कज) के प्रयोजन के लिए “मुख्य पोर्टफोलियो”, “प्रथक्कृत पोर्टफोलियो” और “सकल पोर्टफोलियो” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन जारी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/आईएमडी/डीएफ2/सीआईआर/पी/2018/160, तारीख 28 दिसंबर, 2018 में उनका है ।’।

धारा 35ड का संशोधन ।

धारा 43 का संशोधन ।

धारा 43क का संशोधन ।

धारा 44कख का संशोधन ।

धारा 44घक का संशोधन ।

धारा 49 का संशोधन ।

- धारा 50ख का संशोधन । **26.** आय-कर अधिनियम की धारा 50ख की उपधारा (3) में, “आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 44कघ में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- धारा 50ग का संशोधन । **27.** आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक में, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे। 5
- धारा 55 का संशोधन । **28.** आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- ‘परंतु उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, उक्त उपखंडों के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य, 1 अप्रैल, 2001 को स्टॉप शुल्क मूल्य से वहां अधिक नहीं होगा, जहां कहीं ऐसा स्टॉप शुल्क मूल्य उपलब्ध है। 10
- स्पष्टीकरण**—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए “स्टॉप शुल्क मूल्य” से किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है।’
- धारा 56 का संशोधन । **29.** आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—
- (क) 1 जून, 2020 से,— 15
- (i) खंड (v) के परंतुक के खंड (छ) में, “धारा 12कक” शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 12कक या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (vi) के परंतुक के खंड (छ) में, “धारा 12कक” शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 12कक या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (iii) खंड (vii) के दूसरे परंतुक के खंड (छ) में, “धारा 12कक” शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 20 12कक या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ख) खंड (x) में,—
- (i) उपखंड (ख) की मद (आ) की उपमद (ii) में, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द, 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ;
- (ii) परंतुक के खंड (vii) में, “धारा 12क या धारा 12कक” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 12क 25 या धारा 12कक या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे।
- धारा 57 का संशोधन । **30.** आय-कर अधिनियम की धारा 57 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—
- (क) खंड (i) में, “धारा 115ण में निदिष्ट लाभांशों से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर “लाभांश” शब्द रखा जाएगा ;
- (ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 30
- “परंतु किसी पूर्ववर्ष में ब्याज व्यय के मद्दे कटौती से भिन्न, लाभांश आय या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित किसी विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में आय, और इस धारा के अधीन, ऐसी कटौती के बिना, उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित लाभांश, आय या ऐसी यूनिटों के संबंध में आय की बीस प्रतिशत से अधिक कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।” 35
- धारा 72कक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन **31.** आय-कर अधिनियम की धारा 72कक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
- ‘72कक. जब,—
- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी एक या अधिक बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ समामेलन हुआ है ; या 1949 का 10
- (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों का किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ समामेलन हुआ है ; या 1970 का 5 1980 का 40

1972 का 57

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियों का किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ समामेलन हुआ है,

तब धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या नए बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम को प्रवर्तन में लाया गया था, यथास्थिति, ऐसी बैंककारी संस्था या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी का मोक या अवक्षयण समझा जाएगा और हानि तथा अवक्षयण के लिए मोक को अग्रणीत किए जाने और मुजरा के संबंध में अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

10 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “संचयित हानि” से समामेलित बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन उतनी हानि (जो किसी सट्टा कारबार में हुई कोई हानि नहीं है) अभिप्रेत है, जितनी के लिए ऐसी समामेलित बैंककारी कंपनी या कंपनियां या समामेलित तत्स्थानी नया बैंक या नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियां धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रणीत और मुजरा किए जाने के लिए हकदार होती, यदि समामेलन नहीं हुआ होता ;

1949 का 10

(ii) “बैंककारी कंपनी” का वही अर्थ होगा जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में है ;

1949 का 10

20 (iii) “बैंककारी संस्था” का वही अर्थ होगा जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (15) में है ;

1970 का 5

1980 का 40

(iv) “तत्स्थानी नया बैंक” का वही अर्थ होगा, जो उसका बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (घ) या बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ख) में है ;

1972 का 57

25 (v) “साधारण बीमा कारबार” का वही अर्थ होगा जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है ;

2013 का 18

1972 का 57

(vi) “सरकारी कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है, जो साधारण बीमा कारबार में लगी हुई है और जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 4 या धारा 5 या धारा 16 के प्रवर्तन द्वारा अस्तित्व में आई है ;

30 (vii) “शेष अवक्षयण” से समामेलित बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों का अवक्षयण के लिए उतना मोक अभिप्रेत है, जो अनुज्ञात होने के लिए शेष रहता है और जिसे ऐसी बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों को अनुज्ञात किया गया होता, यदि समामेलन नहीं हुआ होता।।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 80डडक की उपधारा (3) के खंड (i) में, “2020” अंकों के स्थान पर, “2021” धारा 80डडक का संशोधन ।
35 अंक 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में, 1 जून, 2020 से—

धारा 80छ का संशोधन ।

(i) उपधारा (5) में,—

(क) खंड (vi) में, “इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा तत्समय अनुमोदित है ; और” शब्दों के स्थान पर, “प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा तत्समय अनुमोदित है” शब्द रखे जाएंगे ;

40

(ख) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) संस्था या निधि ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार करती है, जो विहित की जाए और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में परिदत्त ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, परिदत्त करती है या करवाती है :

45

परंतु संस्था या निधि विहित प्राधिकारी को किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए कोई सही किया हुआ विवरण भी परिदत्त कर सकेगा या इस उपधारा के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई वर्धन, लोप कर सकेगा या सूचना को ऐसे प्ररूप में अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए ; और

(ix) संस्था या निधि दानकर्ता को ऐसी रीति में दान की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा :”

परंतु खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में,—

5

(i) जहां संस्था या निधि को खंड (vi) के अधीन (जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने के ठीक पूर्व था) इस परंतुक के प्रभावी होने की तारीख से तीन मास के भीतर, आवेदन करेगा ;

(ii) जहां संस्था या निधि का अनुमोदन किया जाता है और ऐसे अनुमोदन की अवधि अवसान होने को है, ऐसी अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व, आवेदन करेगा ;

10

(iii) जहां संस्था या निधि का अनंतिम रूप से अनुमोदन किया गया है, अनंतिम अनुमोदन की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके कार्यकलाप प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, आवेदन करेगा ;

(iv) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक मास पूर्व, जिससे उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, आवेदन करेगा :

15

परंतु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परंतुक के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर,—

(i) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(ii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया जाता है,—

20

(क) उससे ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जैसा वह निम्नलिखित के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—

(अ) ऐसी संस्था या निधि के कार्यकलापों की वास्तविकता ; और

(आ) खंड (i) से खंड (v) तक में अधिकथित सभी शर्तों का पूरा किया जाना ; और

(ख) मद (अ) के अधीन कार्यकलापों की वास्तविकता के संबंध में और उपखंड (क) की मद (आ) 25 के अधीन सभी शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आवेदन को नामंजूर करते हुए और अपने अनुमोदन को भी रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

30

(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन है, उसे निर्धारण वर्ष, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन अनुदत्त करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की प्रति संस्था या निधि को भेजेगा :

35

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि, जिसकी गणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अनुदत्त अनुमोदन किसी संस्था या निधि को लागू होगा, जहां आवेदन,—

40

(क) उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे संस्था या निधि को पूर्व में अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है ;

(ख) उन निर्धारण वर्षों, जिनके लिए ऐसी संस्था या निधि को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, में से पहले निर्धारण वर्ष के लिए पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पश्चात् निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसा अनुमोदन किया जाता है।”;

(ii) उपधारा (5घ) में, स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5 “स्पष्टीकरण 2क—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी निधि या संस्था, जिसको उपधारा (5) लागू होती है, को किए गए किसी दान के संबंध में कटौती के लिए निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में उसके दावे को उक्त दान के संबंध में संस्था या निधि द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत सूचना के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।”;

(iii) उपधारा (5घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

10 “(5ड) आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदनों को, जिन पर उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन उस तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसको यह उपधारा प्रभावी हुई है, उस तारीख को उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदन समझा जाएगा।”।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक में, 1 जून, 2020 से,—

धारा 80छछक का संशोधन।

(i) उपधारा (2क) में “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

15 (ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

20 “स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई आय की विवरणी में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के संबंध में कटौती के लिए उसके दावे को, पाने वाले द्वारा विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी धनराशि के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई गई जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा।”।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (7) में, “किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ” शब्दों के स्थान पर, “धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 80झक का संशोधन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

धारा 80झकग का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में, “सात” शब्द के स्थान पर “दस” शब्द रखा जाएगा ;

25 (ii) स्पष्टीकरण के खंड (ii) के, उपखंड (ख) में, “पच्चीस करोड़” शब्दों के स्थान पर “एक सौ करोड़” शब्द रखे जाएंगे।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में,—

धारा 80झख का संशोधन।

(क) उपधारा (7क) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

30 “(iii) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है।”;

(ख) उपधारा (7ख) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

35 “(iii) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है।”;

(ग) उपधारा (11ख) के खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

40 “(iv) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है।”;

(घ) उपधारा (11ग) के खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

45 “(iv) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है।”।

- धारा 80अखक का संशोधन । **38.** आय-कर अधिनियम की धारा 80अखक की उपधारा (2) के खंड (क) में, “2020” अंकों के स्थान पर, “2021” अंक, 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।
- धारा 80अजकक का संशोधन । **39.** आय-कर अधिनियम की धारा 80अजकक की उपधारा (2) के खंड (ग) में, “निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “निर्धारिती धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर देता है” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
- नई धारा 80ड का अंतःस्थापन। **40.** आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- कतिपय अंतःनिगम लाभांशों के संबंध में कटौती । **‘80ड. (1)** जहां किसी देशी कंपनी की सकल कुल आय में किसी पूर्ववर्ष में किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त हुई कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में और उसके अधीन रहते हुए, ऐसी अन्य देशी कंपनी से प्राप्त लाभांशों के रूप में प्राप्त उतनी आय की रकम के बराबर कर की कटौती की जाएगी, जो पहले उल्लिखित देशी कंपनी द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है ।
- (2) जहां किसी देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम के संबंध में, किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।
- स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “नियत तारीख” से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है ।’।
- धारा 90 का संशोधन । **41.** आय-कर अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख) में “इस अधिनियम के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से भी सम्मिलित है),” शब्द और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
- धारा 90क का संशोधन । **42.** आय-कर अधिनियम की धारा 90क की उपधारा (1) के खंड (ख) में “इस अधिनियम के अधीन” शब्दों के पश्चात् “कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदों के लिए उक्त करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है),” शब्द और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
- धारा 92गख का संशोधन । **43.** आय-कर अधिनियम की धारा 92गख की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, 30 अर्थात् :—
- “(1) (क) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय ; या
- (ख) धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत,
- का अवधारण, सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन किया जाएगा ।”।
- धारा 92गग का संशोधन । **44.** आय-कर अधिनियम की धारा 92गग में,— 35
- (क) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—
- “(1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित को अवधारित करते हुए, किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार कर सकेगा,—
- (क) उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत या वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसके द्वारा सन्निकट कीमत अवधारित की जानी है ; 40
- (ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी आय को अवधारित किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्भूत हुई है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सन्निकट कीमत या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को अवधारित करने की रीति में, धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या अंतरणों सहित, जिन्हें किया जाना आवश्यक या समीचीन हो, सम्मिलित हो सकेगी।

- 5 (3) धारा 92ग या धारा 92गक या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की ऐसी सन्निकट कीमत या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसी आय को, जिसके संबंध में अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा।”;

(ख) उपधारा (9क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

- 10 “(9क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के प्रथम वर्ष के पहले के चार पूर्ववर्ती से अनधिक किसी अवधि के दौरान निम्नलिखित के अवधारण के लिए उपबंध कर सकेगा,—

(क) सन्निकट कीमत या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत को अवधारित किया जाएगा ;

- 15 (ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसी आय का अवधारण किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्भूत हुई है,

और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की सन्निकट कीमत या ऐसे व्यक्ति की आय का अवधारण उक्त करार के अनुसार किया जाएगा।”।

- 20 45. आय-कर अधिनियम की धारा 92च में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 92च का संशोधन।

“(iv) “विनिर्दिष्ट तारीख” से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख से एक मास पहले की तारीख अभिप्रेत है ;”।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 94ख की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से धारा 94ख का संशोधन। अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- 25 “(1क) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उधार देने वाले, जो किसी अनिवासी का, जो बैंककारी कारबार में लगा हुआ व्यक्ति है, स्थायी स्थापन है, द्वारा जारी उधार के संबंध में संदत्त ब्याज को लागू नहीं होगी।”।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 115क में,—

धारा 115क का संशोधन।

(I) उपधारा (1) के खंड (क) में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर का, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ;

- 30 (II) उपधारा (5) में,—

(i) खंड (क) में “खंड (क)” शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “खंड (क) या खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

- 35 “(ख) अध्याय 17 के भाग ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय में से कटौती कर ली गई है और ऐसी कटौती की दर उपधारा (1) की, यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में उपबंधित दर से कम नहीं है।”।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर का, धारा 115कग का संशोधन। जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांश” शब्दों, अंकों और धारा 115कगक का संशोधन। अक्षर के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “लाभांश” शब्द 1 अप्रैल, 2021 से रखा जाएगा।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न आय” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “प्रतिभूतियों (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनियों से भिन्न) के संबंध में प्राप्त आय” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे। धारा 115कघ का संशोधन।

धारा 115खकक का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक की उपधारा (2) के खंड (i) में, “धारा 80जकक के उपबंधों से भिन्न शीर्ष “ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 80जकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर, रखे जाएंगे ।

धारा 115खकख का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख की उपधारा (2) में,—

5

(i) खंड ग के उपखंड (i) में, “धारा 80जकक के उपबंधों से भिन्न शीर्ष “ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 80जकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर, रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्प-टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10

“स्प-टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए “किसी वस्तु या चीज को विद्युत उत्पादन के कारबार में सम्मिलित किया जाएगा” में विद्युत उत्पादन का कारबार सम्मिलित होगा ।”।

नई धारा 115खकग और धारा 115खकघ का अंतःस्थापन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

व्यक्तियों और हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय पर कर ।

‘115खकग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण व-र्ष से सुसंगत किसी पूर्वव-र्ष के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो व्य-टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नीचे सारणी में दी गई दर पर संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान हो जाता है :

15

सारणी

कुल आय	दर	
2,50,000 रुपए तक	शून्य	20
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत	
5,00,001 रुपए से 7,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत	
7,50,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत	
10,00,001 रुपए से 12,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत	25
12,50,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत	
15,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत:	

परंतु जहां व्यक्ति, किसी पूर्वव-र्ष में उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान करने में असफल हो जाता है, वहां उस पूर्वव-र्ष से सुसंगत निर्धारण व-र्ष की बाबत विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उस पूर्वव-र्ष से सुसंगत निर्धारण व-र्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था :

30

परंतु यह और कि जहां उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों के समाधान में असफलता की दशा में, यह पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्षों के लिए भी अविधिमान्य हो जाएगा और उन व-र्षों के लिए अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, व्य-टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के अधीन या खंड (14) के अधीन विहित (उनसे भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं), या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 या धारा 24 के खंड (क) या धारा 24 के खंड (ख) [धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दि-ट संपत्ति की बाबत] या धारा 25क की उपधारा (2) या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गग या धारा 57 के खंड (iiक) के अधीन या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80जकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ;

35

40

(ii) किसी हानि का,—

(क) जिसे किसी पूर्वतर निर्धारण व-र्ष से अग्रनीत किया गया है या अवक्षयण का, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दि-ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ;

(ख) जो “गृह संपत्ति से आय” शी-र्ष के अधीन हुई है, आय के किसी अन्य शी-र्ष से,

45

मुजरा किए बिना, की जाएगी ;

(iii) धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके की जाएगी ; और

(iv) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित भत्ते या परिलब्धि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के लिए किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ।

- 5 (3) उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दि-ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्तवर्ती वर्ग के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग के पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा, यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 10 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग से सुसंगत पूर्ववर्ग के लिए किया गया है ।

(4) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दि-ट अंतर्रा-ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक ऐसी यूनिट को धारा 80ठक के अधीन कटौती, उक्त धारा में अंतर्वि-ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए उपलब्ध है ।

- 15 **स्प-टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “यूनिट” पद का वही अर्थ होगा, जो विशेष-आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है ।

2005 का 28

(5) इस धारा में अंतर्वि-ट कोई बात तभी लागू होगी, जब ऐसे व्यक्ति द्वारा,—

(i) जिसकी कारबार से आय है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग से सुसंगत किसी पूर्ववर्ग के लिए, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दि-ट नियत 20 तारीख को या उससे पहले विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है और एक बार प्रयोग किए जाने पर ऐसा विकल्प पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्गों को लागू होगा ;

(ii) जिसकी कारबार से कोई आय नहीं है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ग के पूर्व सुसंगत वर्ग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है :

25 परंतु खंड (i) के अधीन विकल्प, यदि किसी पूर्ववर्ग के लिए एक बार प्रयोग कर लिया गया है, तो उस वर्ग से, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, भिन्न किसी पूर्ववर्ग के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और उसके पश्चात्, वह व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए तब के सिवाय कभी पात्र नहीं होगा, जब उस व्यक्ति की कोई कारबार आय नहीं रह जाती है, उस दशा में खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा ।

30 115खकघ. (1) इस अधिनियम में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन किसी व्यक्ति की, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग के सुसंगत किसी पूर्ववर्ग के लिए कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर बाईस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान हो जाता है :

कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर ।

35 परंतु जहां व्यक्ति किसी पूर्ववर्ग में अपनी आय की संगणना करने में उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान करने में असफल हो जाता है वहां विकल्प उस पूर्ववर्ग और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्गों के सुसंगत निर्धारण वर्ग की बाबत अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उस पूर्ववर्ग और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्गों के सुसंगत निर्धारण वर्ग के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहकारी सोसाइटी की कुल आय की संगणना,—

40 (i) धारा 80अकक के उपबंधों से भिन्न धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गग या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती किए बिना ;

(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ग से अग्रणीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दि-ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ; और

45 (iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके,

की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दि-ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्तवर्ती वर्ग के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग के पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य में किया जाएगा यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग के सुसंगत पूर्ववर्ग के लिए किया गया है।

(4) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट रखता है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक उक्त धारा के अधीन कटौती उस धारा में अंतर्वि-ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन ऐसी यूनिट को उपलब्ध है।

स्प-टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “यूनिट” पद का वही अर्थ होगा, जो विशेष-आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।

(5) इस धारा की कोई बात तभी लागू होगी, जब व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग के सुसंगत किसी पूर्ववर्ग के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर लिया गया है और ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने पर पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्गों को लागू नहीं होगा।

परंतु किसी पूर्ववर्ग में एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है, तो उसे तत्पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ग में वापस नहीं लिया जा सकता।

धारा 115खखक का संशोधन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक में,—

(क) उपधारा (1) में, “निवासी है, की कुल आय में किसी देशी” शब्दों के स्थान पर, “निवासी है, की कुल आय में 31 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व किसी देशी” शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ;

(ख) स्प-टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, “धारा 12क या 12कक के अधीन” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “धारा 12क, धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन” शब्द, अक्षर और अंक 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे।

धारा 115ग का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ग) में, “धारा 115ग में निर्दिष्ट लाभों से भिन्न रूप में” शब्दों, अंकों और अक्षर का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा।

धारा 115जख का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख की उपधारा (4) में, “धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी के साथ” शब्दों, अंकों और को-ठकों के स्थान पर “धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

धारा 115जग का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 115जग में,—

(i) उपधारा (3) में, “किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा” शब्दों, अंकों और को-ठकों के स्थान पर, “धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्प-टीकरण में निर्दिष्ट किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और उस तारीख तक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा” शब्द, अंक और अक्षर, रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग या धारा 115खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।”।

धारा 115जघ का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 115जघ में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(7) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जिसने धारा 115खकग या धारा 115खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।”।

धारा 115ण का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, “1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले” शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 115द का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में, “निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को” शब्दों के पश्चात्, “31 मार्च, 2020 को या उससे पहले” अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ में, “धारा 12कक के अधीन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहाँ धारा 115नघ का कहीं वे आते हैं, “धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे। संशोधन।
62. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (3) में, “के उपखंड (क)” शब्दों, को-ठकों और अक्षर का धारा 115पक का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा। संशोधन।
- 5 63. आय-कर अधिनियम की धारा 115फब के खंड (ii) में, “उस पूर्ववर्त की आय की विवरणी के साथ” शब्दों के स्थान पर, “धारा 44कख में निर्दि-ट विनिर्दि-ट तारीख से पहले” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। संशोधन।
64. आय-कर अधिनियम की धारा 119 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 119क का अंतःस्थापन।
 “119क. बोर्ड, करदाता के किसी चार्टर को अंगीकृत और घोषित करेगा और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा, जो वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए ठीक समझे।”। करदाता का चार्टर।
- 10 65. धारा 133क की उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 133क का संशोधन।
 “परंतु—
 (क) उस दशा में जहाँ सूचना यथा विहित ऐसे प्राधिकारी से प्राप्त की गई है वहाँ, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना उपधारा (1) के अधीन सहायक निदेशक या उप निदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ;
- 15 (ख) किसी अन्य दशा में यथास्थिति, निदेशक या आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना उपधारा (1) के अधीन संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।”।
66. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्प-टीकरण 2 के खंड (क) में,— धारा 139 का संशोधन।
 (क) उपखंड (iii) में कार्यरत शब्द का लोप किया जाएगा ;
- 20 (ख) दीर्घ पंक्ति में, “30 सितंबर” शब्द और अंकों के स्थान पर, “31 अक्तूबर” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
67. आय-कर अधिनियम की धारा 140 में,— धारा 140 का संशोधन।
 (i) खंड (ग) में, “उसके किसी निदेशक द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 (ii) खंड (गघ) में, “उसके किसी भागीदार द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 25 68. आय-कर अधिनियम की धारा 140क की उपधारा (1) में,— धारा 140क का संशोधन।
 (क) खंड (iv) में अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;
 (ख) खंड (v) में, “धारा 115जघ” शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 115जघ ; और” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- 30 (ग) खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 “(vi) धारा 191 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संदेय कोई कर या ब्याज;”।
69. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,— धारा 143 का संशोधन।
 (क) उपधारा (3क) में “उपधारा (3)” शब्द, को-ठकों और अंक के पश्चात्, “या धारा 144” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- 35 (ख) उपधारा (3ख) के परंतुक में, “31 मार्च, 2020” अंकों और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 2022” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
70. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में,— धारा 144ग का संशोधन।
 (क) उपधारा (1) में “आय या हानि विवरणी में” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 (ख) उपधारा (15) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
- 40 “(ii) कोई अनिवासी, जो कोई कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है।”।
71. आय-कर अधिनियम की धारा 156 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 156 का संशोधन।

“(2) जहां निर्धारिती की 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ग की आय, जिसके अंतर्गत धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय भी है और उक्त खंड में निर्दिष्ट ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयर, ऐसे वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट एक पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांग की सूचना में सम्मिलित ऐसी आय पर कर या ब्याज —

(i) सुसंगत निर्धारण वर्ग के अंत से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात् ; या

(ii) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से ; या

(iii) निर्धारिती की उस तारीख से, जिसको वह उस नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता है, जिसने उसे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर आबंटित किए थे या अंतरित किए थे,

इनमें जो भी पूर्वतम हो, से चौदह दिन के भीतर निर्धारिती द्वारा संदेय होगा।”।

धारा 191 का संशोधन।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 191 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आय-कर का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए, यदि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ग में निर्धारिती की आय में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है और वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा उक्त खंड में निर्दिष्ट ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, तो निर्धारिती द्वारा ऐसी आय पर आय-कर —

(i) सुसंगत निर्धारण वर्ग की समाप्ति से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात् ; या

(ii) निर्धारिती द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से ; या

(iii) उस तारीख से जब निर्धारिती, ऐसे नियोजक, जिसने ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर आबंटित या अंतरित किया है, का कर्मचारी नहीं रह जाता है,

जो भी पूर्वतम हो, चौदह दिन के भीतर, संदेय होगा।”।

धारा 192 का संशोधन।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 192 में, उपधारा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1ग) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन कर की कटौती या संदाय के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ग से सुसंगत किसी पूर्ववर्ग में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की परिलब्धि के रूप में निर्धारिती को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, यथास्थिति,—

(i) सुसंगत निर्धारण वर्ग के अंत से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात् ; या

(ii) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से ; या

(iii) निर्धारिती को, उस तारीख से, जिसको वह उस व्यक्ति का कर्मचारी नहीं रह जाता है,

जो भी पूर्वतम हो, चौदह दिन के भीतर उस वित्तीय वर्ग जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर का आबंटन किया गया है या उसे अंतरित किया गया है, के लिए प्रवृत्त दरों के आधार पर, ऐसी आय पर कर की कटौती या उसका संदाय करेगा।”।

धारा 194 का संशोधन।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 194 में,—

(क) “कोई नकद संदाय करने के पूर्व या किसी लाभांश की बाबत कोई चैक काटने या अधिपत्र देने के पूर्व” शब्दों के स्थान पर, “किसी भी पद्धति द्वारा कोई संदाय करने से पूर्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “प्रवृत्त दरों” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत की दर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) पहले परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, “संदाय पाने वाले के खाते में देय चैक” शब्दों के स्थान पर, “संदाय नकद से भिन्न किसी अन्य पद्धति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, “दो हजार पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 194क में,—

धारा 194क का संशोधन ।

(I) उपधारा (1) के परंतुक में, “धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं” शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, “कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

5 (II) उपधारा (3) में,—

(अ) खंड (i) में स्प-टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (xi) के पश्चात् तथा स्प-टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10 “परंतु खंड (v) या खंड (vii) में निर्दि-ट सहकारी सोसाइटी, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आय-कर की कटौती की दायी होगी, यदि,—

(क) उस वित्तीय वर्ग के ठीक पहले के वित्तीय वर्ग के दौरान, जिसमें उपधारा (1) में निर्दि-ट ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, सहकारी सोसाइटी का कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास करोड़ रुपए से अधिक है ; और

15 (ख) वित्तीय वर्ग के दौरान जमा किया गया या ऐसे ब्याज की कुल संदत्त, जमा या संदाय के लिए संभाव्य ब्याज की रकम पाने वाले के वरि-ठ नागरिक होने की दशा में पचास हजार रुपए तथा किसी अन्य दशा में चालीस हजार रुपए से अधिक है ।”;

(इ) स्प-टीकरण (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्प-टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्प-टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “वरि-ठ नागरिक” से भारत में निवासी व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सुसंगत पूर्ववर्ग के दौरान किसी भी समय साठ वर्ग या अधिक आयु का है ।।

20 76. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग के स्प-टीकरण में,—

धारा 194ग का संशोधन ।

(I) खंड (i) के उपखंड (ठ) की मद (आ) में, “धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए दायी है” शब्दों, को-ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “उसके द्वारा चलाए गए कारबार या वृत्ति से उसका कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से अधिक है या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक है”, शब्द रखे जाएंगे ;

25 (II) खंड (iv) में,—

(i) उपखंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

30 “(ड) किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक या उसके सहयुक्त, जो ऐसे ग्राहक के संबंध में वैसे ही रखा गया व्यक्ति है, जैसे धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्वि-ट उपबंधों के अधीन निर्धारिती के संबंध में रखा गया व्यक्ति है, से क्रय किए गए माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना ;” ;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, “ऐसे ग्राहक” शब्दों के पश्चात्, “या ऐसे ग्राहक के सहयुक्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

35 77. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के दूसरे परंतुक में, “धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं” शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, “कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ज का संशोधन ।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के दूसरे परंतुक में, “धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं” शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, “कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194झ का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) में,—

40 (क) दीर्घ पंक्ति में, “ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समावि-ट राशि पर” शब्दों के स्थान पर, “तकनीकी सेवाओं, जो कोई वृत्तिक सेवा नहीं हैं, के लिए फीस की दशा में, ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर रकम की तथा अन्य दशाओं में ऐसी राशि के दस प्रतिशत की, उसमें समावि-ट राशि पर” शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 194ञ का संशोधन ।

45 (ख) दूसरे परंतुक में, “धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं” शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, “कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 194ट
का अंतःस्थापन।

यूनिटों के संबंध
में आय।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘194ट. कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को,—

(क) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दि-ट परस्पर निधि की यूनिटों ; या

(ख) विनिर्दि-ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों ; या

(ग) विनिर्दि-ट कंपनी से यूनिटों,

5

के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, किसी ढंग द्वारा उसका संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा:

परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी राशियों की कुल रकम, जो पाने वाले के खाते में या पाने वाले को, उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जमा की जानी या संदत्त की जानी संभाव्य है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है।

10

स्प-टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(क) “प्रशासक” से ऐसा प्रशासक अभिप्रेत है जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दि-ट है ;

2002 का 58

(ख) “विनिर्दि-ट कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दि-ट है ;

15

2002 का 58

(ग) “विनिर्दि-ट उपक्रम” का वही अर्थ होगा जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (झ) में उसका है।

2002 का 58

स्प-टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्प-ट किया जाता है कि जहां इस धारा में निर्दि-ट ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह “उचंत खाते” के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना पाने वाले के खाते में ऐसा जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।’।

20

धारा 194उखक
का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 194उखक में,—

(क) “के उपखंड (क)” शब्दों, को-ठकों और अक्षर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, “उस पर पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “उस पर उपखंड (क) में निर्दि-ट प्रकृति की आय की दशा में पांच प्रतिशत और उपखंड (ख) में निर्दि-ट प्रकृति की आय की दशा में दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

25

धारा 194उग का
संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 194उग में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु उपधारा (2) के खंड (iख) में निर्दि-ट ब्याज के रूप में आय की दशा में, आय-कर की कटौती चार प्रतिशत की दर से की जाएगी।”;

(ii) उपधारा (2) में,—

30

(क) खंड (i) के उपखंड (क) और उपखंड (ग) में, “2020” अंकों के स्थान पर, “2023” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iक) में, “2020 और” अंकों और शब्द के स्थान पर, “2023 या” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iख) भारत से बाहर किसी स्रोत से 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2023 के पूर्व किसी दीर्घकालिक बंधपत्र या रुपए में अंकित बंधपत्र, जो केवल किसी अंतर्रा-द्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, के निर्गमन द्वारा उसके द्वारा उधार ली गई धनराशियों की बाबत, और”;

35

(iii) स्प-टीकरण में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(ग) “अंतर्रा-द्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” का वही अर्थ होगा, जो विशेष-आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है ;

40

2005 का 28

(घ) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही अर्थ होगा, जो धारा 43 के खंड (5) के स्प-टीकरण 1 के खंड (ii) में उसका है।’।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ में,—

धारा 194ठघ का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज द्वारा आय,—

(क) 1 जून, 2013 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2023 के पहले पाने वाले द्वारा—

5

(i) किसी भारतीय कंपनी के रूप में अंकित मूल्य के बंधपत्र ; या

(ii) सरकारी प्रतिभूति में,

किए गए विनिधान के संबंध में संदेय ब्याज होगा ;

(ख) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2023 के पहले पाने वाले द्वारा किसी नगरपालिक ऋण प्रतिभूतियों में किए गए विनिधान के संबंध में संदेय ब्याज :

10

परंतु खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट बंधपत्र के संबंध में ब्याज की दर, ऐसी दर से अधिक नहीं होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।”;

(ii) स्प-टीकरण में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(खक) “नगरपालिक ऋण प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा, जो उसका भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (नगरपालिकाओं ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2019 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ड) में है;’।

1992 का 15

15

84. आय-कर अधिनियम की धारा 194ढ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 194ण का अंतःस्थापन ।

‘194ण. (1) इस अध्याय के भाग ख में अंतर्वि-ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां मालों का विक्रय या किसी ई-वाणिज्य सहभागी द्वारा सेवाओं की पूर्ति को किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपने डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफार्म (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के द्वारा सुकर बनाया जाता है, तो ऐसा प्रचालक किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में विक्रय या सेवाओं या दोनों की रकम को जमा करते समय किसी अन्य ढंग से ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी को उसके संदाय के समय, जो भी पहले हो, ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम के एक प्रतिशत की दर पर आय-कर की कटौती करेगा ।

20

ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों का संदाय ।

स्प-टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा सुकर बनाए गए मालों के विक्रय या सेवाओं की पूर्ति या दोनों के लिए सीधे किसी ई-वाणिज्य सहभागी को माल के क्रेता या सेवा के प्राप्तिकर्ता द्वारा किया गया कोई संदाय, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी को जमा या संदत्त की गई रकम समझी जाएगी और इस उपधारा के अधीन आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ऐसे विक्रय या सेवाओं की कुल रकम में सम्मिलित की जाएगी ।

25

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती ऐसे किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में, जो व्य-टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पूर्ववर्न के दौरान जमा या संदत्त की गई अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य किसी राशि से नहीं की जाएगी, जहां पूर्ववर्न के दौरान ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम पांच लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी ने ई-वाणिज्य प्रचालक को स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक प्रस्तुत कर दिया है ।

30

(3) इस अध्याय के भाग ख में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई संव्यवहार जिसके संबंध में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती कर ली गई है, या जो उपधारा (2) के अधीन कटौती के लिए दायी नहीं है, इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का दायी नहीं होगा :

35

परंतु इस उपधारा का उपबंध किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा विज्ञापन देने के लिए या ऐसी किन्हीं अन्य सेवाओं की पूर्ति के लिए, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं के विक्रय से संबंधित नहीं है, प्राप्त या प्राप्य किसी रकम या रकमों के योग को लागू नहीं होगा ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

40

(क) “इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य” से मालों या सेवाओं अथवा दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद भी हैं ;

(ख) “ई-वाणिज्य प्रचालक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक सुविधा अथवा प्लेटफार्म का स्वामी है, प्रचालन करता है या प्रबंध करता है और ई-वाणिज्य सहभागी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है ;

45

(ग) “ई-वाणिज्य सहभागी” से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो माल का विक्रय करता है या सेवाओं की पूर्ति करता है अथवा दोनों करता है, और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी हैं ;

(घ) “सेवा” के अंतर्गत धारा 194ज के स्प-टीकरण में यथापरिभाषित ‘तकनीकी सेवाओं’ के लिए फीस तथा वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस है ।’।

- धारा 195 का संशोधन । **85.** आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।
- धारा 196क का संशोधन । **86.** आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) में,—
 (क) “भारतीय यूनिट ट्रस्ट के” शब्दों के स्थान पर, “धारा 10 के खंड (35) के स्प-टीकरण में परिभाषित विनिर्दि-ट कंपनी से” शब्द, अंक और को-ठक रखे जाएंगे ; 5
 (ख) “नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से” शब्दों के स्थान पर, “किसी अन्य ढंग से” शब्द रखे जाएंगे ;
 (ग) परंतुक का लोप किया जाएगा ।
- धारा 196ग का संशोधन । **87.** आय-कर अधिनियम की धारा 196ग में,— 10
 (क) “नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से” शब्दों के स्थान पर, “किसी अन्य ढंग से” शब्द रखे जाएंगे ;
 (ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।
- धारा 196घ का संशोधन । **88.** आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में,— 15
 (क) “नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से” शब्दों के स्थान पर, “किसी अन्य ढंग से” शब्द रखे जाएंगे ;
 (ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।
- धारा 197 का संशोधन । **89.** आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, “194ड” अंकों और अक्षर के स्थान पर “,194ड, 194ण” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
- धारा 203कक का लोप । **90.** आय-कर अधिनियम की धारा 203कक का 1 जून, 2020 से लोप किया जाएगा । 20
- धारा 204 का संशोधन । **91.** आय-कर अधिनियम की धारा 204 के खंड (iv) के पश्चात् और स्प-टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 25
 “(v) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या भारत में ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना गया कोई व्यक्ति भी है ।”।
- धारा 206कक का संशोधन । **92.** आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 30
 “परंतु जहां धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा है, वहां खंड (iii) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पांच प्रतिशत” शब्द रखे गए हों ।”।
- धारा 206ग का संशोधन । **93.** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,— 35
 (I) उपधारा (1च) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 ‘(1छ) प्रत्येक व्यक्ति,—
 (क) जो कोई ऐसा प्राधिकृत व्योहारी है, जो किसी वित्तीय वर्ग में किसी ऐसे क्रेता से, जो भारत के बाहर ऐसी रकम प्रेषित करने वाला व्यक्ति है, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अधीन भारत के बाहर प्रेषण के लिए सात लाख रुपए या उससे अधिक रकम या रकमों का योग प्राप्त करता है ;
 (ख) जो विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का ऐसा विक्रेता है, जो ऐसे क्रेता से, जो ऐसा पैकेज क्रय करने वाला व्यक्ति है, कोई रकम प्राप्त करता है,
 किसी भी ढंग से क्रेता द्वारा संदेय रकम विकलित करते समय या उक्त क्रेता से ऐसी रकम प्राप्त करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर है, क्रेता से आय-कर के रूप में ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम संगृहीत करेगा :
 परंतु इस उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता,— 40
 (i) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का उत्तरदायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है ;

(ii) केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राज दूतावास, कोई उच्चायोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल कार्यालय, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (20) के स्प-टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति है, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दि-ट की जाएं, विनिर्दि-ट करे।

5 **स्प-टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “प्राधिकृत व्यौहारी” से विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में व्यौहार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

10 (ii) “विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज” से ऐसा कोई भी भ्रमण पैकेज अभिप्रेत है, जो भारत के बाहर किसी देश या देशों या राज्यक्षेत्र या राज्यक्षेत्रों में दौरा करने का प्रस्ताव करता है और इसके अंतर्गत यात्रा या होटल में ठहरने या बोर्डिंग या आवास का व्यय या उसके संबंध में उसी प्रकार का कोई अन्य व्यय भी है।

15 (1ज) प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, जो किसी पूर्वव-र्त में, उपधारा (1), उपधारा (1च) या उपधारा (1छ) के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न, किसी ऐसे माल के, जिसका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपए से अधिक के या कुल मूल्य के विक्रय के प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, क्रेता से आय-कर के रूप में पचास लाख रुपए से अधिक के विक्रय प्रतिफल की 0.1 प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा :

20 परंतु यदि क्रेता ने विक्रेता को स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक नहीं दिया है, तो धारा 206गग की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंध इस प्रकार पढ़े जाएंगे, मानो “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “एक प्रतिशत” शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता, अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कटौती का दायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

25 (क) “क्रेता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी माल का क्रय करता है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं,—

(अ) केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, किसी विदेशी राज्य का कोई राज दूतावास, उच्चायोग, दूतावास, आयोग, कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधि ; या

(आ) धारा 10 के खंड (20) के स्प-टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या

30 (इ) कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार, इस प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दि-ट की जाएं ;

(ख) “विक्रेता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका उसके द्वारा किए गए कारबार से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या व्यापार आवर्त, उस वित्तीय वर्-र्त के, जिसमें माल का विक्रय किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्-र्त के दौरान दस करोड़ रुपए से अधिक है, जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार, इस प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, उसमें विनिर्दि-ट की जाए, विनिर्दि-ट करें ;

35 (II) उपधारा (2) में, “उपधारा (1) या उपधारा (1ग)” शब्दों, को-ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस धारा” शब्द रखे जाएंगे ;

(III) उपधारा (3) में, “उपधारा (1) या उपधारा (1ग)” शब्दों, को-ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस धारा” शब्द रखे जाएंगे ;

40 (IV) उपधारा (6क) के पहले परंतुक में, “इस धारा के उपबंधों के अनुसार” शब्दों के स्थान पर, “उपधारा (1) और उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसार” शब्द, को-ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(V) स्प-टीकरण के खंड (ग) में,—

(i) “विक्रेता” शब्द के स्थान पर, “उपधारा (1) और उपधारा (1च) के संबंध में विक्रेता” शब्द, को-ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

45 (ii) “धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमा” शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, “कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

94. आय-कर अधिनियम की धारा 234च के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 234छ अर्थात् :— का अंतःस्थापन।

विवरण या
प्रमाणपत्र से
संबंधित व्यतिक्रम
के लिए फीस ।

“234छ. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां,—

(क) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी, उस धारा की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या

5

(ख) संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उक्त उपधारा के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है, तो वह फीस के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि का संदाय करने का/की दायी होगा/होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम,—

10

(क) उस रकम से अधिक नहीं होगी, जिसकी बाबत उसमें निर्दिष्ट असफलता हुई है ;

(ख) उपधारा (1) में उल्लिखित विवरण के परिदत्त किए जाने या कराए जाने से पहले या निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से पहले संदत्त की जाएगी ।”।

धारा 250 का
संशोधन ।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 250 में, उपधारा (6क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

15

“(6ख) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त अपील द्वारा अपील के निपटारे के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) अपीलीय कार्यवाहियों के अनुक्रम में आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक अंतरापृ-ठ को समाप्त करके ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं तथा कार्यात्मक विशि-टता के माध्यम से संसाधनों का ई-टतम उपयोग करके;

20

(ग) परिवर्तनशील अधिकारिता वाली अपीलीय प्रणाली का शुभारंभ करके, जिसमें, अपील का निपटारा एक या अधिक आयुक्त (अपील) द्वारा किया जाएगा,

बृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके ।

(6ग) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (6ख) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

25

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(6घ) उपधारा (6ख) और उपधारा (6ग) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

30

धारा 253 का
संशोधन ।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, “धारा 12कक के अधीन” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन” शब्द, अक्षर और अंक, 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 254 का
संशोधन ।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) में,—

(क) पहले परंतुक में “ऐसे आदेश की तारीख से” शब्दों के पश्चात्, “इस शर्त के अधीन रहते हुए कि निर्धारित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति या किसी अन्य राशि की कम से कम बीस प्रतिशत जमा करता है या उसके संबंध में उसके समान रकम की प्रतिभूति देता है” अंतःस्थापित किया जाएगा ;

35

(ख) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि अपील अधिकरण द्वारा रोक का विस्तार तब तक वहां मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां ऐसी अपील का निपटारा, रोक आदेश में यथाविनिर्दिष्ट रोक की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, जब तक निर्धारित कोई आवेदन नहीं करता है और उसने पहले परंतुक में निर्दिष्ट शर्त का अनुपालन न कर दिया हो और अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारित के कारण हुआ नहीं माना जा सकता, किन्तु रोक की आरंभिक रूप से अनुज्ञात कुल अवधि और इस प्रकार विस्तारित रोक की अवधि तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगी और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।”।

40

नई धारा
271ककघ का
अंतःस्थापन ।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

45

“271ककघ. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाए रखी गई लेखा बहियों में :-

लेखा बहियों में मिथ्या प्रवि-टि आदि के लिए शास्ति ।

(i) कोई मिथ्या प्रवि-टि है, या

5 (ii) किसी प्रवि-टि का, जो ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना के लिए सुसंगत है कर दायित्व के अपबंचन हेतु लोप किया गया है,

वहां निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में, ऐसी मिथ्या प्रवि-टि या लोप की गई प्रवि-टि की सकल रकम के बराबर धनराशि का संदाय करेगा ;

10 (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कोई अन्य व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) में निर्दि-ट व्यक्ति से किसी रीति में कोई मिथ्या प्रवि-टि करवाई है या लोप करवाया है या उस उपधारा (1) में निर्दि-ट किसी प्रवि-टि का लोप किया है, भी शास्ति के माध्यम से ऐसी धनराशि का संदाय करेगा, जो ऐसी मिथ्या और लोप की गई प्रवि-टि की समग्र रकम के समतुल्य है ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मिथ्या प्रवि-टि में निम्नलिखित का उपयोग करने या उपयोग करने का आशय सम्मिलित है—

15 (क) कूटरचित या मिथ्याकृत दस्तावेज, जैसे कोई मिथ्या बीजक या साधारणतया मिथ्या दस्तावेजी साक्ष्य ; या

(ख) व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक पूर्ति किए बिना माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में या ऐसे माल की प्राप्ति के लिए जारी बीजक ; या

(ग) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, जो विद्यमान नहीं है, से प्राप्त बीजक ।”।

20 **99.** आय-कर अधिनियम की धारा 271ज के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 271ट का अंतःस्थापन।

“271ट. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि शास्ति के रूप में ऐसी राशि, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, निम्नलिखित द्वारा संदत्त की जाएगी—

विवरण, आदि दिए जाने में असफलता के लिए शास्ति ।

25 (i) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दि-ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (ii)क में निर्दि-ट कंपनी द्वारा, यदि वह इस धारा की उपधारा (1)क के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या

30 (ii) संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उक्त उपधारा के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है ।”।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, धारा 274 का संशोधन ।

“**(2क)** केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके—

35 (क) तकनीकी रूप से संभाव्यता की सीमा तक कार्यवाहियों के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच अंतरापृ-ठ को दूर करके ;

(ख) माप और क्रियात्मक विशेषीकरण की अर्थ नीति के माध्यम से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके ;

(ग) परिवर्तनशील अधिकारिता सहित शास्ति अधिरोपित करने के लिए तंत्र आरंभ करके जिसमें एक या अधिक आय-कर प्राधिकारियों द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

40 (2ख) केंद्रीय सरकार उपधारा (2क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित इस अधिनियम का अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधी कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दि-ट किए जाएं :

परंतु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

45 (2ग) उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।”।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 285खख का अंतःस्थापन ।

50 ‘285खख. विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में एक विवरणी ऐसे प्ररूप और रीति में अपलोड करेगा और ऐसी सूचना, जो आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में है, ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाए, घो-ित करेगा ।

वार्निक सूचना विवरणी ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रजिस्ट्रीकृत लेखा” से अभिहित पोर्टल में, अर्थात् जो विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उस रूप में अभिहित वेब पोर्टल है, निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग लेखा अभिप्रेत है।’।

धारा 288 का संशोधन।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5

“(viii) कोई अन्य व्यक्ति, जो विहित किया जाए।”।

धारा 295 का संशोधन।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (ख) में,—

(क) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) किसी अनिवासी द्वारा भारत में की जा रही संक्रियाओं की दशा में ;”;

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) किसी अनिवासी के संव्यवहारों या क्रियाकलापों की दशा में ;”।

पहली अनुसूची का संशोधन।

104. आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची में, नियम 5 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु निर्धारिती द्वारा धारा 43ख के अधीन संदेय कोई राशि, जिसे इस नियम के खंड (क) के अनुसार वापस जोड़ा गया है, उस पूर्ववर्त में, जिसमें ऐसी राशि वास्तव में संदत्त की गई है, इस नियम के अधीन आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।”।

15

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

20

धारा 11 का संशोधन।

105. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (च) में, “सोना या चांदी” शब्दों के स्थान पर, “सोना, चांदी या कोई अन्य माल” शब्द रखे जाएंगे।

1962 का 52

धारा 28 का संशोधन।

106. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्प-टीकरण 4 के स्थान पर निम्नलिखित स्प-टीकरण रखा जाएगा और 29 मार्च, 2018 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“**स्प-टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे मामलों में, जहां अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए सूचना, 29 मार्च, 2018 के पहले, जो वित्त अधिनियम, 2018 के प्रारम्भ की तारीख है, जारी की गई है, वहां ऐसी सूचना धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होती रहेगी जैसे वह उस तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान थी।”।

25

2018 का 13

30

धारा 28ककक का संशोधन।

107. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ककक की उपधारा (1) में,—

(क) “विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के” शब्दों के स्थान पर, “विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या केंद्रीय सरकार की किसी स्कीम के” शब्द रखे जाएंगे ;

1992 का 22

(ख) “नियमों” शब्द के पश्चात् “या विनियमों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

35

(ग) स्प-टीकरण 1 में, “के संबंध में” शब्दों के स्थान पर “या धारा 51ख के अधीन जारी प्रत्यक्ष शुल्क के संबंध में” शब्द रखे जाएंगे।

नए अध्याय 5कक का अंतःस्थापन।

108. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 5क के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘अध्याय 5कक

व्यापार करार के अधीन उद्भव नियम का प्रशासन

40

शुल्क की अधिमानी दर के दावे के संबंध में प्रक्रिया।

28घक. (1) किसी व्यापार करार के निबंधनानुसार शुल्क की अधिमानी दर का दावा करने वाला कोई आयातकर्ता,—

(i) ऐसी घोषणा करेगा कि ऐसे करार के अधीन शुल्क की अधिमानी दर के लिए माल उद्भूत होने वाले माल के रूप में अर्हित करते हैं ;

(ii) ऐसी पर्याप्त जानकारी रखेगा, जिसका संबंध ऐसी रीति से है, जिसमें व्यापार करार में उद्भव नियमों में यथा विनिर्दिष्ट उद्भव देश का मानदंड, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय मूल्य अंतर्वस्तु और उत्पाद विनिर्दिष्ट मानदंड भी है, पूरा किया जाता है ;

45

(iii) ऐसी जानकारी, जो नियमों द्वारा उपबंधित रीति में प्रस्तुत करेगा ;

(iv) दी गई जानकारी की यथार्थता और सत्यता के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा ।

(2) यह तथ्य कि आयातकर्ता ने निर्गमन प्राधिकारी द्वारा जारी उद्भव प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है, युक्तियुक्त सावधानी बरतने के दायित्व से आयातकर्ता को उन्मुक्त नहीं करेगा ।

5 (3) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उद्भव देश द्वारा मानदंड को पूरा नहीं किया गया है, वहां वह आयातकर्ता से, ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए व्यापार करार से संगत अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) जहां आयातकर्ता किसी कारण से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने में असफल रहता है वहां उचित अधिकारी,—

(i) ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए व्यापार करार से संगत और सत्यापन करा सकेगा ;

10 (ii) सत्यापन लंबित रहने तक ऐसे माल के लिए अस्थायी रूप से अधिमानी टैरिफ उपचार को निलंबित कर सकेगा :

परंतु आयातकर्ता द्वारा दी गई जानकारी या उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर या आयातकर्ता द्वारा शुल्क की अधिमानी दर के लिए उसके दावे के त्याग पर, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, अतिरिक्त सत्यापन के बिना, शुल्क की अधिमानी दर के लिए दावे को अननुज्ञात कर सकेगा ।

15 (5) जहां शुल्क की अधिमानी दर उपधारा (4) के अधीन निलंबित कर दी जाती है, वहां उचित अधिकारी, आयातकर्ता के अनुरोध पर, धारा 18 के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क और दावाकृत अधिमानी शुल्क के बीच के अंतर के बराबर, आयातकर्ता द्वारा प्रतिभूति रकम प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए माल निर्मुक्त कर सकेगा :

परंतु सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त प्रतिभूति के स्थान पर आयातकर्ता से धारा 51क के अधीन अनुरक्षित खाते में अंतरीय शुल्क की रकम जमा करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

20 (6) उचित अधिकारी, अधिमानी टैरिफ उपचार के अस्थायी निलंबन पर अधिमानी टैरिफ उपचार के निलंबन के कारणों के बारे में निर्गमन प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी विनिर्दिष्ट जानकारी, जो माल के उद्भव को अवधारित करने के लिए आवश्यक हो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, मांगेगा ।

(7) जहां तत्पश्चात्, यथास्थिति, निर्गमन प्राधिकारी या निर्यातकर्ता या उत्पादक विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करता है, वहां उचित अधिकारी, दी गई जानकारी से संतुष्ट हो जाने पर, अधिमानी टैरिफ उपचार प्रत्यावर्तित कर सकेगा ।

25 (8) जहां, यथास्थिति, निर्गमन प्राधिकारी या निर्यातकर्ता या उत्पादक विनिर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है या उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी समाधानप्रद नहीं पायी जाती है, वहां उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, अधिमानी टैरिफ उपचार अननुज्ञात करेगा :

परंतु अपूर्ण या गैर-विनिर्दिष्ट जानकारी की प्राप्ति की दशा में, उचित अधिकारी, निर्गमन प्राधिकारी को ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा दी गई जानकारी में विनिर्दिष्ट रूप से कमी का उल्लेख करते हुए एक अन्य अनुरोध भेज सकेगा ।

30 (9) जब तक किसी व्यापार करार में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सत्यापन के लिए किया गया कोई अनुरोध आयातकर्ता द्वारा शुल्क की अधिमानी दर के दावे की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर भेजा जाएगा ।

(10) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, अधिमानी टैरिफ उपचार का निम्नलिखित परिस्थितियों में सत्यापन के बिना इनकार किया जा सकेगा, अर्थात् :—

35 (i) टैरिफ मद जो अधिमानी टैरिफ उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है ;

(ii) उद्भव प्रमाणपत्र में माल का पूर्ण वर्णन अंतर्वि-ट नहीं है ;

(iii) उद्भव प्रमाणपत्र में कोई परिवर्तन निर्गमन प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया है ;

(iv) उद्भव प्रमाणपत्र उसकी समाप्ति की अवधि के पश्चात् पेश किया जाता है,

40 और उद्भव प्रमाणपत्र को सभी मामलों में “लागू नहीं होता” के रूप में चिह्नित किया जाएगा ।

(11) जहां इस धारा के अधीन सत्यापन से उद्भव देश के साथ आयातित माल का अननुपालन साबित हो जाता है, वहां उचित अधिकारी, उसी उत्पादक या निर्यातकर्ता से समरूप माल के आयातों के लिए अधिमानी टैरिफ उपचार को तब तक स्वीकार नहीं कर सकेगा, जब तक यह दर्शाने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है कि समरूप माल उद्भव देश के मानदंड को पूरा करता है ।

स्प-टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “उद्भव प्रमाणपत्र” से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो यह प्रमाणित करते हुए व्यापार करार के अनुसार जारी किया गया है कि माल उक्त करार में विनिर्दि-ट मानदंड और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(ख) “समरूप माल” से ऐसा माल अभिप्रेत है जो सभी प्रकार से व्यापार करार के अधीन उद्भव देश के मानदंड के प्रतिनिर्देश से एक समान है ;

(ग) “निर्गमन प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी व्यापार करार के अधीन उद्भव प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए अभिहित किया गया है ;

(घ) “व्यापार करार” से भारत सरकार और किसी विदेशी या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या आर्थिक संघ की सरकार के बीच माल के संबंध में व्यापार के लिए कोई करार अभिप्रेत है ।’

अध्याय 7क के शीर्ष का संशोधन ।

109. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 7क के शीर्षक में, “खाता” शब्द के पश्चात् “और इलैक्ट्रॉनिक शुल्क जमा खाता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 51ख का अंतःस्थापन ।

110. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जमा शुल्क के लिए खाता।

“51ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति विनिर्दि-ट कर सकेगी, जिसमें,—

(क) माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी सामग्री पर या ऐसे मालों के प्रचालन के कार्यान्वयन के लिए, जिनका निर्यात किया जाता है, प्रभार्य किसी शुल्क या कर या उद्ग्रहण के परिहार के बदले में ;

(ख) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दि-ट की जाएं, ऐसे अन्य वित्तीय फायदों के बदले में, वह शुल्क प्रत्यय जारी करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी शुल्क प्रत्यय उस व्यक्ति के, जो ऐसे शुल्क प्रत्यय का प्राप्तकर्ता है, इलैक्ट्रॉनिक शुल्क जमा खाते के रूप में सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अनुरक्षित किया जाएगा ।

(3) इलैक्ट्रॉनिक शुल्क जमा खाते में उपलब्ध जमा शुल्क, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन संदेय शुल्कों का संदाय करने के मद्दे उस व्यक्ति द्वारा जिसको इसे जारी किया जाता है या उस व्यक्ति द्वारा जिसको इसे अंतरित किया जाता है, उपयोग किया जा सकेगा ।”।

धारा 111 का संशोधन ।

111. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 111 में, खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(थ) शुल्क की अधिमानी दर के दावे पर आयातित कोई ऐसा माल, जो अध्याय 5कक या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है ।”।

धारा 156 का संशोधन ।

112. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(झ) अध्याय 5कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समय सीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निबंधन और ऐसे अन्य वि-य ।”।

धारा 157 का संशोधन ।

113. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जक) इलैक्ट्रॉनिक शुल्क जमा खाते के अनुक्षण, ऐसे खाते से संदाय करने, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा शुल्क के अंतरण की रीति तथा उससे संबंधित शर्तें, निबंधन और समय-सीमा ;”।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 8ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

114. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार को रक्षोपाय लागू करने की शक्ति ।

‘8ख. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी बड़ी हुई मात्रा में और ऐसी दशाओं में आयात किया जाता है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो सकती है या कारित होने की आशंका है, वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस वस्तु पर ऐसे रक्षोपाय लागू कर सकेगी, जो वह उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट रक्षोपाय के अंतर्गत, रक्षोपाय शुल्क टैरिफ-दर कोटा को लागू करना या ऐसे अन्य उपाय जो केन्द्रीय सरकार घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित होने से निवारित करने के लिए किसी वस्तु की बड़ी हुई मात्राओं के आयात को रोकने के लिए उचित समझे :

5

10

15

20

1975 का 51

25

30

35

1975 का 51

40

45

परंतु ऐसा कोई उपाय किसी विकासशील देश में उत्पन्न होने वाली किसी वस्तु पर तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि उस देश से उस वस्तु के आयातों का, शेष तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है या जहां वस्तु एक से अधिक विकासशील देश में उत्पन्न होती है, वहां जब तक कि एक साथ मिलाकर ऐसे विकासशील देशों, जिनमें प्रत्येक का आयात अंश तीन प्रतिशत से कम है, से आयातों का योग भारत में उस वस्तु के कुल आयातों के नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होता है :

5 परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वस्तु की ऐसी मात्रा को, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी देश या राज्यक्षेत्र से भारत में आयात किए जाने के समय, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण रक्षोपाय शुल्क या उसके किसी भाग के संदाय से छूट दे सकेगी ।

10 (3) जहां टैरिफ दर कोटा को रक्षोपाय के रूप में उपयोग किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार पिछले तीन प्रतिनिधित्व वर्षों में, जिसके लिए सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध हैं, आयातों के औसत स्तर से कम ऐसा कोटा नियत नहीं करेगी, यदि गंभीर क्षति को निवारित करने या उसका उपचार करने के लिए भिन्न स्तर आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(4) केन्द्रीय सरकार, संबंधित वस्तु के प्रदाय में सारवान् हित रखने वाले प्रदायकर्ता देशों को ऐसे टैरिफ दर कोटे का आबंटन ऐसी रीति में कर सकेगी, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

15 (5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अवधारण लंबित रहने तक, इस प्रारंभिक अवधारण के आधार पर कि बड़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है या कारित होने की आशंका है, इस उपधारा के अधीन अनंतिम रक्षोपाय लागू कर सकेगी :

परंतु जहां, अंतिम अवधारण पर, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित नहीं की है या कारित होने की आशंका नहीं है, तो वह इस प्रकार संगृहीत रक्षोपाय शुल्क का प्रतिदाय करेगी :

परंतु यह और कि कोई अनंतिम रक्षोपाय उस तारीख से, जिसको वह लागू हुआ था, दो सौ दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

20 (6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना या उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन लागू किए गए कोई रक्षोपाय शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या विशेष-आर्थिक क्षेत्र में भी किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि,—

(i) ऐसी अधिसूचना में या ऐसे उपक्रम या इकाई को विशिष्टतया लागू नहीं किए गए हों ;

25 (ii) वस्तु की देशी टैरिफ क्षेत्र में उस रूप में निकासी की गई है या ऐसे किसी माल के, जिसकी देशी टैरिफ क्षेत्र में निकासी की गई हो, विनिर्माण में उपयोग में लाई गई है और उस मामले में रक्षोपाय उस वस्तु के, जिसकी इस प्रकार निकासी की गई है या जो इस प्रकार उपयोग में लाई गई है, उस भाग को वैसे ही लागू किया जाएगा, जैसे वह उस समय लागू था जब वह भारत में आयात की गई थी ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम” और “विशेष-आर्थिक क्षेत्र” पदों के वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्प-टीकरण 2 में उनका है ।

1944 का 1

30 (7) इस धारा के अधीन अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(8) इस धारा के अधीन लागू किए गए रक्षोपाय, जब तक कि वे पहले ही प्रतिसंहत न किए गए हों, ये ऐसे लागू होने की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे :

35 परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या उसकी आशंका को समायोजित करने के उपाय कर लिए हैं, और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय लागू बने रहने चाहिए, तो वह ऐसे लागू होने की अवधि को बढ़ा सकेगी :

परंतु यह और कि किसी भी दशा में, रक्षोपाय उस तारीख से, जिसको ऐसे रक्षोपाय पहली बार लागू किए गए थे, दस वर्ष की अवधि से परे की अवधि के लिए लागू नहीं रहेंगे ।

1962 का 52

40 (9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जिसके अंतर्गत शुल्क की दर के निर्धारण, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदायों, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों के अवधारण के लिए तारीख से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।

(10) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

45 (i) वह रीति जिसमें रक्षोपायों के लिए दायी वस्तुओं को पहचाना जा सकेगा ;

(ii) वह रीति जिसमें पहचानी गई वस्तुओं के संबंध में गंभीर क्षति के कारण या गंभीर क्षति की आशंका के कारण अवधारित किए जा सकेंगे ;

(iii) रक्षोपाय शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की रीति ;

(iv) वह रीति जिसमें पहचानी गई वस्तुओं पर टैरिफ दर कोटा प्रदायकर्ता देशों के बीच आबंटित किया जा सकेगा ;

(v) रक्षोपाय के रूप में टैरिफ दर कोटा के कार्यान्वयन की रीति ;

(vi) कोई अन्य रक्षोपाय और इसके लागू होने की रीति ।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(क) “विकासशील देश” से ऐसा देश अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ;

(ख) “देशी उद्योग” से अभिप्रेत है—

(i) भारत में वैसी ही वस्तु के या सीधे प्रतियोगी वस्तु के संपूर्ण रूप में निर्माता ; या

(ii) ऐसे निर्माता, जिनका भारत में वैसी ही वस्तु या सीधे प्रतियोगी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का बड़ा अंश है ;

(ग) “गंभीर क्षति” से ऐसी क्षति अभिप्रेत है, जो देशी उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण संपूर्ण ह्रास कारित करती है ;

(घ) “गंभीर क्षति की आशंका” से गंभीर क्षति का स्प-ट और आसन्न खतरा अभिप्रेत है ।

(12) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

115. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट-ट रीति से संशोधन किया जाएगा ; और

(ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट-ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

धारा 2 का संशोधन ।

116. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड 114 में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव ;

(घ) लद्दाख ;” ।

धारा 10 का संशोधन ।

117. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, “किसी माल” शब्दों के पश्चात् “या सेवाओं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

118. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, “से संबंधित बीजक” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 29 का संशोधन ।

119. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो ;” ।

धारा 30 का संशोधन ।

120. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से,—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए ; और

(ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट-ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए, बढ़ाई जा सकेगी ।” ।

धारा 31 का संशोधन ।

121. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु सरकार, परि-द् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दि-ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा ;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दि-ट कर सकेगी, जिनके संबंध में—

5 (i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा ; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा ।”।

122. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 में,—

धारा 51 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए ।”।

10 (ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।”।

123. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (6) में,—

धारा 109 का संशोधन ।

(क) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ।

15 124. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 122 का संशोधन ।

“(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा ।”।

125. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,—

धारा 132 का संशोधन ।

20 (i) “जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को करता है” शब्दों के स्थान पर, “जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

25 “(ग) खंड (ख) में निर्दि-ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है ;”;

(iii) उपखंड (ड) में, “कपट से इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेता है या” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

126. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 में 1 जुलाई, 2017 से,—

धारा 140 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “विहित की जाने वाली रीति में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

30 (ख) उपधारा (2) में, “विहित की जाने वाली रीति में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, “नियत दिन पर स्टॉक में धारित” शब्दों के स्थान पर “नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्टॉक में धारित” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

35 (घ) उपधारा (5) में, “विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा” शब्दों के स्थान पर “विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (6) में, “नियत दिन को” शब्दों के पश्चात् “ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(च) उपधारा (7) में, “इस अधिनियम के अधीन प्रत्यय के रूप में” शब्दों के स्थान पर “इस अधिनियम के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्यय के रूप में” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

40 (छ) उपधारा (8) में, “ऐसी रीति में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ज) उपधारा (9) में, “ऐसे प्रत्यय का इस शर्त के अधीन” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्रत्यय का, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस शर्त के अधीन” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

45 127. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में, “धारा 66 की उपधारा (5), धारा 143 की उपधारा (1)” शब्दों, को-ठकों और अंकों के स्थान पर, “धारा 143 की उपधारा (1), उसके दूसरे परंतुक के सिवाय” शब्द, को-ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 168 का संशोधन ।

धारा 172 का संशोधन ।	128. मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, “तीन व-र्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच व-र्ष” शब्द रखे जाएंगे ।		
अनुसूची 2 का संशोधन ।	129. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 4 में, “जो किसी प्रतिफल के लिए है या नहीं है” दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा ।		
कतिपय मामलों में केंद्रीय कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट ।	130. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परि-द की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 673(अ), तारीख 28 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी,— (i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-न 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई केंद्रीय कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ; (ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-न 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शी-न 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाली) कृनि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर केंद्रीय कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा । (2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।	5	2117 का 12
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव ।	131. केंद्रीय सरकार द्वारा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परि-द की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 708(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019 सभी प्रयोजनों के लिए, 1 जुलाई, 2017 से ही प्रवृत्त समझी जाएगी और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।	15	2017 का 15 2017 का 12

एकीकृत माल और सेवा कर

धारा 25 का संशोधन ।	132. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 की उपधारा (1) के परंतुक में, “तीन व-र्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच व-र्ष” शब्द रखे जाएंगे ।		2017 का 13
कतिपय मामलों में एकीकृत कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट ।	133. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, परि-द की सिफारिशों पर जारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 666(अ), तारीख 28 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी,— (i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-न 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई एकीकृत कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ; (ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-न 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शी-न 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाली) कृनि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में बारह प्रतिशत की दर पर एकीकृत कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा । (2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।	25	2017 का 13

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

धारा 1 का संशोधन ।	134. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में, “दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव” शब्दों के स्थान पर “दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख” शब्द रखे जाएंगे ।		2017 का 14
धारा 2 का संशोधन ।	135. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) में, उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— “(iii) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव ; (iv) लद्दाख ;” ।	40	

136. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के परंतुक में, “तीन वर्ग” शब्दों के स्थान पर, धारा 26 का संशोधन।
“पांच वर्ग” शब्द रखे जाएंगे।

2017 का 14

137. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय मामलों में संघ राज्यक्षेत्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परि-द की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से 5 710(अ), तारीख 28 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी,— भूतलक्षी छूट।

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-ई 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई संघ राज्यक्षेत्र कर उद्ग्रहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-ई 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शी-ई 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाले) कृ-नि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर संघ राज्यक्षेत्र कर उद्ग्रहीत या संगृहीत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

15

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

2017 का 15

138. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक में, “तीन वर्ग” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ग” शब्द रखे जाएंगे। धारा 14 का संशोधन।

अध्याय 5

स्वास्थ्य उपकर

20 139. (1) चौथी अनुसूची में विनिर्दि-ट ऐसे माल की दशा में, जिसका भारत में आयात किया गया है, संघ के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य उपकर नामक सीमाशुल्क का, स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के वित्तपो-ण के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दि-ट दरों पर उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा। आयातित चिकित्सा युक्तियों पर स्वास्थ्य उपकर।

(2) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दि-ट प्रयोजनों के लिए इस अध्याय के अधीन उद्ग्रहीत स्वास्थ्य उपकर की ऐसी धनराशि का, जो वह आवश्यक समझे, उपयोग कर 25 सकेगी।

1962 का 52

(3) चौथी अनुसूची में विनिर्दि-ट माल पर इस धारा के अधीन स्वास्थ्य उपकर का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा शुल्क इसके मूल्य के किसी प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है, वहां ऐसे माल के मूल्य का उसी रीति में परिकलित किया जाएगा जैसे माल का परिकलन, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

30 (4) चौथी अनुसूची में विनिर्दि-ट माल पर प्रभार्य उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय स्वास्थ्य उपकर सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल प्रभार्य किन्हीं अन्य सीमाशुल्कों के अतिरिक्त होगा।

(5) सीमाशुल्क अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत प्रतिदाय और शुल्कों, अपराधों तथा शास्ति के अधिरोपण से छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, यथाशक्य, पांचवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट माल की बाबत इस अध्याय के अधीन उद्ग्रहणीय स्वास्थ्य उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, 35 उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

40

भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 का संशोधन

140. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

इस भाग का प्रारंभ।

1899 का 2

141. भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् स्टॉप अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 9क का संशोधन।

“परंतु विशेष-आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों में संव्यवहार की लिखतों के संबंध में कोई स्टॉप शुल्क प्रभाय नहीं होगा।”। 2005 का 23

नई धारा 73क का अंतःस्थापन।

निदेश जारी करने और केंद्रीय सरकार की कतिपय प्राधिकारियों को अनुदेश, आदि जारी करने हेतु प्राधिकृत करने की शक्ति।

142. स्टांप अधिनियम की धारा 73क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“73ख. केंद्रीय सरकार अध्याय 2 के भाग कक और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए,—

(क) ऐसे विनयों से संबंधित और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, निदेश जारी कर सकेंगे;

(ख) लिखित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश, परिपत्र या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।”। 1992 का 15
1934 का 2

भाग 2

बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रति-ोध) अधिनियम, 1988 का संशोधन

1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन।

143. बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रति-ोध) अधिनियम, 1988 की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) (i) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और वह उस सेवा में संयुक्त सचिव का पद या समतुल्य पद धारण कर चुका हो ;

(ii) जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित हो।”। 15

भाग 3

निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का संशोधन

1991 के अधिनियम सं. 11 का संशोधन।

144. निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 8 में, “भत्ते, किरायामुक्त आवास का उपबंध, किराया मुक्त आवास, प्रवहण सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर आय-कर के संदाय से छूट और अन्य सेवा शर्तें” शब्दों के स्थान पर, “भत्ते और किराया मुक्त आवास का उपबंध” शब्द 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे। 20

भाग 4

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

2001 के अधिनियम संख्यांक 14 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

145. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी। 25

भाग 5

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

धारा 116 का संशोधन।

146. वित्त अधिनियम, 2013 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 116 में, 1 अप्रैल, 2020 से,— 30 2013 का 17

(क) खंड (7) में, “कृ-ि वस्तुओं से भिन्न ऐसी वस्तुओं की बाबत, जिनका व्यापार मान्यताप्राप्त संगमों द्वारा किया जाता है, वस्तु व्युत्पन्नियों के विकल्प के विक्रय” शब्दों के स्थान पर, “कृ-ि वस्तुओं से भिन्न ऐसी वस्तुओं की बाबत, जिनका व्यापार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय या कीमतों या वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमतों के सूचकों पर आधारित वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय या माल का विकल्प” शब्द रखे जाएंगे ; 35

(ख) खंड (8) में,—

(अ) “अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952” शब्दों, को-ठकों और अंकों के स्थान पर, “प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 शब्द, को-ठक और अंक रखे जाएंगे ; 1952 का 74
1956 का 42

(आ) “बनाए गए नियमों” शब्द के पश्चात् “या जारी की गई अधिसूचनाओं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

147. मूल अधिनियम की धारा 117 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 117 का संशोधन ।

“सारणी

क्र.सं. द्वारा संदेय	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	
(1)	(2)	(3)	
5	1. वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय	0.01 प्रतिशत	विक्रेता
	2. वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय, जो वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमत या कीमत के सूचकों पर आधारित हो	0.01 प्रतिशत	विक्रेता
	3. वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प का विक्रय	0.05 प्रतिशत	विक्रेता
10	4. माल के विकल्प का विक्रय	0.05 प्रतिशत	विक्रेता
	5. वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प का विक्रय, जहां विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है	0.0001 प्रतिशत	क्रेता
	6. माल के विकल्प का विक्रय, जहां माल के वास्तविक परिदान के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है	0.0001 प्रतिशत	क्रेता
15	7. माल के विकल्प का विक्रय, जहां माल के वास्तविक परिदान से अन्यथा किसी परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है	0.125 प्रतिशत	क्रेता।”।

148. मूल अधिनियम की धारा 118 में, 1 अप्रैल, 2020 से —

धारा 118 का संशोधन ।

20 (i) खंड (क) में, “वस्तु व्युत्पन्नियों” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “वस्तु व्युत्पन्नियों या कीमतों या वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमतों के सूचकों पर आधारित वस्तु व्युत्पन्नियों”, शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में,—

(अ) “वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प” शब्दों के पश्चात्, “या माल पर विकल्प”, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपखंड (i) में “क्रम सं. 2” शब्दों और अंक के स्थान पर “क्रम सं. 3 और क्रम सं. 4”, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

25 (इ) उपखंड (ii) में “क्रम सं. 3”, शब्दों और अंक के स्थान पर, “क्रम सं. 5 और क्रम सं. 6”, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ई) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,—

“(iii) धारा 117 की सारणी के, क्रम सं. 7 पर संव्यवहार के संबंध में परिनिर्धारित कीमत और विकल्प कीमत के बीच अंतर।”।

30 149. मूल अधिनियम की धारा 119, धारा 120 और धारा 132क में, “मान्यताप्राप्त संगम” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज” शब्द, 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 119, धारा 120 और धारा 132क का संशोधन ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घो-णा

यह घो-णा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 115(क), खंड 115(ख), खंड 139 और खंड 145 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

पहली अनुसूची
(धारा 2 देखिए)
भाग 1
आय-कर
पैरा क

5

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	10
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	12,500 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,12,500 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है।	15

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	20
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	10,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,10,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है।	25

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	30
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,00,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है।	

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की 35 रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) एक करोड़ रुपए से अधिक 40 है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

5 (ङ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

10 परंतु ऊपर वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

15 (ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पांच करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा ख

20 प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है कुल आय का 10 प्रतिशत ;

(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है 1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

25 (3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है 3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

30 परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

35 प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

40 रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

45

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है। 5

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

- (i) जहां पूर्ववर्ष 2017-2018 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

- (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,— 15

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस, 20

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;

- (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,— 25

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ; 30

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है : 35

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है। 40

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—		
	(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
	(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
5	(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
	(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
10	(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
	(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
	(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
15	(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
	(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
	(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
	(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
20	(आ) धारा 115ड या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
	(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
	(ई) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर (जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं)	20 प्रतिशत ;
25	(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
	(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
30	(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
35	(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
40	(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
45	(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(अं) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—		
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194उख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;	5
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;	10
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;	15
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	20
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;	
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	25
(ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक की आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ओ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;	
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;	30
2. किसी कंपनी की दशा में,—		
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—		
(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	35
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—		
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194उख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;	40
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;	45

5	(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
	(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
	(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
10	(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
	(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
	(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
15	(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
	(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
	(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में ऐसी आय पर, जो एक लाख रुपए से अधिक है	10 प्रतिशत ;
20	(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
	(xi) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं।

आय-कर पर अधिभार

25 निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, की दशा में,—

30 I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

35 III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

40 V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु जो उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

45 (ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग, और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से , परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

50 (क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग, और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, और कटौती के अधीन रहते हुए, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(ग) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

5 (ङ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

10 परंतु यह और कि ऊपर वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

15 (ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पांच करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा ख

20 प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है कुल आय का 10 प्रतिशत ;

(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है, किंतु 20,000 रु० 1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है अधिक हो जाती है ;

25 (3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है 3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

30 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

35 प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

40 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

45 पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है। 5

पैरा ड

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—			
(i) जहां पूर्ववर्ष 2018-2019 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 25 प्रतिशत ;		
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ;		
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—			
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	50 प्रतिशत ;		15
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या			
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,			20
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;		
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत।		

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,— 25

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,— 30

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है : 35

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), (उपधारा 3क) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश नहीं हैं।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे किसी भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारखाने या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे किसी भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंटीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माकड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन

(vi) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

5 (vii) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

10 (3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

15 (4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा।

20 **नियम 10**—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं।

(13) अध्याय 85 में,—

(i) टैरिफ मद 8504 40 10, 8504 40 21, 8504 40 29, 8504 40 30, 8504 40 40 और 8504 40 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

5 (ii) टैरिफ मद 8509 40 10, 8509 40 90 और 8509 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8510 10 00, 8510 20 00 और 8510 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

10 (iv) टैरिफ मद 8515 11 00, 8515 19 00, 8515 21 10, 8515 21 20, 8515 21 90, 8515 29 00, 8515 31 00, 8515 39 10, 8515 39 20, 8515 39 90, 8515 80 10 और 8515 80 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8516 10 00, 8516 21 00, 8516 29 00, 8516 31 00, 8516 32 00, 8516 33 00, 8516 40 00, 8516 60 00, 8516 71 00, 8516 72 00, 8516 79 10, 8516 79 20, 8516 79 90 और 8516 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8517 70 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

15 (14) अध्याय 94 में, शीर्ष 9401, 9403, 9404 और 9405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 95 में, शीर्ष 9503 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 96 में,—

(i) शीर्ष 9603 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

20 (ii) टैरिफ मद 9604 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 9615 और 9617 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

तीसरी अनुसूची
[धारा 115(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल वर्णन	इकाई	शुल्क की दर		
			मानक	अधिमानी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8414 51 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—					
"8414 51 50	--- दीवार पंखें	इ.	20%	---	
8414 51 90	--- अन्य	इ.	20%	---"।	5
(2) अध्याय 85 में,—					
(i) शीर्ष 8529 में, टैरिफ मद 8529 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—					
"8529 90 30	--- टेलिविजन सेट के लिए ओपन सेल	इ.	15%	-";	10
(ii) शीर्ष 8541 में, टैरिफ मद 8541 40 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—					
"8541 40 11	---- सोलर सेल, जो समुच्चयित नहीं है	इ.	20%	-	
8541 40 12	---- सोलर सेल, जो माड्यूल्स में समुच्चयित या पैनल में बनाए गए हैं	इ.	20%	-"।	15

चौथी अनुसूची
(धारा 139 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, उक्त पहली अनुसूची के अनुभाग टिप्पण, अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे।

5	मद सं.	माल का विवरण	कर की दर
	(1)	(2)	(3)
	1.	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 9018, 9019, 9020, 9021 और 9022 के अधीन आने वाले सभी माल।	5%

पांचवीं अनुसूची

(धारा 145 देखिए)

‘सातवीं अनुसूची

(धारा 136 देखिए)

टिप्पण

5

1. इस अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची में टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय के हैं।

2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण के निर्वचन के लिए नियम इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर		
(1)	(2)	(3)	(4)		
2402 20 10	---	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	200 रु0 प्रति हजार	
2402 20 20	---	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	250 रु0 प्रति हजार	
2402 20 30	---	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	440 रु0 प्रति हजार	15
2402 20 40	---	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	440 रु0 प्रति हजार	20
2402 20 50	---	70 मि0मी0 से अधिक, किंतु 75 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	545 रु0 प्रति हजार	
2402 20 90	---	अन्य	संख्या हजार में	735 रु0 प्रति हजार	
2402 90 10	---	तम्बाकू अनुकल्प की सिगरेट	संख्या हजार में	600 रु0 प्रति हजार	25
2403 11 10	---	हुक्का या गुड़कू तंबाकू	कि0ग्रा0	25%	
2403 19 10	---	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि0ग्रा0	60%	
2403 19 21	----	कागजवेल्लित बीड़ियों से भिन्न मशीन की सहायता के बिना अन्य विनिर्मिति	संख्या हजार में	1.00 रु0 प्रति हजार	
2403 19 29	----	अन्य	संख्या हजार में	2.00 रु0 प्रति हजार	
2403 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	25%	30
2403 91 00	--	"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू	कि0ग्रा0	25%	
2403 99 10	---	चबाने वाला तंबाकू	कि0ग्रा0	25%	
2403 99 20	---	चबाने वाले तंबाकू की विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	25%	
2403 99 30	---	जर्दा सुगंधित तंबाकू	कि0ग्रा0	25%	
2403 99 40	---	नस्वार	कि0ग्रा0	25%	35
2403 99 50	---	नस्वार वाली विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	25%	
2403 99 60	---	तंबाकू निष्कर्ष और सत	कि0ग्रा0	25%	
2403 99 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	25%	
2709 20 00		अपरिष्कृत पेट्रोलियम	कि0ग्रा0	50 रु0 प्रति टन ।।	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली;
30 जनवरी, 2020

निर्मला सीतारामन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के

अधीन

राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन, के लोक सभा महासचिव को भेजे गए, तारीख 30 जनवरी, 2020 के पत्र सं० एफ. 2(4)-बी(डी)/2020 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2020 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 1 फरवरी, 2020 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान “वेतन” से भिन्न ऐसी आय से, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है, स्रोत पर कर की कटौती की जानी है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 3 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (13क) “कारबार न्यास” को परिभाषित करता है, जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन एक अवसंरचना विनिधान न्यास के रूप में या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा न्यास अभिप्रेत है, जिसकी इकाइयों का पूर्वोक्त विनियमों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से कारबार न्यास को सूचीबद्ध करने संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित दीर्घ पंक्ति का लोप किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (42क) “अल्पकालीन पूंजी आस्ति” पद को परिभाषित करता है जिससे उसके अंतरण की तारीख से ठीक पहले छत्तीस मास से अनधिक के लिए निर्धारित धारा धारित पूंजी आस्ति अभिप्रेत है। और, उक्त खंड का स्पष्टीकरण वह अवधि अवधारित करने का उपबंध करता है जिसके लिए निर्धारित धारा पूंजी आस्ति धारित की जाती है।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) को संशोधित करके उसमें उपखंड (जज) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 49 की उपधारा (2कछ) में निर्दिष्ट पृथककृत पोर्टफोलियो की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके दौरान मुख्य पोर्टफोलियो में मूल यूनिट या यूनिटों को निर्धारित धारा धारित किया गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 4 आय-कर अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में निवास से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होगा। उसके उपखंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति उस वर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाएगा जब वह उसके पूर्ववर्ती चार वर्षों के भीतर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में होते हुए, उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रहा है। उक्त स्पष्टीकरण 1 के उपखंड (ख) में यह उपबंधित है कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत का नागरिक है, या धारा 115ग के खंड (ड) के स्पष्टीकरण के अर्थ में भारतीय उद्भव का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर

रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में भारत में आता है, उपखंड (ग) के उपबंध उस वर्ष के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, मानो उसमें आने वाले “साठ दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक सौ बयासी दिन” शब्द रखे गए हों।

उक्त स्पष्टीकरण 1 के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे “एक सौ बयासी दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक सौ बीस दिन” शब्द रखे जा सकें।

उक्त धारा में उसके खंड (1) के पश्चात् एक खंड (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, किसी भी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा, यदि वह अधिवास या निवास या उसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के आधार पर किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है।

उक्त धारा का खंड (6) ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करता है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में “मामूली तौर पर निवासी नहीं है”। इसके उपखंड (क) में यह उपबंधित है कि यदि ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति है, तो वह भारत में “मामूली तौर पर निवासी नहीं” होगा, यदि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस वर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात वर्षों के दौरान ऐसी कालावधि या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो। उसके उपखंड (ख) में हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर्ता की दशा में, समान उपबंध अंतर्विष्ट है।

उक्त खंड (6) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि किसी व्यक्ति या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में “मामूली तौर पर निवासी नहीं है” तब कही जाएगी, जब वह, यथास्थिति, व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के बारे में यह बात कि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से सात वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (i) ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करता है जिनमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय भारत में कराधेय है।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 1 का खंड (क) यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी कारबार की दशा में, जिसकी सभी संक्रियाएं भारत में नहीं की जाती हैं, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली इस खंड के अधीन समझी गई कारबार की आय, ऐसी आय का उतना भाग होगी, जितना भारत से बाहर की गई संक्रियाओं से युक्तियुक्त रूप से हो सकने वाली है।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे कारबार को लागू नहीं होंगे, जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के कारण भारत में कारबारी संपर्क है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2क, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट करता है कि भारत में अनिवासी “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” भारत में “कारबारी संपर्क” गठित करेगा।

उक्त स्पष्टीकरण का 1 अप्रैल, 2021 से लोप करने का प्रस्ताव है और वह तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए लोप किया जाएगा।

एक नया स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, भारत में अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, भारत में “कारबारी संपर्क” गठित करेगा और इस प्रयोजन के लिए “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” का निम्नलिखित अभिप्राय होगा,—

(क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि, ऐसे संव्यवहार या पूर्ववर्ष के दौरान संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक हैं, जो विहित की जाए ; या

(ख) कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और निरंतर निवेदन करना या भारत में उपयोगिताओं की ऐसी संख्या के साथ अन्योन्यक्रिया में लगना, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव किया जाता है कि संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” गठित करेंगे, चाहे,—

(i) ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है, अथवा नहीं ; या

(ii) अनिवासी के पास भारत में कोई निवास-स्थान या कारबार का स्थान है अथवा नहीं ; या

(iii) अनिवासी भारत में सेवाएं प्रदान करता है अथवा नहीं।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि केवल ऐसी आय का उतना भाग जितना उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुआ माना जा सकता है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

एक नया स्पष्टीकरण 3क अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि भारत में की गई संक्रियाओं से हुई मानी जा सकने वाली आय, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट, निम्नलिखित आय सम्मिलित होगी,—

(i) ऐसे विज्ञापन से जिसका लक्ष्य ऐसा ग्राहक है जो भारत में निवास करता है या ऐसा ग्राहक है जिसकी भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते के माध्यम से विज्ञापन तक पहुंच है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवास करता है या जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का विक्रय ; और

(iii) ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का उपयोग करते हुए माल और सेवाओं का विक्रय।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3क में एक नया परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध, उक्त स्पष्टीकरण 2क में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुई मानी जा सकने वाली आय को भी लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 5 यह उपबंध करता है कि ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उसे शेयर या

हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है। उक्त स्पष्टीकरण का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि इसके उपबंध किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनिमय, 2014 के अधीन प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में धारित की गई है।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें उपबंधित छूट सेबी (एफपीआई) विनिमय, 2014 के निरसन से पूर्व ऐसे विनिधानों को लागू होती रहेगी।

उक्त स्पष्टीकरण में तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनिमय, 2019 के अधीन प्रवर्ग 1 विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में अनिवासी द्वारा धारित आस्ति या किसी पूंजी आस्ति को लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vi) में स्वामिस्व के रूप में कतिपय आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय समझा जाएगा। उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) में “स्वामिस्व” पद को परिभाषित किया गया है, जिससे किसी प्रतिलिप्यधिकार, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन से संबंधित उपयोग के लिए फिल्म या वीडियो टैप अथवा रेडियो प्रसारण से संबंधित उपयोग के लिए टैप दी है, के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) किंतु, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है, अभिप्रेत है।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल को स्वामित्व की परिभाषा से अपवर्जित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में किसी प्राप्त विनिधान निधि के होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में उपबंधित है।

उक्त उपधारा के खंड (ग) में यह उपबंधित है कि भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा निधि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संकलित सहभागिता या विनिधान समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उक्त खंड (ग) को एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक किसी ऐसी रकम की, जो निधि के प्रचालन के पहले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त निधि प्रबंधक द्वारा किया गया अभिदाय है, निधि में संकलित सहभागिता या विनिधान की संगणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

उक्त उपधारा के खंड (ज) में यह उपबंधित है कि समग्र निधि का मासिक औसत एक अरब रुपए से कम नहीं होगा। उक्त खंड के पहले परंतुक में यह और उपबंधित है कि यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से छह मास

की अवधि के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, एक अरब रुपए से कम की नहीं होगी।

उक्त उपधारा के उक्त खंड (ज) के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि से इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से बारह मास की अवधि के भीतर समग्र एक अरब रुपए को बनाए रखने की शर्त पूरी करने की अपेक्षा होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (23ग) का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय के संबंध में, उस दशा में, जहां ऐसी आय सुसंगत उपबंधों के अनुसार कतिपय प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ष के दौरान उपयोजित या संचयित की जाती है, छूट के लिए विहित प्राधिकारी को विहित प्ररूप और रीति में आवेदन किया जाएगा।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को तब तक छूट उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कि वह निम्नलिखित समय के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में अनुमोदन मंजूर करने के लिए आवेदन नहीं करती है, जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक [जैसा वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान था] के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रभावी होता है, तीन मास के भीतर; जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और उक्त अनुमोदन की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व; जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां अनंतिम अनुमोदन के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है।

उक्त धारा का खंड (23ग) का दूसरा परंतुक विहित प्राधिकारी द्वारा उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व उसके द्वारा जांच किए जाने के लिए उपबंध करता है।

दूसरे परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्रस्तावित पहले परंतुक के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, वहां पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा; जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए उससे ऐसे दस्तावेजों या जानकारी की मांग कर सकेगा या ऐसी जांच कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता; और उसके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में, जो

उसके उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए सारवान हैं; और उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन उसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्, पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा; यदि उसका समाधान नहीं हो पाता है तो वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करने और अपने अनुमोदन को करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा; जहां उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, अनंतिम रूप से उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा, और ऐसे आदेश की प्रति ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को भेजेगा।

खंड (23ग) का आठवां परंतुक अन्य बातों के साथ, उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रभावी होगी।

आठवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के अधीन प्रदान किया गया कोई अनुमोदन ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय के संबंध में लागू होगा, जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें उसे पूर्व में अनुमोदन प्रदान किया गया था; जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए उसे अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया था; किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से, तुरंत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है।

उक्त खंड (23ग) का नौवां परंतुक अन्य बातों के साथ, उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके भीतर उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाएगी या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा या आवेदन को नामंजूर करते हुए इस निमित्त कोई आदेश पारित किया जाएगा।

नौवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन कोई आदेश, क्रमशः छह मास, तीन मास और एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा, जिसकी संगणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त खंड के दसवें परंतुक में यह उपबंध है कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय, उक्त खंडों के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो किसी पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसा न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापरीक्षक से कराएगी और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराएगी

और उस तारीख तक संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड (23ग) का सोलहवां परंतुक अन्य बातों के साथ उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके भीतर किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा पहले परंतुक के अधीन छूट के लिए आवेदन किया जाना है।

उक्त परंतुक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

विद्यमान अठारहवें परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विद्यमान पहले परंतुक के अधीन किए गए ऐसे सभी आवेदन, जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित हैं और जिनके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, को उस तारीख को पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदनों के रूप में समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा का खंड (23घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पारस्परिक निधि की आय या ऐसी अन्य पारस्परिक निधियों की आय को छूट प्रदान करता है। यह छूट वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंधों से संबंधित अध्याय 12ड के उपबंधों के अधीन है। उक्त खंड में उक्त अध्याय के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे उस अध्याय के अधीन परस्पर निधियों से अतिरिक्त कर का संदाय करना अपेक्षित नहीं हो।

उक्त धारा का खंड (23चग) कारबार न्यास की कतिपय आय को छूट प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से आय भी है। उक्त खंड के अधीन किसी विशेष प्रयोजन यान से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त या प्राप्य सभी लाभांश को छूट प्रदान करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा का खंड (23चघ), कारबार न्यास द्वारा किसी यूनिट धारक को वितरित आय, जिसमें ब्याज और किराया संबंधी आय सम्मिलित नहीं है, को छूट प्रदान करता है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी यूनिट धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त लाभांश आय को ऐसी छूट से अपवर्जित किया जा सके।

उक्त धारा में एक नया खंड (23चड) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान, चाहे वह ऋण या साम्या के रूप में हो, से उद्भूत होने वाले लाभांश, हित या दीर्घकालिक पूंजी अभिलामों की प्रकृति की विनिर्दिष्ट व्यक्ति की किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध किया जा सके, यदि विनिधान,—

(i) 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले किया गया है ;

(ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारित किया गया है ; और

(iii) ऐसी कंपनी या उद्यम में किया गया है, जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने या उसे प्रचालित करने तथा उसे बनाए रखने का कारबार, या उसे विकसित करने, या उसे प्रचालित करने या बनाए रखने का कारबार या ऐसा अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चला रहा है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” को परिभाषित करने के लिए उक्त खंड में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह अर्थ लगाया जा सके कि,—

(क) आबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी, जो—

(i) संयुक्त अरब अमीरात का निवासी है ; और

(ii) जो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के स्वामित्वाधीन निधि में से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान करता है ;

(ख) ऐसी संप्रभु धन निधि, जो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

उक्त धारा के खंड (45) उक्त खंड का लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध है कि संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत/सेवानिवृत्त अध्यक्ष या सदस्यों को, संदत्त किए जाने वाले ऐसे भत्तों और परिलब्धियों, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, को आय-कर से छूट प्राप्त होंगी।

उक्त धारा का खंड (34) धारा 115खखघक के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य लाभांश के रूप में किसी आय के सिवाय, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय को छूट प्रदान करता है। उक्त खंड को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होंगे।

उक्त धारा का खंड (35) पारस्परिक निधि की यूनिटों, विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों और विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय को छूट प्रदान करता है। इस खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् यूनिटों के संबंध में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा में एक नया खंड (48ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे इस निमित्त केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में इसकी भंडारण प्रसुविधा में भंडारित कच्चे तेल की पुनःपूर्ति हेतु ठहराव के परिणामस्वरूप भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम निक्षेप लिमिटेड को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है, का उपबंध किया जा सके।

इस नए अंतःस्थापित खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ठहराव को लागू नहीं होगी, यदि भंडारण प्रसुविधा में कच्चे तेल की पुनःपूर्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर, जिसमें कच्चा तेल पहली बार भंडारण प्रसुविधा से हटाया गया था, नहीं की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 8 आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र, आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे लाभों और अभिलामों की कटौती, जो किसी उपक्रम द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उन वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न हो तो निर्धारिती की कुल आय में से अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती द्वारा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट, आय-कर विवरणी के साथ, यह प्रमाणित करते हुए विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा सही रूप से किया गया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके

पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारित धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा सही रूप से किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है जो पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उस धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां धारा 10 [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] में अंतर्विष्ट कोई बात न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) से “धारा 12कक और धारा 12कख” तक के प्रतिनिर्देश को प्रतिस्थापित किया जा सके।

उक्त उपधारा में एक परन्तुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से जिसको, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन न्यास या संस्था अनुमोदित की जाती है या खंड (46) के अधीन अधिसूचित की जाती है या उस तारीख को जिसको यह परंतुक प्रवृत्त होता है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवर्तित नहीं होगा।

उक्त उपधारा में एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रस्तावित प्रथम परंतुक के अधीन प्रवर्तित नहीं हुआ है, प्रस्तावित धारा 12कख के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तित कराने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए आवेदन कर सकेगा कि ऐसा करने पर, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था को खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन या धारा 10 के खंड (46) के अधीन अधिसूचना, उस तारीख से, जिसको उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तित हुआ है, प्रभावहीन हो जाएगी और तत्पश्चात्, वह संबंधित खंड के अधीन छूट के लिए हकदार नहीं होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) ऐसी शर्तों के लिए उपबंध करती है, जिन्हें किसी न्यास या संस्था द्वारा पूरा करना है जिनके अधीन रहते हुए उसको धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट उपलब्ध है।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (कग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे, उक्त उपधारा के खंड (क), खंड (कक) और खंड (कख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस शर्त के साथ उपबंध किया जा सके कि आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में किए गए आवेदन पर ऐसे न्यास या संस्था प्रस्तावित धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, तो; जहां न्यास या संस्था को धारा 12क [जैसी कि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको

यह खंड प्रवृत्त होता है, तीन मास के भीतर; जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व; जहां न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण धारा 11 की उपधारा (7) के परंतुक के कारण प्रवर्तन में नहीं रह गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तन में लाने की ईप्सा की गई है, के प्रारंभ से कम से कम छह मास पूर्व; जहां न्यास या संस्था ने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार अंगीकार किया है या उनमें उपांतरण किए हैं, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, वहां उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर; किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व।

ये संशोधन जून, 2020 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिणामिक के संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पहले), से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा कराए और उस तारीख तक, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि यदि 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् कोई आवेदन किया गया है, तो ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आवेदन किया गया है, को ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से धारा 11 और धारा 12 के उपबंध लागू होंगे।

उक्त उपधारा में पहला परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध किसी न्यास या संस्था को उस समय लागू होंगे, जब उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (कग) के उपखंड (i), उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे न्यास या संस्था को पूर्व में रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था; उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (कग) के उपखंड (iii), ऐसे निर्धारण वर्षों के प्रथम वर्ष से, जिसके लिए वह अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था, के अधीन आवेदन किया गया है,

उसकी उपधारा (2) के विद्यमान पहले और तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 12कख के प्रति निर्देश किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो नए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, न्यास या संस्था को, जहां आवेदन, उक्त खंड के उपखंड (i) के अधीन पांच पूर्ववर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत

करते हुए किया गया है ; जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन किया गया है,—

(i) वहां ऐसे न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मांगेगा, या स्वयं के समाधान हेतु ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे,—

(अ) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता, और

(आ) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सारवान हों, और

(ii) उपखंड (i) के मद (अ) के अधीन न्यास या संस्था के उद्देश्यों तथा उनके क्रियाकलापों की वास्तविकता, और मद (ख) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं के समाधान के पश्चात्—

(अ) पूर्व पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा ;

(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे न्यास या संस्था का आवेदन नामंजूर करते हुए और उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा ;

(इ) जहां उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन आवेदन किया जाता है, उस निर्धारण वर्ष से जिससे रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, तीन, वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन जिन पर धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व पारित नहीं किया गया है, जिसको यह धारा प्रवृत्त हुई है, उस तारीख को यह आवेदन धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) के उपखंड (ii) और खंड (ग) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से संगणित, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पारित करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे न्यास या संस्था के क्रियाकलाप, यथास्थिति वास्तविक नहीं है या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, तो वह सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए, लिखित में आदेश पारित करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात्, यह देखने में आया है कि,—

(क) न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसे रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करते हुए धारा 11 और धारा 12 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ; या

(ख) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट, किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात अवधारित करते हुए में यह कि ऐसा अननुपालन हुआ है,

या तो विवादग्रस्त नहीं रहा है या अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, तो, प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 13 “वेतन”, “परिलब्धि” और “वेतन के बदले में लाभ” की परिभाषा से संबंधित धारा 17 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (vii) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारिती की बाबत नियोजक द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में जमा की गई अभिदाय की किसी रकम को उस सीमा तक परिलब्धि के रूप में माना जाएगा, जहां तक वह एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है।

उक्त धारा के खंड (2) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त खंड के उपखंड (vii) को प्रतिस्थापित करने के लिए यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा किसी निर्धारिती के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि ; धारा 80गगघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम ; और किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किए गए अभिदाय की किसी रकम या रकमों के कुल योग को उस सीमा तक परिलब्धि माना जाएगा जहां तक वह किसी पूर्ववर्ष में सात लाख पचास हजार रुपए से अधिक है।

उक्त खंड (2) में एक नया उपखंड (vii) अंतःस्थापित करने का यह और प्रस्ताव जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (vii) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के अतिशेष में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या समान प्रकृति की किसी अन्य रकम को जमा करके हुई वार्षिक अनुवृद्धि को भी उस सीमा तक परिलब्धि समझा जाएगा, जहां तक वह उक्त नए उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे अभिदाय से संबद्ध है, जिसे कुल आय में सम्मिलित किया गया है और उसे विहित रीति में संगणित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम की धारा 32कख का संशोधन करने के लिए है, विनिधान निक्षेप लेखा से संबंधित है।

उक्त धारा 5 की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती, निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया जाता है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 32कख की उपधारा (1) के अधीन कटौती निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया जाता है उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की जाती है और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम की धारा 33कख का संशोधन करने के लिए है, जो चाय विकास खाते, कॉफी विकास खाते और रबड़ विकास खाते से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) भारत में चाय या कॉफी या रबड़ उगाने और

विनिर्मित करने का कारबार कर रहे किसी निर्धारिती की कटौती के लिए उपबंध करता है, जो पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास के अवसान के पूर्व या अपनी आय की विवरणी देने की नियत तारीख के पूर्व, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चाय बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित या बनाई गई किसी स्कीम के अधीन निर्धारिती द्वारा रखे गए किसी खाते में कोई रकम जमा की है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है उससे सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या व्यवसाय के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में वहां परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 33कख की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है उससे सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या व्यवसाय के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 16 आय-कर अधिनियम की धारा 33कखक का संशोधन करने के लिए है, जो स्थल पुनःस्थापन निधि से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती ने, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा बनाए रखे गए विशेष खाते में कोई रकम जमा की है या वह, निर्धारिती द्वारा पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विरचित स्कीम के अनुसार या उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खोले गए स्थल पुनःस्थापन खाते में कोई रकम जमा करता है, वहां निर्धारिती को, उक्त धारा के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व, निर्धारिती द्वारा इस प्रकार जमा की गई कुल रकम या "कारबार और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित ऐसे लाभों के बीस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि धारा क ख क की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, उस तारीख तक (अर्थात्, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्ययों, प्रगणित करती है जिनके संबंध में कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी। उक्त उपधारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि किसी ऐसे अनुसंधान संगम को, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त की गई किसी राशि की कटौती करना है, उक्त उपधारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि किसी कंपनी को उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संदत्त किसी राशि और उक्त उपधारा का खंड (iii) के नीचे स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि किसी अनुसंधान संगम, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान के अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान करना है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जो समाज विज्ञान के अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त किसी राशि के लिए कटौती, उक्त खंड का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि निर्धारिती, वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या ऐसी संस्था को, जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है, संदत्त किसी धनराशि की कटौती का, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के सदाय के पश्चात् खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनी को संदत्त किसी राशि के संबंध में निर्धारिती को कटौती से इंकार नहीं किया जाएगा, जो ऐसी राशि के सदाय के पश्चात् केवल इस आधार पर हकदार है कि कंपनी को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

उक्त उपधारा (1) में एक नया पांचवां परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के संबंध में खंड (ii) या खंड (iii) अथवा खंड (ii) के अधीन कंपनी के संबंध में उस तारीख, जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुई है, को या उसके पूर्व जारी प्रत्येक अधिसूचना वापस ली गई समझी जाएगी, यदि खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (ii) के अधीन कंपनी उस तारीख से, जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुआ है, तीन मास के भीतर विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में सूचित नहीं करता है तथा ऐसी सूचना के अधीन रहते हुए अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी :

उक्त उपधारा (1) में एक नया छठा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ii) या खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अधिसूचना उस तारीख के पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2020 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, किसी भी एक समय में पांच निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जो अधिसूचना में विहित किया जाए।

उक्त उपधारा (1) के पश्चात् उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (ii) के अधीन कंपनी, उक्त उपधारा के संबंधित खंड के अधीन कटौती का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा कंपनी,—

(क) ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, तैयार नहीं करती है और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत

व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उनका परिदान नहीं करता है या करवाता है, और वह इस धारा के अधीन किसी भूल का सुधार करने या उसमें जोड़ने के लिए या हटाने के लिए कोई संशोधन विवरण ऐसे प्ररूप में फाइल कर सकेगा या परिदत्त की गई विवरणी में दी गई जानकारी को अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए,

(ख) ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए तथा राशि की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाएगा, दाता को एक प्रमाणपत्र नहीं भेजता है।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया है, के दौरान किसी विनिर्दिष्ट कारबार पर उपगत पूंजी व्यय की सौ प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करती है।

उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह अभिव्यक्त किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा पूंजी व्यय उपगत किया गया है, के दौरान विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में उपगत पूंजी व्यय के संबंध में ऐसी कटौती का लाभ लेने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि व्यय, जिस पर उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, पर किसी पूर्व वर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा किया गया है और इस धारा के अधीन उसे अनुज्ञात किया गया है, तो निर्धारिती को किसी पूर्ववर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 19 आय-कर अधिनियम की धारा 35घ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय प्रारंभिक व्ययों पर अपाकरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती, जो कोई भारतीय कंपनी या कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है और जो भारत में निवासी है, वहां उसे उसके कारबार या उपक्रम के विस्तारण के संबंध में या किसी विद्यमान कारबार की नई यूनिट की स्थापना के संबंध में उसके कारबार के प्रारंभ से पूर्व उपगत कतिपय विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें यथास्थिति, कारबार आरंभ होता है या उपक्रम का ऐसा विस्तारण या नई यूनिट की स्थापना की जाती है, आरंभ करते हुए, दस उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों की अवधि के दौरान कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे कतिपय व्ययों को विनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए अनुज्ञात हैं।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत किया गया है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ

ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं प्रस्तुत नहीं करता है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती को उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है निर्धारिती के कारबार या वृत्ति से संबंधित, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात्, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के, ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापाल द्वारा संपरीक्षित रिपोर्ट उस तारीख तक जो विहित की जाए प्रस्तुत नहीं करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 20 आय-कर अधिनियम की धारा 35ड का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय खनिजों के लिए पूर्वक्षण आदि पर व्यय के लिए कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती जो भारतीय कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में निवास करता है, और खनिज के लिए, पूर्वक्षण से संबंधित संक्रियाओं में या उस खनिज को निकालने या उसके उत्पादन से संबंधित संक्रियाओं में लगा हुआ है, और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन के पश्चात् उपगत करता है, वहां उस निर्धारिती को सुसंगत पूर्ववर्षों में से हर एक के लिए ऐसे व्यय की रकम के दशमांश के बराबर रकम की कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत नहीं करता है।

उक्त धारा की उपधारा (6) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 35ड की उपधारा (1) के अधीन की गई कटौती निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती के उस वर्ष या वर्षों के लिए लेखों, जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ है की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखापरीक्षा नहीं कर ली जाती है (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पूर्व) और ऐसी लेखापरीक्षा की उस तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार और वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “मान्यताप्राप्त संगम” शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” शब्द रखे जा सकें “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” पद की परिभाषा

से संबंधित स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 22 कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43गक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है, जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (क) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार करता है, यदि ऐसे कारबार में उसके, यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक है तो वह अपने उस पूर्ववर्ष के लेखाओं को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व किसी लेखापाल से लेखापरीक्षा कराएगा और उस तारीख तक ऐसी लेखापरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हों, जो विहित की जाएं।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति की दशा में, जिसको नकद में प्राप्त सभी रकमों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय के लिए प्राप्त रकम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, उक्त रकम के पांच प्रतिशत से अनधिक है ; और किए गए सभी संदायों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान नकद में उपगत व्यय की रकम, उक्त संदाय के पांच प्रतिशत से अनधिक है, यह खंड ऐसे प्रभावी होगा, मानो, "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच करोड़ रुपए" शब्द रख दिए गए थे।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ii) किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के निर्धारिती के लेखाओं के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" को परिभाषित करता है, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख अभिप्रेत है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट तारीख से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक मास पूर्व अभिप्रेत होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 24 आय-कर अधिनियम की धारा 44घक का संशोधन करने के लिए है, जो अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व, आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी, धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बही तथा अन्य दस्तावेज रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगा और आय की विवरणी के साथ ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) लेखाओं की संपरीक्षा कराएगा और उस तारीख तक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 25 आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रतिनिर्देश से लागत से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ ऐसी पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत के लिए उपबंध करती है, जो कतिपय परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन गई थी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए उपधारा (2कख) और उपधारा (2कज) अंतःस्थापित की जा सके कि किसी पृथक्कृत पोर्टफोलियो में किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जो निर्धारिती द्वारा उसके सकल पोर्टफोलियो में धारित किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत के समान अनुपात में है, जैसा कि पोर्टफोलियो के पृथक्करण से तुरंत पूर्व पृथक्कृत पोर्टफोलियो को अंतरित आस्ति के शुद्ध आस्ति मूल्य का अनुपात सकल पोर्टफोलियो के शुद्ध आस्ति मूल्य के साथ है ; तथा यह और प्रस्तावित है कि मुख्य पोर्टफोलियो में यूनिट धारक द्वारा धारित मूल यूनिटों के अर्जन की लागत को पृथक्कृत पोर्टफोलियो की यूनिटों से इस प्रकार प्राप्त रकम द्वारा घटा दिया जाएगा।

उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस निमित्त जारी परिपत्र में यथाउपबंधित "मुख्य पोर्टफोलियो", "पृथक्कृत पोर्टफोलियो" और "सकल पोर्टफोलियो" पदों की परिभाषाओं के प्रतिनिर्देश करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम की धारा 50ख का संशोधन करने के लिए है, जो मंदी विक्रय की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि पूर्ववर्ष में किए गए मंदी विक्रय से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा और उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण हुआ है, आय समझा जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि प्रत्येक निर्धारिती, मंदी विक्रय की दशा में, आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना उपदर्शित की जाएगी और यह प्रमाणित किया जाएगा कि, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से निकाला गया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक निर्धारिती, मंदी विक्रय की दशा में, आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा

139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना उपदर्शित की जाएगी और यह प्रमाणित किया जाएगा कि, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से निकाला गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 27 कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 50ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का तीसरा परंतुक उपबंध करता है कि जहां स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अनधिक है, वहां अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल के एक सौ दस प्रतिशत से अनधिक है, वहां अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 28 आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है, जो "समायोजित", सुधार की लागत" और "अर्जन की लागत के अर्थ" से संबंधित है।

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2001 से पहले अर्जित दीर्घकालीन पूंजी आस्ति की लागत को निर्धारित के विकल्प पर, उस तारीख को निर्धारित के अर्जन की लागत या आस्ति का उचित बाजार मूल्य होने के रूप में लिया जाता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हैं 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त उपखंडों के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल 2001 को ऐसी आस्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य से वहां अधिक नहीं होगा जहां कहीं ऐसा स्टॉप शुल्क मूल्य उपलब्ध है। यह और प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए "स्टॉप शुल्क मूल्य" को परिभाषित किया जाए, जिससे किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसी आय के स्रोतों का उपबंध है, जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी होगी।

उक्त उपधारा के खंड (v) में यह उपबंध है कि जहां पच्चीस हजार रुपए से अधिक धनराशि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा 1 सितंबर, 2004 या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है, ऐसी समस्त धनराशि आय-कर से प्रभावी होगी। खंड

(vii) के पहले परंतुक के खंड (छ) में यह उपबंध है कि उक्त उपधारा का खंड धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि को लागू नहीं होगा।

उपधारा (2) के खंड (v), खंड (vi), खंड (vii) और खंड (x) में धारा 12कख का निर्देश करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड आय-कर अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि को भी लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (x) के उपखंड (ख) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि जहां कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य प्रतिफल के पांच प्रतिशत से अधिक है, वहां आधिक्य, यदि यह पचास हजार रुपए से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन कर से प्रभावी होगा।

उक्त उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य प्रतिफल के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां आधिक्य, यदि यह पचास हजार रुपए से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन कर से प्रभावी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 30 आय से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 57 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का खंड (i) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के सिवाय ऐसे लाभांशों को वसूल करने के प्रयोजन के लिए किसी युक्तियुक्त राशि की कटौती अनुज्ञात करता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश को हटाने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ब्याज व्यय के मद्दे कटौती से भिन्न लाभांश आय या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी विनिर्दिष्ट कंपनी की यूनिटों के संबंध में आय पर कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और इस धारा के अधीन ऐसी कटौती उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित लाभांश आय, या ऐसी यूनिटों के संबंध में आय की बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम की धारा 72कक को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कुछ दशाओं में समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रणीत किए जाने और मुजरा से संबंधित है।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी एक या अधिक बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ समामेलन हुआ है ; या

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक

या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों का किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ समामेलन हुआ है ; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियों का किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ समामेलन हुआ है,

तब ऐसी बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नया बैंक या नए बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम को प्रवृत्त किया गया था, यथास्थिति, ऐसी बैंककारी संस्था या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी का मोक या अवक्षयण समझा जाएगा और हानि तथा अवक्षयण के लिए मोक को अग्रणीत किए जाने और मुजरा के संबंध में अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

उक्त धारा में, एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का और प्रस्ताव है जिससे "संचयित हानि", "बैंककारी कंपनी", "बैंककारी संस्था", "तत्स्थानी नया बैंक", "साधारण बीमा कारबार", "सरकारी कंपनी" और "शेष अवक्षयण" पदों को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम की धारा 80डडक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय गृह संपत्ति के लिए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित है।

अन्य बातों के साथ, पूर्वोक्त धारा 80डडक किसी आवासीय गृह संपत्ति के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत एक लाख पचास हजार तक की कटौती के लिए उपबंध करती है, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि उधार को 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किया गया है। यह इस और शर्त के अध्यधीन है कि आवासीय गृह संपत्ति का स्टॉम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और निर्धारित के स्वामित्व में उधार की मंजूरी की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किए गए उधार पर संदत ब्याज की बाबत उक्त धारा के अधीन कटौती उपलब्ध होगी यदि उधार को उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन 1 अप्रैल, 2019 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 33 आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि यह धारा उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी संस्था या निधि के दान को केवल तभी लागू होती है, जब उसकी स्थापना भारत में किसी पूर्व प्रयोजन के लिए की जाती है और यह कतिपय शर्तों को पूरा करती है।

उक्त उपधारा का खंड (vi) यह उपबंध करता है कि 31 मार्च, 1992 के पश्चात् किए गए संदानों के संबंध में एक शर्त यह है कि तत्समय संस्था या निधि को इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदन किया जाए।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नीचे दिए अनुसार अतिरिक्त शर्तों का उपबंध किया जा सके, अर्थात् :—

(क) संस्था या निधि ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार करती है, जो विहित की जाए और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में परिदत्त करती है या परिदत्त किया जाना और ऐसे समय के भीतर ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी रीति में सत्यापित करती है, कारित करती है और परंतु ये विहित प्राधिकारी को किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए कोई सही किया हुआ विवरण भी परिदत्त कर सकेगा या इस उपधारा के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई वर्धन, लोप कर सकेगा या सूचना को ऐसे प्ररूप में अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो प्राधिकारी द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ; और

(ख) संस्था या निधि दानकर्ता को ऐसी रीति में दान की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

उक्त उपधारा (5) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित रीति में आवेदन करेगा,—

(क) जहां संस्था या निधि को खंड (vi) के अधीन (जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने के पूर्व था) इस परंतुक के प्रभावी होने की तारीख से तीन मास के भीतर, आवेदन करेगा ;

(ख) जहां संस्था या निधि का अनुमोदन किया जाता है और ऐसे अनुमोदन की अवधि अवसान होने को है, ऐसी अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व, आवेदन करेगा ;

(ग) जहां संस्था या निधि का अनंतिम रूप से अनुमोदन किया गया है, अनंतिम अनुमोदन की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके कार्यकलाप प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, आवेदन करेगा ;

(घ) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक मास पूर्व, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, आवेदन करेगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्रस्तावित पहले परंतुक के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर लिखित में पारित आदेश की प्रति वहां भेजेगा जहां,—

(क) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(ख) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया जाता है,—

(I) उससे ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जैसा वह निम्नलिखित के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—

(अ) ऐसी संस्था या निधि के कार्यकलापों की वास्तविकता ; और
(आ) उपधारा (5) के खंड (i) से खंड (v) में अधिकथित सभी शर्तों का पूरा किया जाना ; और

(II) मद (अ) के अधीन कार्यकलापों के वास्तविकता के संबंध में और उपखंड (क) की मद (आ) के अधीन सभी शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन को रद्द करते हुए और अपने अनुमोदन का प्रत्यहरण करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

(III) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन है, उसे निर्धारण वर्ष, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन अनुदत्त करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

ऐसे आदेश की प्रति संस्था या निधि को भेजेगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश ऐसे प्ररूप और ऐसी शीति में क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि, जिसकी गणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के अधीन अनुदत्त अनुमोदन किसी संस्था या निधि को लागू होगा, जहां आवेदन,—

(क) निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे संस्था या निधि को पूर्व में अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है;

(ख) निर्धारण वर्षों, जिनके लिए ऐसी संस्था या निधि को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, में से पहले निर्धारण वर्ष के लिए पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पश्चात् निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसा अनुमोदन किया जाता है।

एक नई धारा 5ड अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन, जिन पर उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन उस तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसको यह उपधारा प्रभावी हुई है, को उस तारीख को उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा।

एक नया स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि किसी निधि या संस्था, जिसको उपधारा (5) लागू होती है, को किए गए किसी दान के संबंध में कटौती के लिए निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में उसके दावे को उक्त दान के संबंध में संस्था या निधि द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत सूचना के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम की धारा 80छक का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कतिपय संदायों की बाबत कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से नहीं किया जाता है।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह घोषित किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई आय की विवरणी में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के संबंध में कटौती के लिए उसके दावे को, पाने वाले द्वारा आय-कर प्राधिकारी को या

ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी धनराशि के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई गई जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 35 आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न हुए हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा का उपधारा (7) में यह उपबंध है कि किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया हो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस उपक्रम के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में नहीं देता है।

उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती निर्धारिती को तभी अनुज्ञेय होगी, जब तक उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उपक्रम के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा की जा चुकी हो और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उस तारीख तक प्रस्तुत कर दी गई हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 36 आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है।

धारा 80झक के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ, पात्र स्टार्ट अप द्वारा पात्र कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की निर्धारिती के विकल्प पर सात वर्षों में से तीन लगातार वर्षों के लिए कटौती करने का और इसके कारबार का कुल आवर्त उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत, जिसके लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, से पूर्ववर्ती वर्ष में पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, का उपबंध करते हैं।

उपरोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अधिनियम के अधीन पात्र स्टार्ट अप को कटौती, उस वर्ष के प्रारंभ से, जिसमें पात्र स्टार्ट अप निगमित किया जाता है, दस वर्ष में से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी तथा इसमें का कुल आवर्त उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए इस धारा, के अधीन कटौती का दावा किया गया है, पात्र स्टार्ट अप के सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष में एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 37 धारा 80अखक का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है।

उपधारा (7क), उपधारा (7ख), उपधारा (11ख) और उपधारा (11ग) के पश्चात्तर्वर्ती संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे उसमें उपबंधित विद्यमान वाक्यांश के स्थान पर क्रमशः “ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए देता है” वाक्यांश रखे जा सकें।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 38 आय-कर अधिनियम की धारा 80अखक का संशोधन करने के लिए है, जो गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंधों में कतिपय शर्तों के अधीन वहनीय गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत कटौती का उपबंध है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) में यह उपबंध है कि गृह निर्माण परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले अनुमोदित किया जाएगा।

उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे वहनीय गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की कटौती को ऐसी परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जा सके, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले अनुमोदित की गई हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम की धारा 80अखक का संशोधन करने के लिए है, जो नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारिती, जिसको धारा 44कख लागू होती है, की सकल कुल आय में, कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, ऐसे कारबार के दौरान उपगत अतिरिक्त कर्मचारी की लागत के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है।

उक्त खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल की रिपोर्ट को धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पूर्व) से पूर्व रिपोर्ट में ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत नहीं कर देता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 40 कतिपय अंतःनिगम लाभांशों से संबंधित एक नई धारा 80ड अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी देशी कंपनी की सकल कुल आय में किसी पूर्ववर्ष में, किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त हुई कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में और उसके अधीन रहते हुए, किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त उतनी आय की रकम के बराबर कर की कटौती की जाएगी, जो पहली उल्लिखित देशी कंपनी द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है।

उक्त नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां किसी देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम के संबंध में, किसी पूर्ववर्ष में एक उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

“सम्यक् तारीख” पद को स्पष्ट करने का और प्रस्ताव है जिससे उससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से करार से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार भारत से बाहर किसी देश की सरकार या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए करार कर सकेगी।

उक्त खंड के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है), उक्त करार करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम की धारा 90क का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों का अंगीकृत किया जाना से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि भारत में विनिर्दिष्ट कोई संगम भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकेगा और केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उसे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे करार को अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

उक्त खंड के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है), उक्त करार के अधीन दोहरे कराधान का परिवर्जन किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 43 सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92गख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अध्यक्षीन किया जाएगा।

उक्त उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय का अवधारण भी सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अध्यक्षीन किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित को अवधारित करते हुए, किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार कर सकेगा,—

(क) उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत या वह रीति, जिसके द्वारा सन्निकट कीमत अवधारित की जानी है;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें उक्त आय को अवधारित किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्भूत हुई है।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सन्निकट कीमत या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को अवधारित करने की रीति में, धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या अंतरणों सहित, जिन्हें किया जाना आवश्यक या समीचीन हो, सम्मिलित हो सकेंगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 92ग या धारा 92गक में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, सन्निकट कीमत का अवधारण, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (9क) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के प्रथम वर्ष के पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक किसी अवधि के दौरान निम्नलिखित के अवधारण के लिए उपबंध कर सकेगा,—

(क) सन्निकट कीमत या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत को अवधारित किया जाएगा ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसी आय का अवधारण किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्भूत हुई है,

और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की सन्निकट कीमत या ऐसे व्यक्ति की आय का अवधारण उक्त करार के अनुसार किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम की धारा 92च का संशोधन करने के लिए है जो असन्निकट कीमत आदि की संगणना से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (iv) में निर्दिष्ट तारीख की परिभाषा का उपबंध है। इसमें यह उपबंधित है कि विनिर्दिष्ट तारीख का वही अर्थ है जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में “निश्चित तारीख” का है।

उक्त धारा के खंड (iv) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “विनिर्दिष्ट तारीख” से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख से पहले एक मास अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम की धारा 94ख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में ब्याज कटौती को सीमित करने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी का स्थायी स्थापन, जो उधार लेने वाला है, एक करोड़ रुपए से अधिक ब्याज के रूप में या वैसी ही प्रकृति का कोई व्यय उपगत करता है, जो “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किसी गैर-निवासी, जो ऐसे उधार लेने वाले का सहयुक्त उपक्रम है, द्वारा जारी किसी उधार के संबंध में प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है वहां ब्याज के शीर्ष के अधीन आय की संगणना में उस सीमा तक, जहां तक उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट हो, वह अधिक ब्याज से उद्भूत होता है, कटौती नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा के पश्चात् एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उधार देने वाले, जो भारत में बैंककारी कारबार में लगा हुआ व्यक्ति है, के द्वारा जारी ऋण के संबंध में संदत्त ब्याज को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 47 आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश” के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) किसी ऐसे अनिवासी की दशा में, जिसकी कुल आय में खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज संबंधी संदाय या उक्त उपधारा के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस समाविष्ट हैं, कर के अवधारण के बारे में उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि किसी अनिवासी से आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उसकी विवरणी देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) में की शर्तों का समाधान कर दिया गया है।

उक्त उपधारा के खंड (क) के अधीन शर्त में यह अपेक्षित है कि किसी अनिवासी की कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज की प्रकृति की आय समाविष्ट होनी चाहिए।

उक्त उपधारा के खंड (क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अनिवासी की कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज के प्रकृति की आय या उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की प्रकृति की आय समाविष्ट होनी चाहिए।

उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन शर्त में यह अपेक्षित है कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 17 के भाग ख के उपबंधों के अनुसार कटौती योग्य कर की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती कर ली गई है।

उक्त उपधारा में यह उपबंध करने के लिए खंड (ख) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है कि अध्याय 17 के उपबंधों के अधीन कटौती योग्य कर की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से स्रोत पर ऐसी दर पर कटौती कर ली गई है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 48 आय-कर अधिनियम की धारा 115कग का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी करों में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे समस्त लाभांश आय का कराधान किसी अनिवासी पर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 49 आय-कर अधिनियम की धारा 115कक का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश” के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अनिवासी की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 50 आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 51 आय-कर अधिनियम की धारा 115कक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने हेतु इस शर्त का उपांतरण किया जा सके

कि कंपनी की कुल आय की संगणना, धारा 80जकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न “ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी, की बजाय “धारा 80जकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 52 आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख का संशोधन करने के लिए है जो नई विनिर्माणकारी देसी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के उक्त उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने हेतु इस शर्त का उपांतरण किया जा सके कि कंपनी की कुल आय की संगणना, धारा 80जकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न “ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी, के बजाय “धारा 80जकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि किसी देशी कंपनी द्वारा संदेय आय-कर पन्द्रह प्रतिशत की दर पर होगा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) की शर्तें पूरी कर दी जाती हैं।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट करती हैं, जिन्हें देशी कंपनी द्वारा पन्द्रह प्रतिशत की दर पर कर का पात्र होने हेतु पूरी करने की आवश्यकता होगी।

उक्त उपधारा (2) के खंड (ख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए “किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन” को विद्युत उत्पादन में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 53, आय-कर अधिनियम में, व्यष्टियों और हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खकग और कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित धारा और धारा 115खकघ अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 115खकग की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नीचे सारणी में दी गई दर पर संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है :

कुल आय	दर
2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 7,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
7,50,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
10,00,001 रुपए से 12,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
12,50,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
15,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

उक्त उपधारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि जहां व्यक्ति, किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल हो जाता

है, वहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि जहां उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को समाधान में असफलता की दशा में, यह पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के लिए भी अविधिमान्य हो जाएगा और उन वर्षों के लिए अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के उपबंधों के अधीन या खंड (14) के अधीन विहित (उन से भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं), या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 या धारा 24 के खंड (क) या धारा 24 के खंड (ख) द्वारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबतट या धारा 25क की उपधारा (2) या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड उपखंड (ii) या खंड (iiक) या उपखंड खंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गग या धारा 57 के खंड (त्क) के अधीन या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80जजकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ;

(ii) किसी हानि का,—

(क) जिसे किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से अग्रणीत किया गया है या अवक्षयण का, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ;

(ख) जो “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन हुई है, आय के किसी अन्य शीर्ष से,

मुजरा किए बिना, की जाएगी ;

(iii) धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके की जाएगी ; और

(iv) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित भत्तों या परिलब्धि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के लिए किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्पूर्ती वर्ष के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा (3) के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के उपलिखित मूल्य पर किया जाएगा, यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी धारा 80उक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक ऐसी यूनिट को धारा 80उक के अधीन कटौती, उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए उपलब्ध है।

प्रस्तावित धारा की उक्त उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में यह उपबंध है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “यूनिट” पद का वही अर्थ होगा, जो विशेष

आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तभी लागू होगी, जब ऐसे व्यक्ति द्वारा,—

(i) जिसकी कारबार से आय है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है और एक बार प्रयोग किए जाने पर ऐसा विकल्प पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा ;

(ii) जिसकी कारबार से कोई आय नहीं है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है :

प्रस्तावित धारा की उक्त उपधारा (5) के परंतुक में यह उपबंध है कि खंड (i) के अधीन विकल्प, यदि किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार प्रयोग कर लिया गया है, तो उस वर्ष से, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, भिन्न किसी पूर्ववर्ष के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और उसके पश्चात्, वह व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए तब के सिवाय कभी पात्र नहीं होगा, जब उस व्यक्ति की कोई कारबार आय नहीं रह जाती है, उस दशा में खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा।

प्रस्तावित नई धारा 115खकघ की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय 12 के उपबंधों के अध्याधीन ऐसे किसी व्यक्ति की, जो सहकारी सोसाइटी है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, बाईस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा करने में असफल हो जाता है वहां विकल्प उस पूर्ववर्ष और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उस पूर्ववर्ष और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहकारी सोसाइटी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 80जजकक के उपबंधों से भिन्न धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) या उपधारा (2कक) (केवल विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त राशि की बाबत) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती किए बिना ;

(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अग्रणीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके,

की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्पूर्ती वर्ष के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के अवलिखित मूल्य में किया जाएगा यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट रखता है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक उक्त धारा के अधीन कटौती उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसी यूनिट को उपलब्ध है।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण में “यूनिट” पद को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ वही होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।

उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तभी लागू होगी जब व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले रीति, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, में कर लिया गया है और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि किसी पूर्ववर्ष में एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है, तो उसे तत्पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में वापस नहीं लिया जा सकता।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 54 आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, भारत में निवासी विनिर्दिष्ट निर्धारिती को प्राप्त हुए दस लाख रुपए से अधिक के लाभांश पर दस प्रतिशत की दर से कराधान का उपबंध है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस धारा को ऐसे लाभांश पर लागू होने तक निर्बंधित किया जा सके, जिसे 31 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व किसी देशी कंपनी या कंपनियों द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ख) का उपखंड (iii), उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट निर्धारिती” का उपबंध करता है जिससे धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत हो।

उक्त उपखंड में धारा 12कख के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट निर्धारिती” से 12कख के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 55 आय-कर अधिनियम की धारा 115ग का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (ग), अध्याय 12क के प्रयोजनों के लिए “विनिधान आय” पद को परिभाषित करता है, जिसका अभिप्राय विदेशी मुद्रा आस्ति से

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न व्युत्पन्न कोई आय है।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने के लिए है उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “विनिधान आय” को परिभाषित किया जा सके जिसका अभिप्राय विदेशी मुद्रा आस्ति से व्युत्पन्न कोई आय है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 56 आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो एक कंपनी है, को 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथासंगणित कुल आय पर संदेय आय-कर उसके बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत से कम है वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझी जाएगी और निर्धारिती द्वारा संदेय कर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर की रकम होगी।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि ऐसी प्रत्येक कंपनी, जिसे यह धारा लागू होती है, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी के साथ या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सूचना के उत्तर में दी गई आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी।

उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी प्रत्येक कंपनी, जिसे यह धारा लागू होती है, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई विवरणी की नियत तारीख से पूर्व एक मास) या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सूचना के उत्तर में दी गई आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 57 आय-कर अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन करने के लिए है जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की

उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पहले) किसी लेखापाल से यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और उस तारीख तक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) पारिणामिक रूप से अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग और धारा 115खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 58 आय-कर अधिनियम की धारा 115अघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का पारिणामिक प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग या धारा 115खकघ में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 59 आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनी के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा, किसी देशी कंपनी द्वारा लाभान्शों के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), चाहे वे चालू लाभ से हों या संचित लाभ से हों, घोषित वितरित या संदत्त किसी रकम पर अतिरिक्त आय-कर के उद्ग्रहण का उपबंध करती है। 1 अप्रैल, 2003 के पश्चात् घोषित, वितरित या संदत्त लाभान्श उक्त धारा के उपबंध के अधीन आता है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले घोषित, वितरित या संदत्त लाभान्श उक्त धारा के अधीन आएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 60 आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित किसी आय पर अतिरिक्त आय-कर के उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि केवल 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले वितरित आय ही इस धारा के उपबंधों हैं के अधीन आएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 61 आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था किसी पूर्ववर्ष में किसी ऐसे रूप में संपरिवर्तित हो गई है, जो धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं है ; किसी ऐसे अस्तित्व, जो कोई न्यास या संस्था है, से भिन्न किसी अन्य अस्तित्व में विलय हो गई है जिसके उद्देश्य उसके समान हैं और वह धारा 12कक या धारा 12कख के

अधीन रजिस्ट्रीकृत है ; या जो विघटन पर धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को उस मास के, जिसमें विघटन होता है, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर, सभी आस्तियां अंतरित करने में असफल रहती है, विनिर्दिष्ट तारीख को, अनुवर्धित आय पर अधिकतम मार्जिन की दर पर अतिरिक्त आय कर के संदाय का उपबंध करती है।

पूर्वोक्त धारा के अन्य उपबंध, उक्त अतिरिक्त आय-कर के संदाय के संबंध में प्रक्रियाओं के लिए उपबंध करते हैं।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा में, जहां कहीं धारा 12कक का प्रतिनिर्देश है, वहां धारा 12कख का प्रतिनिर्देश किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा 115नघ के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था को लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 62 आय-कर अधिनियम की धारा 115पक का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा कतिपय प्रकृति की आय को, कारबार न्यास से अपने यूनिट धारकों को देने के लिए समर्थ बनाती है। उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंधित करती है कि यदि किसी पूर्ववर्ष में, किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) में या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो ऐसी वितरित आय या उसके भाग को ऐसे यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा।

उक्त उपधारा से धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति की वितरित आय को उस यूनिट धारक की आय के रूप में समझा जाएगा और पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 63 आय-कर अधिनियम की धारा 115फब का संशोधन करने के लिए है जो लेखाओं का रखा जाना और लेखा परीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए पात्र होने हेतु पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबंध करती है।

उक्त धारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि इसकी एक शर्त यह है कि कंपनी उस पूर्ववर्ष की आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में लेखापाल की ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी, विहित प्ररूप में, लेखापाल की रिपोर्ट ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पहले) देगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 64 नई धारा 119क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे बोर्ड को, करदाता के चार्टर को अंगीकृत और घोषित करने के लिए और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए, जो वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए ठीक समझे, सशक्त बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 65 आय-कर अधिनियम की धारा 133क के संशोधन करने के लिए है जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का आय-कर प्राधिकारी यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उस दशा में जहां सूचना ऐसे प्राधिकारी से जो विहित किया जाए, प्राप्त की गई है वहां, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति का कोई आय-कर प्राधिकारी, उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी अन्य दशा में, निदेशक या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना, निदेशक या आयुक्त की श्रेणी से नीचे का कोई आय-कर प्राधिकारी यथास्थिति, उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 का खंड (क) कतिपय व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत विनिर्दिष्ट फर्म का कार्यरत भागीदार भी है, के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर का उपबंध करती है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपखंड (iii) "कार्यरत" शब्द का लोप किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि आय की ऐसी विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 31 अक्टूबर होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 67 आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, इस बात के लिए उपबंध है कि उक्त अधिनियम की धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी किसके द्वारा सत्यापित की जाएगी।

उक्त धारा के खंड (ग) और खंड (गघ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी और सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, उक्त प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 68 स्वतः निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पहले ही संदत्त किए गए कर की रकम, यदि कोई हो, स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर, या धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की राहत या भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कर की राहत या कर की कटौती, उस धारा में विनिर्दिष्ट भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में धारा 90क के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत, और धारा 115अकक या धारा 115अघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किए गए किसी कर प्रत्यय, को हिसाब में लेने के पश्चात् धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 या धारा 153क, यथास्थिति, धारा 158खग के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी

के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती, विवरणी देने में हुए किसी विलंब अथवा विवरणी देने से पूर्व अग्रिम कर के संदाय में किसी व्यतिक्रम या विलंब के लिए, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज और फीस के साथ ऐसे कर का संदाय करने का दायी होगा तथा विवरणी के साथ ऐसे कर, ब्याज और फीस के संदाय का सबूत होगा।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (vi) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139 अथवा धारा 142 या धारा 148 अथवा धारा 153क या, यथास्थिति, धारा 158खग के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती, धारा 191 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन संदेय किसी कर या ब्याज को भी हिसाब में लेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 69 आय जो कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है निर्धारण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे उसमें निर्दिष्ट कतिपय साधनों के द्वारा बृहत्तर दक्षता पारदर्शिता और जवाबदेही को लाया जा सके।

पूर्वोल्लिखित अधिसूचित स्कीम के अधीन धारा 144 के अधीन निर्धारण करने के लिए उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इसमें अधिनियम की धारा 144 के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (3ख) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि कुल आय या हानि के निर्धारण से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2020 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 तक जारी कर सकेगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 70 आय-कर अधिनियम की धारा 144ग का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल को निर्देश से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि, निर्धारण अधिकारी से पात्र निर्धारिती को यदि वह 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके पश्चात् आय या हानि विवरणी में ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्ररूप अग्रेषित करने की अपेक्षा करने का उपबंध करता है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि पात्र निर्धारिती को, जहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, वहां विवाद समाधान पैनल को उसका आक्षेप दाखिल करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (15) का खंड (ख), उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 'पात्र निर्धारिती' को परिभाषित करता है।

उक्त खंड के उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव भी है, ताकि 'पात्र निर्धारिती' की परिभाषा के अधीन अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 71 आय-कर अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है, जो मांग की सूचना से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जब कोई कर, ब्याज, शास्ति जुर्माना या कोई अन्य राशि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप संदेय है, तब निर्धारण अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करने वाले ऐसे प्ररूप में, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, मांग की सूचना को निर्धारिती पर तामील करेगा।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां कोई राशि धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती या कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता द्वारा संदेय होने के लिए अवधारित की जाती है, वहां इन उपधाराओं के अधीन सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध जा सके कि जहां 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले, किसी निर्धारण वर्ष के निर्धारिती की आय, जिसके अंतर्गत धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय भी है और ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या उक्त खंड में यथानिर्दिष्ट श्रमसाध्य साधारण शेर, ऐसे वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट एक पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, तब मांग की सूचना में सम्मिलित ऐसी आय पर कर या ब्याज सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से; निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेर के विक्रय की तारीख से या निर्धारिती की उस तारीख से, जिसको वह उस नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता है, जिसने उसे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर आबंटित किए थे या अंतरित किए थे, से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर हो, चौदह दिन के भीतर निर्धारिती द्वारा संदेय होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 72 आय-कर अधिनियम की धारा 191 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रत्यक्ष संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसी आय के मामले में, जिसकी बाबत संदाय के समय आय-कर की कटौती करने के लिए उपबंध नहीं किया गया है और किसी अन्य दशा में, जहां अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती नहीं की गई है, निर्धारिती द्वारा आय-कर प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा। उक्त धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि निर्धारिती जब ऐसी आय या उसके भाग पर उक्त धारा के अधीन प्रत्यक्ष रूप से आय-कर का संदाय करने में असफल रहता है तब वह व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार में किसी धनराशि की कटौती करने की अपेक्षा है, को व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में समझा जाएगा।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की आय में, धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय और उक्त खंड में वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा भी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर जो उक्त खंड में सदा विनिर्दिष्ट है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, सम्मिलित है, तो निर्धारिती द्वारा ऐसी आय पर आय-कर सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर के विक्रय की तारीख से या उस तारीख से जब निर्धारिती, ऐसे नियोजन, जिससे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर आबंटित या अंतरित किया है, का कर्मचारी नहीं रह जाता है, चौदह दिन के भीतर संदेय होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 73 आय-कर अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने के लिए है, जो वेतन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय संदाय के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, संदाय के समय उस

वित्तीय वर्ष, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के लिए इस शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्राक्कलित आय पर कर का संदाय किया जाता है, में प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित आय-कर की औसत दर पर संदेय रकम पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी परिलब्धि की प्रकृति की ऐसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जिसका धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट मौद्रिक संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, उस समय जब उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा कर अन्यथा कटौती योग्य था, अपने विकल्प पर, उससे कोई कटौती किए बिना ऐसी संपूर्ण आय या उसके भाग पर कर का संदाय कर सकेगा।

नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन कर की कटौती करने या उसका संदाय करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा व्यक्ति, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट स्टार्टअप है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की परिलब्धि के रूप में निर्धारिती को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से या निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेर के विक्रय की तारीख से, या उस तारीख से, जिसको निर्धारिती उस व्यक्ति का कर्मचारी नहीं रह जाता है, इसमें जो भी पूर्वतम हो, अड़तालीस मास के अवसान के पश्चात् चौदह दिन के भीतर, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण पूंजी आबंटित या अंतरित की जाती है, में प्रवृत्त दरों के आधार पर ऐसी आय पर कर की, यथास्थिति, कटौती या उसका संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 74 आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है, जो लाभांश से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि भारतीय कंपनी का या ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी, जिसने भारत में लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेरों पर लाभांश भी है) घोषणा और संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं, कोई नकद संदाय करने के पूर्व या किसी लाभांश की बाबत कोई चेक काटने या अधिपत्र देने के पूर्व या धारा 2 के खण्ड (22) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) के अर्थ में किसी लाभांश का कोई वितरण या संदाय शेर धारक को, जो भारत में निवासी है, करने के पूर्व, ऐसे लाभांश की रकम में से प्रवृत्त दरों के अनुसार आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी भी ढंग द्वारा किए गए संदाय को इस धारा की परिधि क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके और कर की कटौती की दर को प्रवृत्त दरों के स्थान पर दस प्रतिशत की दर के लिए भी उपबंध किया जा सके।

उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे किसी ढंग के माध्यम से कंपनी के लाभांश के लिए और उसकी सीमा को दो हजार पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने के लिए उपबंध किया जा सके।

उक्त धारा के तीसरे परंतुक का पारिणामिक रूप से लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 75 आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है, जो “प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज” से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय किसी निवासी को संदत्त करने का

उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को नकद या चैक अथवा ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति द्वारा जमा करते समय या संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का परंतुक उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (3), उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

उपधारा (3) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग, जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पाने वाले को, संदत्त या जमा किया जाता है या उसके खाते में संदत्त या जमा की जाने की संभाव्यता है, कतिपय सीमा से अधिक नहीं होता है।

उक्त खंड का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि जहां संदायकर्ता, बैंककारी कारबार करने में लगी हुई सहकारी सोसाइटी है। सीमा चालीस हजार रुपए होगी यदि पाने वाला वरिष्ठ नागरिक है, तो यह सीमा पचास हजार रुपए है।

उपधारा (3) का खंड (v) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) उसके किसी सदस्य के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है या ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है, लागू नहीं होगी।

उपधारा (3) का खंड (vii) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) ऐसी आय को लागू नहीं होगी, जो किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है; और बैंककारी कारबार में लगी उपखंड (क) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी, या बैंक से भिन्न सहकारी सोसाइटी में (1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए सावधिक निक्षेपों से भिन्न) निक्षेपों की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है।

उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि खंड (v) या खंड (vii) में निर्दिष्ट सहकारी, सोसाइटी उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आय-कर की कटौती के लिए दायी होगी, यदि,—

(क) उस वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, सहकारी सोसाइटी का कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त ब्याज की रकम या ऐसे ब्याज की कुल संदत्त, जमा या संदाय के लिए संभाव्य ब्याज की रकम पाने वाले के वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में पचास हजार रुपए तथा किसी अन्य दशा में चालीस हजार रुपए से अधिक है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण, जो “वरिष्ठ नागरिक” पद के अर्थ लिए उपबंध करता है, उक्त उपधारा के खंड (i) के स्थान पर उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 76 आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है, जो ठेकेदारों को संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में उपबंध है कि ठेकेदार और किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच किसी संविदा के अनुसार कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) करने के लिए किसी निवासी को (जिसे ठेकेदार कहा गया है) किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से उसका संदाय करने के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी रकम के, जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, एक प्रतिशत, जहां किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा है, वहां दो प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में खंड (i) के उपखंड (उ) के मद (आ) में “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पद की परिभाषा का उपबंध है, जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए दायी है।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पद को परिभाषित किया जा सके, जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या व्यापार आवर्त है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (iv) का उपखंड (ड) जो “काम” को इस प्रकार परिभाषित करता है कि इसमें किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक से की गई कच्ची सामग्री का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना सम्मिलित है, किंतु ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना, इसके अंतर्गत नहीं है।

उक्त उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे “कार्य” में किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक या उसके साथी, जो ऐसे ग्राहक के संबंध में वैसे ही रखा गया व्यक्ति है, जैसे धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन निर्धारित के संबंध में रखा गया व्यक्ति है, से क्रय किए गए माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करने को सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके। दीर्घ पंक्ति में, “या ऐसे ग्राहक के सहबद्ध” शब्द अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 77 आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है, जो कमीशन या दलाली से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली के रूप में किसी आय का, 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या ऐसी आय का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर

हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या अविभक्त हिंदू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 78 आय-कर अधिनियम की धारा 194अ का संशोधन करने के लिए है, जो किराया से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए, दो प्रतिशत ; और किसी भूमि या भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या भवन से संलग्न भूमि (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए, दस प्रतिशत, आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ब्याज जमा या संदत्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या अविभक्त हिंदू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 79, धारा 194अ का संशोधन करने के लिए है, जो वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, जो किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, या किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है ; या स्वामिस्व, या धारा 28 के खंड (वक) में निर्दिष्ट कोई राशि, के रूप में किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समाविष्ट राशि पर आय-कर के रूप में, कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी

निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है, या धारा 28 के खंड (वक) में निर्दिष्ट कोई राशि के रूप में किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, तकनीकी सेवाओं के (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं) फीस की दशा में ऐसी राशि के दो प्रतिशत तथा किसी अन्य दशा में, ऐसी राशि के दस प्रतिशत की, के बराबर रकम आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उन वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 80 एक नई धारा 194ट अंतःस्थापित करने के लिए है, जो यूनियों की बाबत आय से संबंधित है।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को,—

- (i) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट परस्पर निधि की यूनियों ; या
- (ii) विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनियों ;
- (iii) विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनियों,

के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पानेवाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, किसी ढंग द्वारा उसका संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

यह उपबंध करने के लिए और प्रस्तावित है कि उक्त धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम, जो पाने वाले के खाते में या पाने वाले को संदत्त करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जमा की जानी या संदत्त की जानी संभाव्य है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

यह “प्रशासक”, “विनिर्दिष्ट कंपनी” और “विनिर्दिष्ट उपक्रम” पद को परिभाषित करने के लिए भी प्रस्तावित है और यह स्पष्ट करने के लिए है कि जहां उक्त धारा में निर्दिष्ट कोई आय, किसी खाते में जमा की जाती है, जहां वह “उच्चत खाते” के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा, पाने वाले के खाते में ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 81 आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक का संशोधन करने के लिए है, जो किसी कारबार न्यास के यूनियों से कतिपय आय से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षा करती है कि कोई कारबार न्यास, धारा 115पक में निर्दिष्ट आय, जो धारा 10 के खंड (23घग) के

उपखंड (क) या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है, के किसी निवासी को संदाय पर दस प्रतिशत की दर पर और किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी को क्रमशः पांच प्रतिशत की दर पर आय के वितरण पर कर की कटौती करे।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा से धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके। इस प्रकार, कर की कटौती करने का दायित्व, धारा 115पक में निर्दिष्ट आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) के या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है, के किसी निवासी को और किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी को संदाय पर लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में आय के पांच प्रतिशत की दर और उक्त या खंड के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में आय के दस प्रतिशत की दर पर कर की कटौती की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 82 आय-कर अधिनियम की धारा 194उग का संशोधन करने के लिए है, जो भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि भारत से बाहर किसी स्रोत से विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशियों के संबंध में, किसी अनिवासी को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी कारबार न्यास द्वारा संदेय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी ब्याज पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ix) में निर्दिष्ट ब्याज पर चार प्रतिशत विधारित कर की कटौती की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) वह ब्याज विनिर्दिष्ट करती है, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2020 के पूर्व किसी समय किसी ऋण करार के अधीन, 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 अक्तूबर, 2014 के पूर्व किसी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के निर्गमन के माध्यम से, 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2020 के पूर्व किसी समय किसी दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के निर्गमन के माध्यम से या 1 जुलाई, 2020 के पूर्व रूप में अंकित बंधपत्र के निर्गमन द्वारा लिए गए उधारों पर पांच प्रतिशत विधारित कर के लिए पात्र है।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2023 तक किसी ऋण करार के अधीन, दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के निर्गमन और रूप में अंकित बंधपत्रों के निर्गमन के अधीन लिए गए उधारों के विरुद्ध ब्याज संदायों पर पांच प्रतिशत विधारित कर की अवधि का विस्तार किया जा सके।

भारत से बाहर किसी स्रोत से 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, परन्तु 1 जुलाई, 2023 के पूर्व किसी दीर्घकालिक बंधपत्र या रूप में अंकित बंधपत्र, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, के निर्गमन द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशियों की बाबत, अनिवासी को देय ब्याज पर चार प्रतिशत की दर से विधारित कर का विस्तार करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) के नए खंड (ix) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।

विधेयक का खंड 83 आय-कर अधिनियम की धारा 194उघ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भारतीय कंपनी के रूप में अंकित बंधपत्र या किसी सरकारी प्रतिभूति में किए गए

विनिधानों की बाबत 1 जुलाई, 2013 का या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2020 से पूर्व संदेय ब्याज पांच प्रतिशत के निम्नतर विधारण कर के लिए पात्र होगा।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विधारण कर की पांच प्रतिशत की रियायती दर,—

(i) किसी भारतीय कंपनी या सरकारी प्रतिभूति के रूप में अंकित बंधपत्र में किए गए विनिधानों की बाबत 1 जुलाई, 2013 को या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पहले ;

(ii) नगरपालिका ऋण प्रतिभूति में किए गए विनिधानों की बाबत 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पहले, संदेय ब्याज उपलब्ध होगी।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भारतीय कंपनी के रूप में अंकित बंधपत्र की बाबत ब्याज की दर उस दर से अधिक नहीं होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे “नगरपालिका ऋण प्रतिभूति” पद को परिभाषित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 84 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194ण अंतःस्थापित करने के लिए है, जो ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों के संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अध्याय के भाग ख के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी ई-वाणिज्य सहभागी के मालों का विक्रय या द्वारा सेवाओं की पूर्ति को किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफार्म (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के माध्यम से सुकर बनाया जाता है, तो ऐसा ई-वाणिज्यिक प्रचालक किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में विक्रय या सेवाओं या दोनों की रकम को जमा करते समय या किसी अन्य ढंग से ऐसे सहभागी को उसके संदाय के समय, जो भी पहले हो, ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम के एक प्रतिशत की दर पर आय-कर की कटौती करेगा। खंड यह और स्पष्ट करता है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा सुकर बनाए गए मालों के विक्रय या सेवाओं की पूर्ति या दोनों के लिए सीधे किसी ई-वाणिज्य सहभागी को माल के क्रेता या सेवा के प्राप्तिकर्ता द्वारा किया गया कोई संदाय, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी को जमा या संदत्त की गई रकम समझी जाएगी और इस उपधारा के अधीन आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ऐसे विक्रय या सेवाओं की कुल रकम में सम्मिलित की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती ऐसे किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पूर्ववर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य किसी राशि से नहीं की जाएगी, जहां पिछले वर्ष के दौरान ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम दस लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी ने ई-वाणिज्य प्रचालक को स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक प्रस्तुत कर दिया है।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि इस अध्याय के भाग ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई संव्यवहार जिसके संबंध में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती कर ली गई है, या जो उपधारा (2) के अधीन कटौती के लिए दायी नहीं है, इस अध्याय के भाग ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का दायी नहीं होगा। यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का उपबंध किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा विज्ञापन देने के लिए या ऐसे किन्हीं अन्य सेवाओं की पूर्ति के लिए, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं के विक्रय से संबंधित नहीं है, प्राप्त या प्राप्य किसी रकम या कुल रकमों के लिए उक्त उपधारा के लागू

होने को अपवर्जित करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा “इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य”, “ई-वाणिज्य प्रचालक”, “ई-वाणिज्य सहभागी” और “सेवा” पदों की परिभाषाओं के लिए भी उपबंध करती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 85 आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य राशियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि धारा 115ग में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी।

इस परंतुक का पारिणामिक रूप से लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 86 आय-कर अधिनियम की धारा 196क का संशोधन करने के लिए है, जो अनिवासियों की बाबत आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की बाबत कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो उक्त उपधारा में निर्दिष्ट “भारतीय यूनिट ट्रस्ट” शब्दों के स्थान पर, “धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी ; और आय को जमा करने योग्य या किसी अन्य ढंग से संदाय के लिए” शब्द प्रति स्थापित करने के लिए है।

इस उपधारा का परंतुक उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसी आय से नहीं की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की गई है।

उक्त उपधारा के परंतुक को लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 87 आय-कर अधिनियम की धारा 196ग का संशोधन करने के लिए है, जो भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों के आय से संबंधित है।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत ब्याज या लाभांशों के रूप में अथवा ऐसे बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय अनिवासी को संदेय है, वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में, ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी ढंग से उसकी आय या संदाय के जमा को समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा के परंतुक का लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 88 आय-कर अधिनियम की धारा 196घ का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि जहां धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत कोई आय, जो धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है किसी विदेशी संस्थागत

विनिधानकर्ता को संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अन्य ढंग से आय या संदाय के जमा को समर्थ बनाया जा सके।

उक्त उपधारा के परंतुक का लोप करने का और प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 89 आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है, जो निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का यह उपबंध करने के लिए परिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी धनराशियां, जिन पर, धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है, निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र की पात्र होंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 90 आय-कर अधिनियम की धारा 203कक का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती किए गए कर आदि का विवरण दिए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 91 आय-कर अधिनियम की धारा 204 का संशोधन करने के लिए है, जो “संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” के अर्थ से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या भारत में ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना गया कोई व्यक्ति भी है, को इस धारा के अधीन “संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” पद की परिभाषा के अर्थातर्गत सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 92 आय कर अधिनियम की धारा 206कक का संशोधन करने के लिए है जो स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा है, वहां खंड (iii) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पांच प्रतिशत” शब्द रखे गए हों।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 93 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एल्कोहोली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रेप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता के लेखे में से क्रेता द्वारा संदेय रकम को विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट लेकर या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से भी पूर्वतर हो, विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि “विक्रेता” से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या निगम या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई

प्राधिकरण या कोई कंपनी या फर्म या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब भी है, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति के माल का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से, कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक उस वित्तीय वर्ष के दौरान है, जिसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1छ) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा प्राधिकृत व्यौहारी है, जो किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे क्रेता से, जो भारत के बाहर ऐसी रकम प्रेषित करने वाला व्यक्ति है, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अधीन भारत के बाहर प्रेषण के लिए सात लाख रुपए या उससे अधिक रकम या रकमों का योग प्राप्त करता है ; या जो विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का ऐसा विक्रेता है, जो ऐसे क्रेता से, जो ऐसा पैकेज क्रय करने वाला व्यक्ति है, कोई रकम प्राप्त करता है, किसी भी ढंग से क्रेता के लेखे में क्रेता द्वारा संदेय रकम विकलित करते समय या उक्त क्रेता से ऐसी रकम प्राप्त करते समय, इनसे जो भी पूर्वतर है, क्रेता से आय-कर के रूप में ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम संगृहीत करेगा। उक्त उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का उत्तरदायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है। यह और उपबंध किया गया है कि इस धारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता, केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राज दूतावास, कोई उच्चायोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल कार्यालय, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी शर्तों के अधीन, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति है।

उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए “प्राधिकृत व्यौहारी” और “विदेशी टूर पैकेज” पद को परिभाषित करने का प्रस्ताव भी है।

यह उपबंध करने के लिए उपधारा (1ज) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, जो किसी पूर्ववर्ष में, उपधारा (1), उपधारा (1च) या उपधारा (1छ) में आने वाले माल से भिन्न, किसी ऐसे माल के, जिसका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपए से अधिक के मूल्य के या कुल मूल्य के विक्रय के प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, क्रेता से आय-कर के रूप में पचास लाख रुपए से अधिक के विक्रय प्रतिफल की 0.1 प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा। इसके अतिरिक्त, इस उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए दायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है।

“विक्रेता” और “विक्रेता” पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन संग्रहण द्वारा कर वसूल करने की शक्ति वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन किसी रकम का संग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार संगृहीत रकम को विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में या बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट संदाय करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (6क) के पहले परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा

(1) और उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है, किसी क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है और आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी रकम को हिसाब में लिया है और उस व्यक्ति ने आय की उस विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है और वह व्यक्ति किसी लेखपाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है।

“विक्रेता” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है और उक्त धारा की उपयोज्यता केवल उपधारा (1) और उपधारा (1च) तक निर्बंधित करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 94 आय-कर अधिनियम की नई धारा 234छ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि अधिनियम के उपबंधों के प्रति इस प्रभाव के बिना अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी, धारा 35 की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या संस्था या निधि द्वारा, यदि वह उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है, तो वह फीस के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन में लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि का संदाय करने का/की दायी होगा/होगी।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उक्त फीस की रकम, उस रकम से अधिक नहीं होगी, जिसकी बाबत उसमें निर्दिष्ट असफलता हुई है और वह उपधारा (1) में उल्लिखित विवरण के परिदत्त किए जाने या कराए जाने से पहले संदत्त की जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 95 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 250 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील में प्रक्रिया संबंधित है।

उक्त धारा में उपधारा (6ख), उपधारा (6ग) और उपधारा (6घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे, अन्य बातों के साथ, धारा 250 के अधीन अपील के निपटान के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 96 आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपील से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में किसी निर्धारिती द्वारा, अपील अधिकरण को, ऐसे कतिपय आदेशों के विरुद्ध, जिनसे वह व्यथित है, अपील करने के बारे में उपबंधित है। उक्त धारा के खंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई ऐसा आदेश धारा 12कक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश होगा।

उक्त खंड में धारा 12कख के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि निर्धारिती, यदि व्यथित व्यक्ति है तो वह धारा 12कख के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख के अंतःस्थापन का पारिणामिक संशोधन है जिसमें किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण की

प्रक्रिया का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 97 आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण के आदेशों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जो यह उपबंध करते हैं कि अपील अधिकरण, निर्धारिती द्वारा उक्त परंतुक के अधीन रोक का आदेश पास नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर, ब्याज, फीस, शास्ति या कोई अन्य संदेय राशि को कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह प्रस्ताव किया जा सके कि, अपील प्राधिकरण द्वारा रोक का विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा, जहां ऐसी अपील रोक के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर निपटाई नहीं जाती है जब निर्धारिती ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति की रकम या किसी अन्य राशि का कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 98 आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो लेखा बहियों में मिथ्या या लोप की गई प्रविष्टियों के लिए शास्ति से संबंधित है।

एक नई धारा 271ककघ का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति पर शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी, जिससे लेखा बहियां रखने की अपेक्षा है, यदि यह पाया जाता है कि लेखा बहियों में कोई मिथ्या प्रविष्टि है या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप किया गया है, जो उसकी कुल आय की संगणना करने के लिए सुसंगत है। ऐसा व्यक्ति, शास्ति के माध्यम से मिथ्या और लोप की गई प्रविष्टियों के समग्र रकम के समतुल्य राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा। शास्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर भी अधिरोपित की जाएगी, जो लेखा बहियां रखने की अपेक्षा किए जाने वाले व्यक्ति से कोई मिथ्या प्रविष्टि करवाता है या लोप करवाता है या लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि का किया जाना या लोप किया जाना कारित करवाता है। मिथ्या प्रविष्टियों में कूटरचित या मिथ्याकृत दस्तावेजों का उपयोग या उपयोग किए जाने का आशय सम्मिलित है, जैसे कोई मिथ्या बीजक या साधारणतया मिथ्या दस्तावेजी साक्ष्य ; या व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक पूर्ति किए बिना माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में या ऐसे माल की प्राप्ति के लिए जारी बीजक ; या माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, जो विद्यमान नहीं है, से प्राप्त बीजक।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 99 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271ट अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विवरण, आदि दिए जाने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा में यह उपबंध है कि अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि शास्ति के रूप में ऐसी राशि, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदत्त की जाएगी, यदि वह उपधारा (1क) के खंड (1) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 100 आय-कर अधिनियम की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा में उपधारा (2क), उपधारा (2ख) और उपधारा (2ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही देने के लिए अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 101 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरण से संबंधित है, जो यह उपबंध करता है कि विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एक वार्षिक सूचना विवरणी ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी सूचना के साथ, जो आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में हो, जो विहित की जाए, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में अपलोड करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 102 आय-कर अधिनियम की धारा 288 का संशोधन करने के लिए है, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" की परिभाषा का उपबंध है, जो उक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो बोर्ड द्वारा नियमों द्वारा विहित किया जाए, प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 103 आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसे विषय प्रगणित हैं, जिनके लिए उपधारा (1) के अधीन नियमों का उपबंध किया जा सकेगा।

उक्त उपधारा (2) के खंड (ख) में वह विषय उपबंधित है, जिसके लिए बोर्ड द्वारा नियमों का उपबंध किया जा सकेगा, वह रीति, जिसमें और प्रक्रिया, जिसके द्वारा कतिपय दशाओं में आय परिकलित की जाएगी।

उक्त खंड (ख) का, उसमें उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में, ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी अनिवासी द्वारा भारत में की जा रही सक्रियाओं की दशा में आय परिकलित की जाएगी, का उपबंध किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड (ख) का, उसमें उपखंड (iiख) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में, ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी अनिवासी के संव्यवहार या क्रियाकलापों की दशा में आय परिकलित की जाएगी, का उपबंध किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 104 आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य बीमा कारखार के लाभों और अभिलाभों की संगणना से संबंधित है।

उक्त नियम में यह उपबंध है कि जीवन बीमा से भिन्न बीमा के किसी कारखार के लाभों और अभिलाभों को बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियम या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार लाभ और हानि लेखे में यथा प्रकट कर और विनियोगों से पहले लाभ के रूप में इस शर्त के अध्याधीन लिया जाएगा कि लाभ और हानि लेखे से विकलित कोई व्यय, जो धारा 30 से धारा 43ख के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, वापस जोड़ दिया जाएगा ; विनिधान की वसूली पर कोई भी अभिलाभ या हानि, यथास्थिति, जोड़ी या घटा दी जाएगी, यदि उसे लाभ और हानि लेखे में जमा या विकलित नहीं किया गया है ; लाभ और हानि लेखे से विकलित विनिधान के मूल्य में कमी के किसी निवेश को वापस जोड़ दिया जाएगा।

उक्त नियम में, एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 43ख के अधीन निर्धारिता द्वारा संदेय ऐसी किसी भी राशि को, जिसे उक्त नियम के खंड (क) के अनुसार वापस जोड़ दिया गया है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि वास्तव में संदत्त की गई है, आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

सीमाशुल्क

विधेयक का खंड 105 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सोना या चांदी के साथ किसी अन्य माल को सम्मिलित किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसे मालों के अनियंत्रित आयात या निर्यात के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाली किसी क्षति के निवारण के लिए ऐसे मालों के आयात या निर्यात को या तो पूर्ण रूप से या सशर्त प्रतिषिद्ध करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का खंड 106 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्पष्टीकरण 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए यह उपबंध करने के लिए है कि अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे मामलों में, जहां अनुदग्रहण, कम उदग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए सूचना, 29 मार्च, 2018 के पहले, जो वित्त अधिनियम, 2018 थी के प्रारंभ की तारीख जारी की गई है, वहां ऐसी सूचना धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होती रहेगी जैसे वह उस तारीख से ठीक पहले विद्यमान थी। यह संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख 29 मार्च, 2018 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 107 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ककक का संशोधन करने के लिए है जिससे विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अतिरिक्त, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लिखतों के उपयोग के विरुद्ध या केन्द्रीय सरकार की किसी स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति से शुल्क की वसूली का उपबंध किया जा सके। यह धारा 51ख के अधीन जारी शुल्क प्रत्यय को सम्मिलित करने के लिए, "लिखत" पद की परिधि का विस्तार करने के लिए भी है।

विधेयक का खंड 108 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय 5कक और नई धारा 28घक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे व्यापार करार के अधीन उद्भव नियमों के प्रशासन और भारत सरकार और विदेशी या संघ राज्यक्षेत्र या आर्थिक संघ की सरकार के बीच किए गए व्यापार करार के अधीन आयातित माल पर शुल्क की अधिमानी दर के दावे के संबंध में प्रक्रिया अधिकथित करने का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 109 सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 7क के शीर्ष को "और इलेक्ट्रॉनिक शुल्क जमा खाता" शब्द अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन

करने के लिए है।

विधेयक का खंड 110 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 51ख अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक शुल्क प्रत्यय खाता के सृजन और इसके उपयोजन की रीति का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 111 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 111 में एक नया खंड (थ) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अध्याय 5कक के उपबंधों के उल्लंघन में अनुचित रूप से आयातित माल का अधिहरण का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 112 धारा 156 की उपधारा (2) में एक नया खंड (झ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को अध्याय 5कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समय सीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निर्बंधन और अन्य विषयों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 113 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक शुल्क खाते को बनाए रखने, उस खाते से संदाय करने, किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा शुल्क के अंतरण की रीति, उससे संबंधित शर्तों, निर्बंधनों और समयसीमा के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 114 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसे रक्षोपायों, जिनके अंतर्गत घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति से निवारित करने के लिए किसी वस्तु के आयातों की बढ़ी हुई मात्रा को नियंत्रित करने के लिए टैरिफ दर कोटा भी है, को लागू किए जाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 115 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(क) कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में टैरिफ दरों को दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) नए टैरिफ अनुक्रमों का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से सृजन किया जा सके।

केंद्रीय माल और सेवा कर

विधेयक का खंड 116 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (114) का संशोधन करने के लिए है, जिससे "संघ राज्यक्षेत्र" की परिभाषा को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 'दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 के अनुरूप किया जा सके।

विधेयक का खंड 117 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम की उपधारा (1) और उपधारा (2क) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेने के लिए पात्रता की शर्तों को सुमेलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 118 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के प्रयोजनों के लिए अंतर्निहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से नामे नोट के जारी किए जाने की तारीख को असंबद्ध किया जा सके।

विधेयक का खंड 119 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 120 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे अधिकारिता

वाले कर प्राधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन के लिए उपबंधित अवधि को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 121** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को, उन सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किए जाएंगे तथा उनके जारी किए जाने के समय और रीति से संबंधित नियम बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 122** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को ऐसा प्रारूप और ऐसी रीति, जिसमें स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 123** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 124** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कतिपय संव्यवहारों के फायदाग्राही को, जिसकी प्रेरणा पर ऐसे संव्यवहार संचालित किए जाते हैं, शास्ति के लिए दायी बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 125** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय को बीजक या बीजक के बिना कपटपूर्ण उपभोग लेने के अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाया जा सके और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कतिपय संव्यवहारों के फायदे को प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसे संव्यवहार संचालित किए जाते हैं, दंड के लिए दायी बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 126** इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन ठहरावों से संबंधित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जिससे विद्यमान विधि के अधीन कतिपय उपभोग न किए गए प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए समय-सीमा और रीति विहित की जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 127** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिकारिता वाले आयुक्तों को, धारा 66 की उपधारा (5) और धारा 143 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन भी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 128** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से कठिनाइयों को दूर करने के लिए समयसीमा को तीन वर्ष से विस्तारित कर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 129** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 का संशोधन करने के लिए है, जिससे “चाहे वह प्रतिफल के लिए है या नहीं” शब्दों का लोप किया जा सके और उक्त पैरा की प्रविष्टि (क) और प्रविष्टि (ख) के अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 130**, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर केंद्रीय कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

यह, 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर छह प्रतिशत की घटी दर से केंद्रीय कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण के लिए और उपबंध करने के लिए है।

यह भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

विधेयक का **खंड 131**, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 708(अ), तारीख 30 सितंबर, 2017, 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है।

एकीकृत माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 132**, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय-सीमा को तीन वर्ष से विस्तारित कर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 133**, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर एकीकृत कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

इसमें 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर बारह प्रतिशत की घटी दर से एकीकृत कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण का और उपबंध करने के लिए है।

यह और भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 134** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 1 का संशोधन करने के लिए है, जिससे दादरा और नागर हवेली, संघ राज्यक्षेत्र और दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र की प्रास्थिति में परिवर्तन को प्रभावी किया जा सके और उक्त अधिनियम को लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू किया जा सके।

विधेयक का **खंड 135** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जिससे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 के अनुरूप “संघ राज्यक्षेत्र” की परिभाषा का संरेखण किया जा सके।

विधेयक का **खंड 136** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 137**, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित है) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर संघ राज्यक्षेत्र कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

यह, 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित है) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर छह प्रतिशत की घटी दर से संघ राज्यक्षेत्र कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण के लिए और उपबंध करने के लिए है।

यह और भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

विधेयक का **खंड 138** माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।

स्वास्थ्य उपकर

विधेयक का खंड 139 चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल पर सीमाशुल्क के रूप में पांच प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य उपकर का उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए है।

प्रकीर्ण

विधेयक के खंड 140 से खंड 142 भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है जिससे—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) में, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों में संव्यवहार की लिखतों के संबंध में कोई स्टॉप शुल्क से छूट का उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके।

(ख) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 73ख, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के अध्याय 2 के भाग कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए भूतलक्षी रूप से निदेश जारी करने और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश, परिपत्र और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करने हेतु अंतःस्थापित की जा सके।

विधेयक का खंड 143 बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अर्हताओं से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में कोई व्यक्ति, न्याय निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य रहा हो और वह उस सेवा में आय-कर आयुक्त या उसके समतुल्य पद धारण कर चुका हो या भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो और वह या उस सेवा में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद धारण कर चुका हो।

उक्त उपधारा में खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए अर्हित है, उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 144 निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य सेवा शर्तों से संबंधित है।

धारा 8 में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, ऐसे

किरायामुक्त आवास, वाहन सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में आय-कर से छूट देने का उपबंध है, जैसा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अध्याय 4 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए लागू हैं।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, ऐसे किरायामुक्त आवास, वाहन सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, आय-कर से दी गई छूट को, जैसी वे उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए लागू हैं, समाप्त किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 145 वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिस्थापित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 146 वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 116 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (7) में “कराधेय वस्तु संव्यवहारों” को परिभाषित किया गया है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “माल के विकल्प का विक्रय” और कीमतों या वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमतों में सूचकों पर आधारित वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय” को उक्त परिभाषा की परिधि में लाया जा सके।

इसमें उक्त धारा के खंड (8) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे “अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952” पदों के स्थान पर, “प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956” को प्रतिस्थापित किया जा सके और उसमें “जारी अधिसूचना” शब्दों को अंतःस्थापित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 147 उक्त अधिनियम की धारा 117 का संशोधन करने के लिए है जो वस्तु संव्यवहार कर के प्रभार से संबंधित है।

उक्त धारा की सारणी को एक नई सारणी से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 148 उक्त अधिनियम की धारा 118 का पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जो कराधेय वस्तु संव्यवहार के मूल्य से संबंधित है।

विधेयक का खंड 149 उक्त अधिनियम की धारा 119, धारा 120 और धारा 132क का संशोधन करने के लिए है जिससे “मान्यताप्राप्त संगम” शब्दों के स्थान पर “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए और बोर्ड को नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय से संबंधित है। उक्त धारा का प्रस्तावित नया स्पष्टीकरण 2क बोर्ड को, नियमों द्वारा, किन्हीं माल, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में संव्यवहार से "कुल संदाय" की रकम का उपबंध करने के लिए सशक्त बनाता है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।

विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (23ग) का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है जिसमें दूसरे परन्तुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश पारित किया जाना है।

उक्त धारा का प्रस्तावित नया खंड (23चड), केन्द्रीय सरकार को, "ऐसा अन्य कारखार", अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, जिससे किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की उसके द्वारा भारत में किए गए विनिधान से जहां कतिपय शर्तों में, ऋण या इक्विटी के प्ररूप में उद्भूत लाभांश, हित या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख अतःस्थापित करने के लिए है, जो नए रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रस्तावित नई धारा 12कख की उपधारा (3) बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करती है जिसमें उक्त उपधारा के अधीन आदेश पारित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो "वेतन" "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" से संबंधित है। उक्त धारा का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियमों द्वारा ब्याज, लाभांश या वैसी ही प्रकृति की किसी अन्य रकम के रूप में आय की संगणना की रीति का प्रबंधन करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का प्रस्तावित नया पांचवां परंतुक, अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या कंपनी द्वारा विहित प्राधिकारी को सूचना देने के प्ररूप और रीति को नियमों द्वारा विहित करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

प्रस्तावित नई उपधारा (1क) बोर्ड को विवरण तैयार करने, ऐसे विवरण की समय अवधि, सत्यापन का प्ररूप और रीति, ऐसी विवरणियों की विशिष्टियां और उन्हें प्रस्तुत करने के समय का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करती है। बोर्ड को सशक्त करने का यह और प्रस्ताव कि वह उसके संशोधन विवरण के सत्यापन का प्ररूप तथा रीति के लिए नियम बनाए। उक्त उपधारा के अधीन दाता को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र की रीति, विशिष्टियों तथा समय के संबंध में नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 21 कारखार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय के सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से आय-कर अधिनियमन की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 2 का प्रस्तावित संशोधन किसी "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है। यह केन्द्रीय सरकार को उसे अधिसूचित करने के लिए भी सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 33 आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को, उक्त विवरण में दी गई सूचना में किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए विवरण, समयावधि, सत्यापन का प्ररूप और रीति, विशिष्टियां और संशोधित विवरण के परिदान का समय, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त कर सके। यह दान के प्रमाणपत्र के लिए रीति, विशिष्टियां और समय के संबंध में नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए भी प्रस्तावित है।

बोर्ड को, विहित प्ररूप और रीति में नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए और प्रस्ताव है, जिसमें प्रस्तावित पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) का उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश पारित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 37 आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (7क), उपधारा (7ख), उपधारा (11ख) और उपधारा (11ग) में प्रस्तावित संशोधन, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप और उसकी विशिष्टियां, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए बोर्ड को सशक्त करते हैं।

विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (9क) उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार करने के लिए, शर्तें, प्रक्रिया और रीति विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए, बोर्ड को सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 53,— (i) व्यक्ति और हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खकग का अंतःस्थापन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (iii), नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी रीति में निर्धारित, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, अवक्षयण के दावा द्वारा, यदि कोई हो, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के आय संगणित रूप में उपबंधित है। (ii) कतिपय रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों के आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की नई धारा 115खकघ के अंतःस्थापन से है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का परंतुक बोर्ड को, आस्तियों के ब्लॉक के अवलिखित मूल्य के तत्स्थानी समायोजन को करने की रीति का नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करता है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) बोर्ड को, उक्त धारा के अधीन व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग करने की रीति के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 57 आय-कर अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का प्रस्तावित संशोधन नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप का उपबंध करने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए है, जिसमें लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 133क का संशोधन करने के लिए है, जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा के परंतुक का प्रस्तावित प्रतिस्थापन, बोर्ड को उक्त धारा के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नियमों द्वारा "ऐसा प्राधिकारी" विहित करने हेतु सशक्त करता है।

उक्त धारा में प्रस्तावित नई उपधारा (1छ), केंद्रीय सरकार को, "किसी अन्य व्यक्ति" को उक्त उपधारा के प्रवर्तन से छूट देने के लिए अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 67** आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो, से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को, इस प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा कम्पनी और सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में "किसी अन्य व्यक्ति" को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 74** कतिपय बचतपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज द्वारा आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का प्रस्तावित संशोधन, केन्द्रीय सरकार को किसी भारतीय कंपनी के रूप में अंकित मूल्य के बंधपत्र के संबंध में "ब्याज की दर" अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 93** एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को उक्त धारा में अतःस्थापित नई उपधारा (1छ) के उपबंधों को लागू करने से छूट देने के लिए "कोई अन्य व्यक्ति" को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 95** आय-कर अधिनियम की धारा 250 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील में प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (6ख), बोर्ड को, धारा 250 के अधीन अपील के निपटान के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बनाने के लिए सशक्त करती है और उपधारा (6ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार को स्कीम को प्रभावी करने हेतु अधिसूचना जारी करने और आयुक्त (अपील) द्वारा अपील का निपटारा करने की अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित निदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 100** आय-कर अधिनियम की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (2क), बोर्ड को, अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम बनाने के लिए और स्कीम को प्रभावी करने के लिए उपधारा (2ख) के अधीन अधिसूचना जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु और आय-कर प्राधिकारियों द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित निदेश देने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 101** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरण से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विहित आय-कर प्राधिकारी एक वार्षिक सूचना विवरणी, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी सूचना के साथ, जो विहित की जाए, अपलोड करेगा।

विधेयक का **खंड 102** आय-कर अधिनियम की धारा 288 का संशोधन करने के लिए है, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" की परिभाषा का उपबंध है, जो उक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो बोर्ड को, नियमों द्वारा, "ऐसे किसी अन्य व्यक्ति" का, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी हाजिर हो सकेगा, उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 112** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें केन्द्रीय सरकार को अध्याय 5कक के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समयसीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निर्बंधन और ऐसे अन्य विषयों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिससे उसमें एक नया खंड (i) अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 113** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें बोर्ड को, इलैक्ट्रॉनिक शुल्क जमा खाते का अनुक्षण करने, ऐसे खाते से संदाय करने, जमा शुल्क का एक व्यक्ति के खाते से अन्य व्यक्ति के खाते में अंतरण की रीति और उससे संबंधित शर्तों, निर्बंधनों और समयसीमा का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए एक नया खंड अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 114** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के खंड 8ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (10) केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति, जिसमें सुक्षापायों के लिए दायी वस्तुओं की पहचान की जा सके, वह रीति, जिसमें पहचान की गई वस्तु के संबंध में गंभीर क्षति के कारणों या गंभीर क्षति की आशंका के कारणों का अवधारण किया जा सकेगा, सुक्षा शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की रीति, वह रीति, जिसमें पहचान की गई वस्तु पर टैरिफ दर कोटा प्रदाय करने वाले देशों के बीच आबंटित किया जा सकेगा, सुक्षापायों और किसी अन्य सुक्षापाय के रूप में टैरिफ दर कोटा कार्यान्वयन करने की रीति और उसके लागू करने की रीति का उपबंध करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 121** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) सरकार को कर बीजक जारी करने के समय और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 122** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (3) सरकार को उस प्ररूप और रीति का, जिसमें स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 126** भूतलक्षी रूप से, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विद्यमान विधि के अधीन कतिपय लाभ न लिए गए प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए समय सीमा और रीति का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करती है।

2. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसरण में नियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचनाएं या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय
प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[श्रीमती निर्मला सीतारामन,
वित्त मंत्री]

वित्त विधेयक, 2020

प्रत्यक्ष कर और संबद्ध विधियों से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विधेयक" कहा गया है) के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, आय कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम' कहा गया है), बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम" कहा गया है) और वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कर प्रोत्साहन देकर, सहकारी सोसाइटी, व्यक्ति और हिंदू अविभक्त कुटुंब के लिए कर दर को कम करके, कर आधार को गहन और विस्तृत करके, करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करके, कर दुरुपयोग को नियंत्रित करके और कर प्रशासन में प्रभावकारिता, पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करके, प्रत्यक्ष कर में उत्पलावकता को गति प्रदान करना जारी रखा जा सके।

उपरोक्त को हासिल करने की दृष्टि से, संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्तावों को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन व्यवस्थित किया गया है :

- (क) आय कर की दरें;
- (ख) कर प्रोत्साहन;
- (ग) करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करना;
- (घ) कर निश्चितता प्रदान करने के लिए उपाय;
- (ङ) कर आधार को विस्तृत और गहन बनाना;
- (च) राजस्व बढ़ाने के उपाय;
- (छ) कर प्रशासन की प्रभावकारिता को बेहतर करना;
- (ज) कर दुरुपयोग निवारण; और
- (झ) अधिनियम के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण।

प्रत्यक्ष कर

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर से दायी आय के संबंध में आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर से दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय के संबंध में, आय-कर की दरें, या तो विनिर्दिष्ट धाराओं (जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 15खकक या धारा 15खकख में) विनिर्दिष्ट की गई हैं या विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो "अग्रिम कर" की संगणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा यथा संशोधित, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा —

- (क) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति निकाय या व्यक्ति संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है,—
 - (i) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (ii) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (iii) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (iv) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - (v) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु जो उपरोक्त खंड (iii) या (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

- (कक) ऐसे व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति निकाय या व्यक्ति संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—
- जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ; और
 - जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को सम्मिलित करके] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

- प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनियों के सिवाय, जिनकी आय, अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—
 - जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, दस प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
 - जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
 - जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया जाएगा ;
- अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 92गड, धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक या धारा 115नघ है) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उदग्रहण किया जाएगा।

(2) सीमांत अनुतोष—

सभी मामलों में, जहां अधिभार अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है, सीमांत अनुतोष भी प्रदान किया गया है।

(3) शिक्षा उपकर—

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, सभी मामलों में, इस प्रकार संगणित आय-कर की रकम पर, जिसमें अधिभार भी सम्मिलित है, जहां लागू है, चार प्रतिशत की दर से "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" उद्ग्रहीत किया जाएगा। ऐसे अधिभार के संबंध में कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। उन धाराओं के लिए, जिनमें स्रोत पर कर कटौती की दर विनिर्दिष्ट हैं, कर की कटौती इन धाराओं के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी। धाराओं में ही दरें विनिर्दिष्ट करते हुए, दो नई धाराएं, धारा 194ट और धारा 194ण अंतःस्थापित की गई हैं। धारा 194 की दर, प्रवृत्त दर से उपांतरित करके दस प्रतिशत की गई है।

(1) अधिभार—

किसी अनिवासी व्यक्ति (किसी कंपनी से भिन्न) की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार द्वारा,—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—
- (i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रूपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रूपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (iii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रूपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (iv) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ग) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
- (i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रूपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से संगणित करके बढ़ा दिया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर—

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अर्न्तगत किसी देशी कंपनी से भिन्न कंपनी भी है, आय-कर पर, जिसमें अधिभार सम्मिलित है, जहां लागू हो, चार प्रतिशत की दर से "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, "अग्रिम कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना से लिए भी दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण, जिनके द्वारा कर अपवंचन के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विद्यमान आयों पर आय-कर प्रभारित करने के लिए भी ये दरें लागू हैं। व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब (अधिनियम की धारा 115खकग) और निवासी सहकारी सोसाइटियों (अधिनियम की धारा 115खकघ) के संबंध में इन करदाताओं को एक विकल्प के साथ, कर दरों के लिए नए उपबंध अंतःस्थापित किए गए हैं। उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैरों में उपदर्शित की गई हैं—

अ. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम, व्यक्ति निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क, आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है:—

- (i) प्रत्येक व्यक्ति इन्नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्नट या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है), आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं :—

2,50,000 रूपए तक	शून्य
2,50,001 रूपए से 5,00,000 रूपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रूपए से 10,00,000 रूपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रूपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को (जिसमें धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के अधीन पूंजी अभिलाभ भी हैं), साथ ही धारा 115खकग के अधीन संगणित आय-कर की रकम को,—

- (क) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ख) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ग) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (घ) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ;
- (ङ) जहां कुल आय (अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अधिभार की दशा में सीमांत अनुतोष प्रदान किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) से, व्यक्ति और हिंदू अविभक्त कुटुंब करदाताओं को अधिनियम की नई अंतःस्थापित धारा 115खकग के अधीन कराधान के चयन का विकल्प होगा और निवासी सहकारी सोसाइटी को, अधिनियम की नई अंतःस्थापित धारा 115खकघ के अधीन कराधान के चयन का विकल्प होगा। इस पर बाद में चर्चा की गई है।

आ. सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट हैं। आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 से, निवासी सहकारी सोसाइटी को नई अंतःस्थापित धारा 115खकघ के अधीन कराधान के चयन का विकल्प होगा। इस पर बाद में चर्चा की गई है।

इ . फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर वही बनी रहेगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई . स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ. कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में, यदि पूर्व वर्ष 2018-19 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चार अरब रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर की दर, कुल आय की पच्चीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में, आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी। तथापि, देशी कंपनी को भी, धारा 115बकक या धारा 115खकख के अधीन, उनमें अंतर्विष्ट कतिपय शर्तों के पूरा करने पर, कराधान के चयन का विकल्प होगा। धारा 115खकख में कर दर 15 प्रतिशत है और धारा 115खकक में कर दर 22 प्रतिशत है। दोनों दशाओं में अधिभार 10 प्रतिशत है।

देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में, कर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी (उसके सिवाय, जो अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115खकख के अधीन कराधान का विकल्प लेती है) की दशा में, यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनी (उसके सिवाय, जो अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115खकख के अधीन कराधान का विकल्प लेती है) की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर के अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में, यदि उनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, विद्यमान दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, जो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

अधिभार में सीमांत अनुतोष प्रदान किया गया है।

अन्य दशाओं में [धारा 92गड की उपधारा (2क), धारा 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक या धारा 115नघ सम्मिलित], बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, सभी मामलों में, इस प्रकार संगणित कर की रकम पर, जिसमें अधिभार भी सम्मिलित है (जहां लागू है), चार प्रतिशत की दर से "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। ऐसे मामलों के संबंध में कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

IV विभिन्न व्यक्ति के प्रवर्गों के लिए दरों पर अन्य संशोधनों का प्रभाव

क. निवासी सहकारी समिति प्रोत्साहन :

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 के अधिनियम के पश्चात विनिधान आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त राजकोष बढ़ाने, नियोजन पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों के कारण अर्थव्यवस्था में वर्धन करने के लिए और विश्वभर के अनेक देशों द्वारा कार्पोरेट आयकर की दर में कटौती को ध्यान में रखते हुए कराधान विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित किया गया था। कराधान विधि संशोधन अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में धारा 115खकक को पुरःस्थापित किया गया, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई विद्यमान देशी कंपनी 22 प्रतिशत की दर पर कर संदाय का विकल्प ले सकेगी, यदि वह उक्त धारा में यथा उपबंधित किसी प्रोत्साहन या कटौती का दावा नहीं करती है। उक्त धारा के अधीन किसी देशी कंपनी द्वारा 22 प्रतिशत की दर पर कर संदाय का विकल्प चुनने की दशा में, यह उपबंध किया जाता है कि:-

- (क) विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान करने में असफल होने पर रियायत दर के लिए उसे निरहित कर दिया जाएगा और अधिनियम के साधारण उपबंध लागू होंगे।
- (ख) समामेलन जो किसी प्रोत्साहन, कटौती या छूट के लिए माना गया है, से उद्भव समझी गई हानि या अवक्षयण, को आय संगणना में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, जहां कहीं किसी ब्लॉक आस्ति के संबंध में शेष अवक्षयण भत्ता, जिसे पूर्व वित्तीय वर्षों में पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं किया गया, 1 अप्रैल, 2019 को ऐसी ब्लॉक आस्तियों के अवलिखित मूल्य पर तत्स्थानी समायोजना किया जाएगा।
- (घ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट, यदि कोई हो, के संबंध में, उसमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने पर, अधिनियम की धारा 80ठक के अधीन कटौती का हकदार होगा।

यह और भी उपबंध किया गया था कि ऐसी कंपनी अधिनियम की धारा 115जख के अधीन निम्नतम अनुकल्पी कर (एम.ए.टी) के अध्यक्षीन नहीं होगी और निम्नतम अनुकल्पी कर प्रत्यय का अग्रनयन तथा मुजरा, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 115जकक के अधीन अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुरूप निवासी सहकारी समिति की दशा में, पणधारियों से कर की रियायत दर का उपबंध करने के लिए, अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक नई धारा (115खकघ) के अन्तःस्थापन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध हो सके कि:-

- (i) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, परंतु अध्याय 12 के उपबंधों तथा कतिपय शर्तों के समाधान के अधीन रहते हुए, भारत में कोई निवासी सहकारी समिति को उसकी कुल आय के संबंध में निर्धारण वर्ष 2021-22 से आगे 22 प्रतिशत की दर पर कर संदाय का विकल्प होगा, इस प्रकार तथापि यह किसी पूर्व वर्ष में शर्तों का समाधान करने में असफल रहता है, तो विकल्प अवैध हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे।
- (ii) रियायत दर के लिए शर्त, यह होगी कि—
- (क) सहकारी समिति की कुल आय की संगणना, धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (2कक) या उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या धारा 35कघ या धारा 35गगग के उपबंधों के अधीन या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन, बिना किसी कटौती के की जाएगी।
- (ख) सहकारी समिति की कुल आय की संगणना किसी पूर्व निर्धारण वर्ष से अग्रणीत हानि या अवक्षयण के मुजरा के बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट किन्ही कटौतियों में से मानी गई हो; और
- (ग) सहकारी समिति की कुल आय की संगणना, धारा 32 के अधीन उसकी उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय ऐसी रीति में जो विहित की जाए अवक्षयण अवधारित, यदि कोई हो, के दावे के द्वारा की जाएगी।
- (iii) उपरोक्त (ii)(ख) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चातवर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि या अवक्षयण हेतु और कटौती नहीं अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, जहां कहीं ब्लॉक आस्ति के संबंध में अवक्षयण भत्ता है जिसे 1 अप्रैल, 2021 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पूर्व पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, 1 अप्रैल, 2020 को विहित रीति में, ऐसी ब्लाक आस्तियों के अवलिखित मूल्य पर तत्स्थानी समायोजन किया जाएगा, यदि विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए किया गया हो; और
- (iv) रियायत दर तब तक लागू नहीं होंगी, जब तक कि सहकारी समिति द्वारा विहित रीति में, 1 अप्रैल, 2021 को या के पश्चात आरंभ हो रहे निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या से पूर्व, विकल्प प्रयोग नहीं किया जाता और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा; और
- (v) यदि किसी व्यक्ति की, धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र आई.एफ.एस.सी. में कोई यूनिट है, धारा 80ठक के अधीन कटौती उस धारा में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा होने पर ही ऐसी यूनिट को उपलब्ध होगी; और
- (vi) ऐसा प्रयोग किया गया विकल्प वापिस नहीं लिया जा सकता।
- (vii) ऐसी सहकारी समितियों को लागू अधिभार 10 प्रतिशत पर उद्ग्रहीत होगा।

अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुकल्पी निम्नतम कर (एएमटी) से संबंधित उपबंध, ऐसी सहकारी समितियों को लागू नहीं होंगे।

अधिनियम की धारा 115जघ का संशोधन करने का और प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ए.एम.टी. प्रत्यय के अग्रनयन और मुजरा से संबंधित उपबंध, यदि कोई हो, ऐसी सहकारी समितियों को लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 53, 57 और 58]

ख. व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुंब प्रोत्साहन:

कराधान विधि संशोधन अधिनियम के अधीन देशी कंपनियों को उपबंधित विकल्पों के अनुरूप और इस विधेयक के अधीन निवासी सहकारी समितियों को उपबंध करने का प्रस्ताव करने के लिए, अधिनियमों में धारा 115खकग के अंतःस्थापन द्वारा व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुंब को समान विकल्प का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है, जो निम्नलिखित उपबंध करती है:-

- (i) कतिपय शर्तों के समाधान पर, किसी व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को निर्धारण वर्ष 2021-22 से आगे, कुल आय के संबंध में निम्नलिखित दरों पर कर संदाय के लिए विकल्प होगा:-

कुल आय (₹.)	दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000	5 प्रतिशत
5,00,001 से 7,50,000	10 प्रतिशत
7,50,001 से 10,00,000	15 प्रतिशत
10,00,001 से 12,50,000	20 प्रतिशत
12,50,001 से 15,00,000	25 प्रतिशत
15,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

- (ii) प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए विकल्प प्रयोग किया जाएगा, जहां व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कोई कारबार आय नहीं है और अन्य दशा में पूर्व वर्ष के लिए एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उस पूर्व वर्ष तथा सभी पश्चात्तर्ती वर्षों के लिए वैध होगा।
- (iii) विकल्प यथास्थिति, पूर्व वर्ष या पूर्व वर्षों के लिए अवैध होगा यदि व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, शर्तों का समाधान करने में असफल रहते हैं और अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे।
- (iv) रियायत दर के लिए शर्त यह होगी कि—
- (क) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना, धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) या खंड (14) के अधीन विहित (इस प्रयोजन के लिए यथाविहित से भिन्न) या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 या धारा 24 का खंड (ख) धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 57 के खंड (iiक) या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80जजकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6-क के उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती या छूट की जाएगी;
- (ख) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना, किसी हानि के मुजरे के बिना की जाएगी—
- (i) किसी पूर्व निर्धारण वर्ष का कोई अग्रनयन या अवक्षयण, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण हुआ माना जाएगा; या
- (ii) गृह संपत्ति के शीर्ष के अधीन किसी अन्य आय के शीर्ष सहित;
- (ग) व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना, धारा 32 सिवाय उसकी उपधारा (1) के खंड (iiक) के अधीन यथाविहित ऐसी रीति में आधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, के दावे द्वारा की जाएगी;
- (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित किसी भी नाम से ज्ञात द्वारा भत्तों या परिलब्धियों के लिए बिना किसी कटौती या छूट के व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना की जाएगी।
- (v) उपरोक्त (ii)(ख) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चात्तर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि और अवक्षयण हेतु कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, इस प्रकार तथापि जहां कहीं ब्लॉक आस्ति के संबंध में अवक्षयण भत्ता है जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, विहित रीति में 1 अप्रैल, 2020 को ऐसे ब्लॉक आस्तियों के अवलिखित मूल्य का तत्स्थानी समायोजन किया जाएगा, यदि विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए किया गया हो;
- (vi) रियायत दर लागू नहीं होगी, जब तक कि विकल्प का प्रयोग व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा विहित प्ररूप और रीति में किया जाए,—
- (क) जहां ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कोई कारबार आय नहीं है, साथ ही अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत की जाए; और
- (ख) अन्य किसी दशा में, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या से पूर्व, 1 अप्रैल, 2021 को या से पश्चात आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करना और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा;
- (vii) यदि व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथाविनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र इविशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग)ट में कोई यूनिट है, धारा 80ठक के अधीन कटौती उस धारा में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा होने पर ऐसी यूनिट को उपलब्ध होंगी; और
- (viii) विकल्प को वापिस केवल एक बार लिया जा सकता है जहां पूर्व वर्ष से भिन्न वर्ष जिसमें इसका प्रयोग किया गया था, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिनकी कारबार आय है के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब कभी भी इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने का पात्र नहीं होंगे, सिवाय जहां ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कारबार आय बंद है, उस दशा में उपरोक्त पैरा (vi)(क) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा।

यह और भी अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुकल्पी निम्नतम कर से संबंधित उपबंध, ऐसे व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिनकी कारबार आय है, को लागू नहीं होंगे।

यह और भी अधिनियम की धारा 115जघ का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ए.एम.टी. प्रत्यय के अग्रनयन और मुजरा से संबंधित उपबंध, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिनकी कारबार आय है, को लागू नहीं होंगे।

उपर (iiक) पर सूचीबद्ध शर्त से, अधिनियम की नई अंतःस्थापित धारा 115खकग के अधीन व्यष्टिकों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा कराधान का विकल्प चुनना, अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित छूट/कटौतियों के हकदार नहीं होंगे:—

- (i) धारा 10 के खंड (5) में यथा अंतर्विष्ट छुट्टी यात्रा रियायत;
- (ii) धारा 10 के खंड (13क) में यथा अंतर्विष्ट मकान किराया भत्ता;

- (iii) धारा 10 के खंड (14) में यथा अंतर्विष्ट कुछ एक भत्ते;
- (iv) धारा 10 के खंड (17) में यथा अंतर्विष्ट सांसदों/विधायकों के भत्ते;
- (v) धारा 10 के खंड (32) में यथा अंतर्विष्ट नाबलिंग की आय के लिए भत्ता;
- (vi) धारा 10कक में अंतर्विष्ट एस.ई.जेड यूनिट के लिए छूट;
- (vii) धारा 16 में यथा अंतर्विष्ट मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता के लिए कटौती और नियोजन/वृत्तिक कर;
- (viii) धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्वतः अधिभोगी या खाली संपत्ति के संबंध में धारा 24 के अधीन ब्याज। (गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अधीन किराए के मकान के लिए हानि, किसी अन्य शीर्ष के अधीन मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और विधि के विस्तार अनुसार अग्रेषण अनुज्ञात किया जाएगा);
- (ix) धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के अधीन अतिरिक्त अवक्षयण;
- (x) धारा 32कघ, 33कख, 33कखक के अधीन कटौतियां;
- (xi) धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) के अंतर्विष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान पर दान या व्यय के लिए विभिन्न कटौतियां;
- (xii) धारा 35गगग या धारा 35कघ के अधीन कटौती;
- (xiii) धारा 57 के खंड (iiक) के अधीन परिवार पेंशन से कटौती;
- (xiv) अध्याय 6क (जैसे धारा 80ग, 80गगग, 80गगघ, 80घ, 80घघ, 80घघख, 80ड, 80डड, 80डडक, 80डडख, 80छ, 80छछ, 80छछक, 80छछग, 80झक, 80झकख, 80झकग, 80झख, 80झखक आदि) के अधीन कोई कटौती। तथापि, धारा 80गगघ की उपधारा (2) (अधिसूचित पेंशन स्कीम में कर्मचारी के खाते में नियोजक द्वारा अभिदाय) और धारा 80जजकक (नए नियोजन के लिए) के अधीन कटौती का दावा किया जा सकता है।

जैसे कि नियमों की अधिसूचना के माध्यम से कई भत्तों का उपबंध किया गया है, आय कर नियम, 1962 (नियम) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया, तत्पश्चात्, जिससे कि प्रस्तावित धारा के अधीन व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को अधिनियम की धारा 10(14) के अधीन अधिसूचित निम्नलिखित भत्तों को अनुज्ञात किया जाए:

- (क) एक दिव्यांग कर्मचारी को अपने निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच में आने जाने के व्यय के प्रयोजन के लिए अनुदत्त परिवहन भत्ता।
- (ख) कार्यालय के व्यक्ति के अनुपालन में प्रवहण पर व्यय को पूरा करने के लिए अनुदत्त प्रवहण भत्ता।
- (ग) दौरे या अंतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए अनुदत्त कोई भत्ता।
- (घ) किसी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यस्थल से अनुपस्थिति पर उपगत साधारण दैनिक प्रभार को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता।

पश्चात्पूर्वी नियमों के नियम 3 का संशोधन भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि कर्मचारी, जो नियोजक द्वारा प्रस्तावित धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है, को वाऊवर के माध्यम से मुफ्त खाना और पेय के संबंध में प्रदान छूट को हटाया जा सके,

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 53, 57 और 58]

ग. धारा 115खकक और धारा 115खकख के अधीन देशी कंपनियों के लिए रियायत कर स्कीमों का उपांतरण

कराधान विधि संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 115खकक और धारा 115खकख अंतःस्थापन किया गया था, जिससे कि देशी कंपनियों को रियायत दरों पर कर देने का विकल्प उपबंधित किया जा सके, बशर्ते कि वह विनिर्दिष्ट कटौती और प्रोत्साहन का लाभ न लें। कुछ प्रतिषिद्ध कटौतियां धारा 80जजकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6-क के अधीन शीर्ष "ग. कतिपय आय के संबंध में कटौती" के किन्ही उपबंधों के अधीन कटौती है।

इन धाराओं के अधीन कराधान के लिए विकल्प चुनने वाली देशी कंपनियों की दशा में, धारा 80जजकक से भिन्न अध्याय 6-क के किन्हीं उपबंधों के अधीन कटौती की अनुज्ञा न देने के लिए धारा 115खकक और धारा 115खकख के उपबंधों का संशोधन अब प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

[खंड 51 और 52]

घ. संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) अध्यक्ष और सदस्य तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को उपबंधित कतिपय परिलब्धियों या भत्तों पर छूट वापिस लेना:—

अधिनियम की धारा 10 विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कतिपय आय और क्रियाकलापों के संबंध में छूट उपबंध करती है। वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा अंतःस्थापित खंड (45) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई भत्ता या परिलब्धि यदि यू.पी.एस.सी. के अध्यक्ष या सदस्यों सेवारत/सेवानिवृत्त को संदत्त है तो उन्हें उनकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार आय कर से उन्हें छूट होगी।

आगे, अधिसूचना सं. 49/2011, 6 सितंबर, 2011, सा.का. 2045 (अ) द्वारा यू.पी.एस.सी. के सेवारत अध्यक्ष और सदस्यों की दशा में, 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी रूप से, अधिनियम की धारा 10 के खंड (45) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भत्ते और परिलब्धियां आय कर से छूट प्राप्त होंगी:

- (i) किराया मुक्त शासकीय निवास का मूल्य;
- (ii) प्रवहन सुविधा, जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता भी है, का मूल्य;
- (iii) सत्कार भत्ता;
- (iv) यू.पी.एस.सी. के सेवारत अध्यक्ष या सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों को उपबंधित छुट्टी यात्रा रियायत का मूल्य।

यू.पी.एस.सी. के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और सदस्यों की दशा में, उक्त अधिसूचना कथन करती है कि 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी रूप से अधिनियम की धारा 10 के खंड (45) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भत्ते और परिलब्धियां आयकर से छूट प्राप्त होंगी;

- (i) किसी अर्दली की सेवाओं को चुकाने और सचिवीय सहायक जो संविदा आधार पर है, के लिए उपगत व्यय को पूरा करने के लिए, प्रतिमास 14,000/- रु. की अधिकतम रकम;
- (ii) मुफ्त निवासीय दूरभाष की लागत का मूल्य और 1500 प्रतिमास की सीमा तक मुफ्त कॉल की संख्या (सभी और दूरभाष प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात प्रतिमास मुफ्त कॉल की संख्या की उपरी सीमा)

निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 8, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों को अवधारित करती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को किराया मुक्त निवास, प्रवहन सुविधा, सरकार भत्ता, चिकित्सीय सुविधा के मूल्य पर आयकर छूट का उपबंध करती है और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1958 के अध्याय 6 के और तद्वहिन बनाए गए नियम के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लागू सेवा की ऐसी अन्य शर्तों का उपबंध करती है।

इन छूटों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित प्रस्तावित है :—

- (i) अधिनियम की धारा 10 के खंड (45) का लोप;
- (ii) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त और कारबार संव्यवहार की शर्तों) अधिनियम, 1991 की धारा 8 का संशोधन किया जाए, जिससे कि किराया मुक्त निवास, प्रवहन सुविधा, सरकार भत्ता, चिकित्सीय सुविधा के मूल्य पर आयकर छूट का लोप किया जाए और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को यथा लागू सेवा की अन्य ऐसी शर्तों का लोप किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7 और 144]

ख. कर प्रोत्साहन

आबू धाबी विनिधान प्राधिकारी और प्रभुतासंपन्न धन निधि की पूर्णतः स्वामित्व समनुषंगी की कतिपय आय के संबंध में छूट:—

अधिनियम की धारा 10 विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कतिपय आय और क्रियाकलापों के संबंध में छूट का उपबंध करती है।

प्रभुतासंपन्न धन निधि, जिसके अंतर्गत आबू धाबी विनिधान प्राधिकारी (ए.डी.आई.ए.) की पूर्णतः स्वामित्व समनुषंगी भी हैं, के विनिधान की अभिवृद्धि करने के लिए, उक्त धारा में एक नए खंड का अंतःस्थापन प्रस्तावित है, जिससे किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की लाभांश, ब्याज यी दीर्घ-काल पूंजी अभिलाभ, जो भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान से उद्भूत है, की प्रकृति की किसी आय पर छूट उपबंध किया जाए, चाहे कोई कंपनी या उद्यम जो विकास, प्रचालन और अनुसंधान का कारबार कर रहे हैं, या अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी अवसंरचना सुविधा का विकास, प्रचालन या अनुसंधान कर रहे हैं या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य कारबार कर रहे हैं। छूट हेतु पात्र होने के लिए, विनिधान 31 मार्च, 2024 को या से पूर्व किया जाना अपेक्षित है और उसे निम्नतम तीन वर्षों के लिए धारित किया जाना अपेक्षित है।

इस छूट के प्रयोजन के लिए "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" परिभाषित करना प्रस्तावित है, जिससे यह अभिप्रेत हो कि—

- (क) ए.डी.आई.ए. की पूर्णतः स्वामित्व समनुषंगी जो कि यूनाईटेड अरब अमीरात (यू.ए.ई.) का निवासी है और जो यूनाईटेड अरब अमीरात की सरकार द्वारा स्वामित्व निधि में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिधान करता है; और
- (ख) प्रभुतासंपन्न धन निधि, जो निम्नलिखित शर्तों का समाधान करती है:—
 - (अ) इस पर विदेशी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः स्वामित्व रखा जाता है या नियंत्रित रखा जाता है;
 - (आ) इसे विदेशी विधि के अधीन स्थापित और विनियमित किया जाता है;
 - (इ) इसका उपार्जन या तो विदेशी सरकार के खाते में जमा होता है या उस सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में जमा होता है। यह ध्यान रखा जाए कि उपगत उपार्जन का कोई भी भाग किसी निजी व्यक्ति के फायदे के लिए उपयोग नहीं होगा।
 - (ई) विघटन होने पर इसकी आस्तियां विदेशी सरकार के पास रहती हैं;
 - (उ) यह भारत में या भारत से बाहर किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप का जिम्मा नहीं लेता है; और

(ऊ) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यह राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 को प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

भारतीय नीतिगत पेट्रोलियम आरक्षितियां लिमिटेड के कतिपय आय के संबंध में छूट:

अधिनियम की धारा 10, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कतिपय आय और क्रियाकलापों के संबंध में छूट के लिए उपबंध करता है।

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अंतःस्थापित खंड (48क), उपबंध करता है कि भारत में कच्चे तेल के भंडारण की सुविधा पर विदेशी कंपनी को उपगत या उद्भूत कोई आय और उसमें से किसी भारतीय निवासी को कच्चे तेल के विक्रय को कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि विदेशी कंपनी द्वारा भण्डारण और विक्रय, केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी करार या किसी प्रबंध के अनुसरण में किया गया है; और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी कंपनी, और करार या प्रबंध के द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

उक्त धारा के खंड (48ख) का अंतःस्थापन वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा किया गया था और वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधन किया गया, किसी विदेशी कंपनी को खंड (48क) में निर्दिष्ट करार या प्रबंध के अवसान के पश्चात् भारत में सुविधा से कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक, यदि कोई हो के विक्रय पर या यथास्थिति इसमें उल्लिखित निबंधनों के अनुसरण में उक्त करार या प्रबंध के निष्कासन पर इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी शर्तों के अधीन रहने हुए, कोई उपगत या उद्भूत आय के संबंध में छूट उपबंधित करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में इसके भण्डारण सुविधा में भण्डारित कच्चे तेल की पुनः पूर्ति के लिए प्रबंध के परिणामस्वरूप तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्णतः स्वामित्व समानुषंगी के रूप में भारतीय नीतिगत पेट्रोलियम आरक्षितियां लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.) की उपगत या उद्भूत किसी आय को धारा 10 में नए खंड के अंतःस्थापन द्वारा छूट उपबंधित करने का प्रस्ताव है, यह छूट इस शर्त के अधीन होगी कि कच्चे तेल की उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कच्चा तेल भण्डारण सुविधा से पहली बार हटाया गया था, के अंत से तीन वर्ष के भीतर भण्डारण सुविधा में पुनः पूर्ति की जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा तत्पश्चात् निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

स्टार्ट-अप के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण:

अधिनियम की धारा 80-झकग के विद्यमान उपबंध निर्धारित के विकल्प पर किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा सात वर्ष में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के लिए उसके पात्र कारबार से लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का उपबंध करते हैं, शर्तों के अधीन रहते हुए कि पात्र स्टार्ट-अप 1 अप्रैल, 2016 को या के पश्चात् परंतु 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व निगमित किया गया है और उसके कारबार की कुल आय पच्चीस करोड़ रु. से अधिक नहीं होती है।

स्टार्ट-अप से संबंधित उपबंधों को और सुव्यवस्थित करने के लिए, अधिनियम की धारा 80-झकग का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध हो सके कि-

- उक्त धारा 80-झकग के अधीन कटौती पात्र स्टार्ट-अप को उस वर्ष से आरंभ करके जिसमें वह निगमित हुआ था से दस वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।
- उक्त धारा के अधीन कटौती पात्र स्टार्ट-अप को उपलब्ध होगी, यदि उसके कारबार की कुल आवर्त उस वर्ष से जब वह निगमित हुआ था से आरंभ करके पिछले वर्षों में एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36]

अधिनियम की धारा 80-झखक के अधीन कटौती प्राप्त करने के लिए वहनीय आवास परियोजना के अनुमोदन के लिए समय सीमा का विस्तार:-

अधिनियम की धारा 80-झखक के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करते हैं कि जहां निर्धारित की सकल कुल आय में वहनीय आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ भी सम्मिलित है, वहां इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर एक रकम कटौती के लिए अनुज्ञात होगी। धारा में अंतर्विष्ट शर्तें, अन्य बातों के साथ साथ, विहित करती है कि परियोजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया है।

वहनीय आवास निर्माण को प्रोत्साहित करके ऐसे आवासों की पूर्ति का वर्धन करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन की अवधि का विस्तार 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 38]

अधिनियम की धारा 80-डडक के अधीन कटौती प्राप्त करने के लिए वहनीय आवास हेतु ऋण मंजूरी के लिए समय सीमा का विस्तार:

अधिनियम की धारा 80-डडक के विद्यमान उपबंध, वहनीय आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का उपबंध करते हैं। अनुज्ञात कटौती एक लाख पचास हजार रुपये तक की है और कतिपय शर्तों के अध्यधीन है। शर्तों में से एक शर्त है कि ऋण वित्तीय संस्थान द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान मंजूर किया गया है।

उक्त कटौती, प्रथम क्रेताओं को आवासीय गृह संपत्ति जिनकी स्टाम्प ड्यूटी पैंतालीस लाख रुपये से अधिक नहीं होती है, मं विनिधान को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है। वहनीय आवास के क्रय में लगातार अभिवृद्धि के लिए, वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण मंजूरी की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-22 और तत्पश्चात् निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 32]

अपतट निधि के लिए शर्तों में उपांतरण, "कारबार संयोजन से छूट:

अधिनियम की धारा 9क, अपतट निधि के संबंध में विशेष व्यवस्था का कतिपय शर्तों के पूरा होने पर भारत में "कारबार संयोजन" के बनाने से उन्हें छूट प्रदान करने का उपबंध करती है। यह उपबंध करती है कि पात्र विनिधान निधि की दशा में, ऐसी निधि के निमित्त कार्य कर रहे पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किया गया निधि प्रबंध क्रियाकलाप, उक्त निधि का भारत में कारबार संयोजन के लिए गठन नहीं करेगा। आगे, एक पात्र विनिधान निधि केवल इस लिए ही भारत में निवासी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके निमित्त पात्र निधि प्रबंधक, जो निधि विनिधान क्रियाकलापों को करवा रहा है, भारत में स्थित है। धारा 9क के अधीन उपलब्ध फायदे उसकी उपधारा (3), (4) और (5) में यथा उपबंधित शर्तों के अध्यधीन है। धारा 9क की उपधारा (3) निधि की पात्रता की शर्तों को उपबंधित करती है।

उक्त उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन उपबंधित निधि की पात्रता शर्तों में से एक शर्त अपेक्षा करती है कि भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान, समग्र निधि पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो कथन करते हैं कि शर्त का अनुपालन करना शुरूआती वर्षों में इस कारण से कि पात्र निधि प्रबंधक से, जो भारत में निवासी है, से उसका पैसा "स्कीम इन द गेम" के रूप में साख बनाने हेतु विनिधान करवाना अपेक्षित था।

उक्त उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन निधि की पात्रता के लिए एक अन्य शर्त उपबंधित है जो अपेक्षा करती है कि समग्र निधि की मासिक औसत एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी, सिवाय हां निधि पूर्व वर्ष में स्थापित या निगमित की गई हो, की दशा में समग्र निधि उसके स्थापन या निगमन के मास के अंतिम दिन से छह मास की अवधि के समापन पर एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी या ऐसे पूर्व वर्ष के समापन पर, जो भी बाद में हो। यह शर्त उस दशा में लागू नहीं होती है जहां निधि का परिसमापन कर दिया गया है।

इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो कहता है कि इस शर्त के अनुसार, एक सौ करोड़ रुपये के समग्र की मासिक औसत की अपेक्षा को पूरा करने के लिए अवधि की रेंज छह मास से अठारह मास है, जो इस प्रकार से है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर स्थापित या निगमित निधि होने पर छह मास मिलेंगे और निधि जो वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन पर स्थापित और निगमित हुई है, को अठारह मास मिलेंगे।

यह कथन किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप कतिपय निधियों को उनकी स्थापना और निगमन की तारीख के कारण पक्षपात मिला है या के विरुद्ध भेदभाव हुआ है।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 9क का संशोधन प्रस्तावित है जिससे इन दो शर्तों को शिथिल करने के लिए, इस प्रकार उपबंध किया जा सके कि-

- भारतीय निवासी द्वारा निधि में की गई सकल सहभागिताओं या विनिधान, की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगणना के प्रयोजन के लिए, प्रथम तीन वर्षों के दौरान पात्र निधि प्रबंधक का अभिदान पच्चीस करोड़ रुपये तक नहीं लिया जाएगा; और
- यदि निधि पूर्व वर्ष में स्थापित या निगमित की गई है, समग्र निधि के मासिक औसत की शर्त जो एक सौ करोड़ रुपये की है इसके स्थापन या निगमन के मास के अंतिम दिन से बारह मास के भीतर पूरी की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और तत्पश्चात् निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

विद्युत के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत लाने के लिए अधिनियम की धारा 115खकख का संशोधन:

कराधन विधि संशोधन अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम में धारा 115खकख को अंतःस्थापित किया गया। नई अंतःस्थापित धारा उपबंध करती है कि 1 अक्टूबर, 2019 को या के पश्चात नई विनिर्माण देशी कंपनी स्थापित की गई है, जो 31 मार्च, 2023 से विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर देगी और विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का लाभ नहीं लेती है, कर संदाय के लिए 15 प्रतिशत की रियायत दर को चुन सकेगी। आगे, उपधारा (2) के खंड (ख) का स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास में लगे कारबार, खान, मार्बल ब्लॉक का संपरीवर्तन या समान मर्दों को स्लेब के रूप में संपरीवर्तन, सिलेण्डर में गैस का भरना, किताबों का मुद्रण या सिनेमाटोग्राफ फिल्म का उत्पादन या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य कारबार को विनिर्माण या उत्पादन के रूप में नहीं माना जाएगा।

विभिन्न पणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह उपबंध करने का अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 115खकख के अधीन रियायत दर के फायदे विद्युत उत्पादन के कारबार को विस्तारित किए जा सकेंगे, जो अन्यथा किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन नहीं होगा। तदनुसार, स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में विद्युत उत्पादन को सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा

[खंड 52]

विद्यारण कर की रियायत दर की अवधि को विस्तारित करने और आई.एफ.एस.सी. में स्टॉक में सूचीबद्ध बंधपत्रों की रियायत दरों के लिए भी उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 194ठग का संशोधन:-

अधिनियम की धारा 194ठग, भारत के बाहर स्रोत से विदेशी मुद्रा में लिए गए निम्नलिखित प्रकार के उधार पर अनिवासीयों को संदत्त ब्याज पर, विनिर्दिष्ट कंपनी या कारबार न्यास द्वारा स्रोत पर कर कटौती पांच प्रतिशत की रियायत दर का उपबंध करती है:-

- (i) किसी ऋण करार के अधीन 1 जुलाई, 2012 को या के पश्चात् और 1 जुलाई, 2020 से पूर्व किसी समय पर भी उधार ली गई धन राशि;
- (ii) 1 जुलाई, 2012 को या के पश्चात् और 1 जुलाई, 2014 से पूर्व किसी समय पर भी किसी दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र के जारी होने के माध्यम से उधार ;
- (iii) 1 अक्टूबर, 2014 को या के पश्चात् और 1 जुलाई, 2020 से पूर्व किसी समय पर भी दीर्घकालिक बंधपत्र जिसके अंतर्गत दीर्घ कालिक अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के जारी होने के माध्यम से उधार ;

स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की रियायत दर, विनिर्दिष्ट कंपनी या कारबार न्यास द्वारा भारत के बाहर स्रोत से 1 जुलाई, 2020 से पूर्व रुपए के अंकित बंधपत्र (आर.डी.बी.) के माध्यम से जारी करके उधार ली गई धनराशि के संबंध में भी लागू है, केवल उस विस्तार तक ऐसा ब्याज, जहां इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर संगणित ब्याज की रकम से अधिक नहीं होता है।

समय सीमा के विस्तार के लिए और दीर्घकालिक बंधपत्र और आर.डी.बी. के जारी किए जाने के माध्यम से उधार पर ब्याज संदेय करके स्रोत पर कर कटौती की और रियायत दर के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि केवल किसी आई.एफ.एस.सी. में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचीबद्ध हैं।

नया विनिधान आकर्षित करने के लिए, नौकरीयां पैदा करने के लिए और अर्थव्यवस्था का वर्धन करने के लिए:-

- (i) स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की उक्त रियायत दर की अवधि का विस्तार 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2023 तक करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- (ii) यह उपबंध है कि किसी दीर्घकालिक बंधपत्र या आर.डी.बी. 1 अप्रैल, 2020 को या के पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पूर्व जारी किए जाने के माध्यम से भारत के बाहर के स्रोत से विदेशी मुद्रा में उधार धनराशि के संबंध में अनिवासी को संदेय ब्याज की स्रोत पर कर कटौती चार प्रतिशत की दर पर होगी और जो कि केवल किसी आई.एफ.एस.सी. में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 82]

विद्यारण कर की रियायत दर की अवधि का विस्तार और नगरपालिका ऋण प्रतिभूति की इस रियायत दर के भी विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 194ठघ का संशोधन:-

अधिनियम की धारा 194ठघ, विदेशी संस्थान विनिधानकर्ता (एफ.आई.आई.) उनकी सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान पर ब्याज के संदाय की दशा में निम्न पांच प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करती है और किसी भारतीय कंपनी की आर.डी.बी. शर्त के अधीन की ब्याज की दर, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक नहीं है। धारा और यह उपबंध करती है कि ब्याज 1 जून, 2013 को या के पश्चात् लेकिन 1 जुलाई, 2020 से पूर्व किसी भी समय संदेय होना चाहिए।

समय सीमा के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और नगरपालिका बंधपत्रों में विनिधान पर संदत्त ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती की रियायत दर के लिए भी और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं को अब राज्य विकास ऋण में एफ.पी.आई. विनिधान के लिए उपलब्ध सीमा के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नगरपालिका बंधपत्र में विनिधान की अनुज्ञा है।

नए विनिधान आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था का वर्धन करने के लिए, धारा 194ठघ का संशोधन प्रस्तावित किया गया है,-

- (i) उक्त धारा के अधीन विद्यमान 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2023 तक स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की दर की अवधि का विस्तार;
- (ii) यह उपबंध है कि उक्त धारा के अधीन स्रोत पर कर कटौती की पांच प्रतिशत की रियायत दर, नगरपालिका उधार प्रतिभूति में किए गए विनिधान के संबंध में एफ.आई.आई. या क्यू.एफ.आई. 1 अप्रैल, 2020 को या के पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पूर्व संदेय ब्याज पर भी लागू होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 83]

ग. करदाताओं द्वारा सामना की गई कठिनाइयों का हटाया जाना

धारा 94ख के अधीन ब्याज की अननुज्ञा के प्रयोजन के लिए अनिवासी बैंक के स्थाई स्थापन को संदत या संदेय ब्याज का अपवर्जन:

अधिनियम की धारा 94ख, अन्य बातों के साथ साथ, उपबंध करती है कि किसी भारतीय कंपनी या विदेश कंपनी के स्थाई-स्थापन का कटौती योग्य ब्याज या समान व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक है, जो सहयुक्त उद्यम को संदत है, ब्याज, कर, अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण या सहयुक्त उद्यम को संदत या संदेय ब्याज, जो भी कम हो, से पूर्व इसके उपार्जन के 30 प्रतिशत तक निर्बंधित रहेगा। आगे, कोई ऋण सहयुक्त उद्यम से समझा जाएगा, यदि सहयुक्त उद्यम उस ऋण के संबंध में अस्पष्ट या सुस्पष्ट गारंटी का उपबंध करता है। उद्यम को इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 92क में इसका अर्थ समनुदेशित किया गया है। इस धारा का अधिनियम में अंतःस्थापन वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से किया गया था, ताकि आधिक्य ब्याज कटौतियों के माध्यम से आधारीक क्षरण और लाभ अंतरण के मुद्दे को सुलझाने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.)-जी-20 के संरक्षण के अधीन आधारीक क्षरण और लाभ अंतरण (बी.ई.पी.एस.) की कार्य योजना पर अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश किए गए उपायों को कार्यान्वित किया जाए।

भारत में अनिवासी के स्थाई स्थापन जो किसी कारण से बैंकिंग के कारबार में लगे हुए व्यक्ति के रूप में है द्वारा जारी ऋण के संबंध में संदत या संदेय ब्याज को कम करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, विद्यमान उपबंधों के अनुसार भारत में विदेशी कंपनी की शाखा, भारत में एक अनिवासी है। आगे धारा 92क में सहयुक्त उद्यम की परिभाषा, अन्य बातों के साथ साथ, से यह समझा गया कि दो उद्यम सहयुक्त उद्यम है; यदि पूर्व वर्ष के दौरान एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को अग्रिम ऋण, अन्य उद्यम की कुल आय बही मूल्य के 50 प्रतिशत दर या से अधिक है। इस प्रकार विदेशी बैंक की शाखा से ऋण के संबंध में संदत या संदेय ब्याज, इस धारा के अधीन उपबंधित ब्याज की परिसीमा के उपबंध आकर्षित कर सकेगा।

इसलिए, अधिनियम की धारा 94ख का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऋणदाता, जो अनिवासी स्थाई स्थापन है, भारत में बैंकिंग के कारबार में लगे हुए व्यक्ति के रूप में है, द्वारा जारी ऋण के संबंध में संदत ब्याज को ब्याज परिसीमा के उपबंध लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 के निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 46]

अधिनियम की धारा 43गक, 50ग और 56 के अधीन सुरक्षित बंदरगाह सीमा में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की वृद्धि:

अधिनियम की धारा 43गक, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करती है कि जहां भूमि या भवन या दोनों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल की घोषणा की गई, ऐसे अंतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के संदाय के प्रयोग के लिए राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी (जैसे- स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी) द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से कम है, तो ऐसा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, ऐसी आस्तियों के अंतरण से लाभ और अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए होगा, जिसे प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा। उक्त धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां स्टाम्प ड्यूटी के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, तो अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल को ऐसी आस्तिके अंतरण से लाभ और अभिलाभ की संगणना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में समझा जाएगा।

अधिनियम की धारा 50 उपबंध करती है कि जहां ऐसे अंतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के संदाय के प्रयोजन के लिए भूमि या भवन या दोनों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत घोषित प्रतिफल, "स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी" द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा और पूंजी अभिलाभ अधिनियम की धारा 48 के अधीन ऐसे प्रतिफल के आधार पर संगणित किया जाएगा। उक्त धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल, को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

अधिकारी की धारा 56 का खंड (10) अन्य बातों के साथ साथ, उपबंध करता है कि जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्व वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से 1 अप्रैल, 2017 को या के पश्चात्, कोई स्थावर संपत्ति ऐसे प्रतिफल पर, जो संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य, जो पचास हजार रु. से अधिक है, से कम का होता है, प्राप्त करता है, जैसे ही ऐसी सम्पत्तियों की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य बढ़ती है, तो ऐसा प्रतिफल शीर्ष "अन्य स्रोत से आय" के अधीन कर प्रभार्य होगा। यह भी उपबंध है कि जहां निर्धारित प्रतिफल के रूप में कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य प्रतिफल के पांच प्रतिशत या पचास हजार से अधिक होता है, जो भी अधिक हो, ऐसी सम्पत्तियों की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य जैसे ही बढ़ता है, ऐसा प्रतिफल शीर्ष, "अन्य स्रोत से आय" के अधीन कर प्रभार्य होगा। इस प्रभार्य अधिनियम की धारा 43गक, 50ग और 56 के उपबंध पांच प्रतिशत का सुरक्षित बंदरगाह के लिए उपबंध करते हैं।

इस संबंध में यह निवेदन करते हुए कि उक्त पांच प्रतिशत सुरक्षित बंदरगाह को बढ़ाया जाए, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अतः सीमा को दस प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22, 27 और 29]

धारा 35 कघ के अधीन कटौती का उपभोग न करने वाले निर्धारित को कोई विकल्प प्रदान करना

विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित अधिनियम की धारा 35 कघ कतिपय विनिर्दिष्ट कारबार पर निर्धारिती द्वारा उपगत पूंजी व्यय (भूमि, साख, और वित्तीय आस्तियों पर व्यय से भिन्न) पर 100 प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करती है। धारा 35कघ की उपधारा (1) के अधीन पूंजी व्यय की उक्त 100% कटौती ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुज्ञे है जिसमें व्यय उपगत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय की बाबत कोई कटौती को किसी अन्य धारा के अधीन अनुज्ञात नहीं होगी। वर्तमान में उक्त धारा के अधीन प्रोत्साहन का उपभोग न करने के लिए निर्धारित के पास कोई विकल्प नहीं है।

इसके कारण, यह विधिक निर्वचन किया जा सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन कर की रियायती दर का दावा करने वाली ऐसी कंपनी, जो धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा नहीं करती है को धारा 35 कघ की उपधारा (4) के संप्रवर्तन के कारण धारा 32 के अधीन साधारण अवक्षयण से भी इंकार किया जा सकेगा।

अतः धारा 35 कघ की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि उसके अधीन कटौती को अनुकल्पी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त धारा 35 कघ की उपधारा 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में इस धारा के अधीन उपधारा (1) में उपगत व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि कटौती का इस धारा के अधीन निर्धारित द्वारा दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

कतिपय दशाओं में आय कर विवरणी फाईल करने से अनिवासी को छूट

अधिनियम की धारा 115 क ऐसे अनिवासी के लिए कर के अवधारण के लिए उपबंध करती है जिसकी कुल आय में निम्नलिखित सम्मिलित है:

(क) कतिपय लाभांश या ब्याज से आय

(ख) 31 मार्च, 1976, के पश्चात् किये गये किसी करार के अनुसरण में सरकारी या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस (एफटीएस) और जो भारत में अनिवासी के किसी स्थायी स्थापन, यदि कोई हो, से प्रभावी रूप से संयोजित नहीं है।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि कोई अनिवासी, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अपेक्षित नहीं है, यदि इसकी कुल आय में केवल कतिपय लाभांश या ब्याज से आय सम्मिलित है और ऐसी आय पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की अधिनियम के अध्याय 17-ख के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

जबकि, अधिनियम की धारा 115क में वर्तमान उपबंध अनिवासी को आय की विवरणी फाईल करने से वहां राहत प्रदान करती है जहां अनिवासी ऐसे टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती), जिसे लाभांश या ब्याज से आय पर काटा गया है, से भिन्न कर का संदाय करने के लिए पात्र नहीं है, ऐसी राहत उन अनिवासीयों के लिए विस्तारित नहीं की गई है जिनकी कुल आय में केवल उपरोक्त बिन्दू (ख) में यथा उल्लेखित स्वामिस्व या वित्तीय सेवाओं के लिए फीस सम्मिलित है। इस फायदे को स्वामिस्व और वित्तीय सेवाओं के लिए फीस के लिए भी विस्तारित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

अतः अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन कोई अनिवासी को आय की विवरणी फाईल करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा, यदि

- उसकी कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज से आय, सम्मिलित है, या उसकी आय में केवल धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट स्वामिस्व या वित्तीय सेवाओं से प्राप्त फीस की प्रकृति की आय सम्मिलित है; और
- ऐसी आय पर टीडीएस की अधिनियम के अध्याय 17-ख के उपबंधों के अधीन ऐसी दर से कटौती की गई है जो धारा 115क की उपधारा (1) के अधीन विहित दरों से निम्नतर नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण के संबंध में लागू होगा।

[खंड 47]

स्टार्ट-अप के कर्मचारी स्टॉक अनुकल्पी योजना (ईएसओपीएस) से संबंधित आय की बाबत टीडीएस या कर संदाय का आस्थगन

कर्मचारी स्टॉक अनुकल्पी योजना (ईएसओपीएस) स्टार्ट-अप के कर्मचारियों के लिए प्रतिकर का एक महत्वपूर्ण संघटक रहा है, चूंकि यह स्टार्ट-अप और संस्थापकों को ईएसओपीएस द्वारा बनाए जा रहे अतिशेष से उच्च प्रतिभाशाली कर्मचारियों को तुलनात्मक कम वेतन रकम पर नियोजित करने को अनुज्ञात करता है।

वर्तमान में ईएसपीओएस पर नियमों के नियम 3(8)(iii) के साथ पठित आय-कर अधिनियम की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों के रूप में कर लगाया जाता है। ईएसपीओएस के कारधान को दो संघटकों में बांटा गया है:

- प्रयोग के समय वेतन से आय के रूप में परिलब्धियों पर कर
- विक्रय के समय पूंजी अभिलाभ से आय पर कर

विकल्प का प्रयोग करते समय परिलब्धि पर कर संदत किया जाना अपेक्षित है जो नकद प्रवाह समस्या को बढ़ायेगा क्योंकि यह ईएसओपीएस का फायदा वस्तु के रूप में है।

पात्र स्टार्ट-अप के कर्मचारियों द्वारा कर के संदाय या नियोजक स्टार्ट-अप द्वारा टीडीएस के भार को सुकर बनाने के लिए अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने और उसमें उपधारा (1ग) का अंतः स्थापन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि यथास्थिति उपधारा (1) या इसके (1क) के अधीन कटौती या कर संदाय के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति जो धारा 80-झकग में निर्दिष्ट कोई पात्र स्टार्ट-अप है, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की परिलब्धी होने पर निर्धारिती को किसी आय का संदाय करने के उत्तरदायी है। निर्धारण वर्ष 2020-21 या पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसी आय पर, यथास्थिति कटौती या संदाय को -

- (i) सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अद्वितीय मास के अवसान के पश्चात; या
- (ii) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण श्रेय के विक्रय की तारीख से : या
- (iii) उस तारीख से जिसको निर्धारिती व्यक्ति का कर्मचारी नहीं रह जाता है

जो भी उस वित्तीय वर्ष में जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण श्रेय को आबंटित या अंतरित किया गया है, प्रवर्त दरों के आधार पर, जो भी पूर्वतर हो से चौदह दिन के भीतर कर सकेगा।

इसी प्रकार के संशोधन धारा 191 (निर्धारिती की अनेक स्रोत पर कर कटौती की दशा में सीधे कर का संदाय करने के लिए) में और धारा 156 (मांग की सूचना के लिए) में और धारा 140क (स्वयं निर्धारण संगणना करने के लिए) में किए गये हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 68,71,72 और 73]

कतिपय समामेलनों में हानियों या अवक्षयण के अग्रनीत को अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 72कक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ बैंककारी कंपनी के समामेलन की दशा में संचयित हानियों और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत किए जाने का उपबंध करती है। यह धारा, अधिनियम की धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रवृत्त होती है।

समामेलित पब्लिक सेक्टर बैंकों और पब्लिक सेक्टर साधारण बीमा कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए, इस धारा के फायदे को, निम्नलिखित के समामेलन के संबंध में विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है,—

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों का किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ ; या
- (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियों के किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ।

"तत्स्थानी नया बैंक" को वही अर्थ देने का प्रस्ताव है, जो उसका बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (घ) या बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ख) में है।

"सरकारी कंपनी" को वही अर्थ देने का प्रस्ताव है, जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में है। इसके अतिरिक्त, यह साधारण बीमा कारबार में लगाई जानी है और जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 4 या धारा 5 या धारा 16 के प्रवर्तन द्वारा अस्तित्व में आई हो।

"साधारण बीमा कारबार" को वही अर्थ देने का प्रस्ताव है, जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31]

"कारबार न्यास" की परिभाषा का उपांतरण

अधिनियम की धारा 115पक, कारबार न्यास को लागू किसी कराधान व्यवस्था के लिए उपबंध करती है। उक्त व्यवस्था के अधीन, पूंजी अभिलाभ आय को छोड़कर, न्यास की कुल आय, अधिकतम सीमांत दर से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष प्रयोजन यान से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त ब्याज और भाटक द्वारा आय को उपचार के माध्यम से स्वीकृत किया गया है, अर्थात्, न्यास के हाथों में ऐसे न्यास के हाथों में ऐसे ब्याज और भाटक से आय पर कोई कराधान नहीं है और विशेष प्रयोजन यान के स्तर पर, कर को रोकने का कोई उपबंध नहीं है। कारबार न्यास, आय की विवरणी देने के लिए और अन्य रिपोर्ट की जाने योग्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भी अपेक्षित हैं।

"कारबार न्यास" को अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) में यह उपबंधित करने के लिए परिभाषित किया गया है कि जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए सुसंगत विनियमों के अधीन किसी अवसंरचना विनिधान न्यास या भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा न्यास अभिप्रेत है, जिसकी इकाईयों का सुसंगत विनियमों के अनुसरण में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है।

यह कथन करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि निजी असूचीबद्ध अवसंरचना विनिधान न्यास को अधिनियम के अधीन उपबंधित कर उपचार के संबंध में सूचीबद्ध पब्लिक अवसंरचना विनिधान न्यास के रूप में वही दर्जा दिया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 ने अधिसूचना सं० सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/10 द्वारा, अन्य बातों के साथ, अवसंरचना विनिधान न्यास की सूचीबद्ध करने की आज्ञात्मक अपेक्षा को दूर किया है। इसके आलोक में, अधिनियम के अधीन कारबार न्यास की परिभाषा को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के संशोधित विनियमों के अनुरूप किया जाना अपेक्षित है।

अतः, "कारबार न्यास" की परिभाषा को उपांतरित करने के लिए, अधिनियम की धारा 2 के खंड (13क) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कारबार न्यास की इकाईयों का किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अपेक्षा को दूर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

घ. कर निश्चितता प्रदान करने के लिए उपाय

धारा 92गख के अधीन सुरक्षित बंदरगाह नियम में और धारा 92गग के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार में स्थायी स्थापन के लाभ का अधिकार देने के लिए संशोधन

अधिनियम की धारा 92गख, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने के लिए सशक्त करती है, जो अधिनियम की धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत के अवधारण के अध्यक्षीन होंगे। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार, "सुरक्षित बंदरगाह" से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें आय-कर प्राधिकारी, निर्धारिती द्वारा घोषित किए गए अंतरण मूल्य को स्वीकार करेगा। विशेषतः छोटे निर्धारितियों से संबंधित मामलों में, अंतरण मूल्य संपरीक्षा और दीर्घकालिक विवादों की संख्या को कम करने के लिए अधिनियम में यह धारा अंतःस्थापित की गई थी। विवादों को कम करने के अतिरिक्त, सुरक्षित बंदरगाह नियम निश्चितता भी प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 92गग, बोर्ड को, किसी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत अवधारित करते हुए या वह रीति, जिसके द्वारा सन्निकट कीमत अवधारित की जानी है, विनिर्दिष्ट करते हुए, अग्रिम मूल्यांकन करार करने के लिए सशक्त करती है। अग्रिम मूल्यांकन करार, भविष्य के पांच वर्षों के साथ-साथ पूर्ववर्ती चार वर्षों के लिए भी सन्निकट कीमत का अवधारण करने में कर निश्चितता का उपबंध करता है।

सुरक्षित बंदरगाह नियम, सामान्य निबंधनों पर भविष्यगामी वर्षों के लिए तुलनात्मक छोटे मामलों के लिए कर निश्चितता का उपबंध करते हैं, जबकि अग्रिम मूल्यांकन करार, मामला-दर-मामला के आधार पर, न केवल भविष्यगामी वर्षों के लिए, बल्कि पीछे के वर्षों के लिए भी कर निश्चितता का उपबंध करता है। सुरक्षित बंदरगाह नियम और अग्रिम मूल्यांकन करार, दोनों सन्निकट कीमत के अवधारण में मुकद्दमेबाजी को कम करने में सफल रहे हैं।

यह अभ्यावेदन किया गया है कि नियमों के नियम 10 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन किसी अनिवासी को स्थायी स्थापन के लाभ का अधिकार का परिणाम अनेक मामलों में विवादों से बचाव है। निश्चितता प्रदान करने के लिए, स्थायी स्थापन के किसी अनिवासी व्यक्ति के मामले में आय का अधिकार भी, सुरक्षित बंदरगाह नियम और अग्रिम मूल्यांकन करार के उपबंधों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आने के लिए अपेक्षित है।

उपरोक्त की दृष्टि में, सुरक्षित बंदरगाह नियम और अग्रिम मूल्यांकन करार की परिधि में स्थायी स्थापन के अधिकार के अवधारण को लाने के लिए, अधिनियम की धारा 92गख और धारा 92गग का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा 92गख के संबंध में, संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 92गग के संबंध में, संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और इसलिए, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किए गए किसी अग्रिम मूल्यांकन करार पर लागू होगा।

[खंड 43 और 44]

बीमा कंपनियों को संदाय के आधार पर, धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात रकम के लिए कटौती अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 44 यह उपबंध करती है कि बीमा के किसी ऐसे कारबार, जिसमें किसी पारस्परिक बीमा कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किए गए ऐसे कारबार भी सम्मिलित है, के लाभों और अभिलाभों की संगणना अधिनियम की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसरण में संगणित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 43ख, कतिपय कटौतियों के मोक का, उस पूर्ववर्ष को, जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय का दायित्व नियमित रूप से रखे गए लेखों की रीति के अनुसार उपगत किया गया था, ध्यान में न रखते हुए, केवल उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि का वास्तव में संदाय किया गया है, उपबंध करती है।

उक्त अनुसूची का नियम 5, अन्य बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए उपबंध करता है। यह कथन करता है कि जीवन बीमा से भिन्न बीमा के किसी कारबार के लाभों और अभिलाभों को बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियम या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार लाभ और हानि लेखे में यथा प्रकट कर और विनियोगों से पहले लाभ के रूप में इस शर्त के अधीन लिया जाएगा कि लाभ और हानि लेखे से विकलित कोई व्यय, जो धारा 30 से धारा 43ख के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, वापस जोड़ दिया जाएगा; विनिधान की वसूली पर कोई भी अभिलाभ या हानि, यथास्थिति, जोड़ी या घटा दी जाएगी, यदि उसे लाभ और हानि लेखे में जमा या विकलित नहीं किया गया है; लाभ और हानि लेखे से विकलित विनिधान के मूल्य में कमी के किसी निवेश को वापस जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार, इस नियम में अन्य बीमा कंपनियों के मामले में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है, जो धारा 43ख में निर्दिष्ट कतिपय व्ययों के किसी संदाय के लिए कटौती को अनुज्ञात करे, यदि उन्हें पश्चात्पूर्व वर्षों में संदत्त किए गए हैं। इस बात की संभावना है कि ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें उसका संदाय किया गया है, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा। विधान-मंडल का यह आशय नहीं है।

अतः, उक्त नियम 5 के खंड (ग) के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 43ख के अधीन निर्धारित द्वारा संदेय ऐसी किसी भी राशि को, जिसे उक्त नियम के खंड (क) के अनुसार वापस जोड़ दिया गया है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि वास्तव में संदत्त की गई है, आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 104]

तकनीकी सेवाओं (वृत्तिक सेवाओं से भिन्न) के लिए फीस पर स्रोत पर कर कटौती की दर को घटाया जाना

अधिनियम की धारा 194ज यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस, या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या कोई परिश्रमिक या फीस या कमीशन चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो उन से भिन्न जिनपर किसी निदेशक को कर अधिनियम की धारा 192 के अधीन कटौती योग्य है या स्वामिस्व या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है अदाता के खाते में ऐसी राशि को जमा करते या संदाय करते समय आय कर के रूप दस प्रतिशत के समतुल्य किसी रकम की कटौती करेगा।

धारा 194ग यह उपबंध करती है कि किसी सविदा के अनुसरण में कोई काम करने (किसी काम को करने के लिए मजदूरों को उपलब्ध कराने सहित) के लिए किसी निवासी को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ऐसी राशि का किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को संदाय करते समय एक प्रतिशत के समतुल्य रकम और अन्य मामलों में दो प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती करेगा।

यह नोटिस किया गया है कि कर उपचार निर्धारित को कम कटौती के ऐसे मुद्दों पर बहुत अधिक मुकदमेबाजी है जहां निर्धारित धारा 194ग के अधीन कर की कटौती करता है, जबकि कर अधिकारी दावा करते हैं कि कर धारा 194ज के अधीन कटौती की जानी चाहिए।

अतः मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, तकनीकी सेवाओं (वृत्तिक सेवाओं से भिन्न) के लिए फीस के मामले में धारा 194ज में स्रोत पर कर कटौती के लिए विद्यमान दस प्रतिशत की दर को दो प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव किया गया है। धारा 194ज के अधीन अन्य मामलों में स्रोत पर कर कटौती की दर वही दस प्रतिशत रहेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 79]

ड कर आधार को विस्तृत और गहन बनाना

अधिनियम कि धारा 194क के अधीन आय से ब्याज पर कर कटौती के लिए क्षेत्र का विस्तार किया जाना

अधिनियम की धारा 194क प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज को शासित करती है। इसकी उपधारा (1) यह उबंध करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय किसी निवासी को संदत्त करने के लिए उत्तरदायी है, प्रवृत्त दरो से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) उन परिस्थितियों का उपबंध करती है जिनमें उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे। इसका खंड (i) यह उन परिस्थितियों या उपबंध करता है जहां यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा पाने वाले के खाते में जमा की गई या संदत्त या जमा की जाने या संदत्त की जाने की संभावना है, कतिपय सीमा से अधिक नहीं होगा। खंड (v) उन परिस्थितियों का उपबंध करता है जहां ऐसी आय किसी सहकारी सोसाइटी (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) द्वारा किसी सदस्य के खाते में जमा या संदत्त की गई है या आय किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के खाते में जमा या संदत्त की गई है खंड (viiक) उन परिस्थितियों का उपबंध करता है जहां आय किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों और सहकारी सोसाइटी से भिन्न सहकारी बैंक या बैंकारी कारबार में लगी सहकारी सोसाइटी या बैंक में निक्षेपों (समयावधि निक्षेपों से भिन्न) की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है।

वृहत सहकारी सोसाइटी द्वारा संदत्त ब्याज तक इस धारा का विस्तार करने के लिए उप-धारा (3) का संशोधन करने और परन्तुक को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि उक्त उपधारा (3) के खंड (v) या खंड (viiक) में निर्दिष्ट कोई सहकारी सोसाइटी उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में आय-कर की कटौती के लिए दायी होगी, यदि—

- (क) उस वित्तीय वर्ष के ठीक पहले कि वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, सहकारी सोसाइटी का कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास करोड़ रुपए से अधिक है; और
- (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया गया या ऐसे ब्याज की कुल संदत्त, जमा या संदाय के लिए संभाव्य ब्याज की रकम पाने वाले के वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में पचास हजार रुपए तथा किसी अन्य दशा में चालीस हजार रुपए से अधिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 75]

एक नई धारा के अंतःस्थापन के माध्यम से ई-वाणिज्य संव्यवहारों पर स्रोत पर कर कटौती की परीधि का विस्तार

ई-वाणिज्य सहभागियों को कर दायरे के भीतर लाकर कर दायरे को व्यापक और गहन करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 194ण का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि एक प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कटौती के किसी नए उदग्रहण के लिए उपबंधित किया जा सके। जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु होंगे:-

- टीडीएस को ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रसुविधा या प्लेटफार्म के माध्यम से माल के विक्रय या उसके द्वारा दी गई सेवाओं के उपबंधों के लिए संदत्त किया जाना है।
- ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में विक्रय या सेवा या दोनों की रकम को जमा करते समय या किसी अन्य ढंग से ऐसे सहभागी को उसके संदाय के समय, जो भी पहले हो, कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है।
- ऐसे विक्रय या सेवा या दोनों की सकल रकम पर एक प्रतिशत की दर से कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है।
- माल के क्रेता या सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सीधे किसी ई-वाणिज्य सहभागी को किये जाये संदाय का ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में जमा या संदत्त की जाने वाली रकम समझा जायेगा और आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ऐसे विक्रयों या सेवाओं की सकल रकम में सम्मिलित होगा।
- ई-वाणिज्य प्रचालन द्वारा किसी ई-वाणिज्य सहभागी (जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है) के खाते में जमा या संदत्त कोई राशि इस धारा के उपबंधों के अधीन नहीं होगी, यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की विक्रयों या सेवाओं या दोनों की सकल रकम पांच लाख रुपयों से अधिक नहीं है और ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी ने ई-वाणिज्य प्रचालक को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या दे दी है।
- ऐसे संव्यवहार जिसकी बाबत इस धारा के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा कर की कटौती की जा रही है जो पूर्व बिन्दु में चर्चा की गई छूट के अधीन कटौती हेतु दायी नहीं है, वहां अधिनियम के अध्याय 7-ख के अन्य उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए उस संव्यवहार पर और दायित्व नहीं होगा। इसे यह स्पष्ट करने के लिए उपबंधित किया गया है जिससे कि ऐसा संव्यवहार पर एक बार से अधिक स्रोत पर कर कटौती के अधीन नहीं है। तथापि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह छूट किसी प्रचालक द्वारा विज्ञापन करने से या अन्य ऐसी सेवाए प्रदान करने से जो प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल या सेवा के विक्रय से संबंधित नहीं है, प्राप्त या प्राप्त योग्य किसी रकम पर लागू नहीं होगी।
- "ई-वाणिज्य प्रचालक" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रसुविधा या प्लेटफार्म को स्वामित्व रखता है, प्रचालित करता है, या प्रबंध करता है और जो ई-वाणिज्य सहभागी को संदाय के लिये उत्तरदायी है।
- "ई-वाणिज्य सहभागी" को व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है भारत में निवासी है और जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक प्रसुविधा या प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित मालों के विक्रय करता है या सेवा या दोनो प्रदान करता है।
- "इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य" को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित माल या सेवाओं या दोनों पूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- "सेवा" को धारा 194ज में यथा परिभाषित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित किया गया है।
- धारा 197 (निम्नतर स्रोत पर कर कटौती के लिए) में, धारा 204 (किसी राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए) में और धारा 206कक (बिना पैन/आधार के मामलों में 5 प्रतिशत की कर कटौती को उपबंध करने के लिए) में परिणामी संशोधन करने के प्रस्ताव किये जा रहे है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 84]

उदारवादी विप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के माध्यम से विदेशी विप्रेषणा पर स्रोत पर कर संग्रहण और विदेशी यात्रा पैकेज के विक्रय के साथ किसी सीमा के ऊपर मालों के विक्रय पर स्रोत पर कर संग्रहण को सम्मिलित करने के लिए धारा 206 की परीधी का विस्तार

अधिनियम की धारा 206ग एल्कोहेल, लिंकर, वनोत्पाद, स्क्रेप आदि में व्यापार के कारबार पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो एक विक्रेता है, क्रेता के लेखे में से क्रेता द्वारा संदेय रकम को विकलित करते समय या ऐसी रकम क्रेता से नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट लेकर या अन्य ढंग से प्राप्त करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि को आय-कर के रूप में संग्रहित करेगा।

कर दायरे को व्यापक और गहन करने के लिए विदेशी विप्रेषण पर और विदेशी यात्रा पैकेज की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण का उदग्रहण करने के लिए धारा 206 का निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है:-

- भारतीय रिजर्व बैंक की उदारवादी विप्रेषणादेश स्कीम के अधीन भारत से बाहर विप्रेषण के लिए किसी वित्तीय वर्ष में सात लाख रुपये या उससे अधिक की कोई रकम या रकमों के योग को प्राप्त करने वाला कोई प्राधिकृत व्यौहारी टीसीएस का पांच प्रतिशत की दर से संग्रहण के लिए दायी होगा, यदि वह किसी ऐसे क्रेता से जो भारत के बाहर ऐसी रकम का विप्रेषण करने वाला व्यक्ति है, उक्त रकम से अधिक राशि प्राप्त करता है। बिना पैन/आधार वाले मामलों में दर दस प्रतिशत रहेगी।
- किसी विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज का कोई विक्रेता जो किसी से क्रेता जो ऐसे पैकेज को क्रय करने वाला व्यक्ति है, से रकम प्राप्त करता है पांच प्रतिशत की दर से टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी होगा। बिना पैन/आधार वाले मामलों में दर दस प्रतिशत रहेगी।
- उपरोक्त स्रोत पर कर संग्रहण के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि क्रेता—

क. अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए दायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है।

ख. केन्द्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राजदूतावास, कोई उच्च आयोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी शर्तों के अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति है।

- "प्राधिकृत व्यौहारी" को परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में व्यवहार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
- "विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज" को परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे ऐसे यात्रा पैकेज से अभिप्रेत है जो भारत से बाहर किसी देश या देशों या राज्यक्षेत्र या राज्यक्षेत्रों में भ्रमण करने या आमंत्रण देता है और जिसमें यात्रा या होटल में ठहरना या भोजन व्यवस्था या आवास के लिए व्यय या उसी प्रकृति के या उससे संबंधित अन्य व्यय भी सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, कर दायरे को व्यापक और गहन बनाने के लिए कतिपय सीमा से ऊपर मालों की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण के उदग्रहण के लिए धारा 206ग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:-

- माल का विक्रेता किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी क्रेता से पचास लाख रुपये से अधिक के प्रतिफल की प्राप्ति पर 0.1 प्रतिशत की दर से टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी है। बिना पैन/आधार वाले मामलों में दर एक प्रतिशत रहेगी।
- केवल ऐसे विक्रेता जिनके द्वारा कारबार करने से उनकी सकल आय, सकल प्राप्तियां या आवर्त किसी वित्तीय वर्ष ने दस करोड़ रुपये से अधिक है ऐसे टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी होंगे।
- केन्द्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट शर्तों के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसे टीसीएस के संग्रहण के लिए दायी होगा।
- केन्द्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राज दूतावास, कोई उच्चायोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल कार्यालय, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी शर्तों के अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति है, से कोई टीसीएस संग्रहित नहीं किया जाएगा।
- यदि विक्रेता धारा 206ग के अन्य उपबंधों के अधीन टीसीएस का संग्रहण करने के लिए दायी हैं या क्रेता अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन टीसीएस की कटौती के लिए दायी है और ऐसी रकम की कटौती कर ली गई है, तो इस प्रकार का कोई टीसीएस संग्रहित नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 93]

च. राजस्व बढ़ाने के उपाय

मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को नियोजक के अभिदाय के कर उपचार का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में किसी कर्मचारी के खाते में नियोजक द्वारा दिया गया अभिदाय जो वेतन के बारह प्रतिशत से अधिक है, कराधेय है। इसके अतिरिक्त, नियोजक द्वारा किसी स्वीकृत अधिवर्षिता निधि को एक लाख पचास हजार से अधिक किसी रकम

के अभिदाय को कर्मचारी के हाथों में परिलब्धि के रूप में माना जाएगा। उसी प्रकार, नई पेंशन स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये वेतन के चौदह प्रतिशत के अभिदाय और किसी अन्य नियोजक द्वारा किये गये वेतन के दस प्रतिशत के अभिदाय के लिए निर्धारिती को कटौती करने के लिए अनुज्ञात किया गया है। तथापि, नियोजक द्वारा किये गये अभिदाय की रकम पर कटौती के प्रयोजन के लिए कोई संयुक्त उच्च सीमा नहीं है। यह उच्च वेतन कमाने वाले कर्मचारियों को असंगत फायदा देना है। कम वेतन आय वाला कोई कर्मचारी इस सभी तीन निधियों में उसके वेतन के एक बड़े भाग को नियोजन द्वारा अभिदाय करने में समर्थ नहीं है, जबकि उच्च वेतन आय वाले कर्मचारी इस ढंग से अपने वेतन पैकेज को बनाते हैं जिससे उनके वेतन का एक बड़ा भाग इन तीनों निधियों नियोजक द्वारा संदत्त होता है। इस प्रकार, वेतन का यह भाग किसी भी समय कराधान से नहीं गुजरता है, चूंकि इन तीनों निधियों में छूट-छूट-छूट (ईईईई) व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार, संयुक्त उच्च सीमा न होना अन्यायपूर्ण है और इसलिए वांछनीय नहीं है।

अतः एनपीएस, अधिवर्षिता निधि और मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में किसी वर्ष में नियोजक के अभिदाय की बाबत सात लाख पचास हजार रुपये की एक संयुक्त उच्च सीमा का उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है और इसके अतिरिक्त प्रस्ताव किया गया है कि इससे अधिक कोई अभिदाय कराधेय होगा। परिणामस्वरूप यह भी प्रस्ताव किया गया है कि निधि या स्कीम के निक्षेप पर अतिशेष को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या उसी प्रकृति की कोई अन्य रकम द्वारा कोई वार्षिक अनुवृद्धि को उस विस्तार तक जहां तक यह नियोजक के उस अभिदाय से संबंधित है जो कुल आय में सम्मिलित है, परिलब्धि के रूप में माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

वस्तु संव्यवहार कर की परिधि का विस्तार

वित्त अधिनियम, 2013 में मान्यताप्राप्त संगमो में व्यापार की गई गैर-कृषि वस्तुओं के आधार पर वस्तु व्युत्पन्नी के विक्रय पर वस्तु संव्यवहार कर को पुरःस्थापित किया गया था। वस्तु संव्यवहार कर को पुरःस्थापित करने के पीछे का आशय प्रतिभूति बाजार और वस्तु बाजारों में व्यापार किए जा रहे व्युत्पन्नी के बीच समानता लाना है। वस्तु संव्यवहार कर का 0.01 प्रतिशत की दर से उदग्रहण किया गया था, जो प्रतिभूतियों में 'भावी वस्तु' (ऐसी संविदा जो किसी अर्न्तनिहित आस्ति से इसका मूल्य व्युत्पन्न होता है और जो भौतिक रूप से प्रदाय द्वारा परिनिर्धारित होती है) के विक्रय पर उदग्रहित प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर भी है। परिणामस्वरूप, वस्तु संव्यवहार कर की परीधि को कराधेय वस्तु संव्यवहारों के रूप में वस्तु व्युत्पन्न पर विकल्पों के विक्रय को भी सम्मिलित करते हुए वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा विस्तार किया गया था।

वस्तु व्युत्पन्नी सहित व्युत्पन्नी के व्यापार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) द्वारा विनियमित होता है। वर्ष 2015 के पूर्व, वस्तुओं में व्यापार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (एफसीआरए) के अधीन अग्रिम बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता था। वर्ष 2015 में, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, को निरसित कर दिया गया और अग्रिम बाजार आयोग को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के साथ आमेलित कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम में परिभाषित संगमो को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके पश्चात "वस्तु व्युत्पन्नी" की परीधि को अधिसूचना तारीख 27 सितम्बर, 2016 द्वारा विस्तारित किया गया था जिससे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा को खंड (4ग) में इसकी परिभाषा के प्रयोजन के लिए अनेक माल अधिसूचित किए गये। इन मालों में अनाज और दालें, तेल के बीज/तेह के केन और तेल, मसाले, धातु, कीमती धातु, मणिक और रत्न, फाईबर, ऊर्जा, मधुरक, पौधारोपण, सूखे मेवे और अन्य भी सम्मिलित है।

वर्तमान में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के विनियमो के अनुसार वस्तुओं में व्यापार वाले व्युत्पन्न केवल 'भावी' वस्तुओं और 'भावी वस्तु पर विकल्प' में अर्न्तनिहित आस्ति एक 'भावी वस्तु' है। इसका अर्थ यह है कि अवसान के पश्चात, यदि विकल्प प्रयोग कर लिया गया है, विकल्पधारी को किसी 'भावी वस्तु' के क्रय और विक्रय का कोई अधिकार मिलता है और प्रत्यक्ष रूप से माल के क्रय या विक्रय का अधिकार नहीं मिलता है। तथापि, अधिसूचना तारीख 18 अक्टूबर, 2016 द्वारा 'माल में विकल्प को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 2 के खंड (कग) में 'व्युत्पन्नी' की परिभाषा में भी सम्मिलित किया गया है इससे 'माल में विकल्प' नए व्युत्पन्न उत्पाद के लिए अर्न्तनिहित आस्ति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से तारीख 27.09.2016 को अधिसूचित मालों के साथ मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त 'भावी वस्तु' को वस्तु व्युत्पन्न बाजार में किसी नए उत्पाद के रूप में पुनःस्थापित किए जाने की संभावना भी है।

अतः वस्तु व्युत्पन्न बाजार में परिवर्तन को वस्तु संव्यवहार कर के उपबंधों के अनुरूप करने के लिए वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में आवश्यक परिवर्तन प्रस्तावित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त, माल के भौतिक या वास्तविक प्रदाय द्वारा परिनिर्धारित, वस्तु संव्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित दरों पर नई वस्तु व्युत्पन्न उत्पादों पर वस्तु संव्यवहार कर से प्रभार्य करने का प्रस्ताव किया गया है:-

- वस्तु व्युत्पन्नी की कीमतों या कीमतों के सूचकों के आधार पर किसी वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रेता द्वारा संदेय 0.01 प्रतिशत की दर पर विक्रय जो वही पर है जिस पर वर्तमान में किसी वस्तु व्युत्पन्नी के विक्रय के किसी संव्यवहार पर वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) प्रभारित किया जाता है;
- माल विकल्प करार कर विक्रय, जहां क्रेता द्वारा संदेय 0.0001 प्रतिशत की दर पर माल के वस्तुतः परिदान के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग किया जाता है;
- माल विकल्प करार का विक्रय, जहां क्रेता द्वारा संदेय 0.125 प्रतिशत की दर पर माल के वस्तुतः परिदान से अन्यथा समझौता के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जो वह दर है जिस पर प्रतिभूति संव्यवहार कर किसी प्रतिभूति विकल्प करार पर वहां उद्गृहीत किया जाता है, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2013 में निम्नलिखित परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है—

- (क) धारा 116 के खंड (7) में कराधेय वस्तुओं के संव्यवहार की परिभाषा का संशोधन निम्नलिखित के लिए किया जाना प्रस्तावित है—
- (i) "माल विकल्प करार" और "वस्तु व्युत्पन्नी की कीमतों या कीमतों के सूचकों के आधार पर वस्तु व्युत्पन्नी के विक्रय" के संव्यवहारों को सम्मिलित करना; और
- (ii) "मान्यताप्राप्त संगम" के स्थान पर "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रतिस्थापित करना"
- (ख) धारा 116 के खंड (8) में एफसीआरए के प्रतिनिर्देश के एससीआरए परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।
- (ग) धारा 117 में सारणी को ऊपर (क) में विर्दिष्ट कराधेय वस्तुओं के संव्यवहारों को सम्मिलित किए जाने के लिए उसमें वस्तु संव्यवहार कर की दरों को विनिर्दिष्ट करते हुए और उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसके द्वारा वस्तु संव्यवहार कर संदेय है, संशोधित किया जाना है।
- (घ) उपरोक्त पैरा (क)(i) में निर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहार को निगमित करने के लिए धारा 118 में परिभाषित कराधेय वस्तु संव्यवहार के मूल्य में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 146, 147, 148 और 149]

छ. कर प्रशासन की प्रभावकारिता को बेहतर करना

ई-निर्धारण स्कीम का उपांतरण

अधिनियम की धारा 143 में वहां आय-कर विवरणी की प्रक्रिया और निर्धारण के लिए रीति उपबंधित है, जहां कोई विवरणी अधिनियम की धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में दी गई है।

2. धारा 143 की उपधारा (3क) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय साधनों के द्वारा बृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लाया जा सके। तदनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन ई-निर्धारण स्कीम, 2019 अधिसूचित की गई थी।

3. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) का संशोधन —

(i) इसकी व्याप्ति का विस्तार करने, जिससे उपधारा अधिनियम की धारा 144 के निर्धारण के सर्वोत्तम निर्णय से संबंधित निर्देश को सम्मिलित किया जा सके;

(ii) यह उपबंध करने कि केंद्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन 31 मार्च, 2022 तक कोई निदेश जारी कर सके; करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 69]

विवाद समाधान पैनल (डी.आर.पी) का संशोधन

अधिनियम की धारा 144ग में यह उपबंधित है कि कतिपय पात्र निर्धारितियों अर्थात् विदेशी कंपनियों और ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जिसके मामले में अधिनियम की धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन अंतरण कीमत के समायोजन किए गए हैं, निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पात्र निर्धारिती को, यदि वह आय या हानि के विवरण में ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण आदेश का एक प्ररूप अग्रेषित करे। ऐसा पात्र निर्धारिती ऐसे परिवर्तन की बाबत तीन प्रधान आयुक्तों या आय-कर आयुक्तों के कालिजियम वाले विवाद समाधान पैनल को अपना आक्षेप फाइल कर सकेगा। विवाद समाधान पैनल के पास निदेश पारित करने के लिए नौ माह का समय होता है, जो निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होता है।

यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 144ग के उपबंधों को-

(क) इसमें ऐसे मामलों को सम्मिलित करने, जहां निर्धारण अधिकारी कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है जो धारा 144ग की परिधि के भीतर निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है;

(ख) पात्र निर्धारिती को अनिवासी, जो कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, के रूप में परिभाषित करके उक्त धारा की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए,

उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

इस प्रकार, यदि निर्धारण अधिकारी पात्र निर्धारिती की दशा में इस तारीख के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है जो निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, तो उपरोक्त उपबंध लागू होगा।

[खंड 70]

ई-अपील के लिए उपबंध

अधिनियम के अधीन निर्धारण प्रक्रिया में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक नई ई-निर्धारण स्कीम पहले ही पुरःस्थापित की गई है। ई-निर्धारण स्कीम के आरंभ होने से, अधिनियम के अधीन अधिकांश कार्य/प्रक्रियाएं, जिनमें विवरणी का फाइल किया जाना, विवरणियों का प्रक्रमण, प्रतिदायों या मांग-सूचनाओं का जारी किया जाना और निर्धारण सम्मिलित हैं, जिनमें करदाता और आय-कर विभाग के बीच व्यक्ति-से-व्यक्ति का संपर्क आवश्यक होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में होते हैं। यह व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। ये सभी प्रक्रमण अब न केवल फेसलैस हैं अपितु बहुत ही करदाता-अनुकूल हैं। अब करदाता विभाग के कार्यालयों में व्यक्तिगत हाजिरी की किसी आवश्यकता के बिना अधिनियम के अधीन अपनी अधिकांश बाध्यताओं का पालन करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

आयुक्त (अपील) के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में अपीलें फाइल करना पहले ही समर्थ बनाया जा चुका है। तथापि, आयुक्त (अपील) के अधीन प्रथम अपील प्रक्रिया, जो मुख्य कार्य/प्रक्रमणों में से एक है, अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में नहीं है। कोई करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकृत लेखा के माध्यम से अपील फाइल कर सकता है। तथापि, अपील फाइल करने के पश्चात् जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है वह न तो इलेक्ट्रॉनिक है और न ही फेस-लैस है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवस्था से मानवीय इंटरफेस को समाप्त करने के लिए विभाग द्वारा आरंभ किए गए सुधार अगले स्तर पर पहुंचें, यह अत्यावश्यक है कि ई-निर्धारण स्कीम के अनुरूप एक ई-अपील स्कीम आरंभ की जाए।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 250 में निम्नलिखित उपबंध करने के लिए उपधारा (6क) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है:-

- अपील का निपटारा करने के लिए एक ई-अपील स्कीम अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना जिससे और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।
- अपील कार्यवाहियों के अनुक्रम में आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच प्रौद्योगिकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक इंटरफेस को समाप्त करना।
- संसाधनों के उपयोग को मितव्ययिता के पैमाने और क्रियात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से अनुकूल बनाना।
- परिवर्तनशील अधिकारिता के साथ एक अपील व्यवस्था पुरःस्थापित करना जिसमें एक या अधिक आयुक्त (अपील) द्वारा अपील का निपटारा किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार को, प्रस्तावित उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देने के लिए सशक्त करना कि अपील के निपटारे के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम का कोई भी उपबंध, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलताओं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के साथ लागू नहीं होंगे या लागू होंगे। ऐसे निदेश 31 मार्च, 2022 को या इससे पूर्व जारी किए जाने हैं। यह प्रस्ताव है कि जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 95]

अधिनियम की धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण प्रचालनों पर नियंत्रण करने का उपबंध करना

अधिनियम की धारा 133क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, इस धारा में यथा परिभाषित आय-कर प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन निर्धारिती के कारबार परिसरों का सर्वेक्षण करने के लिए सशक्त है। ऐसी शक्तियों के संभाव्य दुरुपयोग को रोकने के लिए, वित्त अधिनियम 2003 द्वारा, उक्त धारा में उपधारा (6) का एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया था कि किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का आयकर अधिकारी यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

धारा 133क की उपधारा (6) के परंतुक को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि,—

- (क) उस दशा में जहां सूचना विहित प्राधिकारी से प्राप्त की गई है, वहां, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति का कोई आयकर प्राधिकारी उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा; और
- (ख) किसी अन्य दशा में, आयुक्त या निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना यथास्थिति, आयुक्त या निदेशक की श्रेणी से नीचे का कोई आय-कर प्राधिकारी उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 65]

आय-कर अपील अधिकरण द्वारा रोक पर स्पष्टता

अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) के पहले परंतुक के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि आय-कर अपील अधिकरण (आईटीएटी), निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात्, आय-कर आयुक्त अपील के आदेश के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में अधिकतम 180 दिन की अवधि के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा। उक्त उपधारा का दूसरा परंतुक यह विहित करता है कि जहां अपील का निपटारा इस प्रकार नहीं किया जाता है, वहां आय-कर अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि यह विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, रोक को ऐसी अतिरिक्त

अवधि के लिए इस निर्बंधन के अधीन रहते हुए विस्तारित कर सकेगा कि आरंभिक रूप से अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार विस्तारित अवधि का योग किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगा। उक्त उपधारा का तीसरा परंतुक यह भी उपबंध करता है कि यदि ऐसी अपील का पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर, जो किसी शी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की नहीं होगी, इस प्रकार निपटारा नहीं किया जाता है, तो ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् रोक का आदेश इस प्रकार बातिल हो जाएगा चाहे अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती की ओर से न हुआ हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आय-कर अपील अधिकरण पहले परंतुक के अधीन रोक आदेश इस शर्त के अधीन रहते हुए मंजूर कर सकेगा कि निर्धारिती ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति की रकम या किसी अन्य राशि को कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

एक दूसरा परंतुक प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे पर उपबंध किया जा सके कि आय-कर अपील अधिकरण द्वारा वहां रोक का विस्तार नहीं किया जाएगा, जहां ऐसी अपील का निपटारा इस प्रकार नहीं किया गया है जो रोक के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि है। तथापि, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर, अतिरिक्त रोक मंजूर की जा सकती है, यदि अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है और निर्धारिती ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर ब्याज, फीस, शास्ति या किसी अन्य राशि का कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी है।

[खंड 97]

ई-शास्ति के लिए उपबंध

अधिनियम के अधीन और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पहले ही एक नई ई-निर्धारण स्कीम पुरःस्थापित की गई है।

अधिनियम की धारा 274 में अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया उपबंधित है। निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी की गई कारण बताओ सूचना के उत्तर में निर्धारिती या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अभी निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जाना अपेक्षित है। ई-निर्धारण स्कीम-2019 के आगमन से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग द्वारा व्यवस्था से माननीय इंटरफेस को समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए सुधारों को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि ई-निर्धारण स्कीम 2019 के अनुरूप एक ई-शास्ति स्कीम संचालित की जाए।

अतः उक्त धारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए ई-स्कीम अधिसूचित कर सके जिससे-

- (क) कार्यवाहियों के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच प्रौद्योगिकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक इंटरफेस को समाप्त करके;
- (ख) संसाधनों के उपयोग को मितव्ययिता के पैमाने और क्रियात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से अनुकूल बना कर;
- (ग) शास्ति अधिरोपित करने के लिए एक ऐसी क्रिया-विधि पुरःस्थापित करके जिसमें शास्ति एक या अधिक आयकर प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित की जाएगी; परिवर्तनशील अधिकारिता के साथ, और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

केंद्रीय सरकार को, प्रस्तावित उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देने के लिए सशक्त करने का भी प्रस्ताव है कि शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित कोई भी उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलताओं के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे। ऐसे निदेश 31 मार्च, 2022 को या इससे पूर्व जारी किए जाने हैं। यह प्रस्ताव है कि जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 100]

अधिनियम में करदाताओं के चार्टर का अंतःस्थापन

अधिनियम में नई धारा 119क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को, करदाता के चार्टर को अंगीकृत और घोषित करने के लिए और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए, जो वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए ठीक समझे, सशक्त बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 64]

ज. कर दुरुपयोग निवारण

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होगा। उसके उपखंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति उस वर्ष में भारत में निवासी होगा, यदि वह,—

- (i) उसके पूर्ववर्ती चार वर्षों के भीतर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन या अधिक दिनों की कालावधि तक भारत में रहा है, और

(ii) उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि तक भारत में रहा है।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण-1 के खंड (ख) में यह उपबंधित है कि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति भारत का निवासी होगा यदि वह उस वर्ष में साठ दिनों की बजाए एक सौ बयासी दिन तक भारत में रहा है। यह उपबंध भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत का निवासी बने बिना अधिक लंबी अवधि तक भारत में आने के लिए उन्हें अनुज्ञात करने के लिए शिथिलता प्रदान करता है।

ऐसे दृष्टांत जानकारी में आए हैं, जहां वर्ष के दौरान भारत आने पर भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट एक सौ बयासी दिन की अवधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति, जो वास्तव में भारत से सारभूत आर्थिक कार्यकलाप कर रहे हैं, भारत में अपनी ठहरने की अवधि का प्रबंध कर लेते हैं जिससे शाश्वतकाल तक अनिवासी बने रहें और भारत में अपनी वैश्विक आय की घोषणा करना अपेक्षित न हो।

उक्त धारा की उपधारा (6) में ऐसी परिस्थितियां उपबंधित हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी" नहीं होगा। इसके खंड (क) में यह उपबंधित है कि यदि ऐसा व्यक्ति व्यक्ति है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस वर्षों में से नौ वर्षों में अनिवासी रहा हो, या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सात सौ उन्तीस या उससे कम दिनों तक भारत में रहा हो। इसके खंड (ख) में हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) के लिए इसी प्रकार के उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

इस प्रवर्ग के व्यक्तियों को आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित किया गया है कि किसी अनिवासी को अचानक केवल इस कारण एक निवासी के लिए अनुपालन की जाने वाली अपेक्षा का सामना न करना पड़े कि उसने किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक दिन व्यतीत किए हैं। इस चिन्हित वर्ग के संबंध में वर्तमान विधि में विनिर्दिष्ट शर्तें विवादों, संशोधनों और पुनः विवादों का विषयवस्तु रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा भारत में आने के लिए यथा प्रस्तावित दिनों की संख्या में कमी करने के कारण शर्तों में शिथिलीकरण करने की आवश्यकता होगी।

राज्यविहिन व्यक्तियों का मुद्दा काफी समय से कर जगत की परेशानी रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने मामलों की ऐसे तरीके से व्यवस्था करना पूर्णतः संभव है कि वह किसी वर्ष के दौरान किसी देश या अधिकारिता में कर के लिए दायी न हो। यह व्यवस्था विशिष्ट रूप से उच्च कुल आय के व्यक्तियों द्वारा उनके द्वारा अर्जित आय पर किसी भी देश/अधिकारिता में कर के संदाय से बचने के लिए अपनाई जाती है। कर विधियों को ऐसी स्थिति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, जहां कोई व्यक्ति विश्व में कहीं भी कर के लिए दायी न हो। ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है; विशिष्ट रूप से ऐसे वैश्विक कर परिवेश में चालू विकास को ध्यान में रखते हुए जहां दोहरे अकराधान के रास्ते को व्यवस्थित रूप से बंद किया जा रहा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि—

- (i) धारा 6 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-1 के खंड (ख) में उस वर्ष भारत में आने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित अपवाद को विद्यमान एक सौ बियासी दिन से कम करके एक सौ बीस दिन किया जाए।
- (ii) किसी व्यक्ति या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्व वर्ष में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कही जाएगी यदि व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस वर्षों में से सात वर्षों में भारत में न रहा हो। यह नई शर्त धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) में विद्यमान शर्तों को प्रतिस्थापित करने के लिए है।
- (iii) कोई भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है, भारत में निवासी समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

अधिनियम की धारा 194ग में "काम" की संशोधित परिभाषा

अधिनियम की धारा 194ग ठेकेदारों को किए गए संदायों पर कर की कटौती करने के संबंध में है। इस धारा में यह उपबंधित है कि किसी संविदा के अनुसरण में कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रमिक को प्रदाय भी है) करने के लिए किसी निवासी को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ऐसी राशि जमा करने या उसका संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी राशि के, जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, एक प्रतिशत और अन्य मामलों में दो प्रतिशत की कटौती करेगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (iv) "काम" को परिभाषित करता है। इस परिभाषा के उपखंड (ख) में किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार परिभाषा के अंतर्गत आने वाले ऐसे ग्राहक से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय भी सम्मिलित है। तथापि, ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना, इसके अंतर्गत नहीं है।

यह पाया गया है कि कुछ निर्धारित संविदा किए गए विनिर्माता से अपने संबद्ध पक्षकारों के माध्यम से प्रदाय की गई कच्ची सामग्री को उपाप्त करने के लिए इस धारा का कर से बचने वाले खंड का उपयोग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, आय की पर्याप्त रकम कर के दायरे से बच जाती है।

अतः, इस धारा में स्पष्टता लाने और कर की चोरी रोकने के लिए परिभाषा का संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्माण की संविदा में निर्धारित या इसके सहयुक्त द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री धारा 194ग के अधीन "काम" की परिधि के अंतर्गत आएगी। सहयुक्त को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे ग्राहक के संबंध में वैसे ही रखा गया व्यक्ति है, जैसे अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन निर्धारित के संबंध में रखा गया व्यक्ति है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 76]

जाली बीजक के लिए शास्ति

माल और सेवा कर (जीएसटी) के आरंभ होने के पश्चात् हाल ही में जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा कपटपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) दावे के कतिपय मामले पकड़े गए हैं। इन मामलों में, जीएसटी के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं द्वारा कपटपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के दावे के लिए जाली बीजक अभिप्राप्त किए जाते हैं। ये बीजक उन घोटालेबाजों द्वारा जारी किए गए, पाए गए हैं जो वास्तव में कोई माल या सेवाएं प्रदाय किए बिना केवल बीजक जारी करते हैं। ऐसे बीजकों पर प्रभारित दर्शाया गया जीएसटी न तो संदत्त किया जाता है और न ही संदत्त किए जाने का आशय होता है। ऐसे कपटपूर्ण ठहरावों के लिए अधिनियम के अधीन अधिक कठोर उपबंधों के साथ कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः, अधिनियम में एक नया उपबंध पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे व्यक्ति पर शास्ति के उद्ग्रहण के लिए उपबंध किया जा सके, यदि अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि उसके द्वारा बनाए रखी गई लेखा बहियों में - (i) मिथ्या प्रविष्टि है या (ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना के लिए सुसंगत किसी प्रविष्टि कर दायित्व से बचने के लिए लोप किया गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शास्ति मिथ्या प्रविष्टियों या लोप की गई प्रविष्टि की सकल रकम के समतुल्य होगी। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी रीति में किसी व्यक्ति से मिथ्या प्रविष्टि या लोप करवाता है या कोई प्रविष्टि का लोप करवाना कारित करता है, शास्ति के मद्ये उतनी राशि का संदाय करेगा जो ऐसी मिथ्या प्रविष्टियों या लोप की गई प्रविष्टि की सकल रकमों के समतुल्य है। मिथ्या प्रविष्टियों में निम्नलिखित का उपयोग करने या उपयोग करने का आशय रखने को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है—

- (क) कूटरचित या मिथ्या दस्तावेज जैसे मिथ्या बीजक या, साधारणतया, कोई मिथ्या दस्तावेजी साक्ष्य; या
 - (ख) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति के संबंध में उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे माल के वास्तविक प्रदाय या प्राप्ति के बिना जारी किए गए बीजक; या
 - (ग) बीजक जो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति के संबंध में इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति से, जो विद्यमान नहीं है।
- यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

[खंड 98]

झ. अधिनियम के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

बहुपक्षीय लिखत (एमएलआई) के साथ दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए करार करने के प्रयोजन का सुमेलन

अधिनियम की धारा 90 केन्द्रीय सरकार को विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों (सामान्य तौर पर डीटीए के रूप में ज्ञात) के साथ

(क) निम्नलिखित के संबंध में अनुतोष प्रदान करना—

- (i) ऐसी आय की बाबत, जिस पर भारत में और उस विदेश या राज्यक्षेत्र दोनों में कर का संदाय किया गया है, या
- (ii) पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधानों के संवर्धन के लिए भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत राहत देने के लिए;

- (ख) भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए,
- (ग) भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन प्रभार्य आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए जानकारी के आदान-प्रदान या ऐसे अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के अन्वेषण के लिए; या
- (घ) भारत और उस विदेश या राज्यक्षेत्र, दोनों की विधियों के अधीन आय-कर की वसूली के लिए, करार करने के लिए सशक्त करती है।

अधिनियम की धारा 90क में अधिनियम की धारा 90 के समान उपबंध अंतर्विष्ट हैं जिससे केन्द्रीय सरकार को भारत में किसी विनिर्दिष्ट संगम और भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के बीच करार को राहत प्रदान करने के लिए, दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए, सूचना के आदान-प्रदान के लिए और आयकर की वसूली के लिए अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

भारत ने आधारिक क्षरण और लाभ अंतरण (जिसे सामान्य तौर पर एमएलआई कहा जाता है) के निवारण के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत-से देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बहुपक्षीय अभिसमय (कंवेंशन) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अनुसमर्थन किया जा चुका है। भारत में ओईसीडी, पेरिस के अनुसमर्थन की लिखत एमएलआई के अधीन, आच्छादित कर करारों (सीटीए), आरक्षणों, विकल्पों और अधिसूचनाओं के निबंधनों के अनुसार अपनी अंतिम स्थिति के साथ जमा कर चुका है, जिसके परिणामस्वरूप एमएलआई 01 अक्तूबर, 2019 को भारत के लिए प्रभावी हुई और इसके उपबंध भारत के डीटीए पर वित्त वर्ष 2020-21 से आगे लागू होंगे।

एमएलआई जी 20-ओईसीडी परियोजना का आधारिक क्षरण और लाभ अंतरण बीईजीएस परियोजना को रोकने का परिणाम है अर्थात् कर योजना की वे युक्तियां जो कर नियमों में अंतरालों और बेमेलपन का बनावटी रूप से लाभ को कम या कर विहिन अवस्थानों में स्थांतरित करके अनुचित लाभ उठाते हैं जहां कम या कोई आर्थिक कार्यकलाप नहीं है जिसके परिणामस्वरूप या तो कम या कुल मिलाकर कोई कोरपोरेट कर संदत्त नहीं किया जा रहा है। एमएलआई से भारत की डीटीएएस में उपांतरण होगा जिससे संधि दुरुपयोग करके और आधारिक क्षरण तथा लाभ अंतरण युक्तियों के माध्यम से राजस्व की हानि पर रोक लग सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभों पर वहां कर लगाया जा सके जहां सारभूत आर्थिक कार्यकलाप लाभ कमाने के लिए चलाए जाते हैं। एमएलआई विद्यमान डीटीएएस के साथ-साथ बीईपीएस के उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उनके उपयोजन को उपांतरित करके लागू की जाएगी।

एमएलआई के अनुच्छेद 6 में आच्छादित कर करार (कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट) को प्रस्तावना के निम्नलिखित पाठ को सम्मिलित करने के लिए उपांतरित करने का उपबंध है:-

"इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के विषय में दोहरे कराधान को अकराधान के लिए अवसर सृजित किए बिना या कर के अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से कर कमी करने के लिए आशयित (जिसके अंतर्गत संधि-खरीदारी के माध्यम से किए गए ठहराव भी हैं जिसका उद्देश्य तृतीय अधिकारिताओं के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित राहतें अभिप्राप्त करना है)",

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख), जिसमें दोनों देशों या राज्यक्षेत्र (भारत और अन्य विदेशी राज्यक्षेत्र) की विधियों के अधीन दोहरे कराधान परिवर्जन की बाबत अनुतोष प्रदान करने के लिए उपबंध है, ऊपर पैरा 4 में वर्णित अनुसार एमएलआई में उपबंधित पाठ को अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 90क की दशा में भी, इसी प्रकार का संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी।

अतः अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार भारत के बाहर किसी देश की सरकार या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ, इस अधिनियम के अधीन और यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए, कर अपवंचन या परिवर्जन करने के लिए, कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है) करार कर सकेगी।

अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख) में भी इसी प्रकार का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 41 और 42]

आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति प्रस्ताव का आस्थगन, स्रोत नियम का विस्तारण, विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं की करादेयता से छूट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की संशोधित स्कीम के साथ सुम्मेलित करना।

अधिनियम की धारा 9 में ऐसी आय के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट है जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय हैं। इस धारा की उपधारा (1) यह एक विधिक कल्पना सृजित करती है कि कतिपय आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली समझी जाएंगी।

उपधारा (1) का खंड (i) निम्नलिखित आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई है:-

"भारत में किसी कारबारी संपर्क के द्वारा या उससे, भारत में किसी संपत्ति के द्वारा या उससे या भारत में किसी आस्ति से आय के स्रोत द्वारा या भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी आय।"

वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा, अन्य बातों से साथ-साथ, उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भारत में किसी अनिवासी की "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एसईपी) भारत में "कारबारी संबंध" गठित करेगा और इस प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" का निम्नलिखित अभिप्राय होगा:-

(क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किया गया संव्यवहार, जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि ऐसे संव्यवहार या पूर्ववर्ष के दौरान संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक है, जो विहित की जाए; या

(ख) कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और निरंतर निवेदन करना या भारत में डिजिटल साधनों के द्वारा उपभोक्ताओं की ऐसी संख्या के साथ अन्योन्यक्रिया में लगना, जो विहित की जाए।

उक्त स्पष्टीकरण में यह भी उपबंधित है कि संव्यवहार या क्रियाकलाप से महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति गठित होगी, चाहे ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है या नहीं; या अनिवासी का भारत में निवासस्थान या कारबार का स्थान है या नहीं। यह भी उपबंध किया गया था कि केवल उतनी आय जितनी पैरा 2(क) और (ख) में वर्णित संव्यवहारों या क्रियाकलापों के कारण हुई समझी गई है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी।

अतः भारत में किसी अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट संव्यवहारों से उद्भूत कुल सदायों की रकम के लिए और उपयोक्ताओं की संख्या की अवसीमा को आय-कर नियमों में विहित किए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, इस मुद्दे पर जी 20-ओईसीडी बीईपीएस परियोजना में अभी चर्चा जारी है, ये संख्या अभी अधिसूचित नहीं की गई है। जी 20-ओईसीडी की रिपोर्ट दिसम्बर, 2020 के अंत तक आने की प्रत्याशा है। इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एसईपी) की प्रयोज्यता को निर्धारण वर्ष 2022-23 से आरंभ करने को आस्थगित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को आस्थगित करते हुए कतिपय प्रारूपिक परिवर्तन भी किए गए हैं।

वर्तमान एसईपी उपबंध का निर्धारण वर्ष 2021-22 से लोप किया जाएगा और नए उपबंध 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

[खंड 5]

इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मंच पर चल रही चर्चा के अनुसार, देश, साधारणतया, सहमत हैं कि ऐसे विज्ञापन से आय जिसका लक्ष्य भारतीय ग्राहक हैं, या भारत से संगृहीत डाटा का उपयोग करके माल और सेवाओं से आय का भारतीय राजस्व में लेखा-जोखा देने की आवश्यकता है। अतः इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्रोत नियम के संशोधन का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। तथापि, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति संव्यवहार या क्रियाकलाप से संबंधित आय के अधिकार का संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त खंड का स्पष्टीकरण-5 अंतःस्थापित किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उसे शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप में भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है। उक्त स्पष्टीकरण का दूसरा परंतुक, जो वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, यह उपबंध करता है कि स्पष्टीकरण किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 (सेबी) (एफपीआई) के अधीन प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग-2 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में धारित की गई है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने राजपत्र अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/36 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता विनियम, 2019 (सेबी) (एफपीआई) अधिसूचित किए और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एफपीआई) विनियम, 2014 निरसित किए गए। इन दोनों विनियमों के बीच वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सेबी ने पोर्टफोलियो के प्रवर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए व्यापक आधारीक मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। इसको देखते हुए, इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए परंतुक में आवश्यक उपांतरण किए जाने की आवश्यकता है। अतः यह प्रस्तावित है कि किसी अनिवासी द्वारा सेबी (एफपीआई) विनियम, 2014 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (एफपीआई) के तत्कालीन प्रवर्ग 1 और 2 में विनिधान के रूप में धारित आस्ति या पूंजी आस्ति के लिए उपबंधित उक्त स्पष्टीकरण 5 से अपवाद को निष्क्रिय समझा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सेबी (एफपीआई) विनियम, 2019 के अधीन एफपीआई प्रवर्ग-1 में विनिधान के संबंध में इसी प्रकार का अपवाद उपबंधित किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5]

धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ii) में स्वामिस्व के रूप में कतिपय आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाता है। उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के उक्त खंड में "स्वामिस्व" पद को परिभाषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, किसी प्रतिलिप्याधिकार, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के जिसके अंतर्गत दूरदर्शन से संबंधित उपयोग के लिए टैप भी है, के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) किंतु जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है, अभिप्रेत है।

स्वामिस्व की परिभाषा से सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के अपवर्जन के कारण भारत में ऐसा स्वामिस्व कर योग्य नहीं है भले ही डीटीए भारत को ऐसे स्वामिस्व पर कर लगाने का अधिकार देता हो। ऐसी स्थिति भारतीय निवासियों के विरुद्ध विभेदकारी है, चूंकि भारत किसी अन्य देश के अनिवासी की दशा में स्वामिस्व पर कर लगाने के अधिकार को उस अन्य देश द्वारा भारतीय निवासी को समान रियायत दिए बिना छोड़ रहा है। अतः स्वामित्व की परिभाषा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल को स्वामिस्व के अर्थ से अपवर्जित न किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

[खंड 5]

अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा निम्नलिखित के संबंध में आय परिकलित की जाएगी, नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके,—

- (i) अनिवासी द्वारा भारत में की जा रही संक्रियाएं ; और
- (ii) किसी अनिवासी के संव्यवहार या क्रियाकलाप।

खंड (i) का संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा। खंड (ii) का संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 103]

वितरित कर लाभों को हटाना और अंशधारकों/यूनिट धारकों के हाथों में लाभांश कर की पारंपरिक प्रणाली का संचालन।

धारा 115ण यह उपबंध करती है कि किसी घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में आय कर प्रभार्य के अतिरिक्त किसी रकम, वितरित या संदत्त लाभांशों के द्वारा संदत्त अतिरिक्त आयकर 15 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जाएगा। कर कंपनी (डीडीटी) द्वारा संदत्त किया गया समझा जाएगा चूंकि वितरित या लाभांश द्वारा संदत्त घोषित, रकम के संबंध में कर का अंतिम संदाय होगा। ऐसा लाभांश धारा 115ण में निर्दिष्ट धारा 10 के खंड (34) के अधीन अंशधारकों को छूट देता है। व्यवसाय न्यास, विशिष्ट छूट की दशा में धारा 155ण की उपधारा (7) के अधीन कतिपय शर्तों के अध्वधीन उपबंधित किया गया है। उसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की ईकाई के वितरित लाभों पर कतिपय शर्तों को पूरा करने लिए धारा 115ण की उपधारा (8) के अधीन उपबंध किया गया है।

उसी प्रकार धारा 115द के अधीन विशिष्ट कंपनियां और पारस्परिक निधि इसमें यूनिट धारकों को उनके द्वारा वितरित आय की किसी रकम पर विनिर्दिष्ट दल पर अतिरिक्त आय कर का संदाय किए जाने के दायी होंगे। ऐसी आय धारा 10 के खंड (35) के अधीन यूनिट धारकों को छूट दी जाएगी।

इस प्रकार, कर का भार दाता कंपनी/पारस्परिक निधि पर होगा न कि प्राप्तकर्ता पर, जहां इसे सामान्यतः होना चाहिए। लाभांश अंशधारकों की आय में से होगा न कि कंपनी की आय में से। इस प्रकार कर का भार प्राप्तकर्ता पर होना चाहिए। इसके अलावा जिस प्राप्तकर्ता पर वितरित लाभों पर समान दर से उदग्रहण कर का वर्तमान उपबंध न्यूनतम दर से ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से कर अधिरोपित किया गया है। चूंकि उपबंध विचारणीय, अन्यायी और प्रतिगामी है। कंपनी/पारस्परिक निधि की ओर से लाभांश का कराधान की वर्तमान प्रणाली को वित्त अधिनियम, 2003 (निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रभावी) द्वारा पुनःपरस्थापित किया था चूंकि एकल विषय और नई प्रणाली पर कर संग्रहण और अनुपालन भार में वृद्धि किया जाना आसान था। तथापि, प्रौद्योगिकी के पुनरागमन और आसानी से खोज करनी वाली उपलब्ध प्रमाणी के साथ लाभांश की कराधान की न्यायसंगत चालू प्रणाली के प्रयोजनार्थ स्वयं अधिक समय तक टिका रहने दिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है कि ईकाइयों से लाभांश और आय लागू दर पर अंशधारकों या ईकाई धारकों से करयोग्य है और घरेलु कंपनी या विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि किसी डीडीटी का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं है। यह भी उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 57 के अधीन व्यय की कटौती ईकाइयों से लाभांश या आय का अधिकतम 20 प्रतिशत होगी। इसप्रकार यह भी प्रस्ताव किए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

- (i) धारा 115ण का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश 1 अप्रैल, 2003 के पश्चात् परन्तु 31 मार्च, 2020 से पूर्व इस धारा के उपबंध के अंतर्गत आएंगे।
- (ii) धारा 10 के खंड (34) का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड का उपबंध लाभांश, प्राप्ति द्वारा किसी आय के लिए 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् लागू नहीं होगा।
- (iii) धारा 115द का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वितरित आय को या 31 मार्च, 2020 को या पूर्व इस धारा के उपबंध के अंतर्गत आएंगे।
- (iv) धारा 10 के खंड (35) का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के उपबंध किसी आय, ईकाइयों के संबंध में, प्राप्ति को या 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् लागू नहीं होगा।
- (v) धारा 10 के खंड (23चग) का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सभी प्राप्त किए गए लाभांश या विशेष प्रयोजन यान से व्यवसाय न्यास द्वारा प्रायः इस खंड के अधीन आय से छूट है।
- (vi) धारा 10 के खंड (23चघ) का संशोधन छूट से व्यवसाय न्यास से यूनिट धारक द्वारा प्राप्त लाभांश को छोड़कर लाभांश आय व्यवसाय न्यास के यूनिट धारक से करयोग्य है।
- (vii) धारा 115ढक की उपधारा (3) का संशोधन खंड जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (क) के संदर्भ का लोप किया गया है कि प्रकृति की वितरित आय जैसा कि धारा 10 के खंड (23चग) या खंड(23चगक) को निर्दिष्ट किया गया है, को यूनिट धारक की आय समझा जाएगा। और पूर्ववर्ती वर्ष की आय के रूप में कर के लिए अधिभार होगा। इसप्रकार न्याय व्यवसाय के लिए विशेष प्रयोजन यान द्वारा वितरित लाभांश आय यूनिट धारक की ओर से करादेय होगी।
- (viii) अनेक धाराओं में वितरित आय जैसा कि धारा 57, धारा 115क, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ और धारा 115ग में धारा 115ण के संदर्भ को हटाया जाना।
- (ix) धारा 10 के खंड (23घ) की आरंभिक पंक्ति को हटाना जाना जैसा कि पारस्परिक निधि में अतिरिक्त कर संदाय किया जाना काफी समय से अपेक्षित नहीं था।
- (x) नई धारा 80ड का अंतःस्थापन जैसा कि विद्यमान से पूर्व इसमें क्रमप्रपात प्रभाव को हटाने के लिए वित्त अधिनियम अधिनियम, 2003 द्वारा हटाना उस बदलाव के साथ प्रतिभार पूर्ववर्ती रिटर्न फाइल करने के देय तारीख के स्थान पर रिटर्न के फाइल करने की देय तारीख के एक मास पूर्व कंपनी द्वारा वितरित लाभांश के लिए ही अनुज्ञात होगी।
- (xi) धारा 115खखघक का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके जिसमें 10 प्रतिशत की दर से अंशधारक की ओर से दस लाख रूपए की अधिक वितरित आय किसी घरेलु कंपनी द्वारा केवल घोषित लाभांश, वितरित या संदत्त को या 31 मार्च, 2020 से पूर्व के लिए है।
- (xii) धारा 57 का संशोधन जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई कटौती लाभांश आय या पारस्परिक निधि के यूनिटों के संबंध में आय या विनिर्दिष्ट कंपनी को ब्याज व्यय के कारण कटौती को छोड़कर अनुज्ञात दी जाएगी और ऐसी कटौती केवल पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 57 के अधीन कटौती के बिना उस वर्ष के लिए कुल आय में सम्मिलित यूनिटों से लाभांश आय या आय की बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (xiii) कर कटौती के लिए लाभांश को सम्मिलित करने के लिए धारा 194 का संशोधन उपबंध किया जा सके। इसी समय 10 प्रतिशत की दर को विहित करने का प्रस्ताव है और ऊपरी सीमा को नकद से भिन्न संदत्त लाभांश के लिए 2500 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस समय संदाय का ढंग "खाता देय चेक या अधिदेय" है। इसको परिवर्तित करके कोई भी ढंग करने का प्रस्ताव है।
- (xiv) धारा 194खखक का संशोधन जिससे किसी यूनिट धारक निवासी को संदत्त लाभांश आय पर कारबार न्यास द्वारा कर कटौती 10 प्रतिशत की दर पर करने का उपबंध किया जा सके। अनिवासियों के लिए ब्याज के लिए यह 5 प्रतिशत और लाभांश के लिए 10 प्रतिशत होगी।

(xv) नई धारा 194ट का अंतःस्थापन जिससे यह उपबंध किया जा सके किसी निवासी को धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की यूनियों या विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनियों या विनिर्दिष्ट कंपनी की यूनियों के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में ऐसी आय का प्रत्यय करने या किसी भी ढंग से उसका संदाय करने के समय, जो भी पूर्वतर हो उस पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा 5000 रूपए की ऊपरी सीमा का भी उपबंध किया जा सकता है ताकि इससे नीचे की रकम कर कटौती न हो सके। "प्रशासक", "विनिर्दिष्ट कंपनी" का परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है जैसा कि धारा 10 के खंड (35) में पहले से ही परिभाषित है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट उपक्रम (अर्जन और निरसन) अधिनियम 2002 की धारा 2 के खंड (i) के अनुरूप "विनिर्दिष्ट उपक्रम" को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी आय का किसी खाते जैसे उचंत खाता में ऐसी आय का संदाय दायी व्यक्ति के खाते की बहियों में प्रत्यय किया जाता है। इस धारा के अधीन कर कटौती का दायित्व उस समय उद्भूत होगा।

(xvi) धारा 155ण में उपबंधित छूट का लोप करने के लिए धारा 195 का संशोधन।

(xvii) धारा 196क का संशोधन का जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पारस्परिक निधि के यूनियों के संबंध में आय पर टीडीएस की उपयुक्तता पुनर्जीवित की जा सके। इसमें "धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में परिभाषित विनिर्दिष्ट कंपनी से" के साथ और "किसी भी ढंग" के साथ "रकद में या चेक के जारी करके या ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग द्वारा" "यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया" का प्रतस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है।

(xviii) धारा 115ण के अधीन लाभांश के उपबंध को हटाने के लिए धारा 196ग का संशोधन। इसमें "किसी भी ढंग" के साथ "नकद में या चेक के जारी करके या ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग द्वारा" प्रतस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है।

(xix) धारा 115ण के अधीन लाभांश के उपबंध को हटाने के लिए धारा 196घ का संशोधन। इसमें "किसी भी ढंग" के साथ "नकद में या चेक के जारी करके या ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग द्वारा" प्रतस्थापन किए जाने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त खंड (i) से (xii) के संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होंगे। खंड (xiii) से (xix) के संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 7, 30, 40, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 62, 74, 80, 81, 85, 86, 87 और 88]

अर्जन की लागत का परिकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 55 के उपबंधों का व्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 55 के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि पूंजी अभिलाभ का परिकलन के लिए किसी निर्धारिती को संपत्ति के अर्जन की लागत और सुधार की लागत के लिए भी कटौती की अनुज्ञात दी जाएगी, यदि कोई हो। तथापि, 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व किसी अर्जित संपत्ति के संबंध में पूंजी अभिलाभ को परिकलन करने के लिए, निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2001 को या अर्जन की लागत के रूप में संपत्ति का स्पष्ट बाजार मूल्य लेने के लिए दोनों में से किसी एक विकल्प की अनुज्ञात दी जाएगी।

यह प्रस्ताव उपबंध का सुव्यवस्थीकरण और उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (कग) के अधीन स्पष्टीकरण के खंड (ख) के निचले उपखंड (ii) के परन्तुक का अंतःस्थापन का उपबंध करने लिए है कि पूंजी संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों की दशा में, 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी किसी संपत्ति का स्पष्ट बाजार मूल्य 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी संपत्ति की स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं होगी जहां ऐसी स्टांप ड्यूटी मूल्य उपलब्ध है। यह प्रस्ताव भी स्पष्टीकरण को अंतःस्थापन करने का उपबंध करती है कि उपखंड (i) और (ii) का प्रयोजन, "स्टांप ड्यूटीमूल्य" स्थावर संपत्ति के संबंध स्टांप ड्यूटी के संबंध में संदाय के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारिणी या निर्धारणीय मूल्य से अभिप्रेत है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021 और पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 28]

न्यास, संस्थान और निधियों से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 11 की उपधारा (7) का संशोधन धारा 10 के खंड (46) के अधीन अधिसूचना को लागू किए जाने के लिए धारा 12क/12कक के अधीन धारित रजिस्ट्रीकरण के अस्तित्वों को अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 11 धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन अवधारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के संबंध में छूट प्रदान करने का उपबंध करती है जिसके विस्तार के लिए ऐसी आय को अधिनियम की धारा 11, 12, 12क, 12कक और 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त या संचित है।

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) को 1 अप्रैल, 2015 के प्रभाव से वित्त (संख्याक 4) अधिनियम, 2014 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने का उपबंध किया गया है कि जहां न्याय या किसी संस्थान ने धारा 12क इसमें इसके पूर्व वित्त (संख्याक 4) अधिनियम, 1961 द्वारा संशोधन किया गया थाट के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रवृत्त में आए हैं, तत्पश्चात धारा 10 [खंड (1) और (23ग) के सिवाय] के अधीन छूट के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

यह उपधारा उस आधार पर अंतःस्थापित की गई थी कि अधिनियम की धारा 11, 12, 12क, 12कक और 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संपूर्ण कोड का गठन करती है और यदि एकबार किसी न्यास या संस्थान ने आय की छूट के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए स्वेच्छानुसार अपना विकल्प दे दिया हो तो उसे ऐसी छूट की शर्तों का अनुपालन करना चाहिए और ऐसी शर्तों के उल्लंघन की दशा में, यदि वह अपनी आय या उससे संबंधित भाग पर छूट के लिए आयोग्य पाया जाता है तो अधिनियम में कोई अन्य उपबंध नहीं करना चाहिए जिससे कि कुल आय से ऐसी आय या संबंधित भाग को अलग कर दिया जाएगा और कि अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रयुक्त या संचित किए जाने की आवश्यकताओं को आय में सम्मिलित होना चाहिए जिस अधिनियम की धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त होती है।

यह उल्लेख किया गया है कि इसमें धारा 10 के खंड (23) के अधीन संस्थान या रजिस्ट्रीकृत निधि के अपवर्जन के उपबंध द्वारा कुछ विसंगतियां हैं, किन्तु वह अपवर्जन धारा 10 के खंड (46) के अधीन छूट का दावा करने वाले अस्तित्वों के लिए उपलब्ध नहीं है। जिसको केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित किया जाता है। इस प्रकार ऐसे अस्तित्व धारा 10 के खंड (46) के अधीन अधिसूचित किए जाने के लिए समर्थ नहीं हैं यदि उन्होंने धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण धारित किर लिया है।

उपरोक्त विसंगति को इंगित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, संपूर्ण कोड के गठन के धर्मार्थ अस्तित्व के संबंध में उपबंधों के रूप और यदि किसी न्यास या संस्थान ने अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करके अपना विकल्प स्वेच्छानुसार दिया है तो वह इसका अनुसरण करेंगे उससे संबंधित शर्तों का अनुपालन करना चाहिए और सुविधा का दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तदनुसार जबकि खंड 46 के अपवर्जन के लिए अनुरोध उन मामलों के तदधीन छूट के लिए स्वीकार किया जा सकेगा वहां धारा 12कक या धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त रहता है, जहां उपलब्ध छूट का एक ढंग होना चाहिए और केवल यह परिवर्तन ही अनुज्ञात किया जा सकेगा ताकि ऐसा परिवर्तन नैतिक रूप से नहीं किया जाता है और इसे प्रशासित किया जाना भी दक्ष बना रहता है।

न्यासों, संस्थाओं, निधियों, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि की रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और संगम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय संस्था या कंपनी आदि के मामले में अनुमोदन को सुव्यवस्थाकरण

धारा 12कक के अधीन न्यासों, संस्थाओं, निधियों, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि की वर्तमान प्रक्रिया या धारा 10 के खंड (12ग) के उपखंड (iv), (v), (vi), (vik) के अधीन और प्रौद्योगिकी के आरंभ करने और क्रियाकलापों को वास्तविक रूप से आरंभ करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना के व्यवहारिक विवादक को ध्यान में रखते हुए संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या कंपनी आदि में सुधार किए जाने आवश्यकता है।

यह भी ध्यान में आया है कि छूट के लिए अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना सीमित अवधि के लिए ही होनी चाहिए, यह अवधि किसी समय पर पांच वर्ष से अधिक नहीं थी, जो सुनिश्चित करने लिए जांच के रूप में कार्य करेगा कि अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना छूट में बने रहने के लिए होगा। वस्तुतः यह गैर-प्रतिकूल व्यवस्था बने रहने का कारण होगा और दिन प्रति दिन आधार पर अस्तित्व छूट के कार्य लिए में जांच का संचालन नहीं करता है, साधारणतया किसी भी मामले में वे छूट की अवधि समाप्त होने के पूर्व नया रजिस्ट्रीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारी पुनः जांच करेंगे। इस नई प्रक्रिया में विद्यमान और नई छूट अस्तित्व दोनों के लिए उपबंधित किए जाने की आवश्यकता है।

दानकर्ता द्वारा दान के दावे की प्रति-जांच के अदाता द्वारा दान का कथन फाइल करना

यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के कतिपय उपबंध यह उपबंध करते हैं कि अस्तित्व किसी छूट उनके उद्देश्यों के लिए या अदाता जिसके संबंध में क्रियाकलापों के व्यवहार के लिए कतिपय धनराशि या प्राप्त दान, दानकर्ता के नाते, अपनी आय के परिकलन में कटौती पाएगा। इस समय, इसमें ऐसे दान/धनराशि के संबंध में प्राप्त करने वाला दान/ राशि को अस्तित्व छूट द्वारा दायित्व रिपोर्टिंग नहीं करता है। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ, यह जिस एकैकी मिलान के बीच के माध्यम से प्रक्रिया मानकीकृत करने के लिए व्यवहार्य है क्या अस्तित्व ने छूट प्राप्त की है और क्या निर्धारिणी द्वारा कटौती के रूप में दावा किया गया है। यह मानकीकरण स्रोत पर कर संग्रहण/कटौती के संबंध में उपबंध करना समान हो सकता है। इसलिए दान/राशि प्राप्त करने वाले अस्तित्व उससे संबंधित कथन प्रेषित करने के लिए किया जा सकता है और दानकर्ता/अदाता को प्रमाणपत्र जारी करना और दानकर्ता/अदाता के लिए कटौती के दावे को केवल उस आधार पर अनुज्ञात किया जा सकता है। कथन को उचित रूप से फाइल करने के सुनिश्चित करने के उद्देश्य, फीस का उदग्रहण और शास्ति का उपबंध किया जा सकता है जहां ऐसे मामलों में कथन को प्रेषित करने में असफल रहता है।

अतः अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि :—

- (i) धारा 10 के खंड (46) के अधीन छूट खंड (1) और (23) के अधीन छूटों की समानता किसी अस्तित्व को अनुज्ञात होगी यद्यपि यह शर्तों के अधीन धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है कि रजिस्ट्रीकरण निष्क्रिय बन जाएगी। यदि अस्तित्व भविष्य में इसके संचालन की इच्छा रखता है तो वह एक आवेदन फाइल करेगा और तत्पश्चात इसे उस तारीख से खंड (46) के अधीन कटौती के लिए हकदार नहीं होगा जिसको तारीख को रजिस्ट्री संचालन में आई है।
- (ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण धारा 10 के खंड (123ग) के अधीन छूट किसी अस्तित्व की दशा में और एकरूपता के लिए भी निष्क्रिय हो जाएगी। पुनः इसका संचालन करने के बारे में शर्त भी समान होगी जिसके लिए धारा 10 के खंड (46) के लिए प्रस्ताव किया गया है।
- (iii) अधिनियम की धारा 35 या धारा 12कक, धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन किसी अनुमोदित अस्तित्व, रजिस्ट्रीकृत या अधिसूचित जैसा भी मामला हो अनुमोदित होने के संबंध में अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण या सूचित किए जाने के लिए लागू किया जाना अपेक्षित होगा, जैसा भी मामला हो और ऐसा करना अस्तित्व के संबंध में अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना विधिमान्य होगी और 1 अप्रैल, 2020 से संगणित किसी समय पर पूर्ववर्ती पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (iv) धारा 80छ के अधीन पहले से किसी अनुमोदित अस्तित्व को अनुमोदन के लिए लागू किए जाने के अपेक्षित होगा और ऐसा करना अस्तित्व के संबंध में अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण या अधिसूचना विधिमान्य होगी और किसी समय पर पूर्ववर्ती पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (v) धारा 80घ के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को किए जा सकेगा।
- (vi) धारा 10 के खंड (23ग) के अनुमोदन के लिए, नया आवेदन करने अस्तित्व, धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, धारा 80घ के अधीन अनुमोदन करने के लिए अस्तित्व, उन मामलों में भी जहां अस्तित्व की क्रियाकलाप अभी आरंभ होने वाले हैं बिना विस्तृत जांच के आवेदन के आधार पर तीन वर्ष के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित या रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा इसे पुनः अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना जो, यदि अनुदत किया जाता है तो ऐसे अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से वैध होगा। अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के कम से कम छह मास पूर्व या क्रियाकलापों के आरंभ के छह मास के भीतर, जो पूर्वतर हो, किया जा चाहिए।

- (vii) अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण के लंबित आवेदन जैसा भी मामला हो नए उपबंधों के अनुसरण में आवेदन के रूप में विचार किया जाएगा, जहां भी उपबंध किया गया है।
- (viii) किसी दानकर्ता को धारा 80छ/80छछक के अधीन कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि विवरण अदाता द्वारा भेज दिए गए हों जिसको दान प्राप्त करने के संबंध विवरण भेजना अपेक्षित होगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो फीस और शास्ति उदग्रहित की जाएगी।
- (ix) अधिनियम की धारा 80छ के लिए समान्तर, धारा 80छछक के अधीन नकद दान की कटौती 2000 रूपए ही प्रतिबंधित की जाएगी।
- संशोधनों 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 7,9,11,12,17,33,34,61,94,96 और 99]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 के प्रतिषेध के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के सदस्य को नियुक्त किए जाने के मापदंड की पात्रता का विस्तार करना।

बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (बेनामी अधिनियम) के प्रतिषेध की धारा 9 के विद्यमान उपबंधों को अन्य बातों के साथ यह उपबन्ध किया गया है कि भारतीय राजस्व सेवा का कोई सदस्य जिसने आयकर आयुक्त का पद धारित किया हुआ या उस सेवा में समतुल्य पद या भारतीय विधिक सेवा का कोई सदस्य जिसने संयुक्त सचिव का पद धारित किया हुआ है या उस सेवा में समतुल्य पद और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने प्रयोजनार्थ पात्र हैं।

उक्त धारा का संशोधन करने के लिए यह उपबंध किया गया है जिसमें ऐसा संशोधन किया जा सके कि कोई व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के लिए योग्य पाया गया है, उसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ पात्र होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 143]

कतिपय मामलों में कर संपरीक्षा में संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 44कख के अधीन, कारबार में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की लेखा संपरीक्षा किया जाना अपेक्षित है, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में एक करोड़ रूपए से अधिक या आधिक्य कारबार में उसकी कुल वित्त, लेनदेन या सकल प्राप्तियां हैं। व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति की दशा में उसका लेखा संपरीक्षा किया जाना अपेक्षित है, यदि उसकी व्यवसाय में सकल प्राप्ति पूर्व वर्ष में पचास लाख रूपए से अधिक है।

लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज पर भार के अनुपालन को कम करने के उद्देश्य से ऐसे मामलों में जहां एक करोड़ रूपए से पांच करोड़ रूपए से व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के लिए प्रारंभ सीमा की बढ़ोतरी करने का यह प्रस्ताव है;

- (i) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नकद में सभी प्राप्तियों का पूर्णयोग ऐसी प्राप्ति के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होती है; और
- (ii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नकद में सभी संदायों का पूर्णयोग ऐसे संदाय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

कारबार या व्यवसाय से आय के कार्य में लगे व्यक्तियों के मामले में विवरणी की पूर्व फाइल को समर्थ बनाने के लिए भी, यह अपेक्षित है कि कर संपरीक्षा रिपोर्ट विवरणी फाइल करने की देय तारीख से पूर्व कम से कम एक माह से उक्त निर्धारिणी द्वारा प्रेषित की जाए। इन सभी धाराओं में संशोधनों की अपेक्षा की जाती है जो आय विवरणी फाइल करने की देय तारीख द्वारा या आय की विवरणी के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट को फाईल करना अधिदेश है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 10, धारा 10क, धारा 12क, धारा 32कख, धारा 33 कख, धारा 33 कखक, धारा 35घ, धारा 35ड, धारा 44कख, धारा 44घक, धारा 50ख, धारा 80-झक, धारा 80-झख, धारा 80जकक, धारा 92-च, धारा 115जख, धारा 115जग, और धारा 115बभ का तदनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाईल करने की देय तारीख का भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है:

- (क) अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड 5(क) के संदर्भ में किसी निर्धारिणी के लिए देय तारीख के रूप निर्धारण वर्ष (30 सितम्बर के सामने) का 31 अक्तुबर का उपबंध किया गया है;
- (ख) अधिनियम 139 की धारा (1) की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) के उपखंड (iii) में यथा उल्लिखित देय तारीख के संबंध में किसी फर्म के कार्यरत और गैर-कार्यरत साझेदार के बीच भिन्नता का हटाना है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभाव में आएंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7,8,10,14,15,16,19,20,23,24,26,35,37,39,45,56,57,63 और 66]

लेखा संपरीक्षा की बहियों को प्राप्त करने के लिए विस्तारित किए जाने की अवसीमा के संबंध में संशोधन धारा 194,194ग, 194ज, 194झ, 194ञ, और 203ग में अंतर्विष्ट उपबंधों के टीडीएस/टीसीएस के परिणामिक प्रभाव होंगे चूंकि इन उपबंधों को व्यक्ति की कतिपय श्रेणियों पर टीडीएस/टीसीएस का दायित्व तय होगा, यदि धारा 44कख के खंड (क) या खंड (9) में विनिर्दिष्ट मुद्रा सीमा से अधिक उनके द्वारा कार्य में लगे कारबार या व्यवसाय से सकल प्राप्त या आवृत्त होता है।

इस प्रकार, यह प्रस्ताव इन धाराओं को संशोधन किए जा सकने के लिए है कि अधिनियम की धारा 44कख के खंड(क) या खंड(ख) में विनिर्दिष्ट मुद्रा सीमा के संदर्भ में कारबार के की दशा में एक करोड़ रुपए या व्यवसाय की दशा में पचास लाख रुपए प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020को प्रभाव में आएंगे।

[खंड 75, 76, 77, 78, 79 और 93]

प्ररूप 26कघ से संबंधित उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 203कक में अन्य बातों के साथ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्ररूप 26कघ एक विवरणी तैयार करने और परिदत्त करने हेतु धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विहित आयकर प्राधिकारी या धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा करती है कि वह ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 26कघ में एक विवरणी तैयार करे और उसे परिदत्त करे जिसकी आय से कर की कटौती की गई है या जिसके आय के संबंध में कर का कटौती किए गए कर की रकम का विनिर्दिष्ट करते हुए संदाय किया गया है या संदाय किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों में यथाविहित प्ररूप 26कघ स्रोत पर संग्रहित कर या कटौती किए गए कर के बारे में जानकारी अन्तर्विष्ट है तथापि प्रौद्योगिकी में उन्नति और प्रणालियों की क्षमता में अभिवृद्धि के साथ किसी व्यक्ति के संबंध में बहुजानकारी जैसे अचल संपत्ति के विक्रय/क्रय, शेयर संव्यवहार आदि को नियंत्रित किया जा रहा या नियंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है भविष्य में यह परिकल्पित है कि अनुपालन को सुधार बनाने के लिए यह सूचना आयकर विभाग की अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में उसे अपलोड करके निर्धारिती को उपलब्ध कराया जाएगा इसे आयकर की विवरणी फाइल करने के लिए और अपने सही कर दायित्व की संगणना करने के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप 26कघ के प्रतिदेश के अनुसार कटौती किए गए कर के बारे में सूचना से परे विस्तारित किया जाना अपेक्षित होगा, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित अधिनियम में नई धारा 285(बख) को पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह धारा विहित आयकर प्राधिकारी प्रतिदेश के लिए या ऐसे प्ररूप में निर्धारिती विवरण के कारण रजिस्ट्रीकृत में अपलोड किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और रीति और ऐसी सूचना को बताने के लिए प्रस्ताव है, जो किसी आय कर प्राधिकारी के कब्जे हैं और ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया गया है।

परिणामस्वरूप, धारा 203कक को लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभाव में आएंगे।

[खंड 90]

पृथक्करण पोर्टफोलियो के संबंध में अधिनियम की धारा-2 के खंड (42क) और धारा 49 के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम का धारा 49पूंजी आस्ति के लिए अर्जन की लागत के उपबंध करती है जिसमें कतिपय परिस्थितियों के अधीन निर्धारणी की संपत्ति आती है। अधिनियम की धारा 2 के खंड (42क) का भी "संक्षिप्त अवधि पूंजी आस्ति" अवधि की परिभाषा का उपबंध करती है।

सेबी ने तारीख 28, दिसम्बर, 2018 के परिपत्र सेबी/एचओ/आईएमडी/डीएफ2/सीआईआर/पी/2018/160 के द्वारा पारम्परिक निधि स्कीमों द्वारा लिखत बाजार मुद्रा और ऋण के पृथक्करण पोर्टफोलियो का सृजन करने को अनुज्ञात किया है। सेबी के परिपत्र के अनुसार प्रत्येक घटना के दिन को प्रभावित स्कीम में यूनितधारकों को मुख्य फोर्टफोलियो में यथा अवधारित पृथक्करण पोर्टफोलियो में यूनितों की समान संख्या आवंटित की जाएगी। पृथक्करण पर यूनित धारक मुख्य स्कीम और पृथक्करण स्कीम-दोनो स्कीमों में यूनितों की वही संख्या अवधारित होगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42क) का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव करती है कि पूंजी आस्ति के मामले में धारा 49 की उपधारा (2कछ) के संदर्भ में पृथक्करण पोर्टफोलियो में यूनित और यूनितों के नाते उपबंध किया गया है इसमें मुख्य पोर्टफोलियो में मूल यूनित या यूनितों जिसके लिए अवधि सम्मिलित की जाएगी।

नई उपधारा (2कछ) को अधिनियम की धारा 49 में अतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव उपबंधित किया गया है की पृथक्करण पोर्टफोलियो में यूनित या यूनितों के अर्जन की लागत वह धनराशि होगी जिसे कुल पोर्टफोलियो में निर्धारिती द्वारा अवधारित यूनित या यूनितों के अर्जन की लागत को वहन करेगी, कुल आस्ति के रूप में वही समानुपात पोर्टफोलियो के पृथक्करण के समक्ष तुरन्त कुल पोर्टफोलियो का मूल्य कुल आस्ति का वहन करने लिए पृथक्करण पोर्टफोलियो का स्थानांतरण आस्ति के मूल्य से होगा।

उक्त धारा में एक दूसरी उपधारा (2कज) का अन्तःस्थापन करने के प्रस्ताव का भी उपबंध किया गया है कि मुख्य पोर्टफोलियो में यूनित धारक द्वारा अवधारित मूल यूनितों के अर्जन की लागत उपधारा (2कछ) के प्रस्ताव के अधीन धनराशि द्वारा कम किया जाना समझा जाएगा।

इन दोनों नई धाराओं के नीचे स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किए जाने के प्रस्ताव का भी उपबंध किया गया है कि उपधारा (2कछ) और (2कज) के प्रयोजन के लिए "मुख्य पोर्टफोलियो" "कुल पोर्टफोलियो और पृथक्करण पोर्टफोलियो की अभिव्यक्ति का क्रमशः अर्थ लिया जाएगा जिसके लिए सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 अधीन सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एच.ओ/आईएमडी/डीएफ2/सीआईआर/पी/2018, तारीख 28 दिसम्बर, 2018 को समनुदेशित किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 को प्रभाव में आएंगे तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3 और 25]

आयकर की विवरणी का सत्यापन और प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रकटन से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में संशोधन।

अधिनियम की धारा 140 का उपबंध किया गया है कि कंपनी विवरणी के मामले में उससे संबंधित प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। जहां एम.डी. किसी अनुउपलब्धता के कारण के लिए सत्यापित किए जाने के लिए समर्थ नहीं है या जहां पर वहां कोई एम.डी. नहीं है, कंपनी के निदेशक के मामले में विवरणी का सत्यापन किया जा सकता है। यह भी उपबंध किया गया है कि किसी कंपनी की दशा में जिनके मामले में दिवालिया संकल्प प्रक्रिया के लिए लागू दिवालिया और शोधनक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञान किया गया है, विवरणी को ऐसी कक द्वारा दिवालिया व्यावसायिक नियुक्त द्वारा सत्यापित किया जाना है। समान्तर रूप से, लिमिटेड दायित्व साझेदार (एलएलपी) की दशा में, विवरणी एलएलजी के पदाभिहित साझेदार द्वारा या किसी साझेदार द्वारा सत्यापित किया जाना, यदि इसमें कोई साझेदार पदाभिहित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, अधिनियम की धारा 140 के खंड (ग) और (घ) का संशोधन किए जा सकने का प्रस्ताव किया गया है जिसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाना है, जैसा कि कंपनी और लिमिटेड दायित्व साझेदारी की दशा में आय विवरणी का सत्यापन किए जाने का बोर्ड द्वारा विहित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, किसी निर्धारिणी की ओर से किसी आयकर प्राधिकारी या अपीली अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए हकदार व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 288 का भी उपबंध किया गया है चूंकि इसका संबंध उस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से है। जबकि आईबीसी के निदेशकों या कारपोरेट ऋणी की शक्ति प्रयोग करके दिवालिया व्यावसायिक या प्रशासक को शक्ति प्रदान करती है, यह उल्लेख किया गया है कि कारपोरेट ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कृत्य करने के लिए किसी दिवालिया व्यवसायिक के लिए अधिनियम की धारा 288 के संदर्भ में सुस्पष्टता की कमी को कतिपय प्रयोजनात्मक कठिनाईयों को उद्भूत किया गया है।

इस प्रकार, धारा 288 की उपधारा (2) को संशोधन का प्रस्ताव है जिससे किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने के लिए कोई बोर्ड द्वारा विहित किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

[खंड 67 और 102]

सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "आधारिक सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्ग्रहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है ।

(ख) वर्ग कोष्ठकों [] में खंड संख्यांक , वित्त विधेयक, 2020 के सुसंगत खंड को इंगित करते हैं ।

(ग) वित्त विधेयक, 2020 के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमन की तारीख को प्रभावी होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

I. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन :

क्रम सं०	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 के खंड
1	धारा 11(2) का खंड (च) केंद्रीय सरकार को सोना या चांदी के अनियंत्रित आयात या निर्यात के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति के निवारण के लिए सशक्त करता है, जिससे कि उनका आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध हो जाए । इस खंड का संशोधन, इसकी परिधि में "कोई अन्य माल" (सोना और चांदी के अतिरिक्त) को सम्मिलित करके किया जा रहा है ।	[105]
2	धारा 28 में, सुस्पष्टता से स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन से पूर्व उक्त धारा के अधीन जारी कोई नोटिस धारा 28 द्वारा शासित होना जारी रहेगा, जैसे वह उक्त अधिनियमिति, किसी अपील प्राधिकारी के आदेश के होते हुए, अपील अधिकरण, न्यायालय या किसी अन्य विधि में प्रतिकूल बात के होते हुए, पूर्व में विद्यमान थी ।	[106]
3	सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय 5कक (एक नई धारा 28घक) व्यापार करार के अधीन अधिमानी टैरिफ उपचार प्रक्रिया के प्रशासन के लिए समर्थ बनाने हेतु उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जा रहा है । प्रस्तावित नई धारा आयातक पर कतिपय बाध्यता का विनिर्दिष्ट रूप से और शंका की दशा में निर्यातक देश से समयबद्ध सत्यापन विहित करने का उपबंध करने के लिए है । सत्यापन लंबित रहने तक अधिमानी टैरिफ उपचार निलंबित होगा और केवल अंतरीय शुल्क के बराबर प्रतिभूति देने पर ही माल की निकासी होगी । कतिपय मामलों में, टैरिफ उपचार अतिरिक्त सत्यापन के बिना नामंजूर किया जा सकेगा ।	[108]
4	एक नई धारा 51ख अंतःस्थापित की जा रही है, जो सीमाशुल्क प्रणाली में इलैक्ट्रॉनिक शुल्क खाते के सृजन का उपबंध करती है । यह शुल्क प्रत्यय को शुल्क परिहार के बदले निर्यातक या इलैक्ट्रॉनिक रूप में अन्य ऐसे फायदे के संबंध में दिया जाना उसके उपयोग, अंतरण आदि के संबंध में समर्थ करेगा । सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ककक के अधीन उपबंधित शुल्क की वसूली के लिए उपबंध का विस्तारण भी, ऐसे इलैक्ट्रॉनिक शुल्क प्रत्यय को सम्मिलित करने के लिए किया जा रहा है ।	[107 और 110]
5	धारा 111 का संशोधन एक नए खंड (त) अंतःस्थापित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे यह विहित किया जा सके कि अधिमानी टैरिफ उपचार पर दावा किया गया आयातित माल और अध्याय 5कक के किसी उपबंध, जिसके संबंध में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन है, जो अधिग्रहण के लिए दायी होगा ।	[111]
6	धारा 156 का, उपधारा (2) में एक नया खंड (i) अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, जो केंद्रीय सरकार को, नए अंतःस्थापित अध्याय 5कक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, रीति, प्रक्रिया, शर्तें, निर्बंधन और अन्य विषयों को विहित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।	[112]
7.	धारा 157 (2) का संशोधन किया जा रहा है, जो केंद्रीय सरकार को, नई अंतःस्थापित धारा 51ख के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, रीति, प्रक्रिया, शर्तें, निर्बंधन और अन्य विषयों को विहित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करती है।	[113]

II. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन :

क्रम सं०	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 के खंड
1	धारा 8ख, एक नई धारा से प्रतिस्थापित की जा रही है, जो केंद्रीय सरकार को, उस दशा में, जिसमें कोई वस्तु भारत में ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी शर्तों के अधीन आयात की गई है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो या कारित होने का खतरा हो, रक्षोपाय करने के लिए सशक्त करती है । ऐसे रक्षोपायों में, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण या	[114]

	टैरिफ-दर कोटा का लागू होना या ऐसे अन्य उपाय सम्मिलित हैं, जो केन्द्रीय सरकार रक्षोपायों के रूप में समुचित समझे।	
--	---	--

III. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

संशोधन					
क.	आधारिक सीमा-शुल्क की टैरिफ दरों में परिवर्तन [02.02.2020 से प्रभावी]* [वित्त विधेयक, 2020 का खंड [115(क)]]			शुल्क की दर	
क्र.सं.	शीर्षक, उप-शीर्षक टैरिफ मद	वस्तु	से	तक	
		खाद्य प्रसंस्करण			
1.	0802 32 00	अखरोट, कवचयुक्त	30%	100%	
		रसायन			
2.	3824 99 00	अन्य रसायन उत्पाद और रसायन या सहायक उद्योगों की तैयारी, जो कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं है	10%	17.5%	
		जूते			
3.	6401, 6402, 6403, 6404, 6405	जूते	25%	35%	
4.	6406	जूते के भाग	15%	20%	
		गृहस्थ मदें			
5.	6911 10 6911 90 20 6911 90 90	पार्सिलेन या चाइना के, खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, पानी का फिल्टर (जिसकी क्षमता 40 लीटर से अधिक न हो) और अन्य गृहस्थ वस्तुएं	10%	20%	
6.	6912 00 10 6912 00 20 6912 00 40 6912 00 90	चीनी मिट्टी के खाने के बर्तन, रसोई के बर्तन, मृत्तिका की वस्तुएं और अन्य गृहस्थ वस्तुएं	10%	20%	
7.	7013	इस प्रकार के कांच का, जिसका उपयोग मेज, रसोईघर, प्रसाधन, कार्यालय, आंतरिक सजावट या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है (उनसे भिन्न जो शीर्ष 7010 या 7018 में हैं)	10%	20%	
8.	7323	लौह या इस्पात की खाने-पीने की रसोई की या अन्य गृहस्थ वस्तुएं और उनके पुर्जे, लौह या इस्पात उर्ण ; लौह या इस्पात के पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण के दस्ताने और वैसे ही वस्तुएं, जिसके अंतर्गत प्रेशर कुकर, पैन, बर्तन, प्रकीर्ण वस्तुएं, जैसे लौह और इस्पात उर्ण, पालिशकरण के पैड, दस्ताने इत्यादि	10%	20%	
9.	7418 10	ताम्र की खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थ वस्तुएं और उनके पुर्जे ; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण के पैड, दस्ताने और वैसे ही वस्तुएं	10%	20%	
10.	7615 10	एलुमीनियम की खाने-पीने की, रसोई की या अन्य गृहस्थ वस्तुएं और उनके पुर्जे ; पात्र अभिमार्जक और अभिमार्जन या पालिशकरण के पैड, दस्ताने और वैसे ही वस्तुएं	10%	20%	
11.	8301	आधार धातु के विरोज्य ताले और ताले (चाबी, संयोजन या विद्युत प्रचालित), आधार धातु के खटके और खटको सहित फ्रेम, जिनमें ताले बने हुए हैं, पूर्वगामी वस्तुओं में से किन्हीं के लिए आधार धातु की चाबियां (इस प्रकार मोटर गाड़ी के लिए उपयोग ताले से भिन्न)	10%	20%	
12.	9603	झाड़ू, ब्रुश, हस्तचालित यांत्रिक फर्श अपमार्जक, जिसमें मोटर नहीं लगी है, समार्जक और पंख डस्टर; झाड़ू या ब्रुश बनाने के लिए निर्मित गांठे और गुच्छे; पेंट पैड और बैल्लन निष्पीडित्र (बैल्लन निष्पीडित्र से भिन्न)	10%	20%	

13.	9604 00 00	हस्त छन्नी और हस्त प्रचालनी	10%	20%
14.	9615	कंघे, केश स्लाइडें और वैसी ही वस्तुएं ; केश पिन, बलन पिन, बलनग्रिप्स, केश बलित्र और वैसी ही वस्तुएं, उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8516 की है और उनके पुर्जे	10%	20%
15.	9617	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण; उनके पुर्जे, कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न	10%	20%
		गृहस्थ साधित्र		
16.	8414 51 10	टेबल पंखे	10%	20%
17.	8414 51 20	सीलिंग पंखे	10%	20%
18.	8414 51 30	पदस्थल पंखे	10%	20%
19.	8414 59 20	सुबाह्य ब्लोअर	10%	20%
20.	8509 40 10	खाद्य पेषणित्र	10%	20%
21.	8509 40 90	अन्य पेषणित्र और मिश्रणित्र	10%	20%
22.	8509 80 00	अन्य साधित्र	10%	20%
23.	8510 10 00	शेवर	10%	20%
24.	8510 20 00	केश प्रकृतित्र	10%	20%
25.	8510 30 00	बाल सफाई साधित्र	10%	20%
26.	8516 10 00	जल तापित्र और निमज्जन तापित्र	10%	20%
27.	8516 21 00	भंडार तापन विकिरक	10%	20%

28.	8516 29 00	अन्य विद्युत स्पेस तापन उपकरण	10%	20%
29.	8516 31 00	केश शुष्कित्र	10%	20%
30.	8516 32 00	अन्य केश के प्रसाधन उपकरण	10%	20%
31.	8516 33 00	हस्त शुष्कन उपकरण	10%	20%
32.	8516 40 00	विद्युत सुगम इस्त्री	10%	20%
33.	8516 60 00	अन्य अवन, कुकर, कुकिंग प्लेट, क्वथनवलय, ग्रिलर और भजित्र	10%	20%
34.	8516 71 00	काफी या चाय मेकर	10%	20%

35.	8516 72 00	टोस्टर	10%	20%
36.	8516 79 10	विद्युत-तापीय तरल हीटर	10%	20%
37.	8516 79 20	कीट विकर्षण के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रानिक युक्तियां	10%	20%
38.	8516 79 90	गृहस्थ प्रयोजनों के प्रयोग के लिए अन्य विद्युत तापीय उपकरण	10%	20%
39.	8516 80 00	विद्युत तापण प्रतिरोधित्र	10%	20%
		बहुमूल्य धातु		
40.	7118	सिक्का	10%	12.5%
		मशीनरी		
41.	8414 51 40	रेलगाड़ी के पंखे	7.5%	10%
42.	8414 51 90	अन्य पंखे, जिनमें स्वतःपूर्ण विद्युत मोटर लगी है, जिसका निर्गम 125वाट से अधिक नहीं है	7.5%	20%
43.	8414 59 10	वायु चक्रक	7.5%	10%
44.	8414 59 30	औद्योगिक पंखे, ब्लोअर और समान ब्लोअर	7.5%	10%
45.	8414 59 90	अन्य औद्योगिक पंखे	7.5%	10%
46.	8414 30 00, 8414 80 11	प्रशीतित्र और वायु अनुकूलित का संपीडित्र	10%	12.5%
47.	8419 89 10	भाप वाले बर्तन	7.5%	10%
48.	8418 10 10	वाणिज्यिक टाईप संयुक्त-हिमित्र, जिनमें पृथक वास दरवाजे फिट किए गए हैं	7.5%	15%
49.	8418 30 10	वाणिज्यिक टाईप के संदूक प्ररूपी हिमित्र 800 लीटर से अनधिक धारिता वाले	7.5%	15%
50.	8418 30 90	अन्य संदूक प्ररूपी प्रशीतित्र	10%	15%
51.	8418 40 10	विद्युत प्रशीतित्र संदूक प्ररूपी, 800 लीटर से अनधिक धारिता वाले	7.5%	15%
52.	8418 40 90	अन्य प्रशीतित्र संदूक प्ररूपी, 800 लीटर से अनधिक धारिता वाले	7.5%	15%
53.	8418 50 00	प्रशीतन या हिमकरण प्रदर्शन काउंटर, कैबिनेट, शो केस और वैसा ही	7.5%	15%
54.	8418 61 00	वायु शीतन मशीनों से भिन्न उष्मा पम्प	7.5%	15%
55.	8418 69 10	बर्फ बनाने की मशीनरी	7.5%	15%
56.	8418 69 20	वाटर कूलर	10%	15%
57.	8418 69 30	वैडिंग मशीन, स्वचालित वैडिंग मशीन को छोड़कर	10%	15%
58.	8418 69 40	प्रशीतित्र उपस्कर/युक्तियां, जिनका उपयोग चर्म उद्योग में होता है	7.5%	15%
59.	8418 69 50	प्रशीतित्र फार्म टैंक, औद्योगिक आइस्क्रीम हिमित्र	7.5%	15%
60.	8418 69 90	अन्य [वैसे ही 800 लीटर और अधिक की धारिता वाले हिमित्र इत्यादि]	7.5%	15%

61.	8515 (8515 90 00 के सिवाय)	वैल्डींग और प्लाजमा कर्तन मशीनरी	7.5%	10%
		अन्य इलेक्ट्रॉनिक माल		
62.	8504 40 (8504 40 21 के सिवाय)	स्थैतिक	15%	20%
63.	8504 40 21	डिप पुल संपरिवर्तित्र	10%	20%
64.	8517 70 10	पोपुलेडेट, भारित या भारित मुद्रित सर्किट बोर्ड	10%	20%
		आटोमोबाइल और आटोमोबाइल पुर्जे		
65.	8421 39 20, 8421 39 90	उत्प्रेरक परिवर्तित्र	10%	15%
		फर्नीचर माल		
66.	9401	सीटों और उनके पुर्जे (वायुयान की सीटों और उनके पुर्जों से भिन्न)	20%	25%
67.	9403	अन्य फर्नीचर और पुर्जे	20%	25%
68.	9404	गद्दे के आलम्ब, बिछाने की वस्तुएं और वैसे ही साज समान	20%	25%
69.	9405	लैंप और प्रकाश फिटिंगे, जिनके अंतर्गत सर्चलाइट और स्पॉट लाइट और उनके पुर्जे भी हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, प्रदीप्त चिन्ह, प्रदीप्त नाम पट्ट और वैसे ही अन्य वस्तुएं, जिनमें स्थायी रूप से लगे हुए प्रकाश स्रोत हैं और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है	20%	25%
		खिलौने		
70.	9503	ट्राइसाइकल, स्कूटर, पैडल कार और वैसे ही पहिएदार खिलौने ; गुड़िया वाहन ; गुड़िया ; अन्य खिलौने ; लघुकृत नाम ('स्कैल') प्रतिरूप और वैसे ही अमोदी-प्रमादी प्रतिरूप, चाहे चालू हालत में है या नहीं, सभी प्रकार की पहेलियां	20%	60%
		लेखन सामग्री मर्दे		
71.	8304 00 00	आधार धातु की फाइले, कैबिनेट, कार्ड इन्डेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर रेस्ट, पेन ट्रे, कार्यालय स्टाम्प स्टैंड और वैसे ही कार्यालय या डेस्क उपस्कर, शीर्ष 9403 के कार्यालय फर्नीचर से भिन्न	10%	20%
72.	8305	आधार धातु की लूज-लीफ बंधकों या फाइलों के लिए फिटिंगे, पत्र क्लिपें, पत्र कोने, कागज क्लिपे, इंडेक्स टैग और वैसे ही कार्यालय की वस्तुएं ; आधार धातु के स्ट्रिप्स में स्ट्रेपिलों (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्सटरी, पैकेजिंग के लिए)	10%	20%
73.	8310	आधार धातु के हस्ताक्षर पट्टे, नाम पट्ट और वैसे ही पट्टे, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक, उनको छोड़कर जो शीर्ष सं0 9405 के हैं	10%	20%
		प्रकीर्ण		
74.	6702	कृत्रिम पुष्प	10%	20%
75.	7018 10 20	कांच के मनके	10%	20%
76.	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे, लघु प्रतिमाएं, ट्राफी और वैसे ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं है ; आधार धातु की लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; आधार धातु के दर्पण	10%	20%

ख.	पहली अनुसूची में जोड़ी गई नई प्रविष्टियां [02.02.2020 से प्रभावी होगा]*		[वित्त अधिनियम, 2020 का खंड 115(ख)]	
	टैरिफ मद	वर्णन	टैरिफ दर	प्रभावी दर
1.	8414 51 50	दीवार पखें	20%	20%
2.	8529 90 30	टेलीविजन सेट के लिए ओपन सेल	15%	0%
3.	8541 40 11	समुच्चियत के लिए नए सोलर सेल	20%	0%
4.	8541 40 12	माड्यूलस में समुच्चियत किए गये या पेनल में बनाए गये सोलर सैल	20%	0%

* अन्ततिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा द्वारा यथाशीघ्र प्रभावी होगा

IV. संबंधित अधिसूचनाओं में आधारिक सीमा शुल्क दरों में परिवर्तनों को सम्मिलित हुए अन्य प्रस्ताव

क्रम सं.	शीर्ष, उप-शीर्ष टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		पशु		
1.	0101 21 00	शुद्ध वंशज प्रजनन अश्व	30%	शून्य
		ईंधन, रसायन और प्लास्टिक		
2.	27	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 के क्र. सं. 139 की प्रविष्टि के अधीन आईएफओ 180 सीएसटी और आईएफओ 380 सीएसटी को यथा उपलब्ध उन्हीं शर्तों के अधीन 220.400 सीएसटी 0.5% मानक/समुद्री ईंधन में आईएसओ 8217:2017 आरएमजी 380 श्यानता को पूरा करने वाले बहुत कम सल्फर का ईंधन तेल	10%	शून्य
3.	2713 12 10, 2713 12 90	कैल्सीनाइड पेट्रोलियम कोक	10%	7.5%
4.	2843	कालोइडी बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातुओं के यौगिक, बहुमूल्य धातुओं के अम्लाम	7.5%	10%
5.	2916 12 10	ब्यूटाइल एक्रिलेट	5%	7.5%
6.	3907 99 90	संयोजको के विनिर्माण में उपयोग के लिए पॉलीस्टर लिक्विड क्रिस्टल पॉलीस्टर (एलसीपी)	7.5%	शून्य
7.	3920 10 99	स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैलेंडरीकृत प्लास्टिक चादरें	10%	5%
		कागज उद्योग		
8.	48	(क) अखबारी कागज, यदि आयातकर्ता आयात के समय भारत के अखबार रजिस्ट्रार (आरएनआई) के पाल रजिस्ट्रीकृत कोई स्थापन है (ख) अखबार के मुद्रण हेतु प्रयोग किये गये गैर विलेपित कागज, यदि आयातकर्ता आयात के समय भारत के अखबार रजिस्ट्रार (आरएनआई) के पास रजिस्ट्रीकृत कोई स्थापन है।	10%	5%

		(ग) अंतिम उपयोग की शर्तों के अध्याधीन मैगजीन के मुद्रण हेतु प्रयोग किये गये हल्के विलेपित		
		खेल का समान		
9.	44	बिल्लो को सम्मिलित करने के लिए किसी पूर्ववर्ती वर्ष वित्तिय वर्ष में निर्यात किए गये खेल समान के एफओबी मूल्य के 3% तक शुल्क रहित आयात के लिए अनुज्ञात मदों की सूची का संशोधन	लागू दर	शून्य
		बहुमूल्य रत्न और धातुएं		
10.	7108	अर्द्ध चालक डिवाइसो या रोशनी उत्सर्जित करने वाले डायोड के विनिर्माण में प्रयुक्त स्वर्ण	शून्य	12.5%
11.	7103	अनसेट और आयतित अनकट माणिक्य, पन्ना, नीलम	शून्य	0.5%
12.	7103	अपरिष्कृत रंगे हुए जड़ाऊ रत्न	शून्य	0.5%
13.	7103	अपरिष्कृत अर्द्ध-बहुमूल्य रत्न	शून्य	0.5%
14.	7103	बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य रत्नों के पूर्व रूप	शून्य	0.5%
15.	7104	अपरिष्कृत संश्लेषित रत्न	शून्य	0.5%
16.	7104	अपरिष्कृत घनाकार जिरकोनिया	शून्य	0.5%
17.	7104	पोलिश किए गये घनाकार जिरकोनिया	5%	7.5%
18.	7110	निम्नलिखित के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लेटिनम या पैलेडियम (क) नोबल धातु यौगिकों और नोबल धातु मिश्रणों सहित सभी सामग्री (2843) (ख) सक्रिय पदार्थ के रूप में बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु के यौगिकों के साथ उत्प्रेरक (381512)	12.5%	7.5%
19.	7112	उपभोग किए गये उत्प्रेरक/भस्म में अर्न्तविष्ट बहुमूल्य धातुओं जैसे स्वर्ण जिससे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन ऐसी बहुमूल्य धातु को पुनःप्राप्त किया गया है	12.5%	11.85%
		मशीनरी		
20.	84	उच्च वोल्ट विद्युत संचरण परियोजना में उपयोग के लिए अपेक्षित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क तारीख 30.06.2017 की सूची 10 में विनिर्दिष्ट सामग्री	5%	7.5%
21.	8432 80 20	घूर्णी टीलर/खुरपा	2.5%	7.5%
22.	84 या कोई अन्य अध्याय	सड़क जैसे खंडजा लगाने, सड़को में दरारों को भरने के लिए मशीनों, चलायमान पुल निरिक्षण इकाई आदि के लिए अपेक्षित अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा शुल्क तारीख 30.06.2017 की सूची 14 में विनिर्दिष्ट सामग्री	शून्य	लागू आधारिक सीमा शुल्क
23.	8501	मोटर जैसे एकल फेज वाली एसी मोटर, स्टीपर मोटर, वाईपर मोटर आदि	7.5%	10%
		इलैक्ट्रानिक सामान और उनके पुर्जे		
24.	74	विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक मदों के विनिर्माण में कापर और प्रयोग की गई उसकी वस्तुएं	शून्य	लागू आधारिक सीमा शुल्क

25.	8504 40	विनिर्दिष्ट चार्जर और विद्युत अडोप्टर	लागू आधारिक सीमा शुल्क	20%
26.	8517 70 10	सेलूलर मोबाईल फोन का पीसीबीए (01.04.2020 से प्रभावी)	10%	20%
27.	8517 70 90	मोबाईल सेलूलर फोन में प्रयोग के लिए फिंगर प्रिंट रीडर	शून्य	15%
28.	8517 70 90	सेलूलर मोबाईल फोन के वाईब्रेटर/रिंगर (01.04.2020 से प्रभावी)	शून्य	10%
29.	8517 70 90	सेलूलर मोबाईल फोन के डिस्पले पेनल और टच असेम्बली (01.10.2020 से प्रभावी)	शून्य	10%
30.	8518 30 00	हैडफोन और इयरफोन	लागू आधारिक सीमा शुल्क	15%
31.	8518 90 00	माइक्रोफोन के विनिर्माण में प्रयोग के लिए माइक्रोफोन के निम्नलिखित पुर्जे, अर्थात्- (क) माइक्रोफोन कारटेज (ख) माइक्रोफोन होल्डर (ग) माइक्रोफोन जाली (घ) माइक्रोफोन बॉडी आदि	10%	शून्य
32.	8538	माइक्रो-फ्यूज और सब, मिनियेचर फ्यूज के विनिर्माण में प्रयोग के लिए माइक्रो फ्यूज बेस, सब-मिनियेचर फ्यूज बेस, माइक्रो-फ्यूज कवर और सब-मिनियेचर-फ्यूज कवर	7.5%	शून्य
		आटो मोबाईल और आटो मोबाइल पुर्जे		
33.	2843	उत्प्रेरक कनवर्टर और उनके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त नोबल धातु मिश्रण या नोबल धातु यौगिक	5%	लागू आधारिक सीमा शुल्क
34.	7110	उत्प्रेरक कनवर्टर और उनके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लेटिनम या पेल्लेडियम	5%	लागू आधारिक सीमा शुल्क
35.	84 या कोई अन्य अध्याय	(क) उत्प्रेरक कनवर्टर के विनिर्माण हेतु उत्प्रेरक कनवर्टर के पुर्जे (ख) उत्प्रेरक कनवर्टर और इसके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निम्नलिखित सामग्री- (i) कच्ची मिट्टी (चीनी मिट्टी) (ii) वास लेपित मिट्टी (चीनी मिट्टी) (iii) कच्ची मिट्टी (धातु) (iv) वास लेपित मिट्टी (धातु) (v) जंग रहित इस्पात तार की वस्त्र पट्टिका (vi) वास कोट	5%	7.5%
36.	8702, 8704	वाणिज्यिक यानों (इलैक्ट्रिक यानों से भिन्न) की पूर्ण रूप से बनी ईकाइयां (सीबीयू) (01.04.2020 से प्रभावी)	30%	40%
37.	8702, 8704	वाणिज्यिक यानों की पूर्ण रूप से बनी ईकाइया (सीबीयू) (01.04.2020 से प्रभावी)	25%	40%

38.	8703	अर्द्ध-खुल पुर्जे (एसकेडी) के रूप में इलैक्ट्रिक यात्री यान (01.04.2020 से प्रभावी)	15%	30%
39.	8702, 8704, 8711	अर्द्ध-खुल पुर्जे (एसकेडी) के रूप में इलैक्ट्रिक यान-बस, ट्रक (01.04.2020 से प्रभावी)	15%	25%
40.	8702, 8703, 8704, 8711	पूर्ण खुले पुर्जे के रूप में इलैक्ट्रिक यान-यात्री यान, दोपहिया, तीन पहिया, बस और ट्रक (01.04.2020 से प्रभावी)	10%	15%
		रक्षा सेक्टर		
41.	73,84,85,87, 88,89,90,93	रक्षा सेनाओं के लिए जब रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और अन्य उपक्रमों द्वारा आयात किये गये विनिर्दिष्ट सैन्य उपस्कर हेतु आयात शुल्क से छूट	यथा लागू	शून्य

V. सीमाशुल्क की रियायतों/छूटों की कांट-छांट और पुर्नविलोकन:

- क. अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 में विहित आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दरों का पुर्नविलोकन: अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30.06.2017 की निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप करते हुए कतिपय मालो पर उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क छूट को वापस लिया जा रहा है।

क्र.सं.	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमाशुल्क की क्र.सं.	वर्णन
1.	5	ट्यूना बैट [0303]
2.	7	किसी वित्तीय वर्ष में दूध और क्रीम, पाऊंडर में, कणिकाएं या अन्य ठोस प्ररूप के कुल आयात दस हजार मिट्रिक टन के किसी परिकलन तक का माल
3.	7क	दही का पानी, सान्द्रित वाष्पित या संघनित तरल या अर्द्ध ठोस (04041010]
4.	7ख	अन्य दही या पानी [040490 00]
5.	8	मक्खन घी, मक्खन तेल [0405]
6.	9.	अन्य पनीर [04069000]
7.	10	अग्न्याशय (पशु जनित उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है) [अध्याय 5]
8.	11	प्रशंख [050800]
9.	18	शल्ककंद या कांदिल जड़े, अन्य जीवित पौधे [0601 या 0602]
10.	36	मेसलिन या गेहूं से भिन्न सभी माल [1001]
11.	38	मेसलिन [1001]
12.	40	किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे मालो के कुल आयात के पाच लाख मिट्रिक टन के संकलन तक मक्का [10059000]
13.	47	चुकन्दर के बीज [12091000]

14.	56	खाद्य तेल [1508, 1512, 1513, 1514, 1515 या 151110]
15.	58	खुले या थोक रूप में खाद्य श्रेणी को परिष्कृत वनस्पति तेल (खजूर तेल से भिन्न) [अध्याय 5]
16.	59	वनस्पति के रूप में साधारण रूप से ज्ञात तेल के विनिर्माण या परिष्करण के लिए आयतित खुले या थोक प्ररूप में (क्र. सं. 58 के सामने विनिर्दिष्ट और खजूर तेल से भिन्न) खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेल स्पष्टीकरण - पद "वनस्पति तेल" से (क) बिनौले के तेल की दशा में, ऐसा तेल जिसमें मुक्त वसीय अम्ल की मात्रा कम से कम 0.2% है; और (ख) किसी अन्य वनस्पति तेल की दशा में ऐसा तेल जिसके मुक्त वसीय अम्ल की मात्रा कम से कम 0.5% है अभिप्रेत है (15)
17.	68	किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे मालों के कुल आयात के एक खाद्य और पचास हजार मिट्रिक टन के किसी संकलन तथा अपरिष्कृत सूरजमुखी बीज या कुसंब का तेल
18.	69	क्र.सं. 68 के सामने विनिर्दिष्ट से भिन्न अपरिष्कृत सूर्यमुखी बीज या कुसुम बीज [151211]
19.	72	किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे माल के कुल आयात के एक लाख पचास हजार मीट्रिक टन के योग तक परिष्कृत तिलहन या सरसों तेल। [15 14 19 या 15 14 99]
20.	78	खाने योग्य श्रेणी के मारगरीन, पशु या वनस्पति तेल। [15 17 या 15 18]
21.	83	(अपरिष्कृत ग्लिसरोन से भिन्न) ग्लिसरील, अपरिष्कृत; गिलसरील जल और गिलसरील लाइज। [1520 00 00]
22.	88क	ऐसे माल के कुल आयातों के कुल तीन लाख मीट्रिक टन तक अपरिष्कृत चीनी/परंतु अपरिष्कृत चीनी का भौतिक रूप में आयात, आयातक के टैरिफ दर कोटा आबंटन प्रमाणपत्र जारी करने या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अनुज्ञप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर पूर्ण हो। परंतु यह और कि आयातक बिल प्रविष्टि की तारीख या अंतःप्रविष्टि की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर, अपरिष्कृत चीनी को सफेद/अपरिष्कृत चीनी में संपरिवर्तित करेगा।
23.	89	डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट
24.	92	चीनी के निष्कर्षण या परिष्करण से उत्पन्न सीरा।
25.	93	च्यूइंगगम चाहे उस पर चीनी की परत हो या नहीं [1704 10 00]
26.	94	(i) 0401 से 0404 तक के शीर्ष वाले माल, 5% या अधिक किन्तु 10% से कम वजन अंतर्विष्टि करने वाले पूर्णतः डीफेटेड आधार पर संगणित कोकोआ; (ii) 40% या अधिक किन्तु 50% से कम वजन अंतर्विष्टि करने वाले पूर्णतः डीफेटेड आधार पर संगणित कोकोआ अंतर्विष्टि करने वाले आटा, मील, मण्ड या माल्ट सार; के खुदरा विक्रय हेतु और नवजात के उपयोग हेतु खाद्य निर्मितिया। [1806 90]
27.	95	[1901 10] खुदरा विक्रय हेतु नवजात के उपयोग हेतु विर्मितियां
28.	98	परिरक्षित आलू [2004 10 00]
29.	99	मूंगफली का मख्खन [2008 11 00]
30.	105	वाइन, सांस्कारिक उपयोग के लिए वाहन [2204]
31.	108	अंगोस्टुरा बिटर [2208]

32.	113	फिन फिश फीड [2301 20, 2309 9032, 2309 90 39]
33.	115	डायटरी सोया फाइबर [2304]
34.	148	दाभोल जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) के पावर प्लांटों में विद्युत उत्पादन के उपयोग हेतु रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) द्वारा आयातित, नेफथा
35.	149	नाफथा, जब विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 (28) में यथा परिभाषित किसी उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के कारखानों में लगने के लिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए आयात किया गया हो [2701]
36.	152	प्रोपेन, ब्यूटेन [27111200, 27111300]
37.	160	विद्युत ऊर्जा [2716 00 00]
38.	170	फास्फोरिक अम्ल, खादों के विनिर्माण के लिए [28]
39.	212	आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से आयात की गई जापानी इंसेफ्लेरिस(जेई) वेक्सिन [30]
40.	220	क्यानाइट लवण, उर्वरकीय प्रयोजन के लिए उनके उपयोग के उपदर्शक रूप में [31]
41.	243	पृथक्कृत सोया प्रोटीन [3504]
42.	244	कलर पोजिटिव अउड् भाषित चलचित्रात्मक फिल्म भारी-भरकम लपेटनों में और कलर नगेटिव अउड् भाषित चलचित्रात्मक फिल्म 400 फुट और 1000 फुट के लपेटनों में [37]
43.	245	तात्क्षणिक प्रिंट फिल्म [3701 20 00 या 3702]
44.	246	फोटोचित्रण फिल्म, उद्भाषित किंतु डिवलेप नहीं किए गए हैं [3704]
45.	247	प्रोत्साहन-परक सामग्री (जैसे ट्रेलर्स, फिल्म निर्माण आदि) इलैक्ट्रॉनिक प्रमोशन किट (ईपीके)/बेटा केम्स (कोई भी अध्याय) के रूप में आयातित
46.	263	एथिलीन के बहुलक, अर्थात् : - (i) निम्न घनत्व के पालिएथिलीन (एलडीपीई), (ii) रैखिक निम्न घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई), (iii) उच्च घनत्व पालिएथिलीन (एचडीपीई), (iv) रैखिक मध्यम घनत्व पालिएथिलीन (एलएमडीपीई) (v) रैखिक उच्च घनत्व पालिएथिलीन (एलएचडीपीई) [3901]
47.	264	पालिइसो ब्यूटिलीन को छोड़कर सभी माल [3902]
48.	266	सभी माल [3903]
49.	274	कम्पोस्टेबल पोलिमेर या बायो-प्लास्टिक बायो-डिग्रेडेबल एग्रो मलिनग फिल्मों, नर्सरी प्लांटेशन पोट्स और फलावर पोट्स के विनिर्माण में प्रयुक्त [39139090]
50.	275	इंसुलिटिड तारों और केबलों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए जल-रोधक टेप, शीर्ष 8544 के अंतर्गत आने वाली (उप-शीर्ष 85 4411 को छोड़कर) [3919 90 90]
51.	278	रबड़ पोलिसिटर बेस, मैसर्स हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मन्युफेक्चरिंग कंपनी लि. उद्घागमंडलम द्वारा चिकित्सा या औद्योगिक एक्स-रे फिल्म और ग्राफिक आर्ट फिल्मों के विनिर्माण के लिए आयातित [3920]

52.	286	पेटेंट चमड़ा [4114 2010]
53.	287	कच्चा फरसकिन्स [4301], चर्मित और शुल्क फरसकिन्स [4302]
54.	386	सीसे की सिल्लियां, छड़े, पार्श्वक और तार [7806]
55.	388	जस्ता की ट्यूबें, पाइपें और ट्यूब या पाइप की फिटिंग्स [7907]
56.	389	टिन प्लेटें, चादरें और पट्टियां जिनकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर से अधिक है; टिन पर्णिका (चाहे मुद्रित, या कागज, पेपरबोर्ड, प्लास्टिक या वैसी ही पृष्ठन सामग्री से पृष्ठित हैं या नहीं, जिसकी मोटाई (किसी पृष्ठक को छोड़कर) 0.2 मिलीमीटर से अधिक नहीं है, टिन चूर्ण और पत्रक [8007]
57.	398	उच्च वोल्टेज ऊर्जा संप्रेषण परियोजना में उपयोग के लिए अपेक्षित सूची 10 में विनिर्दिष्ट माल के पूर्ण और कम्पोनेंट्स [किसी भी अध्याय में]
58.	401	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई उपस्कर की सभी मर्दें जिसमें मशीनरी और रोलिंग स्टॉक भी है, में उपयोग के लिए - (i) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना फेज-1; और (ii) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना फेज-2 के विनिर्दिष्ट कोरिडोरों के लिए जिनमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं, अर्थात्- (क) विश्वविद्यालय-जहांगीरपुरी (ख) सेंट्रल सेक्टर-कुतबमीनार (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से होकर); (ग) शाहदश-दिलशाद गार्डन (घ) इंद्रप्रस्थ-नया अशोक नगर (ङ) यमुना बैंक-आनंद विहार-अंतरराज्जीय बस टर्मिनल; और (च) कीर्ति नगर - मुंडका (शाहदश-रिटाला कॉरीडोर से आप्रेशनल लिंक के साथ-साथ) (कोई अध्याय)
59.	412	सड़कों के निर्माण के लिए अपेक्षित सूची-15 में विनिर्दिष्ट माल [84 या कोई अन्य अध्याय]
60.	447	आप्टिकल डिस्क ड्राइव्स (ओडीडी) के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निम्नलिखित माल, अर्थात् : - (i) पिक-अप एसेम्बली (ii) डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसन इंटीग्रेटेड सर्किट (iii) डीसी मोटर (iv) एलडीओ वोल्टेज रेगुलेटर [84 या कोई अन्य अध्याय]
61.	456	निम्नलिखित माल, अर्थात् : - (क) कृषि और बागवानी प्रोयजनों के लिए फुहारगन और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था; (ख) माइक्रो सिंचाई उपस्कर [8424]
62.	457	तवेदार हैरो [8436 21 00]
63.	459	उपशीर्ष 8443 32 के अंतर्गत आने वाले प्रिंटर के विनिर्माण के लिए पूर्ण (8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53 से भिन्न) [8443]
64.	465	सीडी-राइटर्स [8471]
65.	474	एमपी 3 या एमपी 4 या एमपीईजी 4 प्लेयर, रेडियो या विडियो रिसेप्शन सुविधा सहित या रहित [85]
66.	483	प्रि-रिकार्डिड कैसेटों का एक सैट जिसके साथ भाषाएं सीखने के लिए पुस्तकों और ऐसी पुस्तकों के आवश्यक संपूरक [85]
67.	484	आडियो कैसेटें, यदि दृष्टिहीन के लिए पुस्तकें, समाचारपत्र या पत्रिकाओं से ली गई सामग्री से रिकार्ड की गई हैं [85]

68.	515	केथोड किरण टेलीविजनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए रंगीन टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबें [8540 11]
-----	-----	--

ख. सीमा-शुल्क छूटें जो कतिपय अन्य स्वतंत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रदान की गई थीं, उनका भी पुनर्विलोकन किया गया। निम्नलिखित अधिसूचनाएं, जो सुसंगत नहीं रह गई हैं, वापस ली जा रही हैं :-

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना का विषय
1.	13/2010-सीमा-शुल्क तारीख 19.2.2010	कॉमनवेल्थ खेल, 2010 के संबंध में माल के आयात के लिए छूट
2.	73/1999-सीमा-शुल्क तारीख 8.6.1999	भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा रिहंद-सासाराम-बिहार शरीफ एचवी डीसी लिंक बैंक-टू-बैंक परियोजना के लिए आयात हेतु छूट
3.	205/1992-सीमा-शुल्क तारीख 19.5.1992	अग्रिम सीमा-शुल्क अनुमति परमिट के अधीन आयातों के लिए छूट
4.	105/1999-सीमा-शुल्क तारीख 10.8.1999	एसएआरसी अधिमानी व्यापार करार के अधीन छूट
5.	56/2006-सीमा-शुल्क तारीख 7.6.2006	नेपाल में उत्पादित विनिर्दिष्ट माल के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट
6.	22/2003-सीमा-शुल्क तारीख 4.2.2003	यह अधिसूचना रेड क्रॉस और पेपर मनी द्वारा ऊन या ऊनी वस्त्रों के लिए छूट प्रदान करती है। [रेड क्रॉस से संबंधित प्रविष्टि को अधिसूचना सं. 148/1994-सीमा-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 में विलीन किया गया है और पेपर मनी को छूट अब अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा प्रदान की जाएगी। तदनुसार, अधिसूचना सं. 22/2003 सीमा-शुल्क को विखंडित किया जा रहा है।]
7.	22/2007-सीमा-शुल्क तारीख 1.3.2007	कतिपय सीटीएच पर अधिमानी दरें
8.	14/2004-सीमा-शुल्क तारीख 8.1.2004	औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति परियोजनाएं परियोजना आयात के अधीन छूट प्राप्त हैं। यह छूट अब अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा उपलब्ध होगी।

VII. कतिपय मदों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर का अधिरोपण

वित्त विधेयक, 2020 के खंड [139] के साथ पठित उक्त विधेयक की चौथी अनुसूची में "स्वास्थ्य उपकर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध है। स्वास्थ्य उपकर शीर्ष 9018 से 9022 के अंतर्गत आने वाले चिकित्सीय उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन यथा अवधारित ऐसे माल के आयात मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से मूल्य अनुसार अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। यह स्वास्थ्य उपकर सीमा-शुल्क का शुल्क होगा। उक्त उपकर के संदाय के लिए कोई आयात प्रोत्साहन पावती-पत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त
--

	चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट/पुर्जों को भी स्वास्थ्य उपकर से छूट होगी। स्वास्थ्य उपकर के आगम संघ द्वारा देश में स्वास्थ्य अवसंरचना की निधि के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे।
--	--

VIII. अन्य परिवर्तन (कतिपय स्पष्टीकरणों/तकनीकी परिवर्तनों सहित)

1.	सूत के रंजित बुने हुए वस्त्र पर, जिनमें पोलिस्टर तंतुओं की बुनावट का 85 प्रतिशत या अधिक भार है, टैरिफ उप-शीर्ष "540752" के अधीन बीसीडी अधिसूचना सं. 14/2006-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 के क्रम संख्यांक 47 और 48 द्वारा विहित की गई थी। अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 क्रम संख्या 31क भी इस मद पर दर विहित करती है। इस प्रविष्टि का लोप किया जा रहा है।
2.	क) शर्त सं. 78 में स्पष्टीकारक प्रकृति के तकनीकी परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे कि इसे अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की प्रविष्टि सं. 539 के संगत बनाया जा सके। उक्त क्रम संख्या 539 छह माह की अवधि के भीतर उपग्रह या पे-लोड के परीक्षण के लिए आयातित आधारीक उपस्कर के आयात के संबंध में है। ख) क्र. सं. 539क के लिए एक अलग नई शर्त (सं. 107) अंतःस्थापित की जा रही है, जो यान और उपग्रह तथा पे-लोड के प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों, यंत्रों उपस्करों के संबंध में है।
3.	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की प्रविष्टि सं. 28 को इसमें केवल टैरिफ मद सं. 802 90 00 को प्रतिधारित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। अब तक इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले अन्य माल पर वही टैरिफ है, इसलिए इस प्रविष्टि में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।
4.	अगरबत्ती के विनिर्माण में उपयोग के लिए बांस के आयात पर अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की क्रम संख्या 28 पर प्रविष्टि पर 10 प्रतिशत की रियायती दर लागू होती है। यह रियायत इसके पश्चात् वास्तविक उपयोक्ता की दशा के अधधीन होगी।
5.	अधिसूचना सं. 50/2017, तारीख 30 जून, 2017 का क्रम संख्या 57 (कतिपय खाद्य तेलों पर प्रभावी दर को विहित करते हुए) अनावश्यक है क्योंकि ये माल निम्नतर लागू दरों के साथ कतिपय अन्य प्रविष्टियों में आच्छादित हैं। इसलिए इस प्रविष्टि का लोप किया जा रहा है।
6.	शीर्ष 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 और 2814 के अंतर्गत आने वाले माल पर टैरिफ द्वारा पांच प्रतिशत बीसीडी लागू होती है। तथापि, अधिसूचना सं. 50/2017 के क्रम संख्या 169 में 7.5 प्रतिशत की बीसीडी दर है। इस विसंगति को दूर करने के लिए इस प्रविष्टि को संशोधित किया जा रहा है।
7.	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 के क्रम संख्यांक 190 (एक सशर्त छूट) और 177 के द्वारा फास्फोरिक अम्ल पर 5 प्रतिशत बीसीडी लागू होती है। क्र. सं. 170 का अनावश्यक होने के कारण लोप किया जा रहा है।
8.	अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का क्रम संख्या 266 शीर्ष 3903 के अंतर्गत आने वाले माल के लिए 7.5 प्रतिशत बीसीडी का उपबंध करता है। क्रम संख्या 262 में शीर्ष 3903 को सम्मिलित करने के लिए इसका संशोधन किया जा रहा है जिससे शीर्ष 3903 के माल पर 7.5 प्रतिशत बीसीडी का उपबंध किया जा सके। तदनुसार, क्रम संख्या 266 पर अनावश्यक प्रविष्टि का लोप किया जा रहा है।
9.	अधिसूचना सं. 50/2017, तारीख 30 जून, 2017 की क्र. सं. 578 निर्योग्य व्यक्तियों के लिए उक्त अधिसूचना की सूची सं. 30 में वर्णित अनुसार सहायक जुगतों, पुर्नवास साहाय्य और अन्य माल पर बीसीडी छूट का उपबंध करती है। इस सूची में क्र. संख्या ई(9) पर मद को इसकी परिधि के बारे में संदिग्धता को दूर करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। आशय केवल ऐसी मदों को कवर करने का है जो निर्योग्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए हैं।
10.	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की क्रम संख्या 408 (और शर्त 51) में उर्वरक संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए मद पर 5 प्रतिशत की दर से रियायती बीसीडी का उपबंध है।

	इसके लिए उर्वरक विभाग से तकनीकी -आर्थिक अनापत्ति अपेक्षित होती है। शर्त सं. 51 का संशोधन किया जा रहा है जिससे इस अपेक्षा को हटाया जा सके।
--	---

IX. विभिन्न मदों पर समाज कल्याण अधिभार की समीक्षा

क. निम्नलिखित मदों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जा रही है।

क्र. सं.	एचएस कोड	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	0404 10 10	दही का पानी (वे), गाढ़ा, वाष्पित या संघनित, द्रव्य या अर्ध घनीभूत
2	0406 90 00	पनीर, अन्य
3	0601,0602	शलककंद या कांदिल जड़ें, अन्य जीवित पौधे
4	0802 12 00	बादाम, कवच रहित
5	0802 31 00	अखरोट, कवचयुक्त
6	0802 32 00	अखरोट, कवच रहित
7	1001 11 00, 1001 91 00, 1001 99 20	गेहूं और मेसलीन
8	1005 90	मक्की
9	1704 10 00	चुड़ंग गम, चीनी लेपित हो या हो
10	1901 10	शिशु या वयस बालकों के उपयोग के लिए विनिर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए रखी गई हैं
11	2009 11 00	संतरे का रस, हिमशीतित
12	2009 12 00	संतरे का रस, जो हिमशीतित नहीं है या ब्रिक्स मूल्य 20 से अधिक नहीं है
13	2009 19 00	संतरे का रस, अन्य
14	2515 12 20	संगमरमर और ट्रावरटाइन पटियां
15	6802 10 00	टाइलें, क्यूब और वैसी ही वस्तुएं, चाहे वे आयताकार हैं या नहीं (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी हैं), जिनका अधिकतम पृष्ठ क्षेत्र किसी ऐसे वर्ग में परिबद्ध किया जा सकता है, जिसका पार्श्व 7 सें. मी. से कम है; कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिप्पियां और चूर्ण, अन्य संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर और उनकी वस्तुएं, जो सपाट या समतल पृष्ठक में कर्षित या चीरी गई हैं
16	6802 21 10	संगमरमर के ब्लॉक या टाइलें
17	6802 21 20	संगमरमर के संस्मारकीय प्रस्तर
18	6802 21 90	अन्य टाइलें, क्यूब्स और वैसी ही वस्तुएं
19	6802 91 00	संगमरमर, ट्रेवरटाइन और एलबास्टर
20	6802 92 00	अन्य कैल्सियमी प्रस्तर
21	8702 या 8704	सभी वाणिज्यिक यान (जिनके अंतर्गत इलक्ट्रिक यान भी हैं), चारे आयातित है या पूर्ण रूप से निर्मित यूनिट (सीबीयू)

क्र. सं. 21 को तारीख 1 अप्रैल, 2020 से एसडब्ल्यूएस के उदग्रहण से छूट होगी

ख. अध्याय 84, 85 और 90 में आने वाली कतिपय मदों पर उपलब्ध समाज कल्याण अधिभार की छूट को इसके पश्चात् वापस लिया जा रहा है। तदनुसार, अधिसूचना सं. 11/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 को संशोधित किया जा रहा है -

(i) उक्त अधिसूचना की सारणी के क्र. सं. 1 के अंतर्गत अध्याय 84, 85 और 90 के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

(ii) उक्त अधिसूचना की सारणी के क्र. सं. 9 से 49 और 51 पर विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

X. एंटी डम्पिंग शुल्क/प्रतितुलित शुल्क से संबंधित अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन

1	एंटी डम्पिंग नियमों में उन माल को डम्प करने के अन्वेषण के लिए रीति और प्रक्रिया उपबंधित है जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित करते हैं। इन नियमों में निर्यात कर्ताओं द्वारा भारत से विषयगत माल के निर्यात पर एंटी-डम्पिंग शुल्क की प्रवंचना के मामलों में अन्वेषण करने के लिए भी उपबंध किया है। प्रवंचना के मामलों में अन्वेषण करने के लिए भी उपबंध किया है। प्रवंचना-रोधी उपायों को उनकी परिधि को अतिरिक्त व्यापक और विस्तृत बनाकर प्रबल करके एंटी-डम्पिंग शुल्क की सभी प्रकार की प्रवंचनाओं पर ध्यान देने के लिए इन नियमों में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपारी के अनुरूप परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन नियमों की परिधि में स्पष्टता लाने के लिए इन नियमों में कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।
2	प्रतितुलित शुल्क (काउंटर बेलिंग ड्यूटी) नियमों में उन सहायताप्राप्त माल के आयात के मामलों में अन्वेषण करने के लिए रीति और प्रक्रिया का उपबंध किया गया है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होती है। वर्तमान में, प्रतितुलित शुल्क नियमों में प्रवंचन के मामले में इन उपायों की प्रतितुलित शुल्क के अधिरोपण के लिए कोई क्रिया-विधि नहीं है। प्रतितुलित शुल्क नियमों में एक उपबंध सम्मिलित किया जा रहा है जिससे प्रतितुलित शुल्क की प्रवंचना के मामले में ऐसे शुल्क का अधिरोपण करने के लिए अन्वेषण को समर्थ बनाया जा सके। नियमों में स्पष्टता लाने के लिए कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।
3	शोधित टेरिफथालिक अम्ल के आयात पर एंटी-डम्पिंग शुल्क का प्रतिसंहरण, जिसका निम्नलिखित में उत्पादन होता है और उससे निर्यात किया जाता है - (i) दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, अधिसूचना सं. 28/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) तारीख 24 जुलाई, 2019 को अधिरोपित किया (ii) चीन, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान, अधिसूचना सं. 28/2016- सीमा-शुल्क, तारीख 5 जुलाई, 2016 को अधिरोपित किया।

उत्पाद-शुल्क

- टिप्पणः**(क) "आधारित उत्पाद शुल्क" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के चौथी अनुसूची में घोषित उत्पाद शुल्क अभिप्रेत हैं।
 (ख) "एन.सी.सी.डी." से वित्त अधिनियम, 2001 की सारणी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद शुल्क के रूप में वित्त अधिनियम, 2001 के उदग्रहित राष्ट्रीय कालमिटी आकस्मिकता शुल्क अभिप्रेत है।
 (ग) स्क्वायर ब्रेकेट में खंड संख्या [] वित्त विधेयक, 2020 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।
 (घ) संशोधन वित्त विधेयक 2020 के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए इसके अधिनियमन की तारीख को प्रवृत्त में आएंगे, जब तक कि कोई अन्य विनिर्दिष्ट न हो।

I. वित्त अधिनियम, 2001* की सातवी अनुसूची में संशोधन (वित्त विधेयक, 2020 के (खंड 145) :

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	से	तक
1.	2402 20 10	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	हजार में	90 रुपए प्रति हजार	200 रुपए प्रति हजार
2.	2402 20 20	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	हजार में	145 रुपए प्रति हजार	250 रुपए प्रति हजार
3.	2402 20 30	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	हजार में	90 रुपए प्रति हजार	440 रुपए प्रति हजार
4.	2402 20 40	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	हजार में	90 रुपए प्रति हजार	440 रुपए प्रति हजार
5.	2402 20 50	70 मि0मी0 से अधिक, किंतु 75 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	हजार में	145 रुपए प्रति हजार	545 रुपए प्रति हजार
6.	2402 20 90	अन्य (तम्बाकू से बनी सिगरेट)	हजार में	235 रुपए प्रति हजार	735 रुपए प्रति हजार
7.	2402 90 10	सिगरेट और तम्बाकू अनुकल्प	हजार में	150 रुपए प्रति हजार	600 रुपए प्रति हजार
8.	2403 11 10	हुक्का या गुड़कू तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
9.	2403 19 10	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि0ग्रा0	45%	60%
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
11.	2403 91 00	"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
12.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
13.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू की विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	10%	25%
14.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू	कि0ग्रा0	10%	25%
15.	2403 99 40	नस्वार	कि0ग्रा0	10%	25%
16.	2403 99 50	नस्वार वाली विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	10%	25%
17.	2403 99 60	तंबाकू निष्कर्ष और सत	कि0ग्रा0	10%	25%
18.	2403 99 90	अन्य (तंबाकू और अनुकल्प विनिर्माण)	कि0ग्रा0	10%	25%

* कर अधिनियम 1931 के अनंतिम संग्रहण के अधीन उद्घोषणा के तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

माल और सेवा कर

- टिप्पणी: (क) सीजीएसटी अधिनियम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।
 (ख) आई.जी.एस.टी से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।
 (ग) यूटीजीएसटी से संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

वित्त अधिनियम, 2020 में जहां तक संभव हो, विधान मंडल के साथ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पारित किए गए एक समान अधिनियमों के तत्स्थानी संशोधनों के समवर्ती किए गए संशोधन उस तारीख से प्रभाव होंगे जब वह अधिसूचित किए जाएंगे।

I. सी.जी.एस.टी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2020 का खंड
1.	सी.जी.एस.टी अधिनियम का धारा 2 के उपखंड (114) में "संघ राज्य क्षेत्र" की परिभाषा को जम्मू और कश्मीर पुनःगठन अधिनियम, 2019 और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 को प्रवृत्त में लाने की दृष्टि से संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा का अद्यतन किया जाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप यूटीजीएसटी में भी परिवर्तन किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में भी पारिणामिक परिवर्तन किए जा रहे हैं।	[116]
2.	सी.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 10 का संशोधन किया जा सकने के लिए ऐसा करने में लगे हुए कराधान व्यक्ति को कतिपय श्रेणियों के समिश्रित स्कीम को परिधि से बाहर कर दिया है। (i) सेवाओं का प्रदाय सीजीएसटी अधिनियम के अधीन कर के लिए उदग्रहणीय नहीं है, या (ii) सेवाओं का प्रदाय बाहरी अन्तर राज्य (iii) ई वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से सेवाओं का बाहरी प्रदाय	[117]
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से नामे नोट के जारी किए जाने की तारीख अंसबद्ध करने का संशोधन किया जा रहा है।	[118]
4.	सीजीएसटी की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए उपबंध किए जाने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिसे धारा 25 की उपधारा 3 के अधीन स्वेच्छानुसार प्राप्त किया गया है।	[119]
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 1 के परन्तुक को योग्य मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन की तारीख बढ़ाने के लिए अधिकारिक कर प्राधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए अंतःस्थापन किया जा रहा है।	[120]
6.	सीजीएसटी अधिनियम का धारा 31 कराधान सेवाओं के प्रदाय के मामले में बीजक के जारी करने की, रीति को विहित किए जाने के लिए उपबंध सशक्त बनाने के संशोधन किया जा रहा है।	[121]
7.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 को कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र के जारी करने की अपेक्षा को हटाया जा रहा है और टीडीएस प्रमाणपत्र के जारी करने विलंब के लिए विलंब फीस के तत्स्थानी उपबंध का लोप किया जा रहा है।	[122]
8.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 का जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सीजीएसटी अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के उपबंध किया जा रहा है।	[123]
9.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 का व्यक्ति पर शास्ति उदग्रहण के समान शास्ति के लिए उपलब्ध कपटपूर्वक इनपुट कर प्रत्ययदायी या पासिंगआन के संव्यवहार के फायदाग्राही बनाने के नई उपधारा का अंतःस्थापन करके संशोधन किया जा रहा है जो ऐसा विनिर्दिष्ट अपराध कारित करता है।	[124]

10.	सीजीएसटी की धारा 132 का इनपुट कर प्रत्यय के बिल के बीजक के बीना कपटपूर्ण लाभ लेने के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती और ऐसा व्यक्ति कारित या कमीशन कारण या दण्ड के लिए दायी विनिर्दिष्ट अपराधों को उद्भूत करते हुए संव्यवहार के लाभ को पुनः प्राप्त करेगा, संशोधन किया जा रहा है।	[125]
11.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 का संव्यवहारिक प्रत्यय लेने के लिए विहित रीति और समय सीमा 1.7.17 से संशोधन किया जा रहा है।	[126]
12.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 का धारा 143 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक और धारा 66 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकारिक आयुक्त सशक्त बनाने के उपबंधों का संशोधन किया जा रहा है।	[127]
13.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 172 का 2 वर्ष अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक के आदेश से कठिनाईयों को दूर करने अनुरूप सशक्त बनाने के लिए उपबंध करके संशोधन किया जा रहा है।	[128]
14.	सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची II में प्रविष्टि 4(क) और 4(ख) पर उक्त अधिनियम की अनुसूची II से किसी प्रतिफल के बिना किए गए आस्ति कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रदायों का लोप करने के उपबंध को 1.7.17 से संशोधित किया जा रहा है।	[129]

II. आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम स.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 के खंड
1.	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 25 का और दो वर्ष के आदेश अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक कठिनाईयों को दूर करने के अनुरूप सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[132]

III. यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम स.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 के खंड
1.	यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 26 का और 2 वर्ष अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक, के लिए आदेश से कठिनाईयों को दूर करके सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[136]

IV. माल और सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्रम स.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 के खंड
1.	माल और सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम की धारा 14 का और 2 वर्ष अर्थात् उक्त अधिनियम के आरंभ की तारीख से पांच वर्ष तक, के लिए आदेश से कठिनाईयों को दूर करके सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[138]

V. जीएसटी दर की अधिसूचनाओं का भूतलक्षी संशोधन

क्रम सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2020 का खंड
1.	मत्स्य आहार के लिए [एचएस 2301] केन्द्रीय कर, संघ राज्य क्षेत्र कर; एकीकृत कर 1.7.2017 से 30.9.2019 की अवधि के लिए छूट, के अधीन रहते हुए, कि यदि जीएसटी संदत्त की गई है तो वह प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं होगा।	[130, 133 और 137]

2.	शीर्षक 8432, 8433, और 8436 की कृषक मशीनरी के पुर्जे के रूप प्रयुक्त और पुली, पहियों और अन्य पुर्जे (शीर्षक 8483 के अधीन आने वाले) पर 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान एकीकृत कर की 12 प्रतिशत दर से उदग्रहण और केन्द्रीय कर 6 प्रतिशत तथा संघ राज्य क्षेत्र कर 6 प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए कि यदि जीएसटी संदत्त की गई है तो वह प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं होगा।	[130, 133 और 137]
3.	क्षतिपूर्ति प्रतिकर में संरचना शुल्क विपरीत से उद्भूत तम्बाकू उत्पादन पर क्षतिपूर्ति प्रतिकर का संकलित प्रत्यय का प्रतिदाय तारीख 30.9.2019 की अधिसूचना सं. 3/2019-क्षतिपूर्ति प्रतिकर (दर) द्वारा 1 अक्तूबर से अननुज्ञात है। इस अधिसूचना को 1.7.2017 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। तदनुसार संरचना शुल्क के विपरीत के कारण कोई प्रतिदाय किसी तम्बाकू उत्पादकों पर स्वीकार्य नहीं होगा।	[131]